शम माला, खंड 15, अंक 28 Wednesday 19 August, 1992

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खंड 15 में अंक 21 से 31 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(दो) महाराष्ट्र में यवतमाल, वाणी और जावाला में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्स-चेंज शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव देवराव पाठील 61

(तीन) असम में बोडो सिक्यूरिटी फोर्स से कड़ाई से निपटने की आवश्यकता

श्री प्रबीन डेका 61-62

(चार) देश में आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री सम्बन्धी निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रामेश्वर पाटीदार 62

(पांच) मुम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता

श्री राम नाईक 63

(छः) बिहार के विक्रमगंज क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह 63

(सात) गुजरात में मिथाइल अलकोहल के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त फर्मों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री एन० जे० राठवा 63-64

(आठ) महाराष्ट्र के अकोला जिले में उपभोक्ता ट्रक डायलिंग सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री अनंतराव देशमुख 64

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक 65-82, 85-95 और

विचार करने के लिए प्रस्ताव 97-107

श्री मनमोहन सिंह 65

श्री चेतन पी० एस० चौहान 67

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण 70

श्री सैयद शाहाबुद्दीन 74

श्री गिरधारी लाल भार्गव 78

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती 79

विषय सूची

दशम माला, खंड 15, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 30, बुधवार, 19 अगस्त, 1992/28 श्रावण, 1914, (शक)

विषय	पृष्ठ
संविधान की आठवीं अनुसूची में और भाषाएं सम्मिलित किए जाने के बारे में	4-28
प्रधान मंत्री द्वारा "भंगी" शब्द इस्तेमाल किए जाने के बारे में	18-50
सभा पटल पर रखे गए पत्र	50-56
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
आठवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	56
कृषि समिति	
चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	56
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	
पांचवा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	56
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	
कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखा गया	57
राज्य सभा से सन्देश	57
प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक	
संयुक्त समिति में राज्य सभा से एक सदस्य नियुक्त किया जाना	58
प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना	58-60
नियम 377 के अधीन मामले	61-64
(एक) मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित आयुध कारखानों की प्रौद्योगिकी को उन्नत किए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रवण कुमार पटेल	61

विषय				पृष्ठ
श्री ए० चार्ल्स	...	...	...	85
श्री राजगोपाल नायडू रामासामी	...	...	...	89
श्री संदीपान भगवान घोरात	...	...	...	90
श्री भोगेन्द्र झा	...	...	...	92
श्री मुमताज अंसारी	...	...	...	97
श्री भगवान शंकर रावत	...	...	...	100
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या	...	...	...	102
श्री मनमोहन सिंह	...	...	...	104
श्री दाऊ दयाल जोशी	...	...	...	104
खण्डवार विचार पारित करने के लिए प्रस्ताव		...	...	
श्री मनमोहन सिंह	...	...	...	107
प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक				
विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव				83-85
मंत्री द्वारा वक्तव्य				
नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय बातचीत				
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया		...	... ...	82-97
राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक				107-27
विचार करने के लिए प्रस्ताव	...	...	...	107
श्री जगदीश टाइटलर	...	...	...	107
श्री काशी राम राणा	...	...	...	109
श्री अनंतराव देशमुख	...	...	...	112
श्री सुव्रत मुखर्जी	...	...	...	114
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	...	...	...	115
श्री गोरीनाथ गजपति	...	...	...	117
श्री लोकनाथ चौधरी	...	...	...	119
श्रीमती सुमित्रा महाजन	...	...	...	122
श्री जी० एम० सी० बालयोगी	...	...	...	124
श्री तेजसिंह राव भोंसले	...	...	...	126

विषय				पृष्ठ
आधे घण्टे की चर्चा				127-39
कोयला खदानों में लगी आग	...	...	...	127
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	...	...	...	127
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	...	...	...	130
श्री बसुदेव आचार्य	...	...	...	131
श्री संतोष कुमार गंगवार	...	...	...	132
श्री हाराधन राय	...	...	...	133
श्री पी० ए० संगमा	...	...	...	134
कार्य मंत्रणा समिति				
इक्कीसवां प्रतिवेदन--प्रस्तुत	...	...	...	133

लोक सभा

बुधवार, 19 अगस्त, 1992/28 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप सब लोग पहले बैठ जाइए, मैं सबको बता देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आज और कल सदन के इस सत्र का आखिरी दिन है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : हमारे आखिरी दिन हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज और कल सदन के इस सत्र के आखिरी दिन हैं, इसलिए माननीय सदस्यों को ज्यादा बोलने का मौका दिया जाता है, हम भी आपको ज्यादा बोलने का मौका देंगे, मगर इसके साथ-साथ कुछ इम्पार्टेंट इशूज हैं, उनको भी करना है, इस चीज को ध्यान में रख कर चलना है। मैं एक के बाद एक आप लोगों को बोलने का मौका दूंगा। आज पहले खुराना जी से शुरू करते हैं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, वैज्ञानिकों ने "पृथ्वी" का जो सफल परीक्षण किया है, इसके लिए सदन की तरफ से वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देश के उन वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पृथ्वी का सफल परीक्षण कर के एक शानदार काम किया है और देश का नाम एक बार फिर ऊंचा किया है। अध्यक्ष जी, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल "पृथ्वी" का दसवां परीक्षण जो प्रक्षेपण केन्द्र चांदीपुर से किया गया, सफल रहा और वैज्ञानिकों ने इस परीक्षण से दुनिया को भारतीय क्षमता और तैयारी दिखा दी है। इसके लिए वैज्ञानिकों को सदन की तरफ से बधाई देनी चाहिए। एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि यदि पूरी सुविधाएं दी जाएं तो वे दुनिया के किसी वैज्ञानिक से कम नहीं हैं। मेरा आग्रह है कि वैज्ञानिकों को सदन की तरफ से बधाई देनी चाहिए।

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर टिप्पणी कर दें तो सारे सदन की तरफ से हो जाएगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने एक नए विज्ञान और तंत्र विज्ञान में ऊंचाई तक प्रगति की है, उनको सदन के सारे माननीय सदस्यों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका, प्रधान मंत्री जी का और सदन के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी 15 अगस्त को हम सब ने स्वतंत्रता दिवस मनाया और हर जगह ध्वज फहराया है, ध्वज की मान-वंदना की है। अध्यक्ष जी, यह ध्वज कैसे फहराया है, इसके बारे में एक संहिता, फ्लैग नेशनल फ्लैग कोड बना हुआ है, लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा है, ऐसा कई जगह पर देखा जाता है। हो सकता है कि अनजाने में यह बात हो, लेकिन एक चीज जो इसमें है, वह यह है कि ध्वज फहराते हैं तो उसमें फूल या फूलों की माला नहीं रखनी चाहिए।

इस प्रकार के फ्लैग कोड में स्पेसिफिक प्रोविजन हैं और ऐसा होते हुए यह देखा गया और मैंने दूरदर्शन से इस समय नोट किया कि कई प्रदेशों में जैसे—कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम की राजधानियों में जो ध्वज फहराए हैं उनमें फूल रखे गए थे। दिल्ली का मुम्बई टेलीविजन में दिखाई नहीं दिया, इसलिए दिल्ली में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। मैं इसके सम्बन्ध में फ्लैग कोड में जो बात लिखी हुई है, उसको पढ़ता हूं :

[अनुवाद]

"ध्वज संहिता"—भारत

चार अनुचित प्रदर्शन

उपधारा (3)

किसी भी ध्वज अथवा झण्डी को, अब के बाद किये गये किसी प्रावधान के सिवाय, राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा अथवा उसके बराबर नहीं रखा जायेगा, न ही फूलों अथवा मालाओं या प्रतीकों सहित किसी भी वस्तु को ध्वज स्तम्भ पर अथवा उससे ऊपर रखा जायेगा, जिससे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है।"

[हिन्दी]

और इसलिए इस प्रकार के फूलों को रखना एक दृष्टि से देखा जाये तो फ्लैग कोड की अवमानना है और इस दृष्टि से राष्ट्र ध्वज को हमें सही दृष्टि से जो गान-वन्दना देनी चाहिये, उसमें कुछ कमी होती है।

मेरा यह कहना है कि केवल फ्लैग कोड माना नहीं जाता है तो उसको कानून के रूप में परिवर्तित करना चाहिए उसके लिए कानून बनाना चाहिए। मैं यह निवेदन करता हूं कि प्रधान मंत्री जी इसको देखें। सारे सदस्यों को राष्ट्र ध्वज के लिए बलिदान करने के लिए तैयार होना चाहिए, उनकी ओर से ध्वज का सम्मान ठीक प्रकार से रखें, इस प्रकार की व्यवस्था सारे देश में करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। (व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, आपको इस सदन को बहुत सामान तरीके से चलाने में बहुत रुचि है और हमारी भी बहुत रुचि है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस सदन के भले पांच मैम्बर हों या दस मैम्बर हों, उनके मन को तकलीफ में डालकर इस सदन को अन्यायपूर्ण तरीके से जो सवाल है उसको लेकर आप सदन को चलायेंगे तो यह बहुत तकलीफदेह होगा और इस सदन का चलना कठिन होगा। आपने जो पार्टी का कांस्टीट्यूशन है, अपने फैसले से उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया। इस मौके पर मैं आपसे विनती करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप जिस संस्था पर बैठे

हुए हैं, मैं आपके प्रति बहुत आदर से भरा हुआ हूं और मुझे यह कहने में हिचक नहीं है, आपके इस फैसले के बाद मुझे बहुत तकलीफ है, इसलिए नहीं कि कुछ लोग चले गए, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि इनकी जो इनसिक्योरिटी है, वह आपके इंस्टीट्यूशन पर थोपकर··· (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि यह जो टैन्थ शेडयूल है दल-बदल कानून में इसको स्क्रैप करो, खत्म करो। इस कानून की कोई जरूरत नहीं है।···(व्यवधान) इस दल-बदल कानून को समाप्त कीजिए। हम नहीं चाहते कि इस संस्था का इस तरह से काम चले···(व्यवधान) चालीस साल से उसको बर्बाद करने का काम हो रहा है।···(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस टैन्थ शेडयूल को खत्म करो···(व्यवधान) इसके चलते यह सदन आसान तरीके से नहीं चल पायेगा।···(व्यवधान) इस कानून को वापिस कर लो, इसको खत्म कर दो···(व्यवधान) आप इस देश में लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते है···(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : माननीय स्पीकर साहब, मैं तो इस विषय पर, बाकी जो विषय हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, जो माननीय सदस्य ने उठाया, हमारे अच्छे साथी हैं, उन्होंने जो विषय उठाया, परसों इस विषय पर हाउस एक दफा एडजर्न हुआ, दूसरी दफा पूरे दिन भर के लिए एडजर्न हुआ। आज भी अगर हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे···(व्यवधान)···

मैं यह नहीं समझता कि यह उचित है कि एक दफा इस विषय पर पूरी चर्चा होने के बाद और आपने इस सदन में यकीन दिलाया कि आप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी उसका कोई समाधान निकले, फिर भी अगर उसी विषय पर रोज चर्चा हो जाए तो मैं नहीं समझता कि यह उचित होगा।

श्री शरद यादव : मैंने कहा कि यह जो टैंथ शेडयूल है इसको स्क्रैप कर दीजिए, इसको वापस लेने का काम करिए, अपनी तरफ से प्रस्ताव लाइये। यह मैंने आपके माध्यम से अपील की है। मैंने दूसरी बात नहीं की है। मैं कहता हूं इस कानून को आप वापस करिए, नहीं तो जिस तरह से आप कर रहे हैं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, शरद जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। इन्होंने कहा है कि टैंथ शेडयूल की के बारे में आप अच्छी तरह से सोच लीजिए कि क्या करना है।

11.12 म० पू०

संविधान की आठवीं अनुसूची में और भाषाएं सम्मिलित किये जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने हमें सही याद दिलाया है कि आज और कल सदन के दस सत्र के अन्तिम दो दिन रह गये हैं। आप कृपया याद करें कि इस सत्र के शुरू होने

से पहले आपके द्वारा की गई पहली बैठक में सरकार ने एक वायदा किया था—यह लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी की गई बुलेटिन में भी प्रकाशित किया गया था—कि आठवीं अनुसूची में संशोधन करने हेतु संविधान संशोधन विधेयक इसी सत्र में पेश किया जायेगा। हमने भी यह मांग की थी कि तीन भाषाओं को शामिल करने के लिए इसे पारित किया जाना चाहिए जिसके लिए दलों के बीच पूर्णतः सर्वसम्मति तथा रजामन्दी है।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : जी, नहीं। कोई सर्वसम्मति नहीं है (**व्यवधान**) मैं कहता हूं कि कोई सर्वसम्मति नहीं है। मुझे इस पर आपत्ति है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने दलों के बीच सर्वसम्मति की बात कही है। उनका दल इस पर आपत्ति नहीं कर रहा है। उन्हें अलग स्थान दिया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत : मेरा दल इससे सहमत नहीं है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उनका दल इससे सहमत है। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप अपने दल की राय से कैसे असहमत हो सकते हो ?

श्री इन्द्रजीत : कोई सर्वसम्मति नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सम्बन्ध में, प्रधान मंत्री महोदय ने एक आश्वासन दिया है। गृह मंत्री महोदय ने यह कहते हुए एक आश्वासन दिया था कि इस विधेयक को इसी सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा। आज एक बैठक हुई थी। सभी दलों ने यह अनुरोध किया था और सभी इस बात पर सर्वसम्मत भी थे—श्री लाल कृष्ण आडवाणी वहां थे, अन्य नेता वहां थे—कि न केवल इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए बल्कि इसी सत्र में इसे पारित भी किया जाना चाहिये। हम प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सभी नियमों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमने हमने यह कहा है कि यदि कोई सचेतक की अवज्ञा करता है और 10 मिनट तक बोलता है, तो दूसरे इस विधेयक पर नहीं बोलेंगे क्योंकि इस पर सर्वसम्मति हुई है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उसे यह विधेयक अवश्य ही पुनःस्थापित करना चाहिये। लेकिन हमने इसे आज की कार्य-सूची में नहीं पाया है। गैर-सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित पिछले गैर-सरकारी सदस्यों के दिन नेपाली भाषा को शामिल करने के लिए आठवीं अनुसूची में संशोधन करने हेतु गैर-सरकारी सदस्य श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी के विधेयक के सम्बन्ध में श्री एम० एम० जैकब ने सदन में एक स्पष्ट आश्वासन दिया था कि इस विधेयक को इसी सत्र में पेश किया जायेगा। लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है। आज की बैठक में भी हमें यह नहीं बताया गया है कि निश्चित रूप से यह प्रस्तुत किया जायेगा। महोदय, मैं मांग करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें क्योंकि इस देश के उच्चतम कार्यकारी प्राधिकारी ने आपके सामने इस सदन में एक वायदा किया है। फिर यदि हम इस सदन में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन पर विश्वास नहीं कर सकते तो यह संसद कैसे कार्य करेगी ? मैं यह चाहता हूं कि सरकार अभी वायदा करे। वे आज ही यह विधेयक लाएं। हम इसे अभी पारित कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री रामप्रकाश चौधरी (अम्बाला) : मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि यह इनको सम्भालें और सदन को काम करने दें। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : कांग्रेस पार्टी सदस्यों को अपनी इच्छानुसार बोलने का अवसर दे देती है, चाहे वह पार्टी के विचारों के विरुद्ध हो अथवा नहीं···

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : इसके विपरीत मैंने उन्हें बैठने के लिए कह दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह भावनाओं की निर्बाध अभिव्यक्ति थी।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्षजी, इस सदन की सम्मानीय सदस्या श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी ने जब 8वीं अनुसूची में तीन भाषाओं का अधिक समावेश करने का विधेयक यहां प्रस्तुत किया था या प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस समय प्राय: सर्वसम्मत राय यह प्रवट हुई थी और सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया, उसके बाद गृह मंत्री ने सब दलों की बैठक भी बुलाई और आज प्रात:काल भी एक बैठक हुई जिसमें उसी सर्वसम्मत राय को फिर से दोहराया गया। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इस बीच में देश के अलग-अलग भागों में और भी भाषाओं के सम्बन्ध में मांग उठी है। राजस्थानी की मांग है, मैथिली की मांग है, डोगरी की मांग है, भोजपुरी की मांग है, तुलू की मांग जार्ज फर्नांडीज कर रहे हैं, मैं जानता हूं उस क्षेत्र की यह मांग रही है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि यह आठवीं अनुसूची में संशोधन का अन्तिम विधेयक नहीं होगा। इसके बाद भी भाषाओं का समावेश हो सकता है। लेकिन उन भाषाओं के बारे में जब तक सर्वसम्मत राय न बने तब तक उसके कारण इन तीनों को भी छोड़ देना उचित बात नहीं होगी। यह न्यायपूर्ण नहीं होगा और यह सरकार के आश्वासन की काट होगी, आश्वासन का पालन नहीं किया, ऐसा कहा जायेगा। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि बिना अधिक चर्चा के, बिना चर्चा के हम इस विधेयक को पारित करें उसके लिए अगर किसी रूल को वेव करने की आवश्यकता हो तो हम वह भी करें और कल से पहले इस विधेयक को पारित कर दिया जाये दोनों सदनों में।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी के बारे में बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, लोग अपनी अभिलाषाओं को व्यक्त कर रहे हैं, आश्वासन दिये जा रहे हैं। अब यह इस कगार पर है कि इसमें और चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सरकार का आश्वासन भी है सदन के अन्दर और आपके सामने दिया हुआ है। यह सरकार का दावा है कि वह कंसेंसेस से चलती है, सुसहमति से चलती है। अब जिस चीज पर कंसेंसेस है, सुसहमति है, केवल इन्द्रजीत का मतभेद हो सकता है, लेकिन बावजूद इस पर सहमति होते हुए और क्या चीज करें कि यह सरकार उस पर चले। हम लोग यह भी कह रहे हैं कि इस पर सदन का समय नहीं जायेगा, यह इसी सत्र में पास हो जाये। सरकार कोई कारण बताये कि इसको क्यों नहीं ला सकती है जिससे हम लोगों को संतोष हो या आपके मन में कुछ और है। हमारे मन में आशंका पैदा होती है कि सहमति के बाद, आश्वासन के बाद भी आप इसे क्यों नहीं ला रहे हैं। इसी के साथ आडवाणीजी ने कहा कि और भी भाषाएं हैं, उनका भी सवाल है जैसे राजस्थानी है, डोगरी है, कई अन्य भाषाएं हैं। इसके लिए भी राजनैतिक नेताओं की बैठक बुलाई जाये और सरकार उसमें आम सहमति बनाने का प्रयास करे। मेरा निवेदन है कि सरकार नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी के लिए विधेयक लाकर उसे पास कराये और बाकी के बारे में आश्वासन दे और आम राय बनाये।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं केवल इस बात पर बल देना चाहता हूं कि आज सदन के उपान्तिम दिन की कार्य सूची में भी इस ब त का कोई संकेत नहीं है कि सरकार का विचार यह विधेयक लाने अथवा आठवीं अनुपूची में संशोधन करने का है। इसे पुर:स्थापित भी नहीं किया गया है; इसे अलग से पारित किया जाये। स्पष्ट है कि यह आज प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है क्योंकि आज की कार्य-सूची हमारे सामने है। हमारे पास केवल एक दिन ही रह गया है।

यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जब सदन में किसी मामले विशेष पर सर्वसम्मति है। ऐसा इस जैसे मामलों पर बहुत ही कम होता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ससदीय कार्य मंत्री द्वारा आपके चैम्बर में भी बार-बार दिये गये आश्वासन को देखते हेतु सरकार को हमें यह बताना चाहिए कि क्या वह इस मामले को टालने का प्रयास कर रही है। क्या वह इससे बचने का प्रयास कर रही है ?

आज सुबह हमें यह बताया गया था कि सरकार को इस बात की आशंका है कि यदि इन तीन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है, तो उन भाषाओं के लोग जिन्हें छोड़ दिया गया है, इस बात के लिये बहुत बड़ा आन्दोलन शुरू कर सकते हैं कि उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया है। इस स्तर पर यह तर्क ठीक नहीं है। इस समय यह मामला सरकार के विचाराधीन है; अब सत्र के अन्तिम दिन यह तर्क देना उचित नहीं है। आखिरकार, इस पर दूसरे तरीके से भी बहस की जा सकती है। जब सारा देश यह जानता है और यह आशा कर रहा है कि इन भाषाओं को शामिल किया जायेगा और यदि अन्तिम क्षण में उन्हें छोड़ दिया जाये तो उस स्थिति में भी आन्दोलन छिड़ सकता है। अत:, यह सरकार द्वारा संसद को किसी भी मामले में किये गये वायदे पर कायम रहने का प्रश्न है। यहां सभी दल इस बात पर दबाव डाल रहे हैं कि उसे पूरा किया जाये। अत: मैं आशा करता हूं कि यह देखने के लिये आप भी अपने पद का उपयोग करेंगे कि कम से कम कल इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाये और पारित किया जाये। यह आधे घन्टे में ही पारित हो जायेगा। इसमें उससे भी अधिक समय नहीं लगेगा। कृपया एक बात सुनिश्चित करें कि ऐसा किया जाये। अन्यथा यदि सरकार इस अवस्था में पीछे हटती है तो यह सभा का एक बहुत खराब व्यवहार होगा। मैं आशा करता हूं कि वे उस किस्म का कोई कार्य नहीं करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मतैक्य का तात्पर्य सर्वसम्मति नहीं होता।

श्री इन्द्रजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात यह कहना चाहूंगा कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है सभा में इस मामले में कोई मतैक्य नहीं है···(**व्यवधान**)···इस सभा में दार्जिलिंग चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना मेरा सौभाग्य है। दार्जिलिंग गोरखा हिल कौंसिल ने औपचारिक घोषणा की है कि इसकी राजभाषा गोरखा भाषा है। वे आठ से दस लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या मैं इस बात की ओर ध्यान दिला सकता हूं 23 अगस्त, 1988 को जी० एन० एल० एफ० तथा श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार के बीच एक विधिवत् समझौता हुआ था, उस समय श्री बूटा सिंह गृह मंत्री थे और अब वे इस सभा में उपस्थित हैं। इस समझौता ज्ञापन में यह स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि गोरखाली भाषा वह भाषा है···(**व्यवधान**)

क्या मैं आपका संरक्षण प्राप्त कर सकता हूं ? सिक्किम की महिला से मैं आपका संरक्षण चाहता हूं···(**व्यवधान**)···मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुनें। 23 अगस्त, 1988 को

जी० एन० एल० एफ० तथा भारत सरकार के बीच एक विधिवत् समझौता हुआ था। इस पर एक ओर श्री सुभाष घीसिंग और दूसरी ओर गृह सचिव ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता के तीसरे पैरा में स्पष्टत: गोरखा भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में बताया गया है। हमारे अनुरोध पर इस प्रस्ताव के बारे में कार्यवाही नहीं की गयी थी। किन्तु दार्जिलिंग पर्वत के गोरखाओं की भाषा, गोरखा भाषा ही है यह तथ्य में इस समझौता ज्ञापन स्वीकार किया गया है। अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समझौता ज्ञापन से विमुख होना राजीव गांधी और उनकी सरकार की कार्यवाही को नकारने वाली बात होगी। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसे समझकर स्पष्ट करें। क्या वे श्री गांधी के कृत्य तथा 1988 में स्वीकृत बात को अस्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि समझौता ज्ञापन को एक बार पढ़ लें। (व्यवधान)

आप समझौता ज्ञापन को पढ़ें। मित्रगण आप बिल्कुल अनजान बनकर बात कर रहे हैं। अज्ञानता से बात न करें। मैं सरदार बूटा सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे हमें बतायें कि क्या इसमें कोई संदेह है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने फूट डालने वाले सभी मुद्दे उठाने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। यह एक उत्कृष्ट प्रस्ताव है। किन्तु ऐसा करते रहने से और अधिक फूट पड़ेगी। इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में जब विचार किया गया था उसके बाद से कई अन्य मांगें और प्रस्तुत की गयी हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि (क) श्री राजीव गांधी के कृत्य को अस्वीकृत न करें और (ख) अधिस्थगन के विचार को अस्वीकृत न करें, जोकि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कही थीं। इस विचार के बारे में आगे कार्यवाही करने से देश के विभिन्न भागों में तनातनी हो जायेगी। तीन दिन पूर्व मैं जम्मू में था। जम्मू का ज्ञापन··· (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अधिस्थगन के तौर पर तीन वर्षों तक सभा में कोई मत विभाजन नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन पूर्व मैं जम्मू में था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : ये अभी सारी बातें बोल देंगे तो बिल आने पर क्या बोलेंगे। ये पाइंट आफ आर्डर है सर। यह रैजिपटीशन हो जाएगा। आप इनको कह दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत : अध्यक्ष महोदय, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? तीन दिन पूर्व मैं जम्मू में था, जम्मू के लोग बहुत परेशान हैं वे चाहते हैं कि डोगरी भाषा को शामिल किया जाये (व्यवधान) उनके नेता ने कहा कि यदि आप नेपाली को शामिल करने जा रहे हैं जोकि एक विदेशी भाषा है···(व्यवधान)··· उन्होंने कहा है कि आप नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने वाले हैं···(व्यवधान)। महोदय, मेरा कहना है कि नेपाली एक विदेशी भाषा है (व्यवधान) यह···*···एक विदेशी भाषा है। (व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

11.26 म० पू०

[इस समय श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी आईं और सभा पटल के फर्श पर बैठ गईं]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : खुद अंग्रेजी में बोल रहे और···**···**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : ये स्वयं अंग्रेजी में बोल रहे हैं जो अंग्रेजों की भाषा है, गुलामी की भाषा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इस सभा में इस समय कांग्रेस पार्टी है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जायें। मैं अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, उन्हें सरकार की बात सुनने दें। **(व्यवधान)** क्या आप उनकी बात नहीं सुनेंगे ? **(व्यवधान)** आपने माननीय सदस्य की बात सुनी है, आप उनकी बात भी सुनें। **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करूंगा कि माननीय सदस्य उनकी ओर से बोल रहे हैं न कि सरकार की ओर से। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती भंडारी, मैं आपको बोलने दूंगा।

(व्यवधान)

11.27 म० पू०

[इस समय श्री याइमा सिंह युमनाम आए और सभा पटल के पास फर्श पर बैठ गए]

(व्यवधान)

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं भी उनका साथ दूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बैठ जायें तो मैं अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। इन्द्रजीत जी, आप भी बैठ जाइए। भंडारी जी आप भी दो मिनट कृपया अपनी सीट पर चले जाएं। मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा। आप अपनी जगह बैठ

**** अध्यक्षपीठ कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।**

जाइए। इतने लोगों के यहां आने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह गड़बड़ नहीं करिए। आप बैठ क्यों नहीं जाते ? इस तरह से लोग यहां जमा नहीं हों। मालिनी जी आप भी जाइए, मैं समझा दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आप अपना स्थान क्यों नहीं लेते ? कृपया अपने स्थान पर बैठें। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

11.29 म० पू०

[इस समय श्री याइमा सिंह युमनाम अपने स्थान पर वापस चले गए]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती भण्डारी, कृपया अपने स्थान पर वापिस जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें समझाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे उनसे बात करने दें।

(व्यवधान)

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : महोदय यदि मुझे अपने ही देश में इतना अपमान सहना है तो मैं इस सभा में आमरण अनशन करूंगी। यदि मुझे इस तरह का अपमान सहना है और वह भी सत्तारूढ़ पार्टी के एक सदस्य से तो मैं इस सभा में आमरण व्रत करूंगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, हम आपके संवेगों का सम्मान करते हैं। हमारे देश में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा सम्मान योग्य है। हम सब इसे पसन्द करते हैं। यह भाषा उतनी ही हमारी है जितनी आपकी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापिस जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरे पक्ष की बारी है।

[हिन्दी]

मालिनी जी आप बैठ जाइए। राव आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, अब दूसरे पक्ष की बारी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को ही क्षति पहुंचा रहे हैं।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती भण्डारी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान से ही बोलिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मैं सरकार की ओर से आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि नेपाली विदेशी भाषा नहीं है जो कुछ भी माननीय सदस्य कह रहे थे, वे व्यक्तिगत रूप से था और उसी निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में था। वे सरकार की ओर से नहीं बोल रहे थे। (व्यवधान) वे उस निर्वाचन क्षेत्र से संसद के सदस्य हैं। अतः उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब बात खत्म हो गई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : उन्हें अपने विचारों को उचित ठहराने का अधिकार है (व्यवधान) इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि ये सरकार के विचार हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको वापस अपने स्थान पर चले जाना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती भण्डारी, यह आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : कृपया माननीय सदस्य से कहिए कि वे अपनी टिप्पणियां वापस लें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। इस तरह नहीं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह उन्हें भ्रमित नहीं कर सकते।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि क्या वे अपनी टिप्पणियां वापस ले रहे हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मामले को ढंग से निपटाने दीजिये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती भण्डारी धन्यवाद।

(**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : अब उन्हें बोलने की अनुमति मत दीजिए। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग पहले जाइये और मुझे ज्यादा आवाज बढ़ाने के लिए मत बोलिये प्लीज, मेरा भी गला है, आप उसके ऊपर दया कीजिये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, यह लैंग्वेज का ईश्यू बड़ा इमोशनल ईश्यू है, सैन्सिटिव ईश्यू है, उसको उन्होंने कह दिया। देखिये, आप फिर उठकर खड़े हो गये मैं हरेक के साथ बात नहीं कर सकता। आप बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : लोकनाथ जी, जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आप बैठ जाइये। देखिये, यह लैंग्वेज का ईश्यू बड़ा सैन्सिटिव ईश्यू है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

इस समय श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी अपने स्थान पर चली गईं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सुनते क्यों नहीं हैं ?

(**व्यवधान**) अलग सीट के लिए यह उचित मामला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उनके मांगने पर इन्तजाम किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस ईश्यु को हाउस में ऐसे डील कीजिए कि उसका कोई रिपरकशन न हो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाम नबी आजाद मेरे विचार से आपने अभी कुछ कहा है। क्या यह पर्याप्त है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : इस समय यही पर्याप्त है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती भण्डारी, मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं इसके बारे में, आप जो कह रहे हैं। आप बैठ जाइये। यदि आप अंग्रेजी का नाम लेंगे तो उसका असर साउथ में होता है सीधे। आप समझकर के बात कीजिये। आप बैठ जाइये। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं और उसका असर क्या होता है। हम सभी भाषाओं की यहां पर रैस्पैक्ट करते हैं। किसी भाषा को पराया नहीं मानते हैं, जो कुछ उसमें अच्छा है, उसे लेने की कोशिश करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : महोदय, उन्हें अपनी यह टिप्पणी वापस लेनी चाहिए कि नेपाली विदेशी भाषा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : महोदय, पहले उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गवर्नमेंट ने कह दिया है कि नेपाली लैंग्वेज को हम फारेन लैंग्वेज नहीं समझते।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं। यदि यह विदेशी भाषा नहीं है, वे सदस्य जो पहले बोल रहे थे, कांग्रेस दल के सदस्य होने का दावा कर रहे थे, उन सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। महोदय, उन्होंने इस देश के अनेक लोगों तथा हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अतः इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, देश में तनाव पैदा करने वाली भाषा इन्द्रजीत जी बोल रहे हैं और दार्जिलिंग के लोगों का शोषण कर रहे हैं। ये नेपाली या गोरखाली में बोलें। ऐसे ही प्रतिनिधि देश में आग लगाते हैं। इन्हें गोरखाली में बोलना चाहिए या हिन्दी में। अंग्रेजी में नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, जब तक वे अपने विचार वापिस नहीं लेते उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें अपना वक्तव्य वापिस लेना होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल, कृपया सीमा से बाहर मत जाइए। मैंने कहा है कि मैं इसकी जांच करूंगा। इसे अधिक लम्बा मत खींचिए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : अध्यक्ष महोदय, मुझे अवश्य बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए···। (व्यवधान)···मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा श्रीमती भंडारी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। मैं उन्हें लम्बे समय से जानता हूं, हम मित्र रह चुके हैं। मैं निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैंने केवल इतना बताया है, जो मैंने जम्मू में बताया था। मैं संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा है, उससे सहमत हूं। मैं सरकार की ओर से नहीं बोल रहा था; मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर से बोल रहा हूं, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के विचार रख रहा था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, नहीं, हम इनको अंग्रेजी में नहीं सुनना चाहते हैं। ये या तो गोरखाली में बोलें या हिन्दी में बोलें। हम इनको अंग्रेजी भाषा में नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : आप उन लोगों की ओर से बोल रहे हैं जो इस देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : यह राजद्रोहात्मक टिप्पणी है।

श्री इन्द्रजीत : यह राजद्रोहात्मक टिप्पणी नहीं है···(व्यवधान)···अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक बात और कहनी है। यह सच है कि गृह-मंत्री ने सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए सभी राष्ट्रीय दलों

की बैठक बुलाई थी। यह भी सच है कि मुझे बताया गया था कि सर्वसम्मति हो गई थी। लेकिन मेरी शिकायत यह है कि सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए लोकतंत्र का उपहास किया गया है। वह दल जो दार्जिलिंग का प्रतिनिधित्व करता है, वह दल जिसने सी० पी० आई० (एम०) विधायकों तथा उसके उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए तीनों सीटें जीती हैं, गोरखा नैशनल लिबरेशन फ्रंट है। लेकिन महोदय, उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया गया। गोरखा नैशनल लिबरेशन फ्रंट के विचारों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वे सदन को जान-बूझकर गुमराह कर रहे हैं और इस प्रकार देश की एकता को तोड़ा जा रहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।...(व्यवधान) भाषा के साथ भावना किस तरह से जुड़ी हुई है, यह हमने देख लिया। मगर भाषा से जुड़ी हुई बहस भी इस सदन में शान्ति के साथ, व्यवस्था के अनुसार चल सकती है, चलनी चाहिए। श्री इन्द्रजीत जो कुछ कह रहे हैं उससे मेरा मतभेद है, तीव्र मतभेद है। मगर उनको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक ही बात कितनी बार कहेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह अलग बात है।...(व्यवधान) मैं इस सदन में बहुत पुराना हूं मेरे मित्र इन्द्रजीत गुप्ता जी यहां बैठे हुए हैं। इस सदन में एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि हिन्दी को विदेशी भाषा कह दिया गया था और हम खून का घूंट पीकर बैठे रहे क्योंकि हमें देश की एकता की रक्षा करनी है। इसको हिन्दी और अंग्रेजी का मामला मत बनाइए। गोरखाली हो, नेपाली हो, इस पर मतभेद हो सकते हैं। वे अपने चुनाव क्षेत्र की बात कह रहे हैं। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया वह सटी हुई नहीं है, सरकार बंधी हुई नहीं है। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। अगर उनकी बात श्रीमती दिल कुमारी मतभेद रखती हैं, अभी उन्होंने बड़े उग्र रूप में मतभेद प्रकट किया है।

अध्यक्ष महोदय : भावनात्मक रूप से भी किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नारी किस तरह से चंडी हो सकती है।...(व्यवधान) श्रीमती भण्डारी को मौका दिया जा सकता है। अगर हमारे मार्क्सवादी मित्र भी इस सवाल पर बड़ी तीव्रता से अनुभव करते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। मगर किसी मैम्बर को बोलने न दिया जाए...(व्यवधान) यह मत कहिए। अगर दूसरा मैम्बर बोलता है तो उसको कहा जाएगा कि वह ऐसा कह रहा है, यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : लेकिन क्या वे उकसाने वाले वक्तव्य दे सकते हैं ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आपका यह दावा है कि सदन में कुछ भी कहा जा सकता है, जबकि उसकी अनुमति भी न हो, और वह संसदीय लोकतन्त्र की उत्कृष्टता की निशानी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप सदन का संचालन करने के लिए बैठे हैं।

अगर कोई गैर-संसदीय बात कही जा रही है, स्पीकर साहब उसका नियन्त्रण करेंगे। अगर आपको आपत्ति उठानी है तो भाषण के बाद, एक मैम्बर के बोलने के बाद उठाइए। मगर यह चर्चा इस तरह से नहीं चल सकती है। वे अकेले होंगे, मगर उन्हें सदन में बोलने का अधिकार है और मैं उनके इस बोलने के अधिकार की रक्षा करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं भी सदस्यों के बोलने के अधिकार का पक्षधर हूं। लेकिन मैंने ऐसा मामला उठाया था, जिसका केवल सरकार उत्तर दे सकती है। प्रश्न यह है कि क्या विधेयक लाया जा रहा है या नहीं। कुछ सदस्यों ने मेरा समर्थन किया है। विपक्ष के नेता ने कहा है कि विधेयक लाना पड़ेगा क्योंकि इस पर सर्वसम्मति हो चुकी है। अब, अचानक हम उस पर भाषण सुन रहे हैं। सभी प्रकार की उत्तेजनात्मक टिप्पणियां दी जा रही हैं तथा कोई भी चर्चा विधेयक की विशेषताओं के सम्बन्ध में नहीं हो रही है। वही बात दोहराई जा रही है। वे भारतीय भाषा को विदेशी भाषा कह रहे हैं। यदि उन्हें बोलने का अधिकार है, तो मुझे भी आपत्ति करने का अधिकार है। उन्हें इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को इस आधार ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है कि वे अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इसीलिए मैंने कहा था कि उन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए। वे इस प्रकार लगातार नहीं बोल सकते। मैंने कभी उनके बोलने के अधिकार को चुनौती नहीं दी है। क्या यह इस तरह से बात करने का अवसर है? हम सरकार से केवल यह जानना चाहते थे कि वह यह स्पष्ट कर दे कि यह विधेयक कब लाया जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत : कृपया मुझे स्पष्ट करने की अनुमति दें···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत, कृपया बैठ जाइए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तांत से निकालने सम्बन्धी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसे संसद के कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मैं खड़ा हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं। कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

जो कुछ भी वाजपेयी साहब ने कहा, वह हाउस में किस प्रकार से लोग अपना मत प्रकट करें, इस सम्बन्ध में कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा। उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो मैं आपको बोलने के लिए चांस दूंगा। आप उसको खोलकर निकालिए, बाजू को हटाइए। अगर कोई आपत्तिजनक बात रिकार्ड में जा रही है, तो मुझे बता दीजिए, मैं उसे करूंगा। यह बात उठाई भी गई थी···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय वह जान-बूझकर भड़काने वाले वक्तव्य दे रहे हैं। महोदय, मुझे हस्तक्षेप का अधिकार है। संसदीय लोकतन्त्र में हस्तक्षेप एक अनुमत तरीका है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपको अधिकार है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति आपको मना नहीं कर सकता और आपकी बातचीत पर कोई व्यक्ति आपत्ति भी नहीं कर रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा कि अपनी वचनबद्धता के कारण सरकार को जो कुछ होने वाला है, उसे बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे वाजपेयी जी की बात सही समझ में आई है, तो उन्होंने आपके बोलने के तरीके पर आपत्ति नहीं की है। उन्होंने इन्द्रजीत जी अथवा विश्वनाथ जी के बोलने के तरीके पर आपत्ति नहीं की है। उन्होंने अपनी बात में व्यवधान डालने वाले कतिपय सदस्यों पर आपत्ति की थी। वह इस बात में सौ प्रतिशत सही है। वास्तव में यहां पर जो कुछ हो रहा है वह यह है कि यहां बैठने के कारण मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं वरिष्ठ सदस्यों का बहुत अनुग्रही हूं। इस सभा को नियन्त्रित करने में वे मेरी सहायता करते रहे हैं। लेकिन इस तरह की सहायता सभी पक्षों से मिलनी चाहिए। यह मेरा अनुरोध है।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, बोलने के अधिकार को मैं भी सौ प्रतिशत पक्ष में हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको श्री इन्द्रजीत के तत्काल बाद अनुमति दूंगा।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : जी नहीं, महोदय, मैं उनसे पहले बोलना चाहती हूं। आप कृपया मुझे आधा मिनट का समय दें।

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी, जब महिला सदस्य हस्तक्षेप कर रही हैं, तो आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत : मैं तो श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी की बात हमेशा मानने को तैयार हूं। यदि वह मुझे कहें, तो मैं सहर्ष उनकी बात मान लूंगा।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, सभा में सदस्यों के बोलने के अधिकार की मैं सौ प्रतिशत पक्षधर हूं लेकिन सभा में सदस्यों के बोलने के अधिकार के नाम पर कोई सदस्य इस सभा को गुमराह नहीं कर सकता। श्री इन्द्रजीत सभा को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जांच करूंगा।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी क्योंकि मेरे विचार से ऐसा कोई नियम नहीं है कि श्री इन्द्रजीत जी इस सभा को और देश को गुमराह करें। यदि कोई गोरखा भाषा और गोरखा साहित्य है, तो उन्हें उसे प्रस्तुत करने दें और उसके बाद मैं देखूंगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जब एक वाक्य विशेष बोला गया था, तो आपकी आंखों से आंसू ढल आए थे। और यह कोई आसान बात नहीं है। मेरे विचार से यह उस भावना के कारण से हुआ जो आप राष्ट्रीयता और उस भाषा के प्रति रखती हैं। हम इसका सम्मान करते हैं और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह सभा और यह सरकार इसका सम्मान करेगी। आपको इस बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मैं कह रहा था कि सभी राष्ट्रीय दलों की एक बैठक हुई थी और एक सहमति हुई थी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह बात उचित होगी कि सरकार सर्वसम्मति से काम करती रहे। लेकिन मेरी शिकायत यह है कि राष्ट्रीय गोरखा मुक्ति मोर्चा, जिसने पश्चिमी बंगाल

विधान सभा के पिछले चुनावों में तीनों स्थान जीते, जिसने परिषद चुनावों में 30 में से 28 सीटें जीती हैं, से परामर्श नहीं किया गया। दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय गोरखा मुक्ति मोर्चा द्वारा किया जाता, किसी अन्य के द्वारा नहीं। मैं इस बात को अत्यधिक महसूस करता हूं कि इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सरकार को राष्ट्रीय गोरखा मुक्ति मोर्चा से सलाह करनी चाहिए थी। और जब तक समूचे दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र जहां पर गोरखा भाषा अथवा नेपाली बोली जाती है, जैसा वे बताते हैं, का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय गोरखा मुक्ति मोर्चा से सलाह नहीं की जाती, कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। यदि राष्ट्रीय गोरखा मुक्ति मोर्चा को अपने विचार सरकार के समक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाता, तो यह बात लोकतन्त्र का मजाक उड़ाने जैसी होगी। यही मेरा मत है। अतः, मेरा आग्रह है कि यह विधेयक प्रस्तुत करने में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व राष्ट्रीय गोरखा मुक्ति मोर्चा से परामर्श किया जाना चाहिए।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं। मैं उस समय इस सभा में उपस्थित था जब श्री जैकब ने सरकार की ओर से बहस का उत्तर दिया। उन्होंने कहा था कि मामले का अध्ययन किया जा रहा है और सरकार प्रस्तुत करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी, नहीं।

श्री इन्द्रजीत : आप रिकार्ड को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह सत्र के दौरान यह विधेयक प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी दौरान कतिपय अन्य भाषाएं शामिल करने की मांग उठी हैं। यह एक गम्भीर स्थिति है। सरकार को उठाए गए इस मामले की समग्र रूप से पड़ताल करनी चाहिए और उसके बाद ही विधेयक लाना चाहिए।

एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। नेपाली को एक विशिष्ट रूप से चित्रित करने पर मुझसे आपत्ति की गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 18 जुलाई को जब इस मामले पर चर्चा की गई थी, तो यही अभिव्यक्ति की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : इसे दोहराएं नहीं। यह आवश्यक नहीं है।

श्री इन्द्रजीत : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत-नेपाल की शान्ति और मैत्री सन्धि के अन्तर्गत कुछ प्रावधानों को आज देखने की आवश्यकता है। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि यहां पर कुछेक मित्र ऐसे भी हैं जो नेपाली को एक राष्ट्रीय भाषा बता रहे हैं। चूंकि मेरे समस्त मित्र आज यहां पर नेपाली को एक राष्ट्रीय भाषा बताने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो उन्हें नेपाल में हिन्दी भाषा की स्थिति भी जाननी चाहिए जिस भाषा को नेपाल में 40 प्रतिशत लोग बोलते हैं, उसे न तो सरकारी भाषा और न ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। मेरे विचार से हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।

अतः, अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहूंगा कि हमें लोकतन्त्र का उपहास नहीं करना चाहिए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह लोकतन्त्र का कोई उपहास नहीं है। इस तरह की कठोर अभिव्यक्ति न करें।

श्री इन्द्रजीत : मेरा सरकार से यही पुरजोर आग्रह है कि जो कुछ पहले किया जा चुका हैं, उसे रद्द न किया जाए तथा सभी विभाजक मुद्दों को न छेड़ने की धारणा को मजबूत किया जाए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको भी चांस दूंगा, आप बैठ जाइए। एक-एक इश्यू पर जाने दीजिए।

श्री राम शरण यादव (खगरिया) : मेरा यह कहना है कि जब एक देश है तो देश की एक भाषा होनी चाहिए। भाषाओं की पढ़ाई में कोई प्रतिबन्ध हमारे देश में नहीं है तो फिर भाषा का विवाद क्यों ? अनेक तरह की भाषा होने से देश में लड़ाई होगी और इससे देश टूटेगा इसलिए देश की एक भाषा रहनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं भावनाओं में बह गई थी और उसी प्रक्रिया में मैंने भावनाओं को गलत तरीके से अभिव्यक्त किया। मुझे उसके लिए खेद है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने सही किया। हम इसका सम्मान करते हैं। आप यह समझिए कि यह समूची सभा इस भाषा और राष्ट्रीयता के बारे में आपके अक्षुओं और भावनाओं का सम्मान करती है।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने की मांग 1956 में उठाई गई थी। हाल ही में जब मैं संसदीय ग्रन्थालय में रिकार्डों को देख रही थी, तो मुझे पता चला कि नेपाली के सम्बन्ध में गैर-सरकारी सदस्यों के बीसियों विधेयक स्वीकृत किए गए हैं, चर्चा में कहीं भी तो गोरखा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यही नहीं, इसी माननीय सभा में, 1971 में, संसद के एक माननीय सदस्य, स्वर्गीय रतन लाल ब्राह्मी नेपाली में बोले थे। वह दार्जिलिंग का प्रतिनिधित्व करते थे और नेपाली में बोले थे क्योंकि वह अंग्रेजी अथवा हिन्दी नहीं जानते थे। अतः उन्हें नेपाली में बोलने की अनुमति दी गई थी। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों, और सरकारी कार्यों, नामों हेतु भी भाषा के उद्देश्य से सदैव नेपाली ही प्रयुक्त होती है। 1988 में, जब माननीय नरसिंह राव ने बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय में एक रीडर की सीट के बारे में मुझे लिखा, तो उस समय भी उन्होंने मुझ से यह उल्लेख किया था कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में नेपाली को एक आधुनिक भारतीय भाषाओं के रूप में पढ़ाया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, 1911 से नेपाली को पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से, देश में लगभग 18 विश्वविद्यालय नेपाली को आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में पढ़ाते हैं। यही नहीं, देश के मुख्य शिक्षा बोर्ड जैसे आई० सी० एस० सी० और सी० बी० एस० ई० अपने पाठ्य-क्रमों में नेपाली भाषा को पढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल में, 1927 में, ही नेपाली को स्वदेशी भाषा घोषित किया गया था। 1961 में श्री जवाहर लाल नेहरू के आग्रह पर दार्जिलिंग जिला के तीन पहाड़ी उप-मण्डलों अर्थात् कालिमपोंग, कुर्सियोंग और दार्जिलिंग में नेपाली को एक सरकारी भाषा घोषित किया गया।

पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के भी राज्य विधानमण्डलों ने नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित किए हैं। कहीं पर भी, गोरखा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।

मैं जानती हूं और आपने भी अवश्य ही देखा होगा कि मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत खुल्लर यह भी नहीं जानते कि शब्द गोरखा भाषा है अथवा गोरखाली है। मैं नहीं जानती कि उन्होंने इसे तभी जाना जब यह गोरखाली भाषा बन गई।

यहां तक कि अब यदि आप लाइब्रेरी जाएं और सन्दर्भ देखें तो आप पाएंगे कि नेपाली शब्द हमेशा प्रयोग किया जाता था, गोरखा शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया। कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस बात का प्रचार किया जा रहा है।

हाल ही में, दार्जलिंग में राजनीतिक दलों के सभी नेताओं ने एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर करके इसे प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री को भेजा है। सभी राजनीतिक दलों ने जी० एन० एल० एफ० को छोड़कर, और जी० एन० एल० एफ० अलग से अपने पत्र में, सुभाष घीसिंग ने प्रधान मन्त्री को लिखा है कि दार्जिलिंग में 8 से 10 लाख लोग रहते हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम) फारवर्ड ब्लाक, गोरखा प्रांत परिषद और हाल ही में बनी गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रण्ट भी है। ये सभी दल नेपाली भाषा का समर्थन कर रहे हैं और जी० एन० एल० एफ० के विचारों में मतभेद भी था और एक विधायक नेपाली भाषा का समर्थन देने के कारण पार्टी से निकाल दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : इस समय विषय यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित किया जाए।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : इतना ही नहीं, 1991 में जब मातृभाषा बोलने वाले व्यक्तियों की जनगणना की गई थी तो रिपोर्ट के अनुसार दार्जिलिंग के 99 प्रतिशत लोगों ने अपनी मातृभाषा नेपाली दर्ज करवाई थी। अतः बहुत से लोगों के साथ जी० एन० एल० एफ० ने इस बारे में जोर-जबरदस्ती की थी परन्तु उनको परेशान करने के बावजूद भी उन्होंने पाया कि यहां तक कि जी० एन० एल० एफ० के पार्षदों, उनके घर के लोगों ने, यहाँ तक कि उनकी पत्नियां, माता-पिता ने अपनी मातृ-भाषा स्वयं नेपाली दर्ज करायी।

मेरा जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। श्री इन्द्रजीत कभी-कभार ही दार्जिलिंग जाते हैं। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत : यदि आप मुझे आमन्त्रित करें तो मुझे आपके साथ दार्जिलिंग जाने में प्रसन्नता होगी। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें क्यों आमन्त्रित करना चाहिए ? (**व्यवधान**)

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या यह एक संसदीय शब्द है ? (**व्यवधान**) मैं दार्जिलिंग के लोगों की भावनाएं समझती हूं। मैंने अपने माता-पिता, दादा-दादी और अपने गांव के अन्य व्यक्तियों को देखा है। वे एक जलूस में दार्जिलिंग शहर गये क्योंकि हम चाय बागान में रहते हैं, वहां से लोग दार्जिलिंग पहुंचने के लिये पहाड़ों से होकर जाते हैं। वे नारे लगा रहे थे :

[हिन्दी]

"ज्यान दिन्छौ प्राण दिन्छौ
भाषा हाम्रो लिन्छौं—लिन्छौ
नेपाली भाषा अमर रहोस।"

[अनुवाद]

उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री बी० सी० राय इसकी स्वीकृति नहीं दे रहे थे, पण्डित नेहरू के हस्तक्षेप करने पर ही वे झुके। अतः हमारे लोग नारे लगा रहे थे :

[हिन्दी]

"बीसी रोय भाषा खोई"

[अनुवाद]

अतः ये तीन नारे हैं :

[हिन्दी]

"ज्यान दिन्छौ प्राण दिन्छौ
भाषा हाम्रो लिन्छौ-लिन्छौ
नेपाली भाषा अमर रहोस
बीसी रोय भाषा खोई।"

[अनुवाद]

ये नारे अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं है (व्यवधान) मुझे विश्वास है कि वह उस भावना के साथ अपनी पंजाबी भाषा में नहीं बोल सकते जैसा मैं अपनी भाषा में बोल सकती हूं क्योंकि वह केवल अंग्रेजी में बोल सकते हैं। उन्हें अपनी मातृ-भाषा नहीं आती है, मैं इतना ही कह सकती हूं। मुझे इसका पूरा विश्वास है।

क्योंकि वह सुभाष घीसिंग का समर्थन कर रहे हैं, उस किताब का क्या हुआ ? मुझे यह किताब इसलिए दिखानी पड़ती है क्योंकि हाल ही में दिल्ली में एक प्रैस पर छापा मारा गया था। मैं नहीं जानती कि गृह मंत्रालय इस मामले को क्यों छिपा रहा है। इस प्रैस पर छापा मारा गया था (व्यवधान) वह उत्तेजित क्यों है ? मैं इस किताब के बारेमें बात कर रही हूं जिसे दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया था। वह उत्तेजित क्यों हैं ?

श्री इन्द्र जीत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका निर्देश और विनिर्णय चाहता हूं। क्या हम उस विशेष पर्चे पर विचार कर रहे हैं जिसकी एक प्रति मेरी उपस्थिति में श्री घीसिंग ने गृह मंत्री और गृह सचिव को दी थी ? नहीं, नहीं। यदि हम इस पर विचार कर रहे हैं तो ठीक है।

12.00 मध्याह्न

यदि हम इस पर विचार कर रहे हैं तो हम इस पर विचार करें और इस मामले पर बोलने का मुझे अवश्य ही अवसर मिलना चाहिए।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : उन्होंने दार्जिलिंग को पहले ही ऐसी भूमि घोषित कर दिया है जिस पर किसी भी राष्ट्र का अधिकार नहीं है। कलिमपोंग के कई भागों में एक नारा लगाया गया था। **भूटान राजा जिन्दाबाद, जिग्मे सिग्मे वांगचुक जिन्दाबाद।**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्योंकि उनकी व्याख्या के अनुसार कलिमपोंग भूटान का हिस्सा है और यह पट्टे की भूमि है। मैं अपने उन साथियों से अनुरोध करती हूं जो लोक लेखा समिति में हैं और जिन्होंने हाल ही में सिक्किम का दौरा किया है, उन्होंने यह अवश्य ही देखा होगा कि तीस्ता पुल के दूसरी ओर एक बड़ा तख्ता लगा हुआ है जिस पर लिखा है "नो मेन्स लैण्ड में आपका स्वागत है, पट्टे की भूमि पर आपका स्वागत है।" उन्होंने इसे पहले से ही पट्टे की भूमि घोषित किया हुआ है। उन्हें यह भी याद होगा क्योंकि कई सदस्यों ने उस स्थान का दौरा किया है। अब यदि सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी उसका समर्थन कर रहे हैं तो मुझे इसमें सन्देह है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक राजनीतिक मुद्दा है।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : मैं यह नहीं जानती कि इस बारे में उनका क्या मत है? उन्होंने दार्जिलिंग को पहले ही नो मेन्स लैण्ड घोषित कर दिया है और वे इस देश में, हमारी मातृभूमि भारत में अपने अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। यद्यपि मैंने इस सदन में एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया था। जब श्री एम० एम० जैकब के द्वारा सरकार ने आश्वासन दिया तो मैंने विधेयक वापस ले लिया।

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : बात नेपाली की कर रही हैं, बोलती अंग्रेजी में हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात का उत्तर मत दीजिए इसका उत्तर देना जरूरी नहीं है। वे बुर्जुग कुछ अच्छी बात ही कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : जब मैं बोल रही थी तो मैंने यह शब्द इस्तेमाल किया था कि गवर्नमेंट ने जो मॉन्ल और जस्ट स्टेप्स उठाए हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। इससे पहले मैंने अपना बिल भी विदड्रा किया था।

[अनुवाद]

उस पर सबकी सहमति थी अत: मैंने सोचा कि यह विधेयक पारित हो जाएगा। एक सदस्य को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया था। यहां तक कि मैं किसी भी सदस्य पर कोई भी बात लादना नहीं चाहती जैसा कि मेरे माननीय साथी श्री इन्द्रजीत कह रहे हैं कि **गुरखा भाषा** है और वे मेरी भाषा को गुरखा भाषा कहना चाहते हैं। मैं इस सदन में कहना चाहती हूं कि हमारे देशवासियों को यह जानने का पूरा-पूरा अधिकार है कि हम यहां पर क्या कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : मैं नेपाली साहित्य की पुस्तकें प्रस्तुत करूंगी यद्यपि यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि नेपाली साहित्य समृद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह विधेयक के सम्बन्ध में है।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि मैं श्री सुभाष घीसिंग द्वारा लिखी 16-17 किताबें और साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित भारतीय साहित्य का विश्वकोष प्रस्तुत कर सकती हूं जिसमें श्री घीसिंग को नेपाली लेखक के रूप में शामिल किया गया है। जब वह प्रकाशित हुआ था तो वह इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उस खण्ड की 40 प्रतियां खरीद लीं। प्रति खण्ड का मूल्य 400 रु० है। वह इतने प्रसन्न थे कि वे अपने मित्रों को इसकी प्रतियां भेंट देना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वह इसकी एक प्रकार से प्रशंसा कर रही हैं इसलिए मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह अपमानजनक नहीं है।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : यहां तक कि भारतीय संविधान भी नेपाली भाषा में लिखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं, कई अन्य विषय भी हैं जिन पर सदस्य चर्चा करना चाहते हैं।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : मैं अपने मित्र श्री इन्द्रजीत से पूछना चाहूंगी कि वह श्री घीसिंग द्वारा गोरखाली में लिखित एक पुस्तक दिखा सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं इंट्रप्शन्ज में बहुत समय निकल जाएगा।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत : क्या श्री घीसिंग, जो यहां इस समय उपस्थित नहीं हैं, के मतों के बारे में सभा को गुमराह करना उचित है? वह उनका नाम नहीं ले सकतीं।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या वह श्री घीसिंग द्वारा गोरखाली में लिखित एक भी पुस्तक दिखा सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, क्या आप अपनी बात समाप्त करेंगी? और भी सदस्य हैं जो कई अन्य मुद्दे उठाना चाहते हैं। हमने इस पर पहले ही एक घण्टे का समय दे दिया है। कृपया इसे थोड़ा संक्षिप्त करें। कृपया जल्दी कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार का क्या निर्णय है? सरकार क्या कर रही है? (व्यवधान)

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : इससे काफी हद तक सिद्ध होता है कि गोरखाली अथवा गोरखा भाषा जैसी कोई भाषा नहीं है। अतः मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि जैसा कि उसने सदन में वादा किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसी सत्र में ही एक विधेयक लाया जाएगा, 'स्वयं' शब्द का प्रयोग किया गया था—क्या वे इसी सत्र में ही विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप मंत्री जी को सुनना चाहेंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री जी की बात सुनें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सभी दलों के साथ बैठक हुई थी।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल (गोड्डा) : संथाली के बारे में अपोजीशन लीडर्स ने एक बार भी नहीं बोला। (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लें। पार्लियामेंटरी मिनिस्टर का जवाब आना चाहिए।...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस पर नियमित रूप से यहां वाद-विवाद नहीं किया जा रहा है। जब तक मैं ऊंचा न बोलूं, कोई नहीं बैठता। यह ठीक नहीं है। आप कृपया बैठ जाएं। अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइए। आप बैठिए।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं मणिपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। आप कृपया वहां बैठ जाइए।

[हिन्दी]

मैं खड़ा हूं और आप अभी भी बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं। आप विदआउट नोटिस कोई चर्चा भी करना चाहते हैं, उस पर सभी लोग बोलना भी चाहते हैं, अन्य सभी विषयों की भी चर्चा करना चाहते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट से भी जानना चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है। इसलिए आप बीच-बीच में न उठिए, मैं रैगूलेट करूंगा।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाए गए इस प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं कि विधेयक क्यों नहीं लाया गया है। मैं यही प्रश्न उठा रहा हूं। श्री एम० एम० जैकब, राज्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और उसके अतिरिक्त माननीय गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण द्वारा मणिपुर के मुख्यमंत्री को भेजे गए लिखित आश्वासन के आधार पर कि विधेयक को इसी सत्र के दौरान ही पुरःस्थापित किया जाएगा···

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह समझूं कि आप विधेयक पुरःस्थापित करने के पक्ष में हैं?

श्री याइमा सिंह युमनाम : राज्य में सभी आन्दोलनों को स्थगित कर दिया गया है। ये लम्बित पड़े हुए हैं। इसे स्थगित किया जा रहा है। मुझे मुख्यमंत्री जी का फोन आया है कि उपद्रव और हिंसा होगी, ऐसी कई घटनाएं होंगी, राज्य में अशांति होगी। अतः इस आश्वासन के बल पर माननीय गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन को देखते हुए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इस सत्र का केवल एक दिन रह गया है। यदि यह विधेयक इस सत्र में सदन के समक्ष नहीं लाया गया तो इससे पूरे मणिपुर राज्य में उपद्रव हो जाएगा।

जहां तक श्री इन्द्रजीत द्वारा उठाए गए प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी विरोध करता हूं क्योंकि हमें सदन में अपनी मर्जी से कुछ भी बोलने की स्वतन्त्रता नहीं है और हमें कतिपय शर्तों का पालन करना होता है।

क्या श्री इन्द्रजीत मणिपुरी को भी विदेशी भाषा कहने के लिए तैयार हैं?···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : नहीं, यह राष्ट्रीय भाषा है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मणिपुर भारत संघ का भाग नहीं था और इसे बाद में भारत संघ में मिलाया गया था···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। मणिपुरी राष्ट्रीय भाषा है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : इसी तरह सिक्किम को भारत संघ में मिला लिया गया···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सभी बातें आवश्यक नही हैं। आप यह क्यों नहीं समझ रहे हैं कि और भी सदस्य हैं जो अन्य मुद्दे उठाना चाहते हैं।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार से यह पता लगाएं कि क्या विधेयक को इस सत्र में लाया जाएगा···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार को प्रतिक्रिया व्यक्त करने का समय दें।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। यह राष्ट्र का प्रश्न है। यह राज्य का प्रश्न है। यह किसी एक अथवा दो राज्यों का प्रश्न नहीं है। इसलिए मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं कि आप सरकार से इसी सत्र में ही इस विधेयक को लाने के लिए कहें।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, कल हमारी सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई थी···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया इस सम्बन्ध में सरकार के विचार सुनिए जिससे आप अपनी बातों को काफी संक्षेप में और बल देकर कह सकेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (पणजी) : कोंकणी भाषा को भी आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, इस मुद्दे पर सभी दलों के नेताओं के साथ दो बैठकें हो चुकी हैं। यह सच है कि हमने आठवीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा की थी। हम इस सम्बन्ध में एकमत हो गए थे। सरकार उस वचन को जो माननीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा इस सदन में दिया गया है, के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम यह विधेयक कल प्रस्तुत करेंगे और हम आशा करते हैं कि हम सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह बात समझिए कि सरकार कल विधेयक प्रस्तुत कर देगी। आप सभी को विधेयक के सम्बन्ध में बोलने का अवसर मिलेगा और आप अपने विचार उस समय व्यक्त कर सकते हैं। अन्य सदस्य भी हैं जो अन्य मुद्दे उठाना चाहते हैं। यदि आपने श्री कुमारमंगलम को बोलने का अवसर दिया होता तो इतना समय कदापि नहीं लगता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि उन्होंने मेरे प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया होता तो इतना समय नहीं लगता···(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री सूरज मण्डल : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुन लीजिए, हम बहुत देर से खड़े हैं।··· (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : हम जब कल विधेयक पर चर्चा करेंगे तो आपका नाम सूची में शुरू में ही लिखेंगे।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री कालकादास (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, चार दिन हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने लालकिले से भंगी शब्द का इस्तेमाल किया है जिससे करोड़ों लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है···(**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब की समस्या के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अकाली दल के लोग और नौजवान सिख पिछले दस-पन्द्रह दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और गिरफ्तारी दे रहे हैं, उनकी डिमाण्ड है कि जस्टिस बैंस को रिहा किया जाए··· (**व्यवधान**) जस्टिस बैंस बिना कारण जेल में बन्द हैं। एक तरफ हम पंजाब की समस्या को···

श्री सूरज मण्डल : इतने लीडर बोल लिए, भोजपुरी की, राजस्थानी की बात की···

अध्यक्ष महोदय : आप कल बोलना।

श्री सूरज मण्डल : लेकिन ढाई लाख लोग जिस संथाली भाषा को बोलने वाले हैं, एक आदमी ने भी उसके बारे में नहीं कहा। यह इश्यू गोल करवा दिया जाता है। हम लोग क्षेत्रीय दल से आते हैं, वहीं से पैदा हुए हैं···(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : पंजाब की समस्या दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है, सरकार जिस पाइंट पर आती है उससे पीछे हट जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आप ब्रीफ में कहें, बहुत सारे सदस्य हैं बोलने वाले, आज अन्तिम दिन है।

श्री राम विलास पासवान : जस्टिस बैंस चार महीने से जेल में हैं, वे अच्छे जस्टिस रहे हैं। उनको चार महीने से बन्द करके रखा हुआ है, पंजाब के लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। जत्थेदार रणजीत सिंह के बारे में हमको बताया गया कि उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, वह भी बन्द हैं। 1984 में जो दंगे हुए और जिन नेताओं के खिलाफ चार्जेज है, चूंकि वे सत्ताधारी दल के लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए सरकार तुरन्त जस्टिस बैंस की रिहाई का आदेश दे और 1984 के दंगों में जो लोग संलिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई करे। (**व्यवधान**)

श्री सूरज मण्डल : हम यह चाहते थे कि अगर कल यह बिल आता है तो उसकी जानकारी सरकार को दें···

अध्यक्ष महोदय : आप मिनिस्टर से मिल लें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, सब लोग बोल रहे हैं इससे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आप बैठ जाएं।

श्री सूरज मण्डल : हम लोग हमेशा आपका आदेश मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया, ऐसे सभी करेंगे तो हाउस नहीं चलेगा। आपको बोलने का मौका दिया था।

श्री सूरज मण्डल : हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, दूसरे बोल जाते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : लोकनाथ जी, आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी सहनशक्ति की भी एक सीमा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल : जिस इश्यू पर मैं बोलना चाहता था उस पर नहीं बोलने दिया, दूसरे इश्यू ले लिए गए। यहां पर ट्राइबल्स के बारे में सुनने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह जो नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने वाला बिल आना है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। मैं मानता हूं कि क्षेत्रीय भाषा की कद्र होनी चाहिए, लेकिन उसकी जनसंख्या का भी लेखा-जोखा होना चाहिए कि कितने लोगों द्वारा वह बोली जाती है। पूरे देश में ट्राइबल्स की आबादी 11 प्रतिशत है उसमें से ढाई करोड़ लोग संथाली भाषा बोलते हैं। इसका मेजर पोर्शन उड़ीसा, बंगाल और बिहार में है। जहां बंगाल में गोरखाओं के लिए गोरखा हिल कौंसिल बनी है और भारत सरकार तथा बंगाल सरकार ने उसको मान्यता दी है। अब यह पता नहीं कि उनकी भाषा को मान्यता मिलेगी या नहीं, लेकिन सभी भाषाओं की कद्र होनी चाहिए। आज जो गोरखा हिल कौंसिल है जिसके नेता सुभाष घीसिंग हैं, उनकी बात को दबा दिया जाए···

अध्यक्ष महोदय : आप जो बोल रहे हैं सरकार से चर्चा कर लीजिए।

श्री सूरज मण्डल : बंगाल के अन्दर करीब तीस से पैंतीस लाख संथाली लोग हैं···

अध्यक्ष महोदय : एक विषय में डेढ़ घण्टा दिया है। बिहार में एक करोड़ संथाली हैं लेकिन असम में, बंगाल में 45 लाख ट्राईबल हैं जिनको ट्राइबल का दर्जा नहीं दिया गया है और संथाल परगना से गए हुए ट्राईबल, जो टी गार्डन के नाम से जाने जाते हैं, को और सभी क्षेत्रीय भाषाओं का इस बिल में समावेश होना चाहिए और आठवीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाएं। मैं श्री लोकनाथ चौधरी को समय दे रहा हूं। इस विषय पर नहीं, दूसरे विषय पर बोलेंगे···

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि अभी हाल ही में 13 तारीख को एक पत्थर जगन्नाथ मन्दिर के गर्भ-गृह में गिरा। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, जगन्नाथ मन्दिर एक प्रसिद्ध मन्दिर है और पत्थर पहले भी गिरा था।

इस मन्दिर को मरम्मत के लिए 1974 में पुरातत्वीय विभाग को सौंपा गया था और अब यह पाया गया है कि कुछ कड़ियां गायब हैं। आशंका है कि मन्दिर गिर सकता है। यह 800 वर्ष पुराना मन्दिर जो कि विश्व विख्यात है, अब इसके ध्वस्त होने का खतरा है। अत: मैं सरकार से तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूं। पुरातत्वीय विभाग को शीघ्र मन्दिर के पुनरुद्धार के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए अन्यथा, दोबारा पत्थर गिरेंगे और वहां मौत तथा अन्य बातें होंगी। इन सभी बातों की

आशंका है। इसलिए, यह एक गम्भीर समस्या है। मानव संसाधन विकास मंत्री यहां बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि वे इस बात का उत्तर दें कि जगन्नाथ मन्दिर की तत्काल मरम्मत हेतु क्या कदम उठा रहे हैं।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, मैं भी इसी विषय पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह आवश्यक नहीं है। आपने सरकार का मत सुना है। मैं हर मुद्दे पर पूर्ण चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय, मैं उसी स्थान का प्रतिनिधि हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ये पुरी से एम० पी० है, इनको बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय : मेरी यही परेशानी है कि इसी वजह से काम नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : मैंने चार दिन पहले सूचना दी है।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक महोदय, मैं एक मिनट लेना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको चांस दूंगा, आप यदि नाराज भी हो गये तो भी मैं आपका शुक्रिया करता हूं···(व्यवधान)

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : हम आपकी इजाजत के बगैर नहीं बोलते हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप जरा हाउस को रेगूलर करने दीजिए; यह आपके लिए है।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 7 जुलाई, 1875 को चार भारी पत्थर गर्भ-गृह में गिरे थे और 14 जून, 1990 को भी एक सात टन का दूसरा पत्थर 180 फुट की ऊंचाई से गिरा था। ऐसा प्रतीत होता है कि पुरातत्त्वीय विभाग जिसने 1974 से मन्दिर की देख-भाल का कार्यभार सम्भाला है, मन्दिर के रखरखाव के बारे में अधिक ईमानदार नहीं है। पिछले 18 वर्षों से उन्होंने देश के ऐसे महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक मन्दिर का रखरखाव सम्भाला हुआ है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग 12वीं शताब्दी के मन्दिर के रखरखाव के बारे में अधिक गम्भीर नहीं है। महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि एक कनिष्ठ अभियन्ता इस मन्दिर का प्रभारी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पूरी जानकारी आप मंत्री महोदय को क्यों नहीं दे देते। मंत्री जी आपको जानकारी देने ही वाले थे। क्या आप कुछ राहत प्राप्त करने में रुचि रखते है या आप केवल बोलने में रुचि रखते हैं।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय, मन्दिर टुकड़े-टुकड़े होकर टूट रहा है। अतः, मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या पुरातत्त्वीय विभाग, यदि आवश्यक हो, मन्दिर का उत्तरदायित्व लेने हेतु वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करेगा और यदि आवश्यक हो, तो क्या विभाग यूनेसको के तकनीकी लोगों से सहायता आमन्त्रित करेगा यदि वे देश में उपलब्ध नहीं है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा पुरी के पवित्र मन्दिर में हुई घटना पर व्यक्त की गई चिन्ता उचित ही है और इससे हम सबको चिन्ता हुई है।

जैसे ही हमने इस घटना के बारे में सुना, हमने पुरातत्त्व विभाग के महानिदेशक को वहां भेजा। वे घटनास्थल पर गए। स्थानीय अधिकारियों की मदद से एक निरीक्षण किया गया। वे वापिस आए और हमें प्राथमिक रिपोर्ट दी। इस पर उन्हें वापिस वहीं जाने के लिए और एक योजना तैयार करने के लिए कहा गया ताकि टूट-फूट की मरम्मत की जा सके। इतना ही नहीं, सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि मन्दिर के ढांचे को और क्षति न पहुंचे।

अब उस योजना को क्रियान्वित किया जाना है। कुछ बातों का ध्यान रखा जाना है। हम मन्दिर के प्राधिकारियों से बात कर रहे हैं। जैसे ही सभी सहमत होते हैं, आप आश्वस्त रहिये, कि सरकार अपनी शक्ति के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक काम करेगी कि मन्दिर क्षतिग्रस्त न हो।

इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि इस देश में हमारे पास पूरी विशेषज्ञता है। इसके लिए हमें किसी और देश की सहायता की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

12.26 म० पू०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रधानमन्त्री द्वारा "भंगी" शब्द इस्तेमाल किये जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से जो भाषण दिया है, उसमें उन्होंने "भंगी" शब्द का प्रयोग किया है। मान्यवर, इस "भंगी" शब्द के कहने पर करोड़ों आदमियों को इतनी ठेस पहुंची है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और वह कहीं हड़ताल पर बैठ गए और कहीं धरना दे रहे है। यह बहुत बुरी हालत है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री जी को "भंगी" शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी था ? जब एक देश का प्रधान मंत्री इस शब्द का इस्तेमाल करेगा तो इसका मतलब यह है कि पूरे भारतवर्ष के अन्दर बच्चा-बच्चा इस शब्द को प्रयोग करने के लिए मजबूर हो जाएगा। मान्यवर, जिस योजना के तहत प्रधान मंत्री जी ने इस शब्द का प्रयोग किया, उस से तीन महीने पहले मैंने सीताराम केसरी जी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में लिखा था कि आपको इस योजना का नाम बदल देना चाहिए जिसमें "भंगी" शब्द जुड़ा हुआ था। मैंने कहा था कि इस योजना का नाम सफाई कर्मचारी मुक्त परियोजना रखा जाए लेकिन उन्होने भंगी मुक्त परियोजना रखा था। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वह सदन में आकर इस पर खेद प्रकट करें। ···(व्यवधान)···

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : प्रधान मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। ···(व्यवधान)···

श्री कालका दास (करोल बाग) : प्रधान मंत्री जी को यह शब्द नहीं कहना चाहिए था।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थॉमस (मुवत्तपुजा) : महोदय, मैं, एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। (व्यवधान) यह एक एक गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने स्थान पर बैठें जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरे अनुरोध को मानें। श्री थॉमस, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। सभा में व्यवस्था होनी चाहिए। यदि एक ही समय में चार से पांच सदस्य खड़े होकर बोलते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हम सभा में क्या छवि बनाते हैं? इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। यदि एक के बाद एक सदस्य बोलेगा तो सभी की बात को सुना जा सकता है।

(व्यवधान)...*...

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

कृपया मेरी बात सुनें। क्या हमें सभा में कतिपय नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? आप कृपया उन बातों का निरीक्षण करें जो हुई है। क्या इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति हुई है? इससे आपको कुछ उपलब्धि हुई है? यदि बारी-बारी से सभी सदस्य मुद्दे उठाते और कम बोलते ताकि बाद के वक्ताओं को अपने संसदीय क्षेत्र की शिकायतों पर और राष्ट्रीय हित के मामलों पर भी चर्चा करने का अवसर मिलता। यदि ऐसा ही चलता रहा तो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी और हमारे रिपोर्टस भी उचित रूप से रिपोर्ट नहीं ले सकते हैं। आप इसे अनुभव कर रहे हैं। आपके भाषण समाप्त होने के तत्काल बाद उन्हें आपका पीछा करना पड़ेगा और सुधारों के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा। यह व्यावहारिक कठिनाईयां हैं जिसका हमारे रिपोर्टस सामना कर रहे हैं और इसकी उचित रूप से रिपोर्ट होनी चाहिए। कृपया सहयोग दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : ऐसे शब्द के प्रयोग के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, सदन के सामने भी और कंट्री के सामने भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे किया। (व्यवधान)

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : यह कानूनन अपराध है।

श्री मंगलराम प्रेमी : इस विषय पर हाउस में चर्चा होनी चाहिए।

श्री कालका दास : लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह...**...शब्द का प्रयोग किया है, वह कानून की दृष्टि से अपराध है। मेरे पास यह सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग अपराध है और इसमें सजा का प्रावधान भी है। चूंकि प्रधान

---

* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार (कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

मंत्री जी ने लाल किले की प्राचार से ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, अतः इस कोड के आधर पर तो कार्यवाही होनी ही चाहिए, यदि एक्ट ठीक बनाया गया है तो प्रधानमंत्री जी को सजा मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : प्रधान मंत्री जी को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कालका दास : या तो उनको कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए या लाल किले की प्राचीर से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वह अनपार्लियामेंटरी है, उन्होंने अनपार्लियामेंटरी शब्द का प्रयोग यहां किया है, उनकी बातों को सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाए। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : ...शब्द अनपार्लियामेंटरी है और अनपार्लियामेंटरी शब्द का प्रधानमंत्री जी ने कैसे प्रयोग किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री विलास मुतेमवार (चिमूर) : उपाध्यक्ष जी, इनके ये मगरमच्छ के आंसू हैं। प्रधान मंत्री जी ने क्या बोला, जो इन्हें पसन्द नहीं आया, शायद इन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने किस संदर्भ में बोला, आप बताइये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : प्रधान मंत्री जी ने जिस शब्द की प्रयोग किया हैं, वह उन्होंने गाली दी है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार : किस संदर्भ में बोला बताइये। (व्यवधान)।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। समय समाप्त हो रहा है, इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—नहीं, कृपया बैठ जाएं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आपके चिल्लाने से सभा को कैसे सहायता मिलती है। इसके लिए उचित प्रक्रिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : महोदय, पिछले 10 दिनों से उड़ीसा में कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, प्रधान मंत्री महोदय को तत्काल सभा में आना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शिकायतों को उठाने का यह कोई तरीका नहीं है। मान लो किसी ने सभा के बाहर कुछ कहा था, तो यहां नियमित प्रक्रिया है और उसके अनुसार आप संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा, केवल चिल्लाने भर से···उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, लाल किले से अपमान करें और यहां सदन में उसको उठाने न दीजिए, यह रवैया नहीं चलेगा।···(व्यवधान) हम कोर्ट में जाएंगे। (व्यवधान) आप पर मुकद्मा दायर करेंगे, सजा कार्रवाई जाएगी।···(व्यवधान) हम प्रधानमंत्री पर मुकदमा दायर करेंगे।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

(व्यवधान)

12.36 म० पू०

[तब श्री पी० सी० थॉमस आए और सभापटल के निकट पार्श्व पर बैठ गए।]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थॉमस, अपनी शिकायतें सुनाने का यह तरीका नहीं है। कृपया वापिस अपने स्थान पर चले जाइये।

(व्यवधान)

12.37 म० पू०

[तब श्री पी० सी० थॉमस— अपने स्थान पर वापिस चले गए]

श्री पी० सी० थॉमस : महोदय, मैं इस प्रकार बोलने का अवसर प्राप्त करने के लिए कभी शोर नहीं मचाता। किन्तु यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस बहुत गम्भीर मामले को उठाने के लिए मुझे थोड़ा समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थॉमस, आप बाद में बोल सकते हैं। पहले, श्री वी० पी० सिंह जी को बोलने दें और फिर बूटा सिंह जी बोलेंगे। फिर आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास केवल 15 मिनट का समय है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैंने वी० पी० सिंह जी का नाम पुकारा है और बाद में मैं—बूटा सिंह जी को अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा पर किसी विशेष पार्टी का एकाधिकार नहीं है। हमारे पक्ष को भी आपको मौका देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, उन्हें प्रधान मंत्री के बारे में कोई छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : ये गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बात कर रहे हैं···**(व्यवधान)** आप मगरमच्छ के आंसू बहाते हो···**(व्यवधान)** ऐसे नहीं चलेगा। इसमें राजनीति क्यों लाते हो। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यवधान नहीं होता तो अब तक सभी लोग बोल चुके होते।

श्री पी० सी० थॉमस : हम दिए गये अवसर के लिए विवाद नहीं करते। मुझे भी एक अवसर दिया जाना चाहिये।

डा० कीर्तिकेश्वर पात्र : मैंने एक नोटिस दिया है। क्या आप हमें अनुमति देंगे ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस तरह से हम बैठने वाले नहीं है। यह हाउस नहीं चलेगा। ये हमें सदन में बात को उठाने नहीं देते हैं। करोड़ों लोगों की आवाज को यहां भी दबाने का काम करते हैं। ये उनका अपमान करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। उनकी पीड़ा को जब हम कहना चाहते हैं तो ये हमें बोलने नहीं देते हैं। हम करोड़ों का अपमान इस सदन में इस तरह से सहन नहीं करेंगे।

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या आप लोग ही बोलते रहेंगे ? प्रधान मंत्री के बारे में हम कोई गलत बात नहीं सुनेंगे—**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इस प्रकार की कार्यवाही से और क्रोध प्रदर्शन से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यह सभा है प्रत्येक सदस्य 10 लाख से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। आपको मुश्किल से दो दिन मिले हैं। इस बीच काफी कुछ हो चुका है। हमें इसका पश्चाताप है। कम से कम हमारे पास जो भी समय है हमें उसमें सदुपयोग करना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पांच मिनट तक प्रतीक्षा करूंगा। यदि सभा में पुनः उपयुक्त व्यवस्था कायम नहीं हो जाती तो मैं नियमित विषय आरम्भ कर दूंगा। बाद में मेरी आलोचना न करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कितनी देर तक करते रहेंगे? यदि आप और आधा घण्टे तक इसे जारी रखना चाहते हैं तो क्या हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे? नहीं! अनुशासनहीनता तथा अव्यवस्था को बर्दाश्त करना संभव नहीं है। कृपया मेहरबानी करें। हमें उनकी बात सुननी चाहिए। यदि कुछ शब्द ऐसे हैं जो अग्राह्य है और जो संसदीय प्रणाली के प्रतिकूल है तो ऐसे शब्दों को कार्यवाही सारांश से निकाल दिया जायेगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमसे धैर्य रखने की अपेक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

श्री कालकादास : आप प्रधानमंत्री जी को यहां बुलाइये···(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : प्रधानमंत्री जी को तुरन्त इस पर इस्तीफा देना चाहिए··· (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, तो आप नियमों के तहत विधिवत एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके लिए संभावना है। इसके लिए नियमों में विशिष्ट प्रावधान है, आप ऐसे प्रावधानों का उपयोग क्यों नहीं करते? इस प्रकार इससे क्या लाभ होगा? यह किस प्रकार सहायक होगा? यह निश्चित रूप से कार्य में सहायता नहीं पहुंचायेगा। कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से बोलने का अनुरोध किया है। बाद में, श्री बूटा सिंह बोलेंगे। ये दो माननीय सदस्य बोलेंगे।

प्रो० के० वी० थामस, बैनर तथा पर्चों का प्रदर्शन नियमों के विरुद्ध है। आप जितना समय लेना चाहते थे, ले चुके। किन्तु जो भी हुआ हमें इसे भूल जाना चाहिए।

श्री दत्तात्रेय बंडारू क्या आप ऐसे ही करते रहेंगे? इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? अब एक बजने में 15 मिनट हैं। आलोचना भी हो रही है। शून्य काल को इस सभा की प्रक्रिया से अधिक समय तक बढ़ाया जा रहा है।

मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से बोलने का अनुरोध करता हूं। यदि कोई बोलना चाहता है, और यदि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मान जाते हैं तभी आप बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं बोल सकता। कृपया मेहरबानी करें।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं···(**व्यवधान**)···उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यहां माननीय सदस्यों ने जो बात उठाई, उस पीड़ा को आप इस सदन में कहने का एक अवसर दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

मान्यवर, दलित वर्ग के साथ केवल गरीबी ही नहीं जुड़ी हुई है, अपमान जुड़ा हुआ है और उनको सम्मान देने का काम हमारे संविधान और हमारे कानूनों के तहत किया गया है, यह प्रयास किया गया है। कितना पहुंचा या नहीं पहुंचा वह अलग विवाद है लेकिन जब उनकी भावना और उनके अपमान को, उनके मान को और सम्मान को ठेस पहुंची है और वह भी ठेस देश के सबसे शीर्षस्थ स्थान पर बैठने वाले प्रधान मंत्री के शब्दों से पहुंची है, उनकी मंशा है या नहीं है, उस पर मैं नहीं जाता हूं लेकिन शब्दों से जरूर ठेस पहुंची है। वह भी एक ऐसे अवसर पर स्वतन्त्रता दिवस पर और वह भी लाल किले से पहुंचे तो इससे बड़ा आघात, मान्यवर, हो नहीं सकता है इसलिए यह जो मांग की गई है, करोड़ों लोगों की भावना रखते हुए, दलित वर्ग की भावनाओं का ध्यान रखते हुए और आज बोट क्लब पर हजारों लोग आए हुए हैं, प्रधान मंत्री यहां आकर, अपने जो शब्द कहे हैं, उनको वापस लें, खेद प्रकट करें। अन्यथा यह कानून भी है, इसकी धारा 7 के तहत वह जेल भी जा सकते हैं और यह केवल गरीबों के लिए नहीं है, यह उस उच्च स्थान के लिए भी है और हमारे दल ने फैसला किया है, कल लखनऊ स्टेट यूनिट ने कि प्रधान मंत्री मांफी नहीं मांगते हैं तो इस धारा के तहत उन पर कानून के तहत मुकदमा भी चलाने का काम जनता दल ने करने का फैसला किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट से आज्ञा लेने का, आदेश लेने का काम करेंगे।

मान्यवर, केवल शब्दों की बात नहीं, हम पूरी भावनाओं से समर्थन करते हुए, जो माननीय सदस्यों ने अभी उठाया और यह सभी सदस्यों का है, आप सम्मान रखिए, हम लोगों का नहीं, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन करोड़ों-करोड़ दलित वर्गों का, देश का सम्मान रखना आपके हाथ में है।

इसलिए बुलाइए प्रधान मंत्री को और वह क्षमा मांगें, यह मेरा आपसे अनुरोध है। इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है, इनकी भावनाओं का आप सम्मान करेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी इस सभा के अत्यधिक वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। आप सभी संसद के आरंभ काल से यहां हैं।

कुछ माननीय सदस्य : आपको कुछ मानदण्डों का अनुसरण करना होगा। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपना तर्क दे दिया है। बाद में श्री बूटा सिंह बोलेंगे। वे इसका प्रत्युत्तर देंगे। हमें उनकी बात धैर्य से सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : उपाध्यक्ष जी, मैं तो सुबह से कोशिश कर रहा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में इस सदन का ध्यान खींचने लिए, लेकिन इसके बीच में एक विवाद खड़ा हो गया। सबसे पहले तो मैं अपना वह मुद्दा पेश करना चाहता हूं जिसके लिए मैं सुबह से प्रयत्न कर रहा हूं। यह सदन अच्छी तरह से अवगत है इस सदन में हमारी तरफ से बहुत बड़ा प्रश्न उठाया गया था जिसमें एक भारी तादाद में शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 104 आफिसर्स को रिबर्ट किया गया था और जब यह प्रश्न यहां उठा तो उस वक्त सदन को बताया गया कि यह सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार किया गया था। उसके ऊपर विवाद हुआ उसमें विपक्ष के नेता श्री वी० पी० सिंह जी, चटर्जी साहब, इन्द्रजीत गुप्त जी और श्री चन्द्रशेखर, रामविलास जी और हमने यह मसला उठाया था, सबने एक मत होकर इस प्रश्न को उठाया। फिर काफी चर्चा के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी ने हस्तक्षेप करने का

बचन दिया और उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया। अध्यक्ष जी के चेम्बर में एक मीटिंग हुई जिसमें सरकार की तरफ से उन्होंने अपना पक्ष पेश किया और देश के सबसे बड़े आला आफिसर उसमें आए और अध्यक्ष जी के हस्तक्षेप से उसमें निर्णय हुआ कि इस मसले को दोबारा सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जाए। वह मसला सर्वोच्च न्यायालय में गया और सदन को जानकर खुशी होगी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश वापिस करके उन सभी आफिसरों को फिर से बहाल किया है और सरकार को आदेश दिया है··· (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अल्वा को रिजाइन करना चाहिए।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री जी ने सभा को गुमराह किया है। मैं बूटा सिंह जी का समर्थन करता हूं। किन्तु मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष जी, इसके लिए हम अध्यक्ष जी का तहे दिल से पूरे सदन और देश की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। (व्यवधान) जिन्होंने पहली बार एक अध्यक्ष होने के नाते हस्तक्षेप करके इतनी भारी तादाद में शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आफिसर्स को रिएनस्टेट कराया और प्रधानमंत्री जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, यह जो एक विवाद खड़ा हुआ है जिसको लेकर भू० पू० प्रधानमंत्री श्री वी० पी० सिंह जी ने एक कानून की प्रतिलिपि उठा कर यह कहा कि प्रधानमंत्री को जेल हो सकती है। इसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और हमारी सरकार ने जो प्राप्तियां हासिल की हैं या जो करना चाहते हैं उपेक्षित वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, उसका जिक्र करते हुए भारत सरकार की उस योजना का उल्लेख किया जो पिछले 10 वर्ष चल रही हैं और जो श्री वी० पी० सिंह के वक्त में भी चल रही थी। जिसका नाम है: भंगी ट्रस्ट मुक्ति योजना। (व्यवधान)···मंगल राम प्रेमी जी और कालकादास जी ने जिस शब्द का इस्तेमाल करने की बात कही है उसके लिए हम भी उतने ही ज्यादा दुखी हैं कि ऐसा शब्द हमारे संविधान में, कानून में नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : हर बात में···*···करते रहते हैं।

आप सुनिए तो सही, वे कह रहे हैं कि संविधान में नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : बूटा सिंह जी कह रहे हैं कि संविधान में नहीं होना चाहिए, आप सुनते नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान में नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आप यहां पर गालियां दे रहे हैं। आपकी···**··· यहां पर नहीं चलेगी, आप बाहें चढ़ा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया गया।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया गया।

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : बूटा सिंह जी आप बैठ जाइए, इनका प्वाइंट आफ आर्डर सुन लीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : मैं नहीं मानता। (व्यवधान)

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : जब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो वे कैसे कह सकते हैं कि बैठ जाइए ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ जी ने अपना तर्क दे दिया है। श्री बूटा सिंह भी खड़े हैं और वे भी चर्चा में भाग ले रहे हैं। यहीं आपने त्रुटि की है। क्या आपको उनकी बात सुनने का धैर्य नहीं है ? जब तक आप उनकी पूरी बात नहीं सुनते तो आप इसका प्रत्युत्तर कैसे देंगे ? मैं इससे सहमत नहीं हूं। आपने धैर्य नहीं रखा है। जब आपको मौका मिले तो आप दोहरे जोर से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। आपके खड़े होकर बीच में बोलने से क्या लाभ होगा ? इससे आपके तर्क को कोई लाभ नहीं होगा। वे जो भी हों मेरा विनम्र अनुरोध है कि यह भूतपूर्व अध्यक्षों, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों और विभिन्न विधान मण्डलों के अत्यधिक अनुभवशाली विभिन्न अध्यक्षों की गरिमायुक्त सभा है। यदि हम कुछ नियमों का पालन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ? दिए गए तर्कों को एक-एक करके सुनना चाहिए। आप इसके प्रत्युत्तर दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास अत्यधिक अनुभव है।

(व्यवधान)

श्री वल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : शून्य काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल बिल्कुल मुक्त काल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : कई बार अध्यक्षपीठ ने निर्णय दिया है कि शून्य काल के दौरान कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

1.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर बूटा सिंह जी की बात पर नहीं है, दूसरी बात पर है। डिप्टी स्पीकर साहब, बोलने के क्रम में अभी मान-

नीय सदस्य श्री मदन लाल खुराना की तरफ हाथ करके जोर-जोर से माननीय मंत्री श्री जगदीश टाइटलर ने कहा···**···। यह साफ-साफ सुनाई पड़ा। यह बिल्कुल आपत्तिजनक है। इन शब्दों को इन्हें वापस लेना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह शब्द असंसदीय है तो हम उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देंगे।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, ऐसे नहीं चलेगा। पहले मंत्री जी माफी मांगें।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी-कभी चलता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब शब्द हटा दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : पहले मंत्री जी माफी मागें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उस शब्द को निकाल दिया है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : माननीय मंत्री जी खेद प्रकट नहीं करेंगे तो सदन कैसे चलेगा। इनको खेद प्रकट करना पड़ेगा, इनको माफी मांगनी पड़ेगी नहीं तो हाउस नहीं चल सकता। ये खड़े होकर माफी मांग लें। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अगर हम यह कहें कि ये मंत्री···**··· हैं तो कैसे चलेगा ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसी भाषा न बोलें।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : ···शब्द अनपार्लियामेंटरी नहीं है। यह मजाक में चलता रहता है। दिल्ली की पालिटिक्स में आप मत घुस जाइए। सैंस,···चलता रहता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप शब्द···पर निर्णय चाहते हैं। ···शब्द को अब असंसदीय माना गया है और इसे सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया गया है।

(व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : उसे निकाल दिया गया है। संवेग तथा क्रोध में इस्तेमाल किए गए सभी असंसदीय शब्द निकाल दिए गए हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब श्री बूटा सिंह जी बोल रहे हैं तो आप कैसे दखल दे सकते हैं ? कुछ मान-दण्डों का अनुपालन किया जाना चाहिए। कृपया आप नियमों का अध्ययन करें।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जिस सन्दर्भ में प्रधान मंत्री जी ने···**··· का जिक्र करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया, हम कहना चाहते हैं उसके पीछे जैसे मांडा के राजा साहब ने कहा, इसके पीछे गरीबी ही नहीं, अपमान भी है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे नाम का ये डिस्टोरशन कर रहे हैं, पता नहीं कौन-सा नाम ले रहे हैं।

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी की केबिनेट ने यह शब्द, जो अपमानजनक है, कुछ अनुसूचित जातियों के बारे में जैसे···**···आदि-आदि बहुत से शब्द हैं उनको उस लिस्ट से निकालने के लिए एक कानून पेश किया था जो अभी तक पैंडिंग पड़ा हुआ है। यदि इतना प्रेम होता राजा साहब को तो वे कानून पास कर देते ! अब जो कानून आएगा उसमें हमारी मदद करें। ऐसे शब्द, अनुसूचित जाति के जितने भी पत्र हैं या कानून हैं···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : राजा साहब अपमानसूचक शब्द है। ये अपमानसूचक शब्दों से मुझे न संबोधित करें।

श्री बूटा सिंह : हम तो बहुत मान करते हैं ।

श्री जगदीश टाइटलर : इसका मतलब है मैं आपको राजा साहब नहीं बोल सकता ?

श्री बूटा सिंह : यह प्यार की बात है। मैं प्यार से कहता हूं। **(व्यवधान)** एक बात जरूर है····· **(व्यवधान)** मांडा के राजनिवास के सामने, पैलेस के सामने कोई हरिजन न कोई पगड़ी, न जूता पहनकर जा सकता था, उसकी खाल उतार दी जाती थी।···**(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं उनकी इस बात को चुनौती देता हूं। यह गलत बात करते हैं····· **(व्यवधान)** ये असत्य बात करते हैं। **(व्यवधान)**.

श्री बूटा सिंह : मैं, संसदीय कार्य मंत्री से अपील करता हूं कि वे जल्दी से जल्दी उस कानून को इस सदन में कल ही ले आए जिसमें अपमानजनक शब्दों को निकालने का प्रावधान है कि कांस्टीट्यूशन के अंदर किसी वर्ग के साथ भी इस तरह के शब्द नहीं जुड़े होने चाहिए। श्री विश्वनाथप्रताप सिंह जी ने जो अपमान की बात की है···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए। **(व्यवधान)** आप बाद में बोल सकते हैं। मैंने श्री श्रीनिवास प्रसाद को बुलाया है।

(व्यवधान)

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही के वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : ···(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी यहां आएं और सदन में माफी मांगें, उन्होंने लाल किले से अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों का अपमान किया है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खुराना आप इसे दोहरा रहे हैं। यह तीसरी बार है जब आप इसकी मांग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो भी कहना चाहते हैं, आपने कह दिया, और सरकार ने इसे सुन लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खण्डेलवाल, आपने यह बताया है। आपने यह बात दस बार बताई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : ···देश के सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए नेशनल कमीशन फार सफाई-मजदूर की घोषणा हुई है, उसके लिए मैं प्रशंसा करता हूं और सारा सदन प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई दे···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री श्रीनिवास प्रसाद का नाम पुकारा है। वे बहुत महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं। आपमें से प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए चिंतित है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : प्रधानमंत्री जी यहां नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम सदन से वाक-आउट करते हैं···। (व्यवधान)

1.07 म० प०

(तत्पश्चात् श्री मदन लाल खुराना तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहि-र्गमन किया।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, उन्होंने जो कुछ कहा है, मुझे उसका उत्तर देना है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : हम सुबह यहां 11 बजे आकर खड़े हो गये, लेकिन स्पीकर साहब के कहने पर हम बैठ गये। तब से हम पांच बार बैठे हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह प्रस्ताव सुबह लेना जरूरी था, मैंने सुबह साढ़े नौ बजे नोटिस दिया था इस मामले को लेकर कि जहां पिछले दो सत्रों से बहस चल रही है इस सदन में···

श्री गुलाम नबी आजाद : हम उसको कम्प्लीट करना चाहते हैं।

श्री जार्ज फर्नांडीज : यह नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

महोदय, मैंने आज अध्यक्ष महोदय से पांच बार अनुरोध किया है। यह अत्यधिक महत्व का मामला है। यह सदन की प्रतिष्ठा से संबंधित है। यह प्रधानमंत्री से संबंधित है। यह कई विवादास्पद मामलों से संबंधित है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरी बात सुन लें। इसलिए मेरी बात को आप मानें। आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको नियमों के अन्तर्गत मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है उसके बारे में कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मैं नियम तोड़ रहा हूं। यह सच है। आपका मामला पहले लिया जाना चाहिए। अब श्री पासवान का नाम पुकारा जा चुका है। वे बहुत देर से खड़े हैं। उनका भी यही विषय था। उनके तत्काल बाद आप बोल सकते हैं। मेरे विचार से लोकतांत्रिक ढांचे में इतनी समझ और समायोजन आवश्यक है।

(व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : नहीं महोदय, कितनी बार ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप पुलिस अधीक्षक की मृत्यु से संबंधित मामला उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इंतजार कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अभी माननीय श्री वी० पी० सिंह जी और बूटा सिंह जी ने जिस सवाल को उठाया है मैं इसको दलगत सवाल नहीं मानता हूं। उन्होंने ठीक कहा कि 104 अधिकारी अनुसूचित जाति और जनजाति के थे, अरविन्द नेताम जी यहां हैं वे फोरम के कंवीनर हैं हमने इस सम्बन्ध में प्रिवीलेज मोशन दिया था, वह अभी भी स्पीकर के पास लम्बित है। हमने कार्मिक मंत्री श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा के खिलाफ यह मोशन दिया था। जब उन्होंने सदन में यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट

के आदेश के अनुसार हमने 104 अधिकारियों को डीमोट किया है। आज बूटा सिंह जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि हमने आदेश नहीं दिया था, उनका प्रमोशन करके जो डीमोट किया गया है वह गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय हो गया है और मंत्री जी ने यह कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ऐसा किया गया है, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया है। मैंने उनसे कहा था कि आप जो सदन में कह रही हैं क्या सोच-समझकर कह रही हैं, नहीं तो प्रिवीलेज मोशन लाएंगे, उन्होंने कहा कि मैं सोचकर ही कह रही हूं। उसके बाद हम 106 सांसद अरविंद नेतामजी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिले थे। अच्छा होता यदि कोर्ट में जाने के पहले प्रधानमंत्री कहते कि जो आदेश दिया है वह गलत है, लेकिन अब यह कोर्ट का निर्णय हुआ है इसलिए प्रधानमंत्री को इसका क्रेडिट नहीं जाता है। प्रधानमंत्री को तब जाता जब शुरू में वे इसको करते। लेकिन अब यह कोर्ट का मामला है। और हम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो···**···शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सरकार कोई रेस्पेक्ट नहीं दे सकती है···(**व्यवधान**)···

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज कन्क्लूड···

श्री रामविलास पासवान : मैं समाप्त कर रहा हूं···

[अनुवाद]

श्री अनन्तराव देशमुख (वाशिम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में चर्चा के दौरान आपने कहा था कि श्री वी० पी० सिंह बोलेंगे तथा इस मामले पर श्री बूटा सिंह उत्तर देंगे। अब सब कुछ हो गया है। अब आप फिर वही बात दोहरा रहे हैं। यदि आप उन्हें अनुमति दे सकते हैं, तो आपको हमें भी इस मामले पर बोलने की अनुमति देनी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : आप भी बोल सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, वह बहुत ही संगत मुद्दा है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारत के लाल किले के ऊपर से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा···शब्द का इस्तेमाल किया गया और श्री बूटा सिंह जी ने जो कहा है वह सही नहीं है। उन्होंने तो यह कहा कि प्रधानमंत्री जी ने···मुक्ति शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आपको प्रधानमंत्री जी का टेप सुना सकता हूं। उन्होंने भंगी मुक्ति के दरम्यान नहीं कहा, खासकर जो···हैं, जो अलग जाति के लोग हैं, उनके लिए अपमानजनक शब्द है और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आज बोट क्लब पर 50 हजार नौजवान बैठे हैं जो प्रधानमंत्री के यहां प्रदर्शन करेंगे, जेल जाने का काम करेंगे लेकिन जब तक प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगेंगे, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नैतिक अधिकार नहीं है···(**व्यवधान**)···जो चुण्डूर, कुम्हेर नहीं जा सकते हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, सदन में पिछले एक महीने से अधिक समय से जो कुछ हो रहा है, उसने मुझे बचपन में पढ़ी हुई एक कहानी याद आ रही है, जो मैंने छठी कक्षा में पढ़ी थी तथा जो

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

कि मेमने और भेड़िये की है, भेड़िया मेमने की गलती निकालना चाहता था। इसलिए भेड़िये ने मेमने से कहा, "तुम मेरे पानी को गन्दा क्यों कर रहे हो?" मेमने ने कहा, "मान्यवर, पानी तुम्हारी ओर से मेरी ओर आ रहा है न कि मेरी ओर से तुम्हारी। मैं तुम्हारे पानी को कैसे गन्दा कर सकता हूं?" फिर भेड़िये ने कहा, "ठीक है। तुमने पिछले वर्ष मुझे गाली दी थी।" मेमने ने उत्तर दिया, "पिछले वर्ष तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था।" तो भेड़िये ने कहा, "ठीक है। तो वह जरूर तुम्हारा भाई होगा।" मेमने ने उत्तर दिया, "मेरा कोई भाई नहीं है।" फिर भेड़िये ने कहा, 'तो वह जरूर तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा।" और फिर वह मेमने पर झपट पड़ा। महोदय, सदन में पिछले एक-डेढ़ महीने से यही हो रहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : धैर्य रखिए और सुनिए। वे यहां आपमें से किसी एक का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, दूसरे पक्ष के मेरे प्रतिष्ठित और माननीय मित्रों ने यह समझा था कि यह अल्पसंख्यक सरकार है तथ्य 6 महीने या एक साल से ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन उनके भरसक प्रयासों के बावजूद हमें डेढ़ वर्ष से अधिक का समय हो गया है···(व्यवधान)···आप यहां कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। उनके भरसक प्रयासों के बावजूद, जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सम्बन्ध है, हम अभी तक सदन में बने हुए हैं। अब वे किसी न किसी प्रकार हममें गलती ढूंढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रारम्भ के कुछ दिन बैंक प्रतिभूति घोटाले पर चर्चा पर नष्ट किए गए तथा सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं संयुक्त संसदीय समिति के लिए आगे आए। इसके बाद, अयोध्या का मामला उठाया गया। मैं इस सम्बन्ध में अवश्य ही प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा। इस सरकार ने बहुत ही सकारात्मक कदम उठाये तथा इस देश में बिना किसी खून-खराबे के हम काफी हद तक अयोध्या के मामले को सुलझा सके; तथा मुझे विश्वास है कि यह सरकार एक दिन स्थायी हल भी ढूंढ़ लेगी। इस मामले का समाधान हो जाने के बाद विरोधी पक्ष के हमारे मित्रों ने पिछले तीन दिनों से सदन की कार्यवाही रोकी। वे विभाजन के नाम पर सदन को कार्य करने नहीं देना चाहते जो कि उनका आंतरिक मामला था तथा जिससे कांग्रेस दल को कुछ लेना-देना नहीं है। फिर भी सदन को काम नहीं करने दिया जा रहा है। जब यह मामला भी सुलझा लिया जा रहा है, तो वे एक अन्य मामला ले आए हैं। सुबह, हमने भाषा के मामले के सम्बन्ध में विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। उस बैठक के बाद, मैंने सोचा कि इस पर पुन: चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस बैठक में हमने आश्वासन दिया था कि हम अगले सदन के समक्ष आएंगे। जब इस मामले का भी समाधान कर लिया गया, अब ये प्रधानमंत्री के भाषण में गलती ढूंढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के सम्बन्ध में सदन में जो कुछ कहा गया है वह तथ्यों का पूर्णत: तोड़ना-मरोड़ना है तथा वे ये सब चीजें, केवल प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसको राजनीतिक रंग देने के लिए कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे हमारे दलित मित्रों के विकास के सम्बन्ध में काफी इच्छुक हैं। कोई भी नाम हो, आपको भाषण के पीछे जो प्रयोजन है, उसे देखना चाहिए। वे दलित समुदाय की सहायता करना चाहते थे। लेकिन हमारे अधिकांश मित्र, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है, उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं करने देना चाहते क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उनका अधिकार क्षेत्र है और प्रधानमंत्री उसमें दखल दे रहे हैं। वे महसूस करते हैं कि उन्हें ऐसे नहीं होने

देना चाहिए। यह बिल्कुल भेड़िये और मेमने की कहानी जैसी है। वे किसी न किसी प्रकार सरकार को बदनाम करने के लिए और सरकार की छवि मलिन करने के लिए उसमें गलती ढूंढ़ना चाहते हैं। महोदय, मेरा यही निवेदन है।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद (चामराजनगर) : मैं गृह मंत्री का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुई बहुत ही खेदजनक और भयंकर घटना की ओर दिलाना चाहूंगा। महोदय, मैं मैसूर जिले के पुलिस अधीक्षक सहित अनेक पुलिस कर्मियों को चन्दन की लकड़ी के तस्कर और हाथी दांत के शिकार चोर वीरघन द्वारा मारे जाने की घटना का उल्लेख कर रहा हूं। उसने एक बार पुनः यह सिद्ध कर दिया है कि कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस दुर्दांत डाकुओं से निपटने के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं है। महोदय, वीरघन के विरुद्ध पुलिस आपरेशन से कई पुलिस कर्मी और वन विभाग के अधिकारी व्यर्थ ही मारे गए और चन्दन की लकड़ी और हाथी दांत के अवैध व्यापार में किसी तरह की कमी नहीं आई।

इस आतंकवाद-ग्रस्त क्षेत्र में वीरघन और उसके गिरोह का प्रभुत्व है। मैं केन्द्रीय गृह मंत्री महोदय से तस्करी विरोधी अभियान को एक केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही के रूप में चलाने का आग्रह करता हूं। सशस्त्र बलों के एक त्वरित कार्यवाही दस्ते द्वारा एक प्रभावशाली रणनीति बनाई और प्रभावी तरीके से लागू की जानी चाहिए। मामले को कर्नाटक पुलिस के हाथ में छोड़ने का परिणाम अनेकों लोगों की जान गंवाना होगा और इससे राज्य पुलिस का आगे और मनोबल गिरेगा तथा स्थानीय लोगों को आघात पहुंचेगा। कर्नाटक की सरकार ने भी कुख्यात लुटेरे वीरघन को पकड़ने के लिए केन्द्रीय सरकार से सशस्त्र बल भेजने का अनुरोध किया है। मैं इस निर्वाचन-क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने के नाते इस बारे में बेहद चिन्तित हूं। मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार को वे सभी महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए जो इस वीरघन संकट का सफाया करने के लिए आवश्यक हैं। माननीय मंत्री महोदय ने दूसरी सभा में एक आश्वासन दिया है। अतः मैं केन्द्र सरकार और गृह मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट आश्वासन देने का अनुरोध करता हूं।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि इस कुख्यात गिरोहबाज वीरघन का मामला जब-तब इस सभा में और इससे बाहर भी उठाया गया है। वह हमारे क्षेत्र, विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा क्षेत्र में एक कुख्यात तस्कर और लुटेरा है। उसने सैंकड़ों करोड़ रुपए की वन-सम्पदा लूटी है। इनमें चन्दन की लकड़ी और जंगल के अन्य उत्पाद शामिल हैं। बहुमूल्य हाथी दाँत के लिए, उसने अनेक हाथियों को मार गिराया है। राज्य सरकार ने उसे दबोचने की कोशिश की थी लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। अनेक जाने विशेषकर पुलिस कार्मिकों और निरीह लोगों की गई हैं।

तमिलनाडु सरकार ने भी हमारी चिन्ता में हमारा साथ दिया लेकिन दुर्भाग्यवश, ये घटनाएं अभी भी घट रही है। हाल ही में, कुछ दिन पहले, अनेक युवा पुलिस अधिकारियों को निर्दयता पूर्वक मार दिया गया। यह तत्काल रोका जाना चाहिए।

इस सभा में, हमने गृह मंत्री महोदय से कर्नाटक राज्य को कुछ सहायता भेजने का अनुरोध किया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो वह हमें सभी सहायता देंगे। अतः मेरा अनुरोध है कि उस गिरोहबाज को पकड़ने के लिए वहां पर सीमा सुरक्षा बल को अथवा किसी अन्य अर्द्ध सैनिक बल को तत्काल भेजा जाना चाहिए। इससे हमारी काफी राष्ट्रीय सम्पत्ति

और वन्य जीवन बच जाएगा। यह काफी लम्बे समय से चल रहा है और इसका कोई समाधान नहीं किया गया है।

अतः, मैं केन्द्रीय सरकार से तत्काल कोई सहायता भेजने तथा इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

श्री जी० मोड गौडा (माण्डया) : महोदय, कर्नाटक राज्य और देश जानता है कि ···(**व्यवधान**)

श्री जॉर्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके बाद बोलना।

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : महोदय, मैं मानता हूं कि आप नियमों की उपेक्षा नहीं करते। लेकिन आप इस तरह भी नहीं चलते रह सकते। (**व्यवधान**) यदि कर्नाटक में आपकी सरकार एक लुटेरे को पकड़ने का भी समाधान नहीं ढूंढ सकती है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप कर्नाटक में अपनी सरकार के बारे में इस सभा समय क्यों खराब कर रहे हैं। आप उस सरकार को बर्खास्त कर दीजिए।

श्री जी० माडे गौडा : महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं श्री जॉर्ज फर्नान्डीज से अनुरोध करता हूं।

उपाध्क्ष महोदय : हमें मामले से हटकर बात नहीं करनी चाहिए।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : कर्नाटक के मुख्य मंत्री इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते। वह साईं बाबा के पास गए हैं। वह तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। वह आपकी सहायता करने यहां नहीं आएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार जी, वह बोल रहे हैं। आप शून्य काल को कब तक चलाए रखना चाहते हैं ?

श्री जी० माडे गौडा : श्रीमन्, श्री फर्नांडीज के अनुसार···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप फर्नांडीज जी का उल्लेख न करें। आप सीधे अपनी बात कहिए।

श्री जी० माडे गौडा : महोदय, उन्होंने कहा है कि कर्नाटक सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में चिन्ता न करें। एक पुलिस अधीक्षक मारा गया है। आप यह बताएं कि केन्द्रीय सरकार से आपको किस तरह की सहायता चाहिए।

श्री जी० माडे गौडा : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आप अन्य लोगों का उल्लेख क्यों कर रहे हैं ?

श्री जी० माडे गौडा : महोदय, देश को वीरप्पन मामले की जानकारी होनी चहिए। वीरप्पन एक कुख्यात तस्कर और लुटेरा है। उसके गिरोह में 14 लोग हैं। उसने एक बहुत ही ईमानदार पुलिस अधिकारी की जान ले ली है। सरकार पुलिस बल बनाने पर काफी पैसा खर्च कर रही है तथा इस गिरोह को पकड़ने के लिए वन अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को भेजा जा रहा है। लेकिन वे उनका पता नहीं लगा पा रहे हैं। समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्री से इन 14 गिरोह बाज व्यक्तियों को पकड़ने के लिए सैन्य बल भेजने का अनुरोध किया है। मुझे यह जानकर

लज्जा आती है कि कर्नाटक सरकार ने इस तरह का आचरण किया है मुझे बताया गया है कि कुछ राजनीतिज्ञ उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं। अतः, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि सैन्य बल भेजने से पूर्व सारी जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० सी० थॉमस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, जिस समय भारतीय खाद्य निगम के 10,000 कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, तो संसद सदस्य और अन्य लोग इसमें एक समझौता कराने की कोशिश में जुट गये। जब राष्ट्र-व्यापी हड़ताल शुरू होने वाली थी, तो एक समझौता कर लिया गया और सरकार द्वारा कुछ निर्णय लिए गए। सरकार ने निर्णय लिया कि यदि हड़ताल तत्काल वापिस ले ली जाती है, तो वह बातचीत के लिए श्रमिक संघ को आमंत्रित करेगी।

दूसरे, यह भी निर्णय किया गया था कि श्रमिक संघ के महासचिव, जिसे उत्पीड़न के एक कथित आरोप पर स्थानांतरित किया जाना था, के स्थानांतरण को आस्थगित रखा जाएगा। अब यह बड़ी परेशानी की बात है कि भारतीय खाद्य निगम प्रबन्धन इन वचनों को निभा नहीं रहा है। जब तक भारतीय खाद्य निगम प्रबन्धन तत्काल कदम नहीं उठाता है और भारतीय खाद्य निगम की यूनियन को वार्ता के लिए नहीं बुलाता है तथा महासचिव के स्थानांतरण को आस्थागित भी नहीं रखता है, तो मेरे विचार से, अब से कुछ ही घंटों में एक राष्ट्र-व्यापी हड़ताल शुरू हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : थॉमस महोदय, क्या आप चाहते हैं कि सरकार को मामले में तत्काल हस्तक्षेप करके समस्या का समाधान करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थॉमस : हम सरकार की अनुकूल प्रतिक्रिया चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : थॉमस महोदय, आप चाहते हैं कि सरकार अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करे। आप यह भी चाहते हैं कि उसे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करें हड़ताल टल जाए। सरकार ने यह बात सुन ली है।

श्री पी० सी० थॉमस : जी हाँ, अथवा, मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए तथा यूनियन के साथ बातचीत शुरू की जानी चाहिए। हजारों कर्मचारी बोट क्लब पर धरने पर बैठे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई मांग का अनुमोदन करता हूं और उन्होंने जिस मामले को यहाँ उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह इस मामले का समर्थन करने की ही बात नहीं है, बल्कि मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आदेश को चेयरमैन द्वारा ठुकरा दिये जाने का मामला और वह अभी भी ठुकराये जा रहा है तथा सरकार आराम से बैठी है। मुझे आशा है कि वह कार्यवाही करेगी; वे आपके अपने ही व्यक्ति है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : इस सभा में यह आश्वासन दिया गया था तथा हड़ताल वापिस ले ली गई थी (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह ऐडजोर्नमैंट मोशन दिया था और मेरा

ऐडजोर्नमैंट मोशन एक ऐसे मामले को लेकर है जिसकी चर्चा इस सदन में पिछले दो सत्रों में हुई है। ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा भारतीय खाद्य निगम के संबंध में किए गए अनुरोध को मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा।

श्री पी० सी० थॉमस : महोदय, सरकार द्वारा दिये गए आश्वासन को पूरा किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : थॉमस जी, यदि आप कल मंत्री बन जाते हैं तो क्या आप सदन में इस बात का आश्वासन दे सकते हैं? हमें बहुत ही व्यावहारिक होना चाहिए।

श्री पी० सी० थॉमस : मैंने प्रधान मंत्री जी से भी मुलाकात की है। वे भी मेरी बात से सहमत थे कि यह सरकार का निर्णय है।

महोदय, मैं इस सदन में केवल भारतीय खाद्य निगम के 70,000 कर्मचारियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग की ओर इस सदन का और राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : थामस जी, आप युवा हैं और अत्यधिक सक्रिय हैं। आपने बताया कि इसमें 70,000 कर्मचारी शामिल हैं। आपने अपना भाषण शुरू करने से पूर्व ही इस बारे में बताया है। इसे दोहराने की आवश्यकता कहां से आ गई। क्योंकि बहुत से सदस्य हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी हैं उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार आपको केवल दो दिन मिले हैं। शून्य काल में बहुत से महत्वपूर्ण मामलों को नहीं उठाया जा सकता था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उस मामले की बहस चलती रही जिसमें एक इस देश के विदेश मंत्री इस्तीफा देकर चले गये और प्रधान मंत्री ने एक बार नहीं, अनेक बार इस सदन के भीतर और सदन के बाहर···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जार्ज जी, यह मामला नियम 58 के अंतर्गत न्याय-निर्णयाधीन है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं किसी भी न्याय-निर्णयाधीन मामले की बात नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

आप पहले मेरी बात सुन लीजिए उसके बाद अपना फैसला दीजिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त, यह एक विषयगत मामला नहीं हैं जो स्थगन प्रस्ताव के

लिए उचित है। कई अन्य तरीकों से भी आप इस मामले को उठा सकते हैं। आप उस समय यह मामला उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैंने आपको दो नोटिस दिए हैं—एक नोटिस ऐडजोर्नमेंट मोशन का दिया है और दूसरा नोटिस यह दिया है कि हम इस मामले को सदन में उठाने वाले हैं। दोनों नोटिस समय पर आपके पास गये हैं और आज इस मसले पर न केवल यहां बहस होनी चाहिए बल्कि इसमें कुछ सरकार की तरफ से और विशेषकर प्रधान मंत्री की तरफ से कुछ बातें बहुत स्पष्ट शब्दों में यहां होनी चाहियें। आज खबर आई है कि इंटरपोल के जरिये भारत सरकार ने स्विजरलैंड की सरकार को यह सूचना दी है कि विन चड्डा के खिलाफ जो भी मुकदमे हैं, उन पर भारत सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : आप किस पत्र से उद्धरण दे रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है मैं उससे उद्धृण दे रहा हूं। मैं सभापटल पर सूचना रखूंगा यदि अध्यक्षपीठ मुझे ऐसा करने की अनुमति देंगे।

[हिन्दी]

इन मामलों से संबंधित जो पुलिस अधिकारी है, वह यह कहता है कि

[अनुवाद]

"हमें इंटरपोल से सरकारी सूचना प्राप्त हुई है, कि भारत विन चड्डा के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रहा था और विन चड्डा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तलाश और वारंट को रद्द कर दिया गया है।"

[हिन्दी]

इस सदन में इस मामले पर बहस हुई है। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि मेरी स्वयं यह जिम्मेदारी रहेगी कि सत्य को इस सदन के सामने लाया जाये और सत्य की खोज करने की जहां भी जरूरत होगी, वहां पर की जायेगी तथा इसके लिये जो भी मेहनत करनी होगी, वह भी की जायेगी। यहां अब यह खबर आई है, स्विजरलैंड के उस अधिकारी से खबर आई है, जो कि इस मामले से सम्बन्ध रखते हैं, कि 15 नवम्बर 1991 को···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप विन चड्डा के विरुद्ध वापस लिए गए मामलों के बारे में बोल रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नांडीज : नहीं, महोदय। मैं विन चड्डा की बात कर रहा हूं जिसकी इस देश को तलाश है। इस देश ने गुप्त रूप से तलाश करके विन चड्डा को गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट जारी किया था किन्तु 15 नवम्बर, 1991 को उस वारंट को वापस ले लिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल है। इसके अन्य नियम भी हैं।

श्री जार्ज फर्नांडीज : यहां इससे अधिक महत्वपूर्ण मामला और कोई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : विशिष्ट उपबन्धों के अंतर्गत आप इस मामले को उठा सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नांडीज : सरकार ने इस सदन को आश्वासन दिया है। सरकार न केवल अपने आश्वासन से पीछे ही हटी है बल्कि उसने गुप्त रूप से कार्य भी किया है। मैं इस समय सरकार पर 15 नवम्बर, 1991 से गुप्त रूप से कार्य करने का आरोप लगा रहा हूं। भारत इंटरपोल का सदस्य है। इंटरपोल केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। भारत यानी इस देश का पुलिस प्राधिकारी इंटरपोल का सदस्य है, दूसरे शब्दों में इस देश के गृह मंत्री और प्रधान मंत्री ने इंटरपोल को बताया कि पिछले कई वर्षों से विन चड्डा को तलाश करके गिरफ्तार करने संबंधी आपके वारंट अब अधिक समय तक वैध नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

इससे क्या होता है ? विन चड्डा 16 मार्च को स्विजरलैंड में रहने की इजाजत पाता है। वह स्विटजरलैंड नागरिक के तौर पर भले न हो, लेकिन रहने के परमिट को लेकर आज वह स्विटजरलैंड में स्थायी है। स्विटजरलैंड के कैनटोनल कोर्ट में मामले पड़े हुए हैं, हिन्दुस्तान की अदालत में मामले पड़े हुए हैं। पिछली अगस्त से उनको पकड़ने के प्रयास भारत सरकार ने किये, लाखों रुपये उस पर खर्च किये ; हम आज प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य की याद इस सदन में दिलाना चाहते हैं जिस में प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि चाहे जो हो, उसे पकड़कर लाने की बात यहां पर की जायेगी। लेकिन स्विटजरलैंड के पुलिस अधिकारी ने एक और जुमला कहा है कि अगर भारत सरकार आज भी चाहे एक्ट्रसाडिशन की मांग करे तो हम विन चड्डा को आपके हाथ में देने के लिए तैयार हैं। पुलिस के अधिकारी का यह कहना है कि :

[अनुवाद]

"यदि भारत सरकार को वास्तव में उस व्यक्ति की जरूरत है तो वह उसकी वापसी की मांग कर सकती है।"

[हिन्दी]

आज इस सदन से हम जानना चाहते हैं, प्रधान मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि इंटरपोल को किस ने यह खबर दी कि विन चड्डा की अभी भारत में कोई जरूरत नहीं है। और उसकी पकड़ के लिए जो वारण्ट था, वह वारण्ट वापस लिया गया है, कब यह खबर दी गई, स्विटजरलैंड में। जब आज यह कहा जाता है कि आप अगर उसको एक्सट्रीडाइट करना चाहते हैं तो हम उन्हें आपके अधीन करने के लिए तैयार हैं तो भारत सरकार के पास यह जानकारी कब आई थी और अगर आई हो तो फिर सरकार ने इसके ऊपर कौन-सी कार्रवाई की ?

नम्बर तीन---हम जानना चाहते हैं कि आज जब यह खबर सामने आई है तो क्या भारत सरकार विन चड्डा को एक्सट्रीडाइट करने के लिए तत्कालीन स्विस सरकार को सुझाव देकर उसको पकड़कर हिन्दुस्तान में लाने के लिए क्या तैयार हैं, चूंकि स्विटजरलैण्ड में जहां पर वह रहता है, जहां उसको घर मिला है तो उसकी जानकारी अभी सरकार के पास है। उसकी जानकारी तो आज इण्डियन एक्सप्रेस के

चलते समूचे देश के सामने भी है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रधान मंत्री आज एक्सट्रीडीशन के बारे में कोई कदम उठाने के लिए तैयार हैं ?···

[अनुवाद]

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : कितने लम्बे समय तक चलेगा ?···हम कई महीनों से इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : उपाध्यक्ष जी, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और मामला है।

इस सदन के अन्दर तत्कालीन विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी ने एक बात कही थी, वह बोले थे कि हम स्विटजरलैण्ड गये थे, हम स्विटजरलैण्ड में दाओस गये थे, वहां पर हमारी मुलाकात थी वहां के विदेश मंत्री से, विदेश मंत्री से मुलाकात करने के बाद निकलते-निकलते, हमने उनको एक चिट्ठी दी थी। स्विटजरलैण्ड के विदेश मंत्री ने हिन्दुस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी के इस सदन के भीतर, इस लोक सभा के भीतर दिये हुए वक्तव्य की एक-एक बात का खण्डन किया है, सार्वनिक खण्डन किया है और यह बताया है कि यह आदमी···**···बोला, इस सदन को ही नहीं समूचे देश को अपमानित करने का इस आदमी ने काम किया है, यह रेने फैलबर की तरफ से आज से दो महीने पहले आ गया। मैंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर भेजा कि आपने तो विदेश मंत्री का संरक्षण किया था, इस सदन में, आपने विदेश मंत्री का संरक्षण किया था, इस सदन के बाहर, अब जब आपके तात्कालीन विदेश मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री दुनिया के सामने···साबित हो गया है, आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हो ? उन्होंने अपने पद की शपथ जो ली थी, उसे तोड़ने का काम किया, सदन के सामने···बोलने काम किया, आप क्या करने जा रहे हो ?

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ने, आज ढाई महीने हो गये, मेरी चिट्ठी का इस क्षण तक उत्तर देने का काम नहीं किया है। जब उन्हें ठीक लगता है, तब वे उत्तर देते हैं, जब उन्हें तकलीफ होती है, वह उत्तर नहीं देते हैं। हमने इस मामले को इस सदन के अन्दर आपके सामने उठाया, स्पीकर को हमने जून महीने की दो तारीख को पत्र भेजकर कहा कि इसमें सदन का अधिकार का भंग हो गया है, ब्रीच ऑफ प्रिवलेज हो गया है, सदन के सामने···बोला गया है मगर आज भी इस क्षण तक···उपाध्यक्ष जी, मेरी पूरी बात को सुन लीजिए। आज तक मेरे प्रस्ताव पर कोई भी चर्चा यहां पर नहीं हुई है···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुलाम नबी आजाद, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज जी, मेरी समस्या यह है कि डेढ़ घंटा बीत गया है और यहां कई सदस्य हैं जो उत्तेजित हैं। कृपया मेरी बात सुनिए। आपको पीठासीन अधिकारियों की कठिनाई भी महसूस करनी चाहिए। यह पूर्णतः पक्षपातपूर्ण है। आपने अपने मामले को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : प्रश्न यह नहीं है कि यहां पर कितने मामले हैं। यदि इस सदन को प्रधानमंत्री द्वारा गुमराह किया जा रहा है तो हम कहां जाएं ···(व्यवधान)··· यदि यह सदन इस मामले पर विचार नहीं कर रहा है तो इस सरकार पर कौन नियंत्रण रख रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं कह रहा था कि यहां कई सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को बुलाकर उनसे बयान दिलवाएं और विन चड्ढा को एक्सट्रीडाइट करने के लिए प्रधान मंत्री को इस सदन के अन्दर कहने के लिए कहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, पत्र सभापटल पर रखे जाएंगे। श्री अर्जुन सिंह जी···

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने इस बारे में सूचना दे दी है।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहुत आवश्यक चीज है, आप बसुदेव आचार्य जी को मौका दीजिए। यह बहुत गम्भीर चीज है, विन चड्ढा का पूरा यह मामला रहता है। इसको लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, इस सरकार ने उसके खिलाफ वारण्ट रेज कर दिया और आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, आप बसुदेव आचार्य जी को मौका दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी० पी० सिंह जी मुझे क्षमा कीजिए। यहां कई सदस्य बोलना चाहते हैं। क्या सदन की यह इच्छा है कि शून्य काल का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाना चाहिए···

(व्यवधान)

वह सवेरे से ही इसके लिये आग्रह कर रहे हैं।

श्री अन्नारासु इरा : मैं 11.00 बजे से इसके लिए कह रहा हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की वार्षिक रिपोर्ट और समीक्षा इत्यादि।

1.45 म० प०

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2560/92]

(2) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1989 90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2561/92]

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2562/92]

(4) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2563/92]

(5) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2564/92]

(6) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2565/92]

(7) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2566/92]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2567/92]

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2568/92]

(चार) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2569/92]

(पांच) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2570/92]

(छह) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2571/92]

(8) उपर्युक्त (1) से (7) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2572/92]

(9) शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति, 1986—कार्य योजना—1992 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2573/92]

अतारांकित प्रश्न सं० 2920 के 13 मार्च, 1992 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं, (एक) विभिन्न क्षेत्रों द्वारा कपास और वस्त्रों के उत्पादन के बारे में श्री सैयद शाहाबुद्दीन द्वारा पूछे गए उत्तर प्रश्न सं० 2920 के 13 मार्च, 1992 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल. टी. 2574/92]

कार्य योजना, अगस्त 1992—राष्ट्रीय खेल-कूद नीति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल-कूद विभाग और महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं, कार्य योजना, अगस्त 1992—राष्ट्रीय खेल-कूद नीति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2575/92]

जम्मू-कश्मीर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1992 तथा दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री एम० एम० जैकब की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) जम्मू-कश्मीर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 3), जो 17 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल. टी. 2576/92]**

(दो) जम्मू-कश्मीर अशान्त क्षेत्र अधिनियम, 1992 (1992 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4), जो 17 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2577/92]**

(2) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अंतर्गत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तरणताल (अनुज्ञप्ति और नियंत्रण), (संशोधन), विनियम, 1991, जो 23 अक्तूबर, 1991 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 570/स्पे०/सैल (पीएचवयू) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2578/92]**

आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री रंग राजन कुमार मंगलम की ओर से आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 30 —नौवां सत्र, 1987
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2579/92]

(दो) विवरण संख्या 25 —ग्यारहवां सत्र, 1988
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी 2580/92]

(तीन) विवरण संख्या 22 —बारहवां सत्र, 1988
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2581/92]

(चार) विवरण संख्या 22 —तेरहवां सत्र, 1989 आठवीं लोक सभा
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2582/92]

(पांच) विवरण संख्या 15 —पहला सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2583/92]

(छह) विवरण संख्या 16 —दूसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी. 2584/94]

(सात) विवरण संख्या 12 —तीसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2585/92]

(आठ) विवरण संख्या 10 —छठा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2586/92]

(नौ) विवरण संख्या 9 —सातवां सत्र, 1991 नौवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2587/92]

(दस) विवरण संख्या 8 —पहला सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2588/92]

(ग्यारह) विवरण संख्या 5 —दूसरा सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2589/92]

(बारह) विवरण संख्या 3 —तीसरा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2590/92]

(तेरह) विवरण संख्या 1 —चौथा सत्र, 1992 दसवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2591/92]

कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत सूचना

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री पी० जे० कुरियन की ओर से, कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 27 की उपधारा (4) के अंतर्गत कॅयर बोर्ड (सेवा) संशोधन उपविधि, 1990, जो 5 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 385(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इसका एक शुद्धि-पत्र जो 30 अप्रैल, 1998 की अधिसूचना संख्या का०आ० 307(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और 30 जुलाई, 1992 की अधिसूचना संख्या का०आ० 570(अ) (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2592/92]**

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के लिए हुआ समझौता

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं, डा० चिन्ता मोहन की ओर से निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान ओर्गेनिक केमीकल्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2593/92]

(दो) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2594/92]

(तीन) मद्रास उर्वरक लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2595/92]

(चार) राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2596/92]

(पांच) पाइराट्स, फासफेट्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2597/92]

(छह) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2598/92]

(सात) उर्वरक और रसायन त्रावनकोर लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2599/92]

31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यकरण का समेकित प्रतिवेदन आदि।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं, श्री दलबीर सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2599-क]

(2) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 की उपधारा (5) तथा धारा 24 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 2600/92]

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन)

योजना, 1992 जो 20 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 293 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2601/92]

1.46 म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

आंठवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इसके समनुषंगी बैंकों सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के क्षेत्राधिकार में लाने के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.46½ म० प०

कृषि समिति

चौथा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री जे० चौक्का राव (करीमनगर) : मैं कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) सेन समिति प्रतिवेदन के संदर्भ में इस्टर्न इंडिया में कृषि उत्पादकता संबंधी कृषि समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.46¾ म० प०

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

[अनुवाद]

कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखा गया।

श्री प्रबीन डेका (मंगलदाई) : मैं 10 अगस्त, 1992 को सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की हुई बैठक के कार्यवाही सारांश की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.47¼ म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है।

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1992 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 अगस्त, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(दो) "मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बुधवार 12 अगस्त, 1992 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में श्री सोमपाल की राज्य की सदस्यता अवधि समाप्त होने तथा श्रीमति कैलाशपति और श्री संतोष कुमार साहू के उक्त संयुक्त समिति से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के तीन सदस्यों को नियुक्त करे तथा यह प्रस्ताव पारित करती है कि सभा एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार उक्त समिति में रिक्त स्थानों पर अपने सदस्यों में से तीन सदस्यों को नियुक्त करे।"

मुझे यह भी सूचना देनी है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति में विधिवत् नियुक्त किया गया है :—

1. श्री एम० के० टी० रामचन्द्रन
2. श्री शिव प्रताप मिश्र
3. श्री सोमपाल

1.48 म० प०

प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991

संयुक्त समिति में राज्य सभा से एक सदस्य नियुक्त किया जाना

[अनुवाद]

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह राज्य सभा से प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति के लिए श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर के राज्य सभा से सेवा निवृत होने से उत्पन्न रिक्ति में राज्य सभा से एक सदस्य नियुक्त करे और इस प्रकार संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को भेजे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह राज्य सभा से प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति के लिए श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर के राज्य सभा से सेवा निवृत होने से उत्पन्न रिक्ति में राज्य सभा से एक सदस्य नियुक्त करे और इस प्रकार संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को भेजे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, ओलिम्पिक में जिन खिलाड़ियों की हार हुई है उससे सारा देश शर्म महसूस कर रहा है। (व्यवधान) लेकिन मंत्री जी को जरा भी इस बात का ध्यान नहीं है इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : उपाध्यक्ष महोदय, आप इन लोगों को बोलिए। (व्यवधान) देखिए, ये लोग कैसे पोलिटिक्स खेल रहे हैं !

1.50 म० प०

प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनिमयन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया जाना

[अनुवाद]

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा आनुवंशिकी या मैटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग संबंधी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्रीलिंग भ्रूणवध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों का दुरुपयोग का निवारण करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय शीत कालीन सत्र, 1992 के अन्त तक और आगे बढ़ती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग संबंधी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्रीलिंग भ्रूणवध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों का दुरुपयोग का निवारण करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय शीत कालीन सत्र, 1992 के अन्त तक और आगे बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, आप मंत्री जी से इस्तीफा दिलवाइए।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, आप एक अलग सूचना दीजिए।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि आप स्टेट गवर्नमेंट से कहकर कोशिश कीजिए कि स्पोर्ट्स को कन्करेंट लिस्ट में लिया जाए और मैं लेजिसलेशन लाने के लिए तैयार हूं कि कोई पोलीटिशियन या ब्यूरोक्रेट स्पोर्ट्स फेडरेशन का हैड नहीं हो सकेगा। यह हो जाएगा तो फिर मैडल भी आ जाएगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 18 लेते हैं; नियम 377 के अन्तर्गत मामले।

श्री राम नाईक : (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मद संख्या 17 गृह मंत्री, श्री एस० बी० चव्हान द्वारा पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक से संबंधित है। उस मद के संबंध में, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न

उठाना चाहता हूं क्योंकि आपने अगली मद— नियम 377 के अन्तर्गत मामले के लिए कहा है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि मद संख्या 17 का क्या हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री राम नाईक : केवल उसके लिए ही, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमें यह विधेयक दिया गया जिसे आज पुरःस्थापित किया जाना है। किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए, प्रक्रिया के अनुसार, एक प्रणाली है कि हमें विधेयक दो दिन पहले मिलना चाहिए। यदि विधेयक को दो दिन पहले नहीं दिया जा सकता, तो सरकार को उसके कारणों को स्पष्ट करना चाहिए। महोदय, हमें 106 पृष्ठों का यह विधेयक कल मिला था। अध्यक्ष ने अपने स्वविवेक के अन्तर्गत इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। हमें इसकी जानकारी नहीं है कि इसे अनुमति क्यों प्रदान की गई है। अब आप कह रहें है कि वे इसे पुरःस्थापित नहीं कर रहे हैं। जब सरकार लोक सभा अध्यक्ष के पास आती है तो उसे 7 दिन पहले सूचना देनी होती है। सरकार ने ऐसा नहीं किया है। हमें विधेयक दो दिन पहले मिलना चाहिए। लेकिन हमें यह विधेयक दो दिन पहले प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार अब कहती है कि वह अब इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं करना चाहती। अब मैं कौल तथा शकधर की पुस्तक प्रक्रिया तथा व्यवहार" से एक संबंधित अंश उद्धृत करता हूं पृष्ठ 521।

> "किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने के संबंध में कार्यसूची में तब तक प्रविष्टि नहीं की जा सकती जब तक कि पुरःस्थापन की प्रस्तावित तिथि से कम-से-कम दो दिन पहले विधेयक की प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गई हों। अध्यक्ष द्वारा इस शर्त की विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक और ऐसे विधेयकों के संबंध में जो कार्य-सूची में शामिल है उपेक्षा कर दी जाती है। अन्य विधेयकों के संबंध में यदि सम्बद्ध मण्डी अध्यक्ष के विचारार्थ ज्ञापन में इस बात के समुचित कारण बताता है कि सदस्यों को उसकी प्रतियां उपलब्ध कराये बिना विधेयक को क्यों पुरःस्थापित किया जा रहा है, तो अध्यक्ष विधेयक की प्रतियां सदस्यों में बांटने से पहले या बांटनें के थोड़ी देर बाद विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति दे सकता है।"

महोदय हमें यह ज्ञापन दिया गया है। अब सरकार कहती है कि वे इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं करना चाहते। वे सदन से खिलवाड़ कर रहे हैं।

महोदय, यह विधेयक दिल्ली के एक करोड़ नागरिकों से संबंधित है। यह क्या हो रहा है? महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदन का समय बर्बाद करने के लिए गृह मंत्री की प्रताड़ना करें तथा उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के नागरिकों की इसमें बहुत रुचि है तथा अब सरकार कहती है कि केवल दो दिन शेष है। अतः महोदय मेरा आपसे अनुरोध है कि आप गृह मंत्री जी को फटकार लगायें और यदि आवश्यक हो तो संसदीय कार्य मंत्री जी को भी क्योंकि उनके अनुदेशों के अंतर्गत, इस विधेयक को कार्यसूची में शामिल किया गया है। महोदय, अब आपने कहा है कि वे प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपने सचेतक से पूछें और इस पर आगे कार्यवाही न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले।

1.55 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) मध्यप्रदेश में जबलपुर स्थित आयुध कारखानों की प्रौद्योगिकी को उन्नत किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : महोदय, मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित केंद्रीय सरकार के कारखानों को अत्यंत विकट मंदी का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर तोपगाड़ी कारखाना, आयुध कारखाना; खामरिया; ग्रे आयरन फाउंडरी; और वाहन कारखाना तथा अन्य जैसे अपने आयुध कारखानों के लिए प्रसिद्ध हैं।

हाल के वर्षों में इन कारखानों में क्रयादेशों की संख्या में कमी की समस्या बरकरार है। उदाहरण के लिए, वाहन कारखाना, जिसे दिए गए समय में लगभग चार वर्षों के लिए अत्यधिक क्षमता तक कार्य करने के लिए पर्याप्त क्रयादेश मिलने की आशा है, को केवल एक वर्ष या इतने ही समय के लिए सुचारु रूप से कार्य करने हेतु देरी से क्रयादेश मिल रहे हैं। इसी तरह की परिस्थिति का सामना जबलपुर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित अन्य आयुद्ध कारखाने कर रहे हैं।

हालांकि रक्षा खर्च में कटौती इसका एक कारण हो सकता है, किन्तु इसका मुख्य कारण वहां उपयोग में लाई जा रही प्रौद्योगिकी के सुधार न किया जाना है तथा असैनिक बाजार से भी क्रयादेश प्राप्त करने के लिए विभिन्न उत्पाद मिश्रों के लिए यथावश्यक विविधकरण हेतु उपाय न किया जाना है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि कामगारों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों आदि द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के संदर्भ में इसके अध्ययन का कार्य तत्काल वह अपने हाथ में ले ताकि उनकी क्षमतानुसार उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने और उत्पादन में विविधता लाने के लिए विभिन्न उपाय खोजे।

(दो) महाराष्ट्र में यवतमाल, वाणी और जावाला में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राव देवराव पाटील (यवतमाल) : महोदय दूरसंचार के यवतमाल मंडल में, टेलीफोनों के ठीक से काम न करने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। मामले को सदन में उठाया गया था और सरकार ने वर्ष 1992 में यवतमाल, वाणी और जावाला में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केंद्र स्थापित करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस समय इलैक्ट्रानिक मशीनें डी इ टी यवतमाल मुख्यालय में बेकार पड़ी हुई हैं।

अतः, मेरा केन्द्रसरकार से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र में यवतमाल, वाणी और जावाला में शीघ्र इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करें।

(तीन) असम में बोडो सिक्यूरिटी फोर्स से कड़ाई से निपटने की आवश्यकता

श्री प्रवीन डेका (मंगलदाई) : महोदय, बोडो सुरक्षा बल के उग्रवादियों द्वारा 18 जुलाई, 1992 को असम के दारांग जिले में गुलान्दीहाबी में आठ व्यक्तियों की हत्या किये जाने से स्पष्ट है कि वे लोग विवादास्पद बोडो भूमि के मसले पर कितना खून बहा सकते हैं। जब से दारांग जिले में 1987 में इस बोडो सुरक्षा बल का गठन हुआ है, इसने हिंसा का रास्ता ही अपनाया है और इसके दूरगामी

परिणामों की जरा भी चिन्ता नहीं की है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अंधाधुंध हत्याओं की आवृत्ति ने असम के बोडो प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में खतरे की घण्टी बजा दी है। उल्फा से भिन्न, यह अपने संगठनात्मक ढांचे के कारण अपनी गतिविधियों का प्रचार नहीं करता। एन० एस० सी० एन० और क्षेत्र में अन्य विद्रोही इकाइयों के साथ इसके सम्बन्ध और 'शस्त्र युद्ध' के माध्यम से बोडो प्रभुत्व वाले क्षेत्र को 'स्वतन्त्र' कराने के उद्देश्यों की इसकी घोषणा भी गम्भीर चिन्ता का कारण होनी चाहिए। हाल ही में सेना ने 'हनीकोम्ब' और 'एपलकार्ट' फूट नाम से दो अभियान शुरू किये हैं। बोडो सुरक्षा बल त्रिपक्षीय वार्ता की धीमी गति से असन्तुष्ट उदारवादी समूहों के आक्रोश का फायदा उठा रहा है तथा वह इसके साथ ही ए० बी० बी० यू०—बी० पी० ए० सी० को पहल करने के अधिकार से भी वंचित करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी, ए० बी० एस० यू० ने इसी प्रकार से पी० टी० सी० ए० से पहल की थी। यह नरसंहार सम्भवतः इस समय जारी वार्ता में अड़चनें डालने के लिए किया गया है। अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह बोडो सुरक्षा बल के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे क्योंकि बोडो सम्बन्धी विवाद के शीघ्रातिशीघ्र समाधान की दृष्टि से त्रिपक्षीय वार्ता को फिर शुरू किया जाना आवश्यक है।

(चार) देश में आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री सम्बन्धी निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, यूनीसेफ के कथित सर्वे के आधार पर केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10-11-87 को एक आदेश जारी कर नमक निर्माताओं के लिए नमक में आयोडीन की एक निश्चित मात्रा मिलाना अनिवार्य कर दिया। आम नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया। अब सभी जगह यही नमक मिलता है और खाया जाता है।

हर व्यक्ति के लिए देश, काल, व्यवसाय, परिस्थिति, उसका प्रदेश और जलवायु पर आयोडीन की मात्रा निर्भर करती है। हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ न्यूट्रीशन और अकादमी आफ न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट नागपुर के अध्यक्ष ने विरोध किया है। कई वैज्ञनिकों ने भी विरोध किया है। सरकार ने आयोडीनयुक्त नमक सम्बन्धी कार्यक्रम तथ्यों की जांच और बिना पूर्व वैज्ञानिक शोध के शुरू किया है। परन्तु इसका प्रचार रात-दिन दूरदर्शन, समाचारपत्रों पर विज्ञापन एवं शहरों में परचे, पोस्टरों के जरिए जारी है।

आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग असम के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देश के कई इलाकों में आयोडीन मिले नमक को खाने के बाद भी घेंघा रोग तेजी से फैल रहा है। इसका कारण जितनी मात्रा में रोगी को आयोडीन चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में आयोडीन का उसके शरीर में पहुंच जाना है। 1988 की संयुक्त राष्ट्र की सब कमेटी आफ न्यूट्रिशन ने कहा कि 40 साल से अधिक उम्र के लोगों पर आयोडीन की मामूली सी अधिकता भी गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

इन नमक की थैलियों पर नहीं लिखा होता कि आयोडीन की मात्रा व उसका प्रभाव समाप्त होने की तारीख क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार नमक की थैलियो में आयोडीन का असर 6 माह से अधिक समय तक नहीं रहता है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इसकी जांच कराए एवं सारे देश में आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री अनिवार्य करने के बजाए इसे केवल घेंघा प्रभावित क्षेत्रों तक सीमित रखा जाए।

2.00 म० प०

(पांच) मुम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मुम्बई उच्च न्यायालय में भारी संख्या में मुकदमे लम्बित पड़े हैं। 30 जून, 1992 को डेढ़ लाख से अधिक मुकदमे विचाराधीन थे। इससे वे लोग, जिनके मुकदमे चल रहे हैं, निराश हो गये हैं और उनकी न्यायिक प्रणाली से आस्था उठ गई है। "विलम्बित न्याय का अर्थ है न्याय नहीं किया गया" उक्ति चरितार्थ हो गई है। मुम्बई उच्च न्यायालय के 48 न्यायाधीशों के पदों में से 16 पद रिक्त पड़े हैं और 5 न्यायाधीश शीघ्र ही सेवा निवृत्त होने वाले हैं। इस तरह कुल मिलाकर 21 पद रिक्त हो जाएंगे। इनके अतिरिक्त 18 और पदों का सृजन किया गया है लेकिन उन पदों पर नियुक्ति के लिए अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। इस प्रकार 39 न्यायाधीश नियुक्त किए जाने हैं। मेरा प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस समस्या की ओर ध्यान दें और प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाएं ताकि 39 न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सके और मुम्बई उच्च न्यायालय में लम्बित डेढ़ लाख मामलों से सम्बन्धित लोगों को न्याय मिल सके।

(छः) बिहार के विक्रमगंज क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य का विक्रमगंज इलाका कृषि का इलाका है। इस क्षेत्र में बसने वाले अधिकतर लोग किसान और खेतिहर मजदूर हैं। उनकी जीविका का एकमात्र आधार कृषि है। कृषि क्षेत्र में रहने वाले किसानों और खेतिहर मजदूरों का अधिकतर समय बेकार में बीतता है। उन्हें रोजी और रोजगार के अभाव में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है फलस्वरूप वे बेकारी और गरीबी का शिकार हो जाते हैं। यह क्षेत्र ऐसा है कि यहां किसी प्रकार का सरकारी उद्योग नहीं हैं और न ही निजी उद्योग है। इलाका उद्योग विहीन है। इस क्षेत्र में बसने वाले लगभग पच्चीस लाख लोगों का जीवन बड़ा कष्टकर हो गया है। रोजगार विहीन हो जाने से अपराधियों और असामाजिक तत्वों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लोगों का झुकाव नक्सलवाद और उग्रवाद की ओर बढ़ रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र का सर्वे कराकर एक रोजगारोन्मुख बड़ा, मध्यम और छोटे उद्योग की तत्काल स्थापना की जाए और उक्त उद्योग संस्थान में बेकार बैठे मजदूरों और शिक्षित नवयुवकों को नियोजित कर इस क्षेत्र को उग्रवाद और नक्सलवाद के प्रभाव से मुक्त किया जाए।

(सात) गुजरात में मिथाइल अल्कोहल के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त फर्मों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री एन० जे० राठवा (छोटा उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रालय द्वारा गुजरात की कुछ फर्मों को मिथाईल एल्कोहल बनाने के लिए लायसेंस दिया गया है। गुजरात राज्य में काफी गैस एक्सेस है, जिसको बेकार में दहन कर दिया जाता है और इसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। किन्तु पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अब तक गुजरात की फर्मों को प्राकृतिक गैस का आवंटन नहीं किया जा सका है, जिस कारण वे मिथाईल एलकोहल का उत्पादन नहीं कर पा रही है। यदि पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा मिथाईल

एल्कोहल के उत्पादन किए जाने हेतु फर्मों को प्राकृतिक गैस का आवंटन कर दिया जाता है, तो फिर ये फर्में मिथाईल एल्कोहल का उत्पादन कर सकेंगी और मिथाईल एल्कोहल को डीजल में मिक्स करके काफी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी।

इसलिए मैं समझता हूं कि जब केन्द्र सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा गुजरात राज्य स्थित कुछ फर्मों को मिथाईल एल्कोहल बनाए जाने हेतु लायसेंस प्रदान कर दिया गया है तो फिर पैट्रोलियम मंत्रालय को तत्परता के साथ इन फर्मों को प्राकृतिक गैस का आबंटन किया जाना चाहिए ताकि ये फर्में मिथाईल एल्कोहल का उत्पादन कर सकें और भारत को विदेशी मुद्रा की बचत करा सकें। इससे जहां विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी, वहीं गुजरात राज्य में जो भरपूर मात्रा में गैस है और वह बेकार जाती है, उसका सदुपयोग हो सकेगा और ये फर्में मिथाईल एल्कोहल (मीथा-नोल) का उत्पादन कर सकेंगी। इन फर्मों के चलने से बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिल सकेगा।

अत: मेरा माननीय पैट्रोलियम मंत्री जी से अनुरोध है कि वे गुजरात राज्य की उन फर्मों को जिन्हें मिथाईल एल्कोहल के लिए केन्द्र सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा लायसेंस दिया गया है, यथाशीघ्र गैस आवंटन किया जाए।

(आठ) **महाराष्ट्र के अकोला जिले में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री अनंतराव देशमुख (वासिम) : महोदय, महाराष्ट्र के अकोला जिले के रिसोद, वाशिम और मालेगांव शहरों की जनता बड़े लम्बे समय से यह मांग करती आ रही है कि उन्हें एस० टी० डी० टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाये। एस० टी० डी० टेलीफोन सुविधा के लिए आवश्यक इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज, एम० एस० टी० डी० सुविधा आदि सुविधायें इन स्थानों पर पहले ही उपलब्ध हैं। (एक) वाशिम में 120 लाइनों वाले 8 मेगावाट माइक्रोवेव टावर (दो) रिसोद और मालेगांव में 30 चैनल वाले वी एच एफ टावर (तीन) रिठाड में 10 चैनल वाले डिजीटल वी एच एफ टावर जैसे कुछ और उपस्करों की व्यवस्था द्वारा, उपरोक्त स्थानों पर एस० टी० डी टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसलिए, मैं माननीय संचार मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को प्राथमिकता देकर आरम्भ कराया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यद्यपि इस सत्र की समाप्ति में केवल दो दिन शेष हैं, तथापि कई माननीय सदस्यों को प्रश्नकाल में सम्मिलित नहीं किया जा सका। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे थोड़ा समय लें और अपनी बात संक्षेप में कहें ताकि उनमें से कई सदस्य इसमें भाग ले सकें।

अब सभा 3.00 म० प० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.06 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई

3.04 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 3.04 म० प० पुनः समवेत हुई।

[श्री पीटर जी० मरवीनआंग पीठासीन हुए]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक*—

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक लेंगे। वित्त मंत्री महोदय विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा नियुक्त बैंककारी विनियमों और पर्यवेक्षण प्रथाओं संबंधी समिति ने वाणिज्य बैंकों के लिए कतिपय पूंजीगत पर्याप्तता संबंधी मानक निर्धारित किये हैं। कई देशों द्वारा क्रियान्वयन के लिए इन मानकों को स्वीकार किया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक के मानक जोखिम की सम्भावना में परिसम्पतियों और पूंजी के अनुपात के रूप में, पूंजीगत पर्याप्तता को जाँचना चाहते हैं। इस प्रयोजनार्थ परिसम्पतियों की विभिन्न श्रेणियों के अधिमान नियत किये गये हैं। जिस मानक के बारे में सिफारिश की गई है उसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित बैंकों को पूंजी को जोखिम की सम्भावना वाली परिसम्पतियों के 8 प्रतिशत के अनुपात के हिसाब से जुटाना आवश्यक है।

श्री एम० नरसिम्हन की अध्यक्षता में वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति ने पिछले वर्ष सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि भारत में बैंकों की पूंजीगत पर्याप्तता के लिए चरणबद्ध तरीके से अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक के मानदण्डों को प्राप्त करना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया है कि जिन भारतीय बैंकों की शाखायें विदेशों में हैं, उन्हें यथाशीघ्र और किसी भी तरह से मार्च 1994 तक मानदण्ड का अनुपालन करना होगा। अन्य बैंकों को सलाह दी गई है कि उन्हें 31 मार्च, 1993 तक पूंजीगत पर्याप्ता के मानदण्ड का तथा 31 मार्च, 1996 तक 8 प्रतिशत के मानदण्ड का पालन करना चाहिये।

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूंजीगत पर्याप्तता उपायों के संबंध में विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किये हैं। उक्त मार्गनिर्देशों के अनुसार, भारतीय बैंक जिनकी शाखाएं विदेश में हैं, उन्हें यथाशीघ्र 31 मार्च, 1994 तक 8 प्रतिशत के मानदण्ड का अनुपालन करना चाहिए। अन्य बैंकों को यह निदेश दिया गया है कि उन्हें 31 मार्च, 1993 तक 4 प्रतिशत के मानदण्ड का तथा 31 मार्च, 1996 तक 8 प्रतिशत के मानदण्ड का पालन करना चाहिए। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तदानुसार

* दिनांक 19-8-1992 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

सलाह दी गई है कि वे निर्धारित स्तर की तुलना में पूंजीगत निधियों के वर्तमान स्तर की पुनरीक्षा करें और चरणबद्ध तरीके से इसे बढ़ाने हेतु व्यवस्था करे ताकि निर्धारित अवधि के अन्त तक नियत अनुपात प्राप्त किया जा सके।

जमापूंजियों और अग्रिमों में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, विभिन्न संचालनात्मक बाधाओं के कारण, बैंकों के लिए अपेक्षित स्तर तक अपनी निधि बढ़ाना सम्भव नहीं है। लाभप्रदता का निम्न स्तर तथा प्रावधान के लिए समझदारीपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता उनकी निधियों को बढ़ाने के लिए उनके पास बहुत कम पूंजी छोड़ती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि किये जाने की तुरन्त आवश्यकता है। वर्ष 1985 में प्रदत्त पूंजी की सीमा 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये की गई थी और बाद वर्ष 1988 में इसे 500 करोड़ रुपये किया गया था। इस समय प्रदत्त पूंजी की अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपये है। एक बैंक की प्रदत्त पूंजी इस स्तर तक पहले ही पहुंच गई है। कुछ और बैंक भी इस वर्ष में इस स्तर तक पहुंच जायेंगे। इसलिए, प्रदत्त पूंजी के स्तर को बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए, सभा में प्रस्तुत किया गया विधेयक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) (क) और धारा 9(2) (क) का संशोधन करके राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रदत्त पूंजी की सीमा बढ़ाना चाहता है। इस विधेयक में प्रदत्त पूंजी की अधिकतम सीमा को वर्तमान 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये करने का उपबंध किया गया है। इससे सरकार को प्रदत्त पूंजी में और अधिक योगदान द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजीगत आधार को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। यह विधेयक किसी प्रकार के नीतिगत परिवर्तनों की बात नहीं करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा अधिकतम सीमा पहले दो बार वर्ष 1985 और 1988 में बढ़ाई गई थी।

इन शब्दों के साथ मैं सभा में विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : विचारार्थ प्रस्ताव में संशोधन आये हैं। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 23 अक्तूबर, 1992 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 23 अक्तूबर, 1992 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।" (2)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो० रास सिंह रावत—अनुपस्थित। श्री मोहन सिंह—अनुपस्थित। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—अनुपस्थित।

श्री चेतन पी० एस० चौहान (अमरोहा) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। इस संशोधन की लम्बे समय से आवश्यकता थी, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि कुछ बैंक 500 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा पहले ही पार कर चुके हैं और इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी 500 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये करने की आवश्यकता थी। अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कारण भी यह आवश्यक हो गया है, जिसने बैंकों की पूंजी बढ़ाने की, विशेष रूप से विदेशों में संचालित बैंकों की, कई देशों से सिफारिश की थी। तदनुसार पूंजी की तुलना में जोखिम सम्पदा के प्रतिशत को बढ़ने के लिए कहा गया है। जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, वे है कि बैंकों को 1993 तक 4 प्रतिशत और मार्च 1996 तक 8 प्रतिशत के मानदण्ड तक पहुंचना चाहिए। मुझे इस सम्बन्ध में अनेक सन्देह हैं कि इस पूंजी को किस प्रकार प्राप्त किया जायेगा। अभी तक बैंको की बढ़ाई गई पूंजी को सरकार के अंशदान से जुटाया जाता रहा है। पिछले वर्ष 1985 से 1990-91 तक भारत सरकार ने लगभग 2600 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है। पिछले वर्ष 1991 में भी भारत ने बैंकों को 700 करोड़ रुपये प्रदान किये थे। इस वर्ष भी बजट में 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेरी आशंका यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में निरन्तर कमी आते रहने से सरकार पर भार बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार, यह सही समय है कि सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक तथा निजी बैंकों के कार्यकरण की जांच करे।

केवल चार प्रकार से पूंजी को बढ़ाया जा सकता है। पहला सरकार का अंशदान, दूसरा लाभ, तीसरा मैं समझता हूं सम्पदाओं का पुनर्मूल्यांकन और चौथा बाजार से धन अथवा ईक्विटी की वसूली। हाल ही में हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक में वित्त मन्त्री महोदय ने संकेत दिया है कि बैंक पूंजी बढ़ाने के लिए बाजार में जा सकते हैं।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात है लाभ। लाभ बढ़ने के बजाय घट रहा है। बैंकों पर बहुत अधिक दबाव है। जो लाभ पूंजी से होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। अनुमानत: लगभग 200 करोड़ रुपये का लाभ राष्ट्रीयकृत बैंकों से सरकार के पास जाता है।

मुझे एक अन्य डर उन भ्रष्टाचारों के बारे में है जो बैंककारी प्रणाली में आ गये हैं। नित्य हम बैंक के संचालकों अथवा बैंक अधिकारियों तथा ग्राहकों के बीच सांठ-गांठ के बारे में सुनते हैं। इसके कारण बैंकों को काफी नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसी विभाग में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है तो वह सतर्कता विभाग में हुई है। जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है तब से सतर्कता विभाग के कार्मिकों की संख्या में चौगुनी वृद्धि हुई है, लाभ में कमी का कारण राजनैतिक भी रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में ही नहीं, परन्तु इससे पहले कि सरकार यथा कांग्रेस सरकार ने ऋण मेलों का आयोजन किया था। ऋण मेलों के कारण काफी मात्रा में धनराशि लोगों को प्रदान की गई थी जो वापिस नहीं हुई। वस्तुत:, मुझे अभी भी याद है कि 1983 के आस-पास बंगलौर में ऋण मेले लगाये गये थे जहां बैंक के चेयरमैनों को उन लोगों के साथ जलूस में जाने के लिए कहा गया था जिन्हें ऋण दिया गया था। मुझे विश्वास है कि सरकार की इस प्रकार की योजनाओं अथवा गलत नीतियों से बैंकों को भारी

नुकसान होगा। उसी प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने छोटे किसानों को 10,000 रु० तक के ऋण से मुक्त कर दिया था। इसके कारण भी काफी हानि हुई। इस नुकसान के कारण कुछ बैंकों की पूंजी कम हो गयी है और इसके परिणामस्वरूप सरकार को बैंकों को अंशदान देना पड़ा।

दूसरी बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं— जैसा कि मैंने घोटाले के बारे में कहा था, वह है— मैंने 23 वर्ष तक बैंकों में कार्य किया है— कि कुछ बैंकों में नीतियां काफी परेशान करने वाली हैं। यह देखा गया है कि किसी एक विभाग में किसी एक स्थान पर अधिकारी 10 वर्ष अथवा 15 वर्षों तक काम करते रहते हैं। विशेष रूप से विशेषज्ञ अधिकारी इस पर बहुत समय से कार्यरत हैं और इसी कारण उनमें यह सम्बन्ध बन गया है।

मैं वित्त मन्त्री को यह सुझाव देता हूं कि इस प्रकार की विशेषज्ञों की प्रणाली को खत्म किया जाये। यदि उन अधिकारियों को जो विशेषज्ञ कार्यों को अन्जाम देते हैं, उनकी चक्रवार नियुक्ति की जाये तो निश्चय ही यह बैंकों के कार्यकरण में सहायक होगी।

एक अन्य प्रश्न जो कि बहुत ही आम है और जिसकी जानकारी न केवल मुझे है अपितु कई संसद सदस्यों को भी दी गई है कि बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती पर 1985 से रोग लगा दी गई है। अब इसकी अनुमति दी गई है और प्रतिवर्ष केवल एक प्रतिशत कर्मचारियों के भर्ती की अनुमति दी गई है। भर्ती का यह एक प्रतिशत बहुत ही कम है क्योंकि पिछले सात वर्षों में बैंकों द्वारा कई शाखाएं खोली गई हैं और कई कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो गये हैं। कई कर्मचारी दिवंगत हो चुके हैं और कई लोगों ने बैंकों को छोड़कर किसी अन्य संगठन में नौकरी कर ली है।

एक अन्य प्रश्न जो यहां उठाया गया है वह लेखाओं का तुलन-पत्र तैयार करने और इनके मिलान के सम्बन्ध में है। इसमें लगभग 2,40,000/- करोड़ रुपयों की राशि अन्तग्रस्त है जिसका तुलन-पत्र तैयार करने और मिलान न करने के कारण उपयोग नहीं किया जा रहा है। कुछ मामलों में मिलान सम्बन्धी कार्य दस वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। यह एक अच्छी व्यवस्था को नहीं दर्शाता है। बट्टे खाते ऋणों और संदिग्ध ऋणों की वसूली में भी कमी आई है। वसूली केवल 60 प्रतिशत है। 40 प्रतिशत ऋण अशोध्य और उनकी वसूली संदिग्ध होती जा रही है। मैंने विशेष अदालतों की स्थापना का प्रश्न भी उठाया था और मुझे यह उत्तर मिला कि बैंक का विशेष अदालतों की स्थापना करने का विचार नहीं है। अब प्रतिभूति घोटाले की जांच के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की गई है, वित्त मन्त्री से मेरा यह अनुरोध है कि इस पर भी विचार किया जाये। मुझे लम्बित पड़ी राशि की जानकारी नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न किया था परन्तु मुझे जानकारी नहीं दी गई। मेरे विचार से ऋणों के रूप में करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि यदि इन विशेष अदालतों की स्थापना की जाये तो बहुत समय से लम्बित पड़े मामलों के सम्बन्ध में विशेष अदालतों द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी और बहुत से मामलों को निपटाया जा सकेगा और इस राशि की वसूली भी हो पायेगी।

इससे पहले मैंने एक अन्य सुझाव भी दिया था कि बैंक की औसत आय लगभग 10 प्रतिशत मात्र है क्योंकि बैंक केवल 4 प्रतिशत की दर से धन उपलब्ध कराते हैं। बैंकों को अपनी जमा राशि का 40 प्रतिशत वरीयता क्षेत्र को ऋण के रूप में देना होता है। इसीलिए औसत आय केवल 10 प्रतिशत है। मैंने इससे पहले वित्त मन्त्री को यह सुझाव भी दिया था कि केन्द्रीय/राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों

को विदेशी बैंकों में राशि जमा कराने की अनुमति न दी जाये क्योंकि विदेशी बैंक भारतीय व्यापार से कारोबार का सर्वोत्तम अंश ले जा रहे हैं और इस प्रकार जो शेष बचता है वह राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलता है। यदि सरकारी उपक्रमों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही अपनी पूंजी जमा करने के लिए बाध्य किया जाए तो निश्चय ही राष्ट्रीयकृत बैंक भी अच्छा कारोबार कर पाएंगे और लाभ भी कमाएंगे।

एक अन्य प्रश्न बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी का है, जिससे सभी चिन्तित हैं। इस प्रश्न पर इससे पहले भी मैंने सुझाव दिया था। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाना चाहिए अपितु कम से कम बार-बार चक्रवार स्थानान्तरण तो किया जाये और लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, पर्यवेक्षण अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियों और इसी तरह अन्यों के चक्रवार स्थानान्तरण के आदेश पारित किए जाएं। वेतनमान श्रेणी चार के अधिकारियों का क्षेत्रीय कार्यालयों में और इनसे उच्च कार्यालयों में एक बैंक से अन्य बैंक में स्थानान्तरित करने का एक प्रस्ताव था। यह एक अच्छा सुझाव है परन्तु किसी तरह इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ छोटे बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास विदेशी मुद्रा अथवा अग्रिमों और शेयर व्यापार निवेश आदि से भी सम्बन्धित अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं है। ये बहुत ही विशेषज्ञता वाले क्षेत्र हैं और इस तरह यदि क्षेत्रीय प्रबन्धकों और उनसे उच्च अधिकारियों का एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानान्तरण किया जाता, तो निश्चय ही विशेषज्ञता को एक बैंक से अन्य बैंक में पहुंचाया जा सकेगा। यह व्यापार को बढ़ाने में सहायक होगा और इससे विशेष रूप से पोर्टफोलियो अग्रिम ऋणों में अभिवृद्धि भी होगी।

परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बेशक खानापूर्ति ही होगी। इससे बैंक को बहुत अधिक राशि नहीं मिलेगी। परन्तु फिर भी परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से केवल तीन-चार बड़े-बड़े बैंकों, जिनके पास परिसम्पत्तियां हैं, को ही लाभ मिल सकेगा। इस तरह से पुनर्मूल्यांकन ही पर्याप्त नहीं होगा। बाजार से ऋण लेना, जिसके बारे में वित्त मन्त्री ने अभी-अभी कहा है, बहुत ही अच्छा सुझाव है। बैंकों को बाजार से उधार लाने को कहा जाये। परन्तु ऐसी स्थिति में मुझे, बैंकों पर नियन्त्रण के कम होने का डर है। निस्सन्देह, अपेक्षित राशि भी अत्यधिक है। अपेक्षित राशि को परिसम्पत्तियों का 8 प्रतिशत करना जोखिमपूर्ण सम्पत्तियों के लिए अपेक्षित पूंजीगत अनुपात लगभग 10,000 करोड़ रुपये होगा। सरकार को अपनी अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए बाजार से धन प्राप्त करना ही एकमात्र तरीका होगा।

बैंकिंग उद्योग में क्या हुआ है? यहां मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा :

> "भारत में बैंकिंग प्रणाली सामाजिक गतिविधियों पर आधारित है जबकि उसे वाणिज्यिक बताया जाता है और बैंकों की ऋण-नीतियां भी सरकार के सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप हैं। छूट मिलने पर बैंकों वरीयता के क्षेत्रों, में निवेश करने से हिचकेंगे। जहां वसूली का औसत 10 प्रतिशत से भी कम है और गैर-वसूली का प्रतिशत अत्यधिक है परन्तु बैंकों पर लागू किया गया 40 प्रतिशत का लक्ष्य उन्हें अपने लाभ के साथ समझौता करते हुए इन क्षेत्रों में ऋण देने को बाध्य करता है। बैंकों में लाभ को बढ़ाने वाले (जमा दरों में वृद्धि के द्वारा और प्रबलित) निधियों की लागत पर अत्यधिक भार पड़ा है..."

मैं यहां एक अन्य बात का उल्लेख करना चाहूंगा, यह बताया गया है कि विगत में बैंकों ने इसी अपनी पूंजी को बढ़ाने की कोई परवाह नहीं की कि बैंक तो सरकार के हैं और किसी प्रकार की हानि

अथवा कोई अन्य दबाव जो बैंकों पर पड़ता है उसे सरकार द्वारा उठाया जाता है। इसके अलावा बैंक अधिकांशत: समाजोन्मुखी रहे और जबकि उन्हें वाणिज्यिक कहा जाता है, सही मायने में वे वाणिज्यिक बैंक नहीं हैं। इस प्रकार पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रही। परन्तु अब ये मानदण्ड निर्धारित किये जा चुके हैं, पूंजी का बढ़ाना निश्चय ही बैंकों के लिए मददगार होगा। साथ ही, वे बैंक जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय शाखाएं हैं, को निश्चय ही और अधिक धन की आवश्यकता होगी। कुछ छोटे बैंकों अथवा कुछ राष्ट्रीयकृत छोटे बैंकों को दूसरे बैंकों में मिला देने का सुझाव भी एक अच्छा विचार है क्योंकि यह हमारे बैंकों को, विशेषकर जब वे अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों से स्पर्धा कर रहे होंगे, मजबूत बनायेगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ हमारी सांझेदारी और स्पर्धा को बढ़ाने में मददगार होगा।

एक अन्य बात जिसे मैं यहां बताना चाहूंगा वह यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशों में घाटे पर चल रही कुछ शाखाओ को बन्द करने का निदेश दिया गया है। मेरा यह कहना है कि इनमें से कुछ बैंकों के पास विशेषज्ञता नहीं है। यह भी एक अच्छा विचार है, यदि कुछ बैंक मिल जाएं अथवा यदि सरकार भारत से बाहर कार्यरत सभी बैंकों की शाखाओं का एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में विलय करके एक विश्व स्तर के बैंक की स्थापना का विचार करती है और विदेशों में इनका कार्य संचालन करती है और यदि ऐसा किया जाता है तो इससे निश्चय बैंकों को बहुत बल मिलेगा। इससे अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ हमारी स्पर्धा में भी अत्यधिक सहायता मिलेगी।

मैं एक अन्य बात का यहां उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे पास कई लोग आए हैं और उन्होंने ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता जताई है। सरकार ने समिति नियुक्त की है। मेरे विचार से नाबार्ड अथवा राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान ने इन बैंकों के कार्यकरण की शर्तों की जांच की है। यदि सरकार ग्रामीण उद्योग के लिए एक अलग बैंक बना सके तो पुन: यह एक अच्छा विचार होगा। यह देश की ग्रामीण जनसंख्या की देखभाल करेगा, क्योंकि सामान्यता यह देखा जाता है कि कोई बैंक, विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंक यदि एक गांव में कोई शाखा खोलता है, तो लगभग दो या तीन वर्षों तक यह घाटे में चलता है। यह अधिक समय तक भी चलता रह सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक शाखा खोलने के लिए निर्धारित मानदण्डों के कारण से इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को अत्यधिक घाटा हो रहा है। कर्मचारियों के ग्रामीण क्षेत्रों में जाने में समस्याएं हैं। यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा कोई पृथक बैंक बनाया जाता है, तो मुझे भरोसा है कि इससे न केवल वहां स्थित बैंकों को ही, बल्कि ग्रामीणों और किसानों को भी अच्छी भली सहायता मिलेगी क्योंकि वहां लोग उपलब्ध होंगे।

बैंकों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या उस समय आती है जब लोगों को ग्रामीण शाखाओं में स्थानांतरित किया जाता है, और वे वहां पर रुकने के लिए इच्छुक नहीं होते। लोग बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं तथा वे वहां से इन शाखाओं में आते हैं। उन्हें ऐसे स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जाता। इस तरह से बैंकों के काम पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

इन शब्दों के साथ, मैं बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं उस समय जब मन्त्री जी उत्तर देंगे कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : मैं इस बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 1992 का समर्थन करता हूं। यह विधेयक राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रदत पूंजी की ऊपरी सीमा बढ़ाने के बारे में है।

बैंकों के कमजोर पूंजीगत ढांचे की समस्या ने यहां और विदेशों दोनों जगह वित्तीय समुदाय को चिन्ता में डाला है। अपर्याप्त पूंजीकरण और सामान्यतः प्रतिकूल अधिग्रहण और वित्तीय अस्थिरता बैंकों की विफलता के मुख्य कारण है। यह आमतौर पर माना जाता है कि भारतीय बैंकों के पास पूंजी कम है।

पारस्परिक रूप से, पूंजी जमा करना, ऋण देना अथवा ब्याज भुगतान करना ही बैंकों का मुख्य कारोबार रहा है। लेकिन अस्सी के वर्षों में वित्तीय विनियमों को काफी हद तक समाप्त करने और संचार प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ ही बैंक कार्यों का स्वरूप ही बदल गया है। अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक दबाव आ गये हैं बैंकों को अब प्रत्याभूतियों का लेन-देन करने, दलाली, पोर्टफोलियो, प्रबंधन सेवाओं, बीमांकन और सहायक नकदी प्रदान करने जैसे व्यापारिक बैंककारी कार्यों से ब्याज प्राप्ति के स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से होने वाली आय में वृद्धि होती जा रही है। ऋण के अधिकांश हिस्से और नकदी पर तुलन-पत्र मद से बाहर खर्ची किया जा रहा है जिसका प्रदर्शन कम से कम होता है।

यह एक सर्वसम्मत बात है कि निधि के सप्लाईकर्ता और उपभोक्ता की आवश्यकता के अधिकाधिक अनुरूप होने के लिए इस तंत्र में सुधार की आवश्यकता है। बासले स्थित अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, जो कि केन्द्रीय बैंकर है, ने 1988 में बैंककारी विनियमन और पर्यवेक्षण प्रथाओं सम्बन्धी एक समिति गठित की थी जिसमें केन्द्रीय बैंकों के कतिपय गवर्नर शामिल थे। इस समिति में मानकों का एक व्यापक आधार ढांचा तैयार किया गया जिसे बी० आई० एस० स्टैन्डर्ड के नाम से जाना जाता है। इन्हें विश्व में सभी बैंक विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी बैंक अपनाते हैं।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम का संशोधन आवश्यक हो गया है, चूंकि 1970 और 1980 के मूल अधिनियमों में पूंजी संबंधी ऊपरी सीमा 100 करोड़ रुपये रखी गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 1988 में 500 करोड़ रुपये कर दिया गया। सरकारी क्षेत्र ने बैंको द्वारा अधिक जमा पूंजी जुटाने और ऋण देने से, जब तक वर्तमान 500 करोड़ रु० की सीमा को बढ़ाया नहीं जाता, तब तक आठ प्रतिशत पूंजी पर्याप्त अनुपात प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा। और इस विधेयक में इस सीमा को 1500 करोड़ रु० बढ़ाने का प्रावधान है।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक मानक में पूंजी की परिभाषा दी गई है जो कि पूंजी की गुणवत्ता पर आधारित है और पूंजी को दो भागों में बांटा गया है अर्थात् टिअर—एक अथवा मूख्य पूंजी और टिअर—दो अथवा पूरक पूंजी। और एक प्रावधान यह भी है कि पूरक पूंजी मुख्य पूंजी से अधिक नहीं हो जानी चाहिए।

आस्ति पक्ष का जहां तक सम्बन्ध है, निधि और गैर-निधि वाली प्रत्येक आस्ति के साथ जोखिम पक्ष होता है। और आस्तियों के समस्त जोखिम समायोजित मूल्य को पूंजी अनुपात निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन इसे निकालने से पूर्व भारतीय बैंकों को अपने वर्तमान पोर्टफोलियो आस्तियों का वस्तुपरक मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कौन-सा ऋण वसूल हो सकने वाला है और कौन-सा संदिग्ध है और इसे बट्टे खाते में डालने की संभावना है। वित्तीय प्रणाली सुधार सम्बन्धी नरसिम्हन समिति ने अध्याय पांच में अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक मानक और पूंजी पर्याप्त अनुपात तथा अस्ति स्पष्टीकरण अवधारणा का आमतौर पर समर्थन किया है। तथापि, इसने सिफारिश की है कि इस मानक को भारतीय स्थितियों के अनुकूल होने के लिए कुछ समायोजन कर दिये जाने के बाद चरणबद्ध तरीके से अपनाया जाना चाहिए।

महोदय, मैं गैर-सरकारी बैंकों—यह विधेयक तो सरकारी क्षेत्र के बैंक के बारे में भी है— के पास "पूंजी की भारी कमी के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूं। गैर-सरकारी बैंकों के पास पूंजी की कमी एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। बहुत से छोटे बैंक बड़े एकाधिकारवादी और औद्योगिक घरानों के कब्जे में आते जा रहे हैं। बैंक आव सांग्ली को मित्तल द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है; मदुरै बैंक को कोटक महिन्द्रा ले रहे हैं; बैंक ऑव राजस्थान का बांगुर्स कब्जा रहे हैं; सिरीयन कैथोलिक बैंक का अधिग्रहण बिरला कर रहे हैं; और नेडुनगाली बैंक को इस समय के प्रसिद्ध एफ०एफ०एस०एल० ले रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि बैंक आव कराड में हेरा-फेरी और उस पर कुछ दलालों का नियंत्रण इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इसकी प्रदत्त पूंजी केवल 30 लाख रु० थी और यह बैंक 80 करोड़ रु० का कारोबार कर रहा था। और समूचा राष्ट्र जानता है कि जब वित्तीय और औद्योगिक घराने छोटे-छोटे निजी क्षेत्र के बैंकों पर कब्जा करते हैं, तो क्या होता है और हमने देखा है कि कुछ बैंकों ने इस देश के समूचे वित्तीय तंत्र के साथ वास्तव में क्या खिलवाड़ किया और इसे तबाह किया। इसलिए, बैंकों को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार को गंभीर होकर सख्त दिशा-निर्देश जारी करने होंगे जो कि बैंकों के नियन्त्रण की सामाजिक आवधारणा के विपरीत है और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया था, की भावना के विपरीत है।

महोदय, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की चर्चा से कुछेक मुद्दे उठते हैं। भारत में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यरत बैंकों के स्वरूप से भिन्न है। पूंजीकरण का मामला चिन्ता का विषय नहीं रहा है। भारत में बैंकों को पूरी तरह से सरकार का समर्थन मिलता है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यरत बैंकों को ये मानक शीघ्रातिशीघ्र मानने पड़ेंगे।

नरसिम्हन समिति ने एक सांविधिक विदेश बैंककारी निगम स्थापित करके विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है। भारतीय स्टेट बैंक और कुछ तीन या चार बड़े बैंकों—न कि हमारे यहां के सम्प्रति कार्यरत बहुत से बैंकों—को अन्तर्राष्ट्रीय बैंककारी गतिविधियां में लगने हेतु विदेशों में तत्पर रहने के लिए कहा जा सकता है। यह एक ध्यान देने योग्य सुझाव है।

महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि यह आठ प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करने के लिए हमें पैसा कहां से मिलेगा ? हमने बजट में 700 करोड़ रु० का प्रावधान किया है। कुछ अन्य योजनाओं पर विचार करना होगा। एक तरीका है कि बैंकों का सरकारीकरण हो। यह एक विवादास्पद मामला है। इस पर दो राय हो सकती हैं कि बैंकों के सरकारी क्षेत्र द्वारा नियन्त्रण में ढील दी जानी चाहिए। मेरे विचार से हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा करनी चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का दस अथवा बीस प्रतिशत पूंजी निजी क्षेत्र से जुटाने के प्रावधान के साथ आंशिक निजीकरण कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि यहां तक कि इस देश का मुख्य बैंक भारतीय स्टेट बैंक भी आंशिक रूप से निजी क्षेत्र के स्वामित्व में है।

भारतीय स्टेट बैंक के एक या दो प्रतिशत शेयर गैर-सरकारी क्षेत्रों के पास हैं। हमें बैंकों के आरक्षित कोष के पूंजीकरण पर भी विचार करना पड़ेगा हमें कुछ मिश्रित ऋण तथा अधीनस्थ ऋण प्राप्त करने जैसे कुछ उपायों पर भी ध्यान देना पड़ सकता है क्योंकि विदेशों में यह प्रथा एक आम प्रथा है। हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से इक्विटी शेयरों के रूप में भी कुछ धन प्राप्त करने पर विचार कर सकते हैं जिनके पास आजकल पूंजी निवेश न होने के कारण नकद धनराशि की बहुतायत है। हम कुछ

अर्ध-सरकारी अथवा राज्य सरकार के संगठनों तथा निगमों से विशेष रूप सहकारी बैंकों से भी इक्विटी के रूप में कुछ राशि प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इन संस्थाओं के पास काफी धनराशि एकत्रित है।

एक और प्रश्न जिस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है—वह है भारत में कार्यरत विदेशी बैंक। विदेशी बैंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण उन्हें मार्च, 1992 तक 8 प्रतिशत का पूंजी उपयुक्तता अनुपात स्वीकार करना पड़ेगा।

एक अन्य विषय जिसके बारे में मैं चिन्तित हूं वह है वित्तीय लेखों में स्पष्टता। बैंकों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग, तुलन-पत्र तथा लाभ व हानि का विवरण प्रस्तुत किए जाने के बारे में कुछ गम्भीर चिन्ताएं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त घोष समिति ने तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण के प्रपत्र में कुछ परिवर्तन किये हैं। हमने इस नये प्रपत्र को शामिल करने के लिए पिछले वर्ष बैंककारी विनियमन-अधिनियम में संशोधन किया है। इस परिवर्तन से बैंकों के लेख अधिक स्पष्ट हुए हैं। इस सम्बन्ध में अभी और बहुत कुछ किया जाना शेष है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी प्रस्ताव किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षकों द्वारा "निरीक्षण पुस्तिका" बनाने के लिए विदेशों से विशेषज्ञ बुलाकर उनकी सहायता ली जाए। हम सभी जानते हैं कि बैंकों का समुचित निरीक्षण न हो पाने और निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों पर अनुवर्ती कार्यवाही न करने के ही कारण यह घोटाला हुआ है। यदि हम विदेशों से विशेषज्ञ बुलवाकर उनसे मार्गदर्शन ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह औद्योगिक कम्पनी में तकनीकी सहयोग लेने के समान ही है। हम उन्हें आमंत्रित करके इस प्रकार की धांधलियों और अकुशल कार्य संचालन को रोकने के लिए उनके अनुभवों को उपयोग में ला सकते हैं।

हम अधिक से अधिक स्वचालित यंत्र लगाने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कम्प्यूटरों से द्रुतगति से कागजी कार्यवाही करने में अवश्य ही सहायता मिलती है। परन्तु बड़ी-बड़ी धांधलियां भी इनकी वजह से ही होती हैं। कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग से भी कुछ बड़ी धांधलियां हुई हैं। हम इस क्षेत्र नये हैं। हमें विदेशों से विशेषज्ञ बुलाने चाहिए और आधुनिक इलैक्ट्रानिकी युग की धांधलियों को रोकने के लिए भारत के निजी क्षेत्र से ही इन विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी चाहिए।

पूंजीगत पर्याप्तता के संबंध में बासले समिति का प्रमुख उद्देश्य सबसे पहले वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग उद्योगों को सुदृढ़ और स्थायी बनाना और दूसरा एक युक्तिसंगत व्यापक बैंकिंग ढांचा स्थापित करना था जो कि पूरे विश्व में समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर सके। बी० आई० एस० ने प्राप्त कर लिया हैं। सभी देशों ने बी० आई० एस० के मानदण्डों को स्वीकार किया है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता प्राप्त करने की दिशा में यह विधेयक एक पहल है। परन्तु केवल इससे सहायता नहीं मिलेगी। यदि हमें विश्व-स्पर्धा कायम करनी है तो इसके लिए आधुनिक कुशल कम्प्यूटरीकृत और स्वचालित यंत्र प्रणाली और उन्नत दूरसंचार नेटवर्क का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अन्त में, नरसिम्हन समिति द्वारा सुझाये गये सुधारों पर इस सदन में बहस होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजीगत सीमा में वृद्धि करने में सहायता देने के लिए इस संशोधन द्वारा सुझाये परिवर्तनों और सुधारों को हमने इस समय कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है।

नरसिम्हन समिति की पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और यदि सम्भव हो तो इस पर राष्ट्रीय

बहस होनी चाहिए। इस बहस के बाद वित्तीय सुधार तुरन्त लागू किए जाने चाहिए ताकि देश के बैंकों तथा वित्तीय क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखा जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री सैयद शाहाबुद्दीन अपनी बात कहेंगे। आपके दल के दो सदस्यों को अपनी बात कहनी है और इसके लिए कुल 12 मिनट का समय है। यह केवल आपको याद दिलाने के लिए है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक का समर्थन करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कुल मिलाकर यह एक तकनीकी विधेयक है। परन्तु यदि मैं कहूं तो यह विधेयक केवल रुपये की क्रय-शक्ति में अथवा रुपये के विनियम मूल्य में हुई गिरावट को ही परिलक्षित करता है। इसलिए कुछ भी हो हमें इसका समर्थन करना है और और वित्त मंत्री के पास इस मामले में और कोई विकल्प नहीं है और इसलिए हमारे पास भी वस्तुतः इस मामले में और कोई विकल्प नहीं है।

परन्तु, महोदय मैं चाहता हूं कि इस अवसर का अवश्य उपयोग करूं, आपकी अनुमति से मैं बैंकिंग प्रणाली का संक्षिप्त समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं और ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री जी इससे अवगत नहीं है परन्तु जो प्रयास किए गए हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे प्रयास सुसंगठित हो सकते हैं। यह आलोचना किसी विशेषज्ञ की नहीं है, सामान्य आदमी की है क्योंकि मैं अपने को अर्थशास्त्री के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहता विशेष रूप से जबकि मैं अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री डा० मनमोहन सिंह का सामना कर रहा हूं।

हम यह कहते नहीं थकते कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अथवा राष्ट्रीयकरण होने के बाद से बैंकों के कारोबार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यह वस्तु स्थिति है और मुझे उसके आंकड़े नहीं देने हैं। परन्तु इसके साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली की अकुशलता धोखाधड़ी डूबने वाले ऋणों और भ्रष्टाचार में भी काफी वृद्धि हुई। परन्तु मेरा इसका विस्तार से निरूपण करने का विचार नहीं है। हमने इस प्रयोजन हेतु पहले ही एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की है जो हाल ही के प्रतिभूति घोटाले की जांच करेगी जिससे बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, मेरे विचार से बैंकिंग प्रणाली के विकृत होने का कारण अव्यवस्था है और सम्भवतः कुछ सीमा तक बैंकों मे हो रही बेतहाशा वृद्धि के कारण एक ही काम को कई जगह किया जाता है। इस स्थिति विशेष में सम्पूर्ण देश में हर एक राष्ट्रीयकृत बैंक कार्य कर रहा है। उसमें बुनियादी समस्याओं का एक अन्तर्निहित तत्व है क्योंकि कर्मचारियों, प्रबन्धन क्षमता, निरीक्षण कार्य इत्यादि सभी संसाधनों को एक व्यापक क्षेत्र में वितरित किया हुआ है और वे इसलिए अप्रभावी और असंचलनशील हो गए हैं।

महोदय, इसके अलावा हमें आर्थिक लागत भी चुकानी होती है। निम्न श्रेणी के कर्मचारियों सहित लोगों का देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है। जिससे सार्वजनिक धन खर्च होता है। इसके अलावा जब किसी बैंक की शाखाओं का नियन्त्रण किसी विशेष आर्थिक केन्द्र से किया जा रहा हो और वे शाखाएं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में हैं तो मैं नहीं समझता कि आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित शाखाओं की आवश्यकताओं को केन्द्रीय कार्यालय समझ सकता है। यही कारण है कि पूरे देश में निम्नतम दरों तक इन शाखाओं में तेजी से वृद्धि होने से हमे लागत अधिक लगानी पड़ती है और उससे प्रतिफल कम मिलता है।

अत:, बैंकिंग ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। देश में एक ऐसी राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें एक विशेषज्ञता प्राप्त बैंक पूरे देश में काम करे जैसे कि कृषि बैंक, औद्योगिक बैंक, आवास बैंक या शायद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बैंक और विदेश व्यापार बैंक जो विभिन्न प्रमुख केन्द्रों से अपना कारोबार करे जहां कि आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं जो कि जिला स्तर से हो सकती है परन्तु उन्हें सम्पूर्ण देश में हर-स्थान पर शाखाएं खोलने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस समय आम जनता को सामान्य बैंकिंग प्रणाली के काम-काज की अत्यधिक चिंता है और सामान्य बैंकिंग प्रणाली को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए और हम कहेंगे कि क्षेत्रीय स्वरूप का बनाया जाना चाहिए ताकि हर एक बैंक का निश्चित क्षेत्राधिकार स्पष्ट हो जिसमें वह कार्य करता और समग्र बैंकिंग संबंधी आवश्यकताओं पर वह ध्यान दे और उसका विकास ही उसकी वास्तविक चिन्ता का विषय हो। विभिन्न बैंकों के बीच उस प्रकार के कार्य का क्षेत्रीय विभाजन अवश्य किया जाना चाहिए।

एक समय पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर कुछ विचार किया। वास्तव में उन्होंने मुझे सूचित किया कि वे किसी न किसी तरह लाने वाले हैं तथा जिस किसी राज्य में किसी विशेष बैंक की शाखाएं कम हैं तो उन्हें उस क्षेत्र में स्थित बाहुल्यता में स्थित अन्य बैंकों से अदला-बदली करना होगा। कई वर्षों से अग्र बैंक योजना को रोक दिया गया था, परन्तु अग्र बैंक विचार को पुन: शुरू करने और तब विशेष क्षेत्रों में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को संबंधित करने हेतु संगति क्षेत्र के आकार तथा जनसंख्या के आधार पर एक या अधिक राज्यों की हो सकती है। इन दोनों विचारों पर साथ-साथ सोचा जाना चाहिए। विभिन्न बैंकों में अदला-बदली की व्यवस्था द्वारा, प्रत्येक बैंक को अपने निर्धारित क्षेत्र में तथा उस क्षेत्र की समस्याओं में विशिष्टता हासिल करने दिया जाए। और तभी कुछ भला होगा। मेरा यह एक मूलभूत सुझाव है जिस पर माननीय मंत्री महोदय विचार करें।

महोदय, जब किसी एक बैंक को किसी विशेष क्षेत्र से संबद्ध कर दिया जाता है तो उसका मुख्य कार्यालय भी उसी क्षेत्र में होगा। यदि हमारे यहां क्षेत्रीय बैंकिंग व्यवस्था होगी, तो भर्ती का स्वरूप भी अवश्य बदलेगा तथा नवीन परिवर्तनों द्वारा स्थानीय लोगों की तथा क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भी आज से बेहतर ढंग से प्राप्त की जा सकेंगी।

जहां तक विदेशी कार्य संचालन का संबंध है, मैं भी यही विचार रखता हूं कि केवल एक ही विशिष्ट बैंक होना चाहिए, जिसे ओवरसीज बैंक या इन्टरनेशनल बैंक ऑफ इण्डिया का नाम दिया जाए। जिसकी शाखाएं जहाँ आवश्यक हो वहां रहे और न कि जैसे आजकल हर शाखा या प्रत्येक बैंक चाहती है कि उनके वहां शाखा हो, फैन्च में उसे पाइड-ए-टेरी (अल्प विश्राम स्थल) कहते हैं, विश्व में एक ऐसा स्थान जहां पर प्रबन्ध निदेशक या चेयरमैन को भेजा जा सकता है, कुछ निर्धारित स्थानों पर, जहां पर सभी लोग आते हों; आप देख सकते हैं कि क्या उन स्थानों पर जो कि बैंकिंग कार्यों के अलावा अन्य कारणों से अच्छी तरह जाना जाता है, वहां पर भारतीय बैंकों की बहुतायत है, अत: आप एक निश्चित स्वरूप देखेंगे। मैं तो चाहूंगा कि, जैसे सुझाया गया है, केवल एक ही विशिष्ट बैंक हो, जो स्वतन्त्र बैंक हो और वह बैंक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर रखे तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को कायम रखते हुए वह उस क्षेत्र में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों से समन्वय रखे। शाखाओं का खोलना, और वह भी भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं का खोलना आदान-प्रदान के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इस मामले में 'मुक्त द्वार' नीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग विश्व की अन्य बड़े बैंकों को तुलना में 'मुक्त द्वार' नीति नहीं रख सकते। आदान प्रदान के मामले में संधीय व्यवस्था रखी जाए। अत: विदेशी बैंकों के संबंध में मेरा सुझाव है कि प्रथमत: हमारे यहां एक अन्तर्राष्ट्रीय या विदेश स्थित बैंक हो जो कि विदेशी गतिविधियों पर ध्यान दे, दूसरी बात

यह है कि हमें विदेशी बैंकों को आदान-प्रदान के आधार पर, न कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या डंकल प्रारूप, जो कि पूर्ण मुक्त द्वार नीति अपनाने को कहता है, के आधार पर भारत में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अब मैं, ऋण आबंटन के प्रश्न पर आता हूं। मेरी यह धारणा है कि राज्य-वार ऋण-आवंटन में बहुत असमानता है। ऋण निक्षेप अनुपात में भी कुछ राज्यों को लाभ है तो कुछ को हानि। महोदय, चूंकि आपको पता है और माननीय मंत्री भी जानते हैं मुझे आंकड़ों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों ऋण के द्विभाजन को देखते हैं तो वहां भी पक्षपात हैं। शहरी क्षेत्रों में ज्यादा ऋण, जो कि कुछ हद तक अपरिहार्य है, दिया गया है। परन्तु मैं मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों को जो देय है वह भी नहीं दिया जा रहा है तथा वहां कमी आ रही है। कुछ राज्यों में ऋण की कमी आ रही है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में कमी आती हैं। और लोगों का कुछ ऐसा वर्ग है जिनको ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है। हम लोग निश्चित नीतियां बनाते हैं, हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाते हैं परन्तु जब वास्तविक कार्यान्वयन की बात आती है तो, माननीय मंत्री महोदय, स्वयं देख सकते हैं कि कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अलाभ प्राप्त क्षेत्र, अल्प संख्यक तथा गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनता या बेरोजगार युवक—ये पांच या छह वर्ग ऐसे हैं जो मेरे ध्यान में आते हैं, में ऋण आवंटन के बारे में इन वर्गों में ऋण आवंटन लगभग नगण्य रहा। यह तो एक प्रकार से यदा-कदा अनुकंपा करना, उन्हें चुप करने तथा खुश रखने हेतु उन्हें आर्थिक अधिकारों में से नगण्य भाग देने समान हैं। वास्तव में ये हमारे राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री जी संसद में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया करें जिसमें समाज के निर्धन वर्गों तथा पिछड़े क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा आदि दर्शाई गई हो।

तीसरी बात एक और मुद्दे पर जो मैं माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ सुझाना चाहता हूं, वह यह है कि, मैं जिन बैंकरों से मिला हूं उनसे यही सुनने को मिलता है कि वे लोग बैंकिंग तथा वाणिज्यिक सिद्धांतों पर चलते हैं तथा वे लोग सरकार की सामाजिक मांग को कैसे पूरा कर सकते हैं? सरकार को इस हेतु आर्थिक सहायता या राजानुदान देया होगा। ऐसा करना होगा। अतः कृषि विकास बैंक तथा औद्योगिक विकास बैंक की तरह एक और विशेषीकृत बैंक क्यों न हो। हमें सामाजिक विकास के लिए भी एक पृथक विशेषीकृत बैंक स्थापित करना चाहिए जिसका संचालन स्वैच्छिक तौर पर राज सहायता के आधार पर हो। जिससे हमें यह पता चल सकेगा कि हम कितना तथा किसको राजानुदान दे रहे हैं। हमें संक्षेप में यह पता लग जायेगा कि ऋण किधर, कितना तथा कहां दिया जा रहा है। जैसे ही हमें यह पता लग जाएगा, हम लोग सामाजिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित कर सकेंगे। सरकार के नियंत्रण में जो विभिन्न साधन उपलब्ध हैं उनमें से किसी एक साधन द्वारा ज्यादा बेहतर ढंग से यह लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। अतः मैं राष्ट्रीय सामाजिक विकास बैंक की स्थापना पर बल देता हूं।

महोदय, मुझे बैंकिंग व्यवहार पर कुछ कहना है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि, मैं लगभग 20 वर्ष देश से बाहर रहा और उसके बाद जब मैं भारतीय बैंकों में गया तो, वहां का वातावरण बैंक जैसा नहीं था। माननीय मंत्री महोदय को मैं यह बताना चाहता हूं कि, आपको विश्वास नहीं होगा कि यह मैं कलकत्ता के अपने मित्र को पूरा सम्मान देते हुए ऐसा कह रहा हूं एक बाजार से भी बेकार एक मछली बाजार की तरह का था। वहां पर इतना ज्यादा शोरगुल होता है कि काउंटर के दूसरी ओर की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। हर कोई चिल्ला रहा है तथा इधर-उधर किसी भी जगह आ-जा रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप बैंक में नहीं अपितु रेलवे प्लेटफार्म पर हैं। मेरा यह सुझाव है कि

प्रत्येक बैंक में उचित वातावरण बनाये रखने हेतु कुछ न कुछ जरूर किया जाना होगा। जब ऐसा वातावरण रहेगा तो फिर क्या जन सम्पर्क कायम होगा।

देश के जिन जिलाधिकारियों से मैं मिला हूं वे भी बैंकों के प्रबन्धकों के व्यवहार की शिकायत करते हैं। उन का कहना है कि वे प्रत्युत्तरदायी, सहनशील, तथा सहयोगभावी नहीं हैं, तथा बैंकों ने अपनी सत्ता चला रखी है। बैंक राज्य का, तथा हमारे आर्थिक संरचना का भाग होते हैं। हम लोग यहां पर इस बारे में चर्चा करते हैं फिर भी वे एक स्वतन्त्र संस्था की तरह व्यवहार करते हैं। जिला स्तर पर किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं है। आप लोग ब्लाक स्तर पर भी उचित सामंजस्य की बात नहीं सोच सकते। जबकि तकनीकी तौर पर एक ब्लाक बैंकिंग समिति होनी चाहिए। परन्तु कई मामलों में बैंक के प्रबन्धक खण्ड विकास अधिकारियों (बी०डी०ओ०) के सुझावों पर ध्यान नहीं देते। मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि बैंकों के सामाजिक पहलू को देखने हेतु प्रत्येक जिला तथा ब्लाक में एक जन परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाना जरूरी है। उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए परन्तु यह अवश्य देखना चाहिए बैंकों द्वारा राष्ट्र स्वीकृत सरकारी तथा सामाजिक नीतियों का, बैंकों द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। और जिसके लिए आपके पास कोई राजनैतिक नियन्त्रण रहना चाहिए तथा आपको एक तरफ प्रशासन से तथा दूसरी तरफ बैंकों से सम्बन्ध स्थापित करने होंगे।

जहां तक बैंकिंग व्यवहार की बात है, हमने इस बारे में काफी कुछ सुना है, कई वर्षों से बैंकों में खातों का मिलान नहीं किया गया है। खातों की लेखा परीक्षा बिल्कुल नहीं की जा रही है। कुछ ऐसी भर्तियां की गई हैं जो कि उचित मानदण्डों के अनुकूल नहीं हैं। मेरा ऐसा भी विश्वास है कि विभिन्न बैंकों में सेवा शर्तों में एकरूपता नहीं है। हमारे यहां सभी बैंकिंग क्षेत्रों में समान सेवा नियम तथा शर्तें क्यों नहीं हैं तथा प्रत्येक बैंक के लिए एक समिति के बजाय राष्ट्रीय बैंकिंग आयोग की स्थापना क्यों नहीं की जाए।

अन्ततः मैं एक और मुद्दे पर माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। सदन में मुझे एक ही उत्तर मिलता रहा है कि घोटालों पर उनका कोई नियन्त्रण नहीं रह सकता क्योंकि वे वाणिज्यिक तथा गोपनीय स्वरूप के होते हैं—कम-से-कम माननीय मन्त्री महोदय को इस बारे में वर्ष में एक बार तो जानकारी मिलनी चाहिए। यदि वे संतुष्ट हो जाते हैं तो मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। परन्तु उनके पास पूरी जानकारी नहीं रहती है कि प्रत्येक बैंक में हर वर्ष के अन्त में कितना अशोध्य ऋण है या घोटाले के कितने मामले सामने आए हैं तथा उनकी क्या स्थिति है। मुझे विश्वास है कि उनके पास यह जानकारी नहीं है। उनको जानकारी एकत्र करने हेतु सांविधिक अधिकार दिया जाना चाहिए। ताकि वे इस सदन में यह घोषणा कर सकें कि सभी कुछ ठीक है तथा नियन्त्रण सीमा में है।

बैंकों के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक के कई पद कई महीनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं। सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि बैंकिंग व्यवस्था की कुशलता में जो गिरावट आई वह यह है कि कुछ अधिकारी ही सारा काम काज चला रहे हैं। इसमें कोई सरकारी नियन्त्रण नहीं है। उनके कार्यकलापों पर नियन्त्रण रखने हेतु कोई भी निदेशक मण्डल नहीं है। मुझे विश्वास है कि यदि माननीय मन्त्री विश्वासपात्र, ईमानदार, तथा विद्वान लोगों को नियुक्त करें तो बैंकों की गतिविधियों पर अधिक प्रभावी ढंग से नियन्त्रण किया जा सकता है।

ये वे प्रश्न है जिन्हें मैं एक आम व्यक्ति की दृष्टि से समीक्षा के रूप में माननीय मन्त्री जी के समक्ष रखना चाहता था। हम जानते हैं कि देश के लिए बैंकिंग प्रणाली आवश्यक है। यह अर्थव्यवस्था की रीढ़

है। हम इसे पूर्णत: महत्व देते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि यह ठोस हो तथा सक्षम रूप से कार्य करे; यह अखण्ड रूप से, विश्वसनीय रूप से और समुदाय का आत्मविश्वास प्राप्त करने में ठीक से कार्य करे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मन्त्री जी जो बिल लाये हैं, बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अण्डरटेकिंग्स) एमेण्डमैंट बिल, 1992, इसके द्वारा वह पेड अप कैपीटल को [अनुवाद] 500 करोड़ के वर्तमान स्तर से 1500 करोड़ करना चाहते हैं। मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि वर्तमान में इस संशोधन के अन्तर्गत सरकार जो कार्यरत शाखायें हैं, बैंकों की, विदेशों में जिनकी शाखायें हैं, उन शाखा वाले बैंकों की शेयर कैपीटल 4 परसेंट से बढ़ाकर 8 परसेंट इण्टरनेशनल बैंक स्टैंडर्ड के बराबर लाना चाहती है, यह उनका मूल उद्देश्य है, यह उद्देश्य वह पूरा करना चाह रहे हैं।

नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर यह किया जा रहा है, बैंकिंग उद्योग में इस कमेटी के खिलाफ पहले ही काफी असन्तोष व्याप्त है। बैंकों की ट्रेड यूनियनों ने इन सिफारिशों के खिलाफ तीन बार देशव्यापी हड़ताल की, धरना दिया और रैलियां आयोजित कर चुकी हैं, इस नरसिम्हन समिति के खिलाफ। जबकि बैंकों में इस समय लगभग 20 हजार करोड़ रुपया रिकवरी का पड़ा हुआ है, उसके प्रावधान की ओर कहीं पर भी इस समिति ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार द्वारा किया गया जो कर्ज माफी पिछले समय हुआ था कि किस प्रकार बैंकों को यह रकम वापस लौटाई जायेगी, इस पर भी इसमें कहीं कोई विचार नहीं हुआ। यह रकम भी कम नहीं थी, यह रकम भी 1400 करोड़ रुपये से अधिक है, जो कि बैंकों ने लोगों को ऋण माफी के नाम पर दी थी।

इसके बाद मेरा निवेदन करना यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 552 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में चल रहे हैं, उनके घाटे की भरपाई किस प्रकार से होगी और उनका भविष्य किस प्रकार से निर्धारित होगा, इसका भी इस समिति ने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके बाद विदेशी बैंकों को भारत में आमन्त्रित कर क्लास बैंकिंग का काम उन्हें एवं मास बैंकिंग का काम भारतीय बैंकों को सौंपकर भयंकर घाटा पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। शहर के बैंक यहां पर आयेंगे तो मेरा निवेदन करना यह कि बाहर के बैंक यदि आ गये तो उनमें डिपाजिट्स ज्यादा होगी और पांच-पांच दस-दस रुपए का काम करने वाले जो ग्रामीण बैंक हैं और जो बैंक हैं, इनके 50 प्रतिशत से अधिक बैंक कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे, नरसिम्हन कमेटी के द्वारा जो बाहर के बैंकों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, 50 परसेण्ट से अधिक यहां पर बैंक कर्मचारी उससे प्रभावित होंगे। मेरा यहाँ पर निवेदन करना है कि ऑल इण्डिया ग्रामीण बैंक्स आर्गेनाइजेशन ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को घाटे से उबारने के लिए लाभदायक सुझाव दिये एवं भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हेतु कहा था लेकिन सरकार ने आज तक इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं की, जिसके कारण ग्रामीण बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी वापस आन्दोलन करने पर उतारू हो रहे हैं।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भारतवर्ष के बैंकों की ब्याज दर सबसे ज्यादा है। विदेशों में आप जायेंगे तो वहां पर ब्याज दर बहुत कम है। अधिक ब्याज दर होने के कारण गरीब लोग इसका लाभ नहीं उठा पायेंगे और मालदार व्यक्तियों को ही इससे लाभ होगा। इसी प्रकार से सरकार ने एक बार कहा था कि बैंकों में जिन लोगों ने 84 दिन की अपनी सर्विस पूरी कर ली है, उन को भी हम वापस लेंगे। इस प्रकार का मामला 377 के अधीन भी मैंने यहां पर प्रस्ताव रूप में रखा था, उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

अन्त में मुझे यह बात निवेदन करनी है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की जो विभिन्न शाखाएं हैं, उनमें 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और इसकी खबरें कई राष्ट्रीय दैनिक अखबारों में प्रमुखता के आधार पर छापी गई।

4.00 म० प०

पर सरकार अभी भी उसमें चुप्पी लगाए हुई है, बल्कि जिन अधिकारियों ने इन तीन सौ करोड़ रुपए का घोटाला किया उनका प्रमोशन हो गया और उच्च पद पर वे चले गए। इसका मतलब है कि यदि उच्च पद पर जाना है, यदि प्रमोशन लेना है तो फिर घोटाला किया जाए, बेईमानी की जाए। वे सारी अखबार की कतरनें भी मेरे पास मौजूद हैं मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मुख्य रूप से इस घोटाले के सम्बन्ध में भी प्रकाश डालेंगे। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजवीर सिंह (अंबाला) : सभापति जी, सदन में कोरम नहीं है।

4.01 म० प०

[अनुवाद]

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

अब गणपूर्ति है।

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती।

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती (हावड़ा) : सभापति महोदय मैं बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं जिसमें बैंककारी कम्पनी अधिनियम 1970 और 1980 में और संशोधन करने की मांग की गई है। जैसाकि उद्देश्य एवं कारण बताने वाले विवरण से स्पष्ट है कि 1970 और 1980 के बैंककारी कम्पनी अधिनियम से पता चलता है कि उन अधिनियमों को अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करने और सिद्धांतों का पालन करने में राज्य की नीति के समर्थन में अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं को अच्छी तरह और उत्तरोत्तर पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया था जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 39 की धारा ख और ग में निर्धारित है।

वर्तमान संशोधन उन सभी बातों का खंडन करता है जो उन अधिनियमों में दी गई थी और वर्तमान अधिनियम के विचारों के विपरीत है जो उद्योग, व्यापार और वित्त का कुछेक व्यक्तियों के नियंत्रण में होने के विरुद्ध था।

विधेयक में बासु समिति की सिफारिशों के अनुसार पूंजीगत पर्याप्ता मानकों को बैंक की कुल भारित पूंजी परिसम्पत्ति को बढ़ाकर आठ प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस उद्देश्य के लिए इस वर्ष के बजट में 700 करोड़ रुपये अलग से रखे गये हैं। इस वर्ष के बजट में यह प्रावधान राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रदत्त पूंजी में निवेश है। विधेयक में कहा गया है कि यह निवेश बैंक द्वारा सरकार द्वारा जारी ब्याजयुक्त प्रतिभूतियों में साथ-साथ लगाया जाएगा और विधेयक के उपबन्धों में किसी अन्य खर्च की व्यवस्था नहीं है। प्रश्न यह है कि इस अन्तर को कैसे भरा जायेगा। पैसा कहां से आयेगा। बैंक इस मामले में स्पष्ट रूप से मूक है। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों से उत्तर ढूंढा जा सकता है जिसका यह सुझाव है कि बैंक अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में अब स्वतन्त्र रूप से सीधे ही प्रवेश कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों वाली बासले समिति के मानदण्डों से पता चलता है कि प्रत्येक बैंक में तुलन-पत्र अथवा एवं तुलन-पत्र बाह्य मदों के सम्बन्ध में अधिक जोखिम भारित परिसम्पत्तियों के लिए 8 प्रतिशत के बराबर पूंजी होनी चाहिए। पूंजी को गुणवत्ता के आधार पर परिभाषित किया जाता है—श्रेणी एक महत्वपूर्ण पूंजी और श्रेणी दो—अनुपूरक पूंजी। इन दो का जोड़ भारित परिसम्पत्ति के पूर्णयोग के कम से कम 8 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए।

नरसिम्हन समिति का सुझाव है कि जहां बी०आई०एस० मानदंड वांछनीय हैं, हमारे मामले में इसे चरणबद्ध तरीके से करना होगा अतः समिति का सुझाव है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को जोखिम भारित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मार्च, 1993 तक कम से कम 4 प्रतिशत पूंजीगत पर्याप्ता अनुपात प्राप्त कर लेना चाहिए औरवर्ष 1996 तक इसे बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

यह सच है कि यूरोप में कई बड़े बैंक बासले समिति द्वारा सुझाई गई अन्तिम तिथि के भीतर मानदंडों को पूरा कर सकते हैं लेकिन अमरीका में बैंक अभी भी सही स्थिति में नहीं हैं और हमें आशंका है कि अमरीका में वे बैंक इन मानदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर पायेंगे।

भारत में बैंकों के सम्बन्ध में, हमारे यहां पूंजीगत पर्याप्ता अनुपात केवल 2 प्रतिशत है। मैं नहीं जानता हम 1996 तक इसे 8 प्रतिशत अनुपात तक कैसे बढ़ा पायेंगे। यह केवल तभी हो सकता है जब भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आवश्यकताओं को पूरा करे ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाया जा सके। प्रश्न यह है कि क्या यह अनिवार्य है। उन मानदंडों से क्या उद्देश्य पूरा होगा ?

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समाजोन्मुख हैं और बैंकों की ऋण देने सम्बन्धी नीति सरकार के सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करती है। अब, विकल्प दिए जाने पर ये बैंक प्राथमिक क्षेत्रों में निवेश से बचेंगे। अतः ये मानदंड भविष्य में पूंजी निवेश के मूल्यांकन में बैंकों को जोखिम की संभावनाओं के प्रति जागरुक बनने में प्रोत्साहित करेंगे। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इसका उत्तर चाहता हूं। और फिर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपना व्यवसाय कर रहे हैं, हमें उन पर विश्वास है। मैं कतिपय मामलों का उद्धरण देना चाहूंगा। बैंक आफ इंडिया में 513 करोड़ रु० की कुल पूंजी और प्रारक्षितनिधि है, इस बैंक ने 28, 763 करोड़ का कारोबार किया; कारोबार में पूंजी अनुपात केवल 1.78 प्रतिशत है। सिंडिकेट बैंक के मामले में जबकि 115 करोड़ रुपये की कुल प्रारक्षित पूंजी है, 11,323 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ और कारोबार पूंजी अनुपात 1.01 प्रतिशत।

क्या यह अनिवार्य है कि बैंकिंग प्रणाली का विश्वास बनाये रखने के लिए ऐसा किया जाये।

विदेशी बैंकों में भी यही स्थिति है। यहां तक कि भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों में भी कारोबार के सम्बन्ध में अत्यधिक पूंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। मार्च, 1991 को स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ने 26 करोड़ रु० की पूंजी के साथ 1856 करोड़ रु० का कारोबर किया जबकि बैंक आफ अमेरिका ने 29 करोड़ रु० के साथ 1755 करोड़ रुपए का। स्थिति यह है।

अब भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों में निवेश को गारंटी योजना के द्वारा 60 प्रतिशत तक की हानि से बचाया जा रहा है।

4.11. म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुये]

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की यह अनूठी विशेषताएं पूंजी जोखिम परिसंपति अनुपात की अवधारणा को अभिप्रेत से भिन्न करती प्रतीत होती है जबकि पश्चिमी देश में बैंकों में, जो कि अधिकांशत: निजी स्वामित्व में हैं विश्वास और जन आस्था पूंजी परिसम्पति अनुपात पर निर्भर करती है, लेकिन भारत में ऐसा बहुत ही कम है।

इसे देखते हुए, मेरा यह विचार है कि सभी बैंकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अपना पूंजी पर्याप्ता अनुपात बढ़ायें। लेकिन जहां तक विदेशी बैंकों का सम्बन्ध है, उनके लिए मानदंडों का पालन करना अपेक्षित है, अन्यथा वे अपना कारोबार नहीं कर पायेंगे। इन कारणों से, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या इन सभी विदेशी शाखाओं को एक अलग सांविधिक बैंकिंग निगम के अन्तर्गत बनाये जाए जिसका स्वामित्व या तो भारतीय रिजर्व बैंक अथवा केंद्रीय सरकार के पास हो। परन्तु इससे पहले वित्त मंत्री को बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श करना चाहिए।

यदि भारतीय रिजर्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय निपटान सम्बन्धी बैंक के नियमों के अनुपालन के लिए इतना अधिक उत्सुक है? सरकार के पास केवल पूंजी में वृद्धि करने का ही विकल्प बचता है। सरकार की पूंजीगत आधार में वृद्धि हेतु, 700 करोड़ रुपए के अंशदान की वचनबद्ध से बैंकों को पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात का केवल चार प्रतिशत कायम रखने में सहायता मिलेगी। इससे भी लक्ष्य प्राप्ति में आधी सफलता हासिल हो सकेगी। क्या सरकार अधिक पूंजी निवेश करने की स्थिति में है जबकि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को राजस्व बजटीय घाटा कम करने का वचन दिया है? क्या सरकार इतनी अधिक पूंजी देने की स्थिति में है? हम यह जानना चाहते हैं। किसी ने सुझाव दिया है कि सम्पदा स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन किया जाए। यह पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात में काफी कम वृद्धि करेगा।

मैंने पुन: सुझाव दिया है कि बैंक लोगों को दिए गए उन अधिकांश ऋणों को छोड़ सकते हैं जिनमें शत प्रतिशत जोखिम है और इनकी प्रतिपूर्ति सरकारी ऋणों से कर सकते हैं जिसमें बिलकुल भी जोखिम नहीं है। अब, पूंजीगत आधार को इस तरह से बढ़ाया जाएगा। परन्तु इससे बैंक सरकार की सेविका होगी और मैं इस प्रस्ताव के विरुद्ध हूं।

बासले समिति ने कहा था कि पूंजीगत पर्याप्त अनुपात को बढ़ाने का उद्देश्य बैंकिंग ढांचे की स्वरूप और स्थिरता को सुदृढ़ करना है। नरसिम्हन समिति ने इसकी सिफारिश की है क्योंकि उनका विश्वास है कि उनके द्वारा सुझाए गए अन्य उपायों के साथ यह उपाय वित्तीय प्रणाली में अनुशासन लाएगा।

नरसिम्हन समिति ने बैंकों की पूंजीगत परिसम्पत्ति अनुपात को बढ़ाने के नाम पर, बैंकों के बी० एस०आई० सम्बन्धी नियमों के अनुसार जिनका संचालन लाभप्रद रहा है और जिनकी बाजार में अच्छी साख है, सिफारिश की कि ऐसे बैंक नये सार्वजनिक पूंजी निर्गम द्वारा पूंजी बाजार में प्रवेश को निर्गम प्राप्तकर्ताओं ने आम जनता के अतिरिक्त म्यूचवल फंड्स, लाभप्रद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा संस्थानों के कर्मचारियों को शामिल किया जाए।

बाद में अपनी सिफारिशों में समिति ने जो सुझाव दिया, मैं उसे उद्धरित करता हूं :

"पूंजी बाजार सामान्यतः विदेशी प्रत्याभूति निवेश के लिए खोला जाना चाहिए और साथ ही साथ नवीन साम्य पूंजी तथा नवीन ऋण साधनों के निर्गम द्वारा बाजार में गहराई से सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। हमारी राय में, ये सिफारिशें यदि क्रियान्वित होती हैं तो यह मूलतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों के गठन में परिवर्तन तथा नाम को कम करेंगे और यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य को विफल करेंगी। देश में बैंकों की बी० आई० एस० नियमों की उपलब्धि न तो अलंघनीय है और न ही सरकारी बैंकों की अनिवार्य आवश्यकता है।"

अतः, मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

यदि यह स्वीकृत होता है तो मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे आघात के लिए तैयार रहे जिसे देश में पूंजी बाजार सुधार और साम्य पूंजी के विस्तार के सम्बन्ध में आपके उपायों के फलस्वरूप हुए प्रतिभूति घोटाले के रूप में आप पहले ही अनुभव कर चुके हैं, ऐसा आघात जिससे देश कई वर्षों तक नहीं उबर पाएगा। बैंकों को बाजार के सुपुर्द करके आप देश का कोई भला नहीं करने जा रहे हैं।

सामूहिक निधि समिति होने के कारण बाजार वरीयता के रूप में निधि के आबंटन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत ऐसी विलासिता की अनुमति नहीं दे सकता है। (अतः इस संशोधन से आर्थिक सत्ता का एक बड़ा हिस्सा कतिपय निजी उद्यमियों। व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाएगा जिससे एकाधिकार जन्य भ्रष्ट प्रक्रियाओं को बल मिलेगा) इस प्रयोजन के लिए मैं पुनः इस विधेयक का विरोध करता हूं।

महोदय, यदि प्रतिभूति घोटाले ने कोई सबक दिया है तो वह है अर्थव्यवस्था को विनियमित करना, ऐसा कर्मचारियों की भागीदारी से है जो विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ऐसा ऊपर से नहीं हो सकता है। यदि इसे कतिपय नौकरशाह की सनक पर छोड़ा जाता है जैसाकि आज है और यदि इसे ऐसे तरीके से कार्य करने दिया गया जैसा कि हुआ है; यदि बैंकिंग प्रणाली में भ्रष्ट प्रक्रियाओं को सही नहीं किया जाता तो केवल नरसिंहम समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने और हमारी बैंकिंग प्रणाली की पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि करके आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं, आप वित्तीय प्रणाली को स्थिर नहीं कर सकते हैं और आप लोगों का बैंकिंग प्रणाली में विश्वास पुनः कायम नहीं कर सकते हैं।

अतः, महोदय आपकी ओर से मैं वित्त मंत्री से मामले पर पुनः विचार करने का अनुरोध करूंगा कि वे राशि को वापस ले लें तथा इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को चोरी छिपे नहीं वरन् निजी व्यक्तियों को सौंप दें और कृपया उन्हें इस बात की अनुमति न दें कि वे खुले बाजार से पूंजी एकत्र करें जैसाकि नरसिम्हन समिति ने सुझाव दिया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : मैं अब श्री अर्जुन सिंह को विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने हेतु प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं ?

———

4.20 म० प०

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाला विधेयक 45 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 30 सदस्य इस सभा से हों, अर्थात्—

1. श्री ई० अहमद
2. श्री आनन्द अहिवार
3. डा० फैयाजुल आजम
4. श्री अवतार सिंह भडाना
5. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी
6. श्री गुरचरण सिंह दादाहूर
7. श्री प्रबीन डेका
8. श्री शरद दिघे
9. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी
10. श्री इम्वालम्बा
11. श्री जय प्रकाश
12. श्री श्यामलाल कमल
13. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
14. श्री एस० कृष्णास्वामी
15. कुमारी पदमश्री कुडुमुला
16. श्री वी० धनंजय कुमार
17. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन
18. श्री बीर सिंह महतो
19. श्री साईमन मरान्डी
20. श्री जनार्दन मिश्र
21. श्रीमती गीता मुखर्जी
22. श्री रूपचन्द पाल
23. श्री हरपाल पंवार
24. श्री रामेश्वर पाटीदार
25. डा० आर० के० जी० राजुलू
26. श्री एन० जे० राठवा
27. श्री भगवान शंकर रावत

28. श्री के० जी० शिवप्पा
29. श्री पी० सी० थामस
30. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे

और 15 सदस्य राज्य सभा से हों

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति शीत कालीन सत्र, 1992 के प्रथम सप्ताह के अन्त तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तन और रूपभेदन के साथ लागू होंगे जैसाकि अध्यक्ष निर्धारित करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाला विधेयक 45 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं को एक सयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 30 सदस्य इस सभा से हों, अर्थात्—

1. श्री ई० अहमद
2. श्री आनन्द अहिवार
3. डा० फैयाजुल आजम
4. श्री अवतार सिंह भडाना
5. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी
6. श्री गुरचरण सिंह दादाहूर
7. श्री प्रबीन डेका
8. श्री शरद दिघे
9. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी
10. श्री इम्बालम्बा
11. श्री जय प्रकाश
12. श्री श्याम लाल कमल
13. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
14. श्री एम० कृष्णास्वामी
15. कुमारी पदमश्री कुडुमुला
16. श्री वी० धनंजय कुमार
17. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन
18. श्री बीर सिंह महतो

19. श्री साईमन मरान्डी
20. श्री जनार्दन मिश्र
21. श्रीमती गीता मुखर्जी
22. श्री रूपचन्द पाल
23. श्री हरपाल पंवार
24. श्री रामेश्वर पाटीदार
25. डा० आर० के० जी० राजुलु
26. श्री एन० जे० राठवा
27. श्री भगवान शंकर रावत
28. श्री के० जी० शिवप्पा
29. श्री पी० सी० थामस
30. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे

और 15 सदस्य राज्य सभा से हों

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति शीत कालीन सत्र, 1992 के प्रथम सप्ताह के अंत तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तन और रूपभेदक के साथ लागू होंगे जैसाकि अध्यक्ष निर्धारित करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.25 म०प०

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक—जारी

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेंद्रम) : महोदय, अब सभा के समक्ष प्रस्तुत, बैंक कारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक, 1992 का कार्य अधिकतम सीमा और पूंजीगत भुगतान का वर्तमान स्तर 500 करोड़ रुपए से 1500 करोड़ रुपए तक बढ़ाने तक ही सीमित है। इसे नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। सारांश रिपोर्ट के पैरा 9 में यह सिफारिश की गई है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे, प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने में कोई अनियमितता दिखाई नहीं देती है।

तथापि, बैंक कार्य प्रणाली के संचालन और वित्त के सम्बन्ध में अपने सीमित ज्ञान के साथ, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान अपने विचार से आवश्यक कुछ प्रश्नों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा परन्तु विधेयक का समर्थन करते समय, मैं कुछ प्रश्नों पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

रिपोर्ट के सारांश के पृष्ठ चार पर पैरा 3 में दिए गए अंश का मैं उल्लेख करता हूं।

"तथापि बैंकों तथा डी० एफ० आई० दोनों पर ही व्यक्तिगत ऋण के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय और आन्तरिक प्रबन्धन में प्रशासकीय और राजनैतिक हस्तक्षेप का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।"

अन्य अनेक स्थानों पर राजनैतिक हस्तक्षेप देखा जा सकता है। लघु उद्योगों की देख-रेख करने वाले एक छोटे संघ के अध्यक्ष के रूप में अपने सीमित अनुभव के नाते मैं यह जानना चाहूंगा कि व्यक्तिगत मामलों में राजनैतिक हस्तक्षेप किस प्रकार से समस्या उत्पन्न कर रहा है, यह देखकर मुझे दुख होता है कि हाल के उदारीकरण के बावजूद भी यदि उन्हें बचाया नहीं गया तो मुझे उनके खत्म हो जाने का भय भी है। उसी पैरा में आगे यह भी कहा गया है कि :

"इस पुनः परिभाषित वरीयता क्षेत्र के ऋण का लक्ष्य कुल ऋण का 10 प्रतिशत निर्धारित किया जाए जो कि मोटे तौर पर इन क्षेत्रों का दिये जाने वाले वर्तमान ऋण की सीमा में होगा।"

मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूं। वरीयता क्षेत्र को दिये जाने वाले 40 प्रतिशत राशि का किसी भी परिस्थिति में उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि 40 प्रतिशत के होने पर भी उसमें से 16 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए लगा दिया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कृषि क्षेत्र के सीमान्त किसानों को 16 प्रतिशत दे दिया जाए, न कि बड़े किसानों को यदि हम कृषि क्षेत्र के लिए आबंटित 16 प्रतिशत का व्यय करेंगे तो देश का भावी कृषि उत्पादन कितना रह जाएगा देश की 85 करोड़ जनता के लिए जरूरी खाद्य पदार्थों का उत्पादन कैसे किया जा सकेगा ?

पुनः यदि हम अति लघु क्षेत्र और लघु उद्योग के लिए आबंटित राशि का उपयोग करेंगे तो हम अपने उद्योग की स्थिति कैसे सुधार पायेंगे ?

इसलिए, मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वरीयता क्षेत्र के लिए निर्धारित ऋण में दस प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव पर पुनःविचार किया जाये और मेरा निवेदन है कि उसे चालीस प्रतिशत ही रहने दिया जाये। क्योंकि, जैसाकि मैंने बताया है कि लघु उद्योग क्षेत्र देश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 60 प्रतिशत रोजगार इसी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस क्षेत्र में कुल औद्योगिक उत्पादन का 45 प्रतिशत उत्पाद होता है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र द्वारा 35 प्रतिशत विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जाती है। इसलिए इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को बचाने के लिए उन्हें अरक्षित हिस्सा देना चाहिए यह एक वरीयता क्षेत्र है। मैं वरीयता क्षेत्र को पुनः परिभाषित किए जाने की बात से सहमत हूं परन्तु उसे दिये जाने वाले प्रतिशत का विरोध करता हूं।

तत्पश्चात् पुनः, ब्याज की रियायती दरों की क्या स्थिति है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसकी जांच की जाती है।

महोदय, चूंकि समय बहुत कम है, अतः मैं तेजी से बात पूरी करता हूं।

पैरा 23 में यह कहा गया है :

"समिति का यह प्रस्ताव है कि सरकार यह सूचित करे कि आगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा।"

ऐसा क्यों ? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बैंकों का आगे भी राष्ट्रीयकरण होगा। मैं उन्हें किसी प्रकार की स्वायत्तता देने का विरोध नहीं करता। परन्तु मेरा विचार है कि यह कहना कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में, किसी प्रकार का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, यह कहना इस सभा के लिए भी संभव नहीं होगा। यह कुछ तरह की शक्तियां प्रदान करती है जो बैंक कार्य प्रणाली की सीमा के बाहर हैं। इसीलिए मैंने इससे पहले ही कहा था कि हम इस रिपोर्ट की सार्थक और विस्तृत चर्चा चाहते हैं।

तत्पश्चात्, हमारे मित्र श्री शाहाबुद्दीन ने भर्ती के बारे में विवरण प्रस्तुत किया है। मेरे विचार से बैंकिंग आयोग के द्वारा भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया ठीक है। बैंकिंग आयोग से छुटकारा पाने के संबंध में एक प्रस्ताव है। गलतियां बैंकिंग आयोग के कारण नहीं हुई है। बैंकिंग आयोग द्वारा अपनी भर्ती की प्रक्रिया पुनः परिभाषित की जानी चाहिए ताकि स्थानीय अभ्यर्थियों को कुछ महत्व दिया जा सके। परन्तु भर्ती की प्रणाली से छुटकारा पाने का तात्पर्य है इसका पुनः नौकरशाही के हाथों में चला जाना। यह निश्चय ही कमजोर वर्गों की भर्ती को प्रभावित करेगा।

महोदय, मैं पृष्ठ 8 के कुछ अंश उद्धृत करता हूं :

"राज्य स्तर की संस्थाओं के मामलों को राज्य सरकारों से अलग और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनका कार्यकरण विवेकपूर्ण मानदंडों पर आधारित व्यापार के सिद्धांतों के अनुसार हो और आपके पास इस कार्य के लिए उपयुक्त प्रबंधन ढांचा मौजूद है।"

मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि राज्य स्तर की संस्थायें लघु उद्योग का नुकसान ही कर रही हैं।

केरल राज्य में केरल वित्तीय निगम है। मेरा, माननीय मंत्री से यह निवेदन है कि यदि वित्त मंत्रालय अथवा संसद के पास इस निगम को जांच करने की कोई शक्ति है तो विशेष तौर पर विगत पांच वर्षों की एक निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि इस तरह की कोई जांच की जायेगी तो निगम द्वारा अति लघु क्षेत्र लघु क्षेत्र के प्रति किये गए दुर्व्यवहार की जानकारी हो पायेगी।

महोदय, केरल वित्तीय निगम अधिनियम का खंड 29 प्रबंधन को लघु उद्योगों को बन्द करने की असीमित शक्ति प्रदान करता है। मैं ऐसे सैंकड़ों मामले प्रस्तुत कर सकता हूं जिसने लोगों ने लगभग 50,000 रुपयों का ऋण लिया है और उनकी अदायगी में विलम्ब हुआ है और पांच वर्षों में पुनर्भुगतान की प्रक्रिया लघु उद्योग, ने जिसने 50,000 रुपये लिये थे, एक लाख रुपयों से भी अधिक राशि का पुनर्भुगतान कर दिया होगा परन्तु अब भी एक लाख रुपये से भी अधिक राशि पुनर्भुगतान के लिये बकाया है।

महोदय, लघु उद्योग के क्षेत्र में, जिस पर कुछ ही परिवार आश्रित हैं और यदि वे भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब करते हैं तो उन पर अधिनियम का खंड 29 लागू होगा और कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी। उस उद्योग को बन्द कर दिया जायेगा। उद्योग के बन्द हो जाने के पश्चात्, वे एक सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके लिये खजाने से भुगतान किया जायेगा। ऐसे कई मामले हैं, जिनका मैं उदाहरण दे सकता हूं जिसमें लोगों के अनुसार पूरे उद्योग का मूल्य 3०,000 रुपये तक बताया गया है। वह उद्योग अच्छी तरह से कार्य कर रहा था और उसे भुगतान में विलम्ब के कारण बन्द कर दिया गया। तथा दो सुरक्षा कर्मी दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किये जाते हैं, प्रत्येक कर्मी को 38 रुपये प्रतिदिन प्रदान किये जाते हैं। छः माह में यह धनराशि उस उद्योग की समस्त परिसम्पत्ति की कुल खाता मूल्य से अधिक हो जायेगी। ऐसे उद्योग को बन्द करके वित्तीय संस्थाओं को क्या लाभ हुआ, यह मेरी समझ में नहीं

आता। इसलिए मैं यह आग्रह करता हूं कि राज्य वित्तीय संस्थाओं पर नियन्त्रिण करने तथा उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त कहूंगा। यहां मैं माननीय मंत्री का ध्यान वित्तीय प्रणाली सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 29 के दूसरे पैरा की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसे मैं नीचे उद्धृत कर रहा हूं :

"निर्देशित ऋण कार्यक्रम प्रणाली ने ऋण का सुविचारित दिशा में विस्तार करने में योगदान दिया है। शुद्धतः, परिमाणात्मक अर्थों में, इस विस्तार को ऐसे दिशांतरण के लक्ष्यों के सफलतापूर्वक पूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए। तथापि, यह उपलब्धि ऋण कार्य की गुणवत्ता में गिरावट, देय राशियों में वृद्धि तथा लाभ प्रदता में परिणामतः कमी की कीमत पर प्राप्त की गई है।"

इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या ऐसा राजनीतिक हस्तक्षेप अथवा किसी अन्य तरह के हस्तक्षेप के कारण हुआ है?

फिर, मैं पृष्ठ 30 से उद्धृत करता हूं :

"इस बीच, संबद्ध अपेक्षाओं को सरल बनाया गया है तथा इसमें ऋण की उत्पादकता के अर्थों में ऋण प्रार्थना पत्रों का अपर्याप्त मूल्यांक तथा ऋण प्रदान करने के पश्चात् अपर्याप्त पर्यवेक्षण के कारण बकाया राशि की वसूली प्रभावित हुई है तथा इसमें ऋण कदाचारों में वृद्धि हुई हैं।"

यह सांठ-गांठ है, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। संबद्ध अपेक्षाओं को सरल क्यों बनाया गया है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मेरे विचार से इसकी जांच की जानी है तथा इस माननीय सभा द्वारा कुछ व्यापक रूप से रूपरेखा दी जानी है।

मैं, पुनः पृष्ठ 30 का अन्तिम पैरा उद्धृत करता हूं :

"इस बारे में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित अनुभव से सीखा जा सकता है। समन्वित ग्रामीण विकास के कई मामलों में ऋण प्रदान करने वाले बैंकों ने आवश्यकता पर आधारित मूल्यांकन तथा संभावित सक्षमता का आंकलन करने की अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतया छोड़ दिया है तथा इसकी अपेक्षा सरकारी अधिकारियों द्वारा तैयार की गई ऋण लेने वालों की सूची पर निर्भर रहे हैं।"

यह पूर्णतया गलत है। त्रिवेन्द्रम में, मैं बैंकों द्वारा बुलाई गई समिति की बैठकों में भाग लिया करता था। यह मुद्दा बैंकरों की बैठक में आया था। राज्य निगम एक विशेष दिन 200 आवेदन देता था। उनको बैंकों के परामर्श से जिला उद्योग प्रबंधकों द्वारा छांटा जाता है। वे व्यक्ति का चयन करते हैं। वे परियोजना का अध्ययन भी करते हैं तथा फिर उनको बैंकों को भेजा जाता है। अन्त में, यह एक बैंक की किसी शाखा विशेष के पास जाती हैं। उस शाखा का प्रबन्धक अपने स्वविवेक से यह निर्णय करता है कि ऋण प्रदान किया जाए या नहीं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि इसी अन्याय के कारण राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, यदि कोई होता भी है तो आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् एक गरीब व्यक्ति छः माह तक चक्कर लगाता रहता है, अपनी जेब से खर्च करता है तथा परियोजनाओं की स्वीकृति के लिये ब्यौरा देता है। और अन्त में, छः माह के पश्चात, परियोजना स्वीकार की जाती है

तथा तत्पश्चात इसे एक किसी शाखा विशेष को भेजा जाता है। शाखा प्रबन्धक उस समय परियोजना का दौरा करता है उद्यमी को बताता है कि वह ऋण प्राप्त नहीं कर सकता। मैं यह कहना चाहता हूं एक बार जांच पूरी होने तथा व्यक्तियों का चयन करने के पश्चात, परियोजना का अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जिला उद्योग अधिकारी तथा बैंक के प्रतिनिधियों की एक जिम्मेदार समिति जब अन्त में परियोजना पर निर्णय करती है, तो किसी बैंक विशेष के प्रबन्धक को ऋण अस्वीकार करने की कोई स्वविवेकी शक्ति नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार इस देश में लाखों व्यक्तियों की यही समस्या है। इसलिए, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस पक्ष पर कृपया विचार किया जाए। इन टिप्पणियों के साथ, मैं एक बार फिर यह अनुरोध करता हूं कि इस समिति के प्रतिवेदन पर इस सभा में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसका केवल सीमित प्रयोग है।

श्री राजगोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : सभापति महोदय, मुझे बैंककारी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) संसोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर देने के लिए, मैं ए० आई० ए० डी० एम० के० की ओर से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

महोदय, हमारे लोकतान्त्रिक संविधान का आधार स्तम्भ समाजवाद है। धन का प्रभावी ढंग से विकेन्द्रीकरण किए बिना समाजवाद नहीं लाया जा सकता। केवल इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर, दो दशक बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया था। बैंकों को सामाजिक परिवर्तन से सम्बद्ध संस्थाओं के रूप में माना गया था उनको लोगों में आर्थिक समानता लाने वाले समझा गया था। लेकिन, आज कतिपय निहित स्वार्थी व्यक्तियों के कारण समस्त बैंकिंग उद्योग की बुरी हालत है। प्रतिभूति घोटाले ने बैंकिंग क्षेत्र की कमियों को उजागर किया है जिन्हें तुरन्त दूर किया जाना चाहिए।

महोदय, कई सौ करोड़ सरकारी रुपये, जिनका गरीबों तथा दलितों के लिए मकान बनाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था, जो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए गरीब किसानों के पास जाना चाहिए था, जो पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पास उनकी सामजिक तथा आर्थिक प्रगति के लिए जाना चाहिए था, उसका स्टाक बाजार में सट्टेबाजी के लिए कुछ लोगों द्वारा प्रयोग किया गया। 3500 करोड़ रुपये एक कम धनराशि नहीं है। यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है वे उच्च अधिकारी जो बैंकिंग क्षेत्र के उच्च पदों पर हैं, वे इस प्रतिभूति घोटाले में संलिप्त हैं। इसने देश को मजाक का विषय बना दिया है। यद्यपि मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं कि सरकार ने ऐसी दोषपूर्ण प्रणाली को विकसित होने दिया, तथापि मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि जो इस घोटाले में शामिल हैं उनको शीघ्रता से जेल में डाल दिया है। यहां तक कि उच्च अधिकारी भी नहीं छोड़े गए हैं।

महोदय, इस घोटाले ने सरकार की आंखें खोल दी हैं। इसकी जांच करने तथा संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आने तक, सरकार को यह देखने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए कि बैंकिंग प्रणाली गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करे। पूंजीवाद, उदारीकरण तथा धन का विकेन्द्रीकरण एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये साथ-साथ चलते-रुकते हैं। जबकि बड़े व्यापारियों में अपनी परिसम्पत्तियों के अन्दर और धन उत्पन्न करने की क्षमता है, गरीबों को विकास के लिए केवल ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की ओर ही ताकना होता है। अत: पूंजीवादी समाज में भी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को पहले गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए तथा तत्पश्चात बड़े व्यापारियों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

चूंकि कराधान धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, बैंकों की ब्याज दरें भी धीरे-धीरे बढ़नी चाहिए। पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, किसानों, छोटे दस्तकारो तथा विकासशील समुदायों के ऐसे अन्य लोगों से कम ब्याज लिया जाना चाहिए तथा बड़े व्यापारियों से अधिक ब्याज दर वसूल किया जाना चाहिए। इस देश में, जहां 60 प्रतिशत से भी अधिक व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, ओद्योगिक विकास में पार्टियों में आर्थिक समानता लाने के लिए ऋण लेने वाले की परिसम्पतियों को ध्यान में रखकर विभेदक ब्याज दरें क्यों नहीं ली जातीं ?

इस सम्बन्ध में, मैं सदन को यह जानकारी देने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं कि तमिलनाडु में पुरारची थलावी के एवर्णिम शासन के अन्तर्गत सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों जैसी सभी वित्तीय संस्थाओं को एक विशिष्ट निर्देश जारी किया गया था कि महिलाओं, किसानों तथा दस्तकारों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को इन संस्थाओं द्वारा ऋण देने के मामले में वरीयता क्षेत्र समझा जाना चाहिए।

घोटालों को रोकने के लिए, सरकार को तुरन्त यह आदेश देना चाहिए कि बैंक कर्मचारियों को विगत दस वर्षों के दौरान उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा एकत्रित की गई परिसम्पत्तियों की घोषणा करनी चाहिए। ऐसे आदेश से बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार तथा प्रभाव की सीमा का पता चलेगा।

महोदय, बैंकों के प्रतिदिन के कार्य में लोक शिकायतों की सुनवाई के लिए तथा दोषियों को दण्ड देने तथा पीड़ित व्यक्ति को राहत देने के लिए, सरकार को केवल इस उद्देश्य के लिए संविधि द्वारा बैंकिंग सतर्कता आयोग बनाना चाहिए।

महोदय, मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि वह सभी बैंकों में लोगों की जानकारी के लिए प्रतिदिन के आधार पर सभी ऋणों के वितरण का ब्यौरा सार्वजनिक सूचना के रूप में दिखाये जिसमें स्वीकृत ऋण की धनराशि, ऋण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के नाम, जिन लोगों को ऋण प्रदान किया तथा जिन लोगों के आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं उसका ब्यौरा दिखाया जाए। इससे आप लोगों को बैंक अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। मेरा यह भी सुझाव है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में गरीबों को आभूषणों पर ऋण दिया जाना चाहिए क्योंकि आभूषण गरीबों की एकमात्र परिसंपत्तियां होते हैं। यदि विद्यमान काउण्टर पर्याप्त नहीं है, तो आभूषणों को गिरवी रखकर छोटे ऋण देने के प्रयोजनार्थ सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में विस्तार काउंटर आरम्भ किए जाने चाहिए। इससे लोगों को सोने के प्रति लालसा को त्यागने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री संदीपान भगवान थोरात (पंढरपुर) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाज के गरीब-से-गरीब वर्गों के लिए था। इसे बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे लोगों के पास पहुंचने के लिए बनाया गया था। स्वर्गीय श्रीमती गांधी ने यही सोचा था।

महोदय, इस देश की बैंकिंग प्रणाली ही एक मात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा देश का विकास हो सकता है। राष्ट्र के विकास के लिए, वाणिज्यिक बैंक मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह किसी देश के औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख कारक है।

जैसा कि इस संशोधन विधेयक में सुझाव दिया गया है, प्रदत्त पूंजी को बढ़ाना है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सरकार बैंकों को प्रदत्त शेयरों का योगदान कर रही है। इस अवसर पर मैं वित्तमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जब केन्द्रीय सरकार इन बैंकों की प्रदत्त शेयर पूंजी में योगदान दे रही है, तो इस प्रदत्त पूंजी का कुछ भाग इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। इस देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 22½ प्रतिशत है। इसलिए प्रदत्त शेयर पूंजी जो बैंकों के पास जाती है, उसमें से 22½ प्रतिसत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए और वह भी बिना किसी ब्याज के। इन राशियों पर बैंकों को ब्याज नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह राशि सरकार की है। इस राशि पर बैंकों का कोई दावा नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि प्रदत्त शेयर पूंजी के रूप में बैंकों को सरकारी हिस्सा देते समय वित्तमंत्री महोदय को इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। उन्हें बैंकों पर एक शर्त लगानी चाहिए कि 22½ प्रतिशत का इतना भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के खाते में जाना चाहिए।

प्राथमिकता क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, पर लगाये जाने वाले ब्याज की दर भी अधिक है।

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी किये हैं और ब्याज की दर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। यह अत्यधिक है। पहले ब्याज की दर 14 प्रतिशत थी और इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे ग्रामीण उद्योग चल नहीं सकता है अथवा उठ नहीं सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग आरम्भ करना बहुत कठिन है। पहले सामान्य जनता के लिए ब्याज की दर 14 प्रतिशत थी। अतः, अब यह 14 प्रतिशत होनी चाहिए।

दूसरा सुझाव समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत किसानों तथा कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण उनके लिए बहुत लाभकारी थे। लेकिन हम नहीं जानते कि वे मार्गनिदेश किसने तैयार किए जिनके अनुसार वह प्रथा अब समाप्त की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक इन गरीबों का वित्त पोषण नहीं कर रहे हैं।

मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह देखने का अनुरोध करता हूं कि उन मार्गनिदेशों का जो पहले जारी किए गए थे उचित कार्यान्वियन किया जाना चाहिए और गरीब लोगों के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के वित्त पोषण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।

निदेशक मंडल को धारा 7 के तहत नियुक्त किया जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार निदेशक मंडल के वर्तमान ढांचे में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो।

मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अगले सत्र में वे अधिनियम की धारा 7 में एक अन्य संशोधन करें कि बैंक के निदेशक मंडल में एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जन जाति का होना चाहिए।

बैंकों में कुछ सामाजिक निधि भी होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए इसका उपयोग होना चाहिए।

जहां तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण का सम्बन्ध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि इन गरीब लोगों को ऋण नहीं मिलता है। कुछ माननीय

सदस्यों ने कहा है कि इन गरीब लोगों को ऋण देने के लिए अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए एक निगम एन० एस० एफ० डी० सी० है लेकिन इस निगम को केवल 10 करोड़ रुपये की निधियां प्रदान की जाती हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 22½ प्रतिशत है। लगभग एक चौथाई राष्ट्र को 10 करोड़ रुपये का ऋण वर्ष में उनके विकास के लिए दिया गया है। यह कैसे सम्भव है। यह खैरात है।

मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कम से कम जो निधियां अपने एन० एस० एफ० डी० सी० के लिए प्रदान की है, कृपया उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बढ़ा दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, यह विधेयक केवल कुछ मामलों के लिये आया है और ऐसी घड़ी में आया है जब देश में एक वातावरण बैंकों पर जनहित के लिये जनता के स्वामित्व रहने के सवाल का बना हुआ है, इस पर चोट हुई है।

सभापति जी, हाल ही में पिछले सप्ताह बिहार में सांसदों की बैठक में देश के सर्वोच्च उद्योगपतियों ने 3 में से दो बिन्दुओं को कहा कि देश में जो राष्ट्रीकृत बैंक हैं, उनका निजीकरण होना चाहिए और जो राजकीय क्षेत्र के कारखाने हैं, उनको भी निजी क्षेत्र में लाया जाए। सुझाव रखने का जनतन्त्र में सबको हक है, लेकिन सांसदों को निमंत्रित करके इस बात को कहा गया, इसको मैं साहस कहूं या दुःसाहस कहूं, लेकिन मुझे शक है कि कहीं सरकारी नीति का उनको किसी तरह का इशारा तो नहीं मिला है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि संयोगवश या सौभाग्यवश मैं भी चौथी लोकसभा में था जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के 19 सितम्बर 1968 को एक दिन की हड़ताल की थी, जिसमें 14 आदमी गोली से मारे गये थे, 23000 को गिरफ्तार किया गया था और 45000 की सर्विस ब्रेक हुई थी। शास्त्री भवन में भी गोली चली थी और इस सब का हम लोगों ने उस समय की स्थिति के मुताबिक विरोध भी किया था। उसके बाद वही समय था जब योजना बन्द थी और विश्व बैंक के हुक्म पर योजना को छुट्टी मिली हुई थी, 4 वर्षों तक, क्योंकि योजना लिए पैसा नहीं था। तब बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हुई। हमने भी सुझाव दिया था और अलग से भी प्रधान मंत्री जी से मिले थे। प्रधान मंत्री उस समय घबराती थीं, क्योंकि तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने कहा था कि जब तक मैं वित्त मंत्री रहूंगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा प्रधानमंत्री जी ने इसकी कटिंग दिखाई, मैंने कहा कि उन्होंने विरोध तो नहीं किया है, कहने लगीं कि कैसे विरोध नहीं किया है, मैंने कहा कि उन्होंने यही कहा है कि जब तक मैं वित्त मंत्री रहूंगा, तब तक राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता, तो उनको हटा दीजिए, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। बोलीं थीं कि सरकार नहीं चलेगी, हमने कहा कि आप साहस करें, राष्ट्रीयकरण करें, प्रिवीपर्स समाप्त करें, हम बिना शर्त सरकार चलाने मे सहयोग करेंगे। उस भूमिका को मैं इसलिए याद करने जा रहा हूं क्योंकि उस समय देश भर में और कुछ सांसद भी उसमें शामिल थे, एक कमेटी बन गई थी दिल्ली में कि बैंकों में जमा पैसा वापिस निकालो, बैंकों का दीवाला निकलने जा रहा है, खुलेआम यह बात होती थी। उस समय जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उनकी कुल जमा पूंजी 36 सौ करोड़ थी जो आज 7-8 हजार करोड़ तक पहुंच गई है। गड़बड़ियां हैं, पहले भी थीं, मगर देश के वे लोग जो साढ़े 3 हाथ बदन

वाले हैं, दूसरी कोई सम्पत्ति उनके पास नहीं है, उनका भी बैंकों से रिश्ता जुड़ा है, रिक्शा लेने के लिए, भैंस लेने के लिए, स्व उद्योग के लिए, ये बातें पहले सोची भी नहीं जा सकती थीं, हालांकि बहुत कमियां हैं।

जब यह विधेयक हमारे सामने आया है तो बैंकों की समस्याओं के बारे में जो मेरा अनुभव रहा है, अधिकांश बैंकों खासकर क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों की दीवालिया होने की स्थिति है। अब हालत क्या है, 10,000 रुपये कर्ज माफी के बाद लोग उम्मीद करते हैं कि फिर कर्जामाफी होगी, सरकार की ओर से स्पष्ट ऐलान नहीं होता है, कुछ सांसद भी कहते हैं कि इस बार ठहरो, अगली बार फिर माफी हो जाएगी। बैंक का धन बीज है, पैदा करने के लिए, वृक्ष रोपने के लिए, इस पर आज खतरा आ गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, वित्त मंत्री जी इसको सदन के सामने, देश के सामने स्पष्ट करें कि आखिर बैंकों की वसूली की क्या हालत है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी और उस स्थिति को सुधारने का क्या उपाय है।

दूसरा पहलू यह है कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय 50 करोड़ रुपये से कम पूंजी वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, उनको छोड़ दिया गया था।

5.00 म० प०

बाद में 1980 में, 1988 में 500 करोड़ तक ले जाया गया, अब 1500 करोड़ है। अब 50 करोड़ से बढ़ाकर आप 1500 करोड़ पर ला रहे हैं ऐसी स्थिति में कोई दूसरे मापदण्ड पर भी इसी अनुपात में जा रहे हैं या करोड़पतियों को अलग से अपना निजी बैंक खोलकर जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनको घाटे में डाल दें, दिवालिया करा दें और निजी बैंक कुछ सालों में देश के वित्तीय तंत्र पर और ज्यादा कारगर तरीके से कब्जा कर लें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खास तौर से राष्ट्रीयकृत बैंक हमारी सांझी राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में हैं। वह किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं है। यह ठीक है कि उस सम्पत्ति का उपयोग सत्ता जिसके हाथ में है वह ज्यादा करता है। मगर फिर भी विधिवत साझे की सम्पत्ति के रूप में हैं।

जो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के लिए मापदण्ड है यह स्वाभाविक है, उसमें मैं समझता हूं कि समर्थन का ही सवाल है, उस मापदण्ड में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जो 8 प्रतिशत का 92 तक के लिए या 93 तक और बैंकों के लिए बढ़ाने का है उसमें हमें पिछड़ना नहीं चाहिए, जब विश्व बाजार में हम हैं, दुनिया के बैंकों से हमारे रिश्ते हैं और हम चाहते हैं आगे बढ़ें। लेकिन जो मैंने कहा कि निजी बैंकों के लिए जो एक के बाद एक बार ही 1500 पर ले आए हैं, जहां 50 था, जो बैंक कर्मचारियों की मांगें हैं, कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों के बारे में समझौता हुआ था, ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ था, वह अभी तक लागू नहीं हुआ। सरकार वचनबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ कि इसको लागू करो, अभी भी सरकार ने लागू नहीं किया है। मैं महसूस करता हूं जो मेरी बातें हुई थी वित्त मंत्री लोगों से कि 200-250 करोड़ लग जाएगा, मैं बैंक कर्मचारियों की ओर से नहीं कह रहा हूं, उनकी अलग बात है, अलग मांग है, मैं अपनी ओर से कह रहा हूं कि जब ट्रिब्यूनल का फैसला है, जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है तो भारत सरकार इसका उल्लघन करे, यह जंचता नहीं। मुद्रास्फीति न बढ़े, उसको रोकने के लिए न दीजिए उनके हाथ में पैसा, उनकी जमा राशि में दे दीजिए, फिक्स डिपाजिट में दे दीजिए, पैसा आपके हाथ में रहे, देश में मुद्रास्फीति न बढ़े, लेकिन निर्णय आपका लागू हो जाए यह मैं समझता हूं व्यावहारिक कदम है।

बड़ा अच्छा होगा अगर आज के दिन, इस विधेयक के समय वित्त मंत्री जी इसका ऐलान करें। नहीं तो खुला उल्लंघन है ट्रिब्यूनल के निर्णय का, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का। यह जंचता नहीं है। इसी के लिए कितना हम लोगों ने इस सदन में किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। मैं समझता हूं इस विषय को किनारे नहीं रखकर वित्त मन्त्री जी इसको स्पष्ट करेंगे।

एक चीज के लिए सभापति जी मैं जोर देना चाह रहा हूं। बैंकों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग इसलिये देश का एक भी थोक व्यापारी आवश्यक सामानों का नहीं है जो सिर्फ अपने पैसे से थोक व्यापार करता हो। वह हमारे बैंकों की पूंजी से करता है। करे, इसमें एतराज नहीं है। माल किसानों से खरीदकर बैंकों के पैसे से गोदामों में इकट्ठा कर लेता है, बाजार के उपभोक्ता गोदामों में नहीं आते हैं, वे बाहर रह जाते हैं। मार्शल केन्स एडमस्मिथ का अनर्थ शास्त्र है उसके मातहत बाजार में माल कम हो गया, उपभोक्ता ज्यादा रह गये, कीमतें बढ़ने लगीं, व्यापारी बैंकों के जरिये गोदामों से माल छुड़ा-छुड़ाकर सवइया, ड्योढ़ा, दुगुना मुनाफा मारते हैं। बैंक के सहयोग से, बैंक के पैसे से देश में मुद्रास्फीति बढ़ाने में, महंगाई बढ़ाने में हमारे देश के निजी थोक व्यापारी सहायक हो रहे हैं।

मेरा आग्रह होगा कि जिस तरीके से मिश्रित आर्थिक ढांचे में आप चल रहे हैं. जिस तरीके से आप निजी पूंजी वालों को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं सरकार से आशा नहीं करता कि थोक व्यापार को पूरी तरह से अपने हाथ में लेंगे, लेकिन एक बात के लिए मैं आग्रह करूंगा और मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री इसको स्पष्ट करें कि आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार के लिये बैंकों का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा देना आप बन्द करेंगे। इसके जरिये मुनाफाखोरी करके तुम देश को मत लूटो। करोड़ों परिवारों के बजट को वर्जित मत करो। कोई निजी बैंक से लेकर कर सकते हैं तो करने दीजिये। उत्पादन के लिये वही व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है तो वह वास्तव में उत्पादन बढ़ाये। थोक व्यापार को बन्द करने का ऐलान करे। पिछले साल जब वित्त मन्त्री जी ने कहा तो मुझे खुशी हुई कि झा साहब ने सुझाव दिया है तो रिजर्व बैंक उसी रास्ते पर चल रहा है। लेकिन उसका व्यावहारिक परिणाम कहीं देखने में नहीं आ रहा है। इसका स्पष्ट ऐलान कर दें कि थोक व्यापारी आजाद हैं और थोक व्यापार करें और जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा है तो उसको लेकर वे जमाखोरी, मुनाफाखोरी नहीं करेंगे। उसको लेकर जो हमारा फूड कारपोरेशन या जूट निगम है या दूसरी संस्था है उसके जरिये करेंगे और बैंकों का सदुपयोग करें। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों के साथ मिला हुआ मामला है। मैंने पिछली बार कहा था और मैंने कुछ रसीदें दी थीं। मैंने 23 व्यक्तियों की बिहार के दरभंगा जिले में सहसपुर पंचायत की रसीदें दी थीं। मैंने संसद में वित्त राज्य मन्त्री श्री दलबीर सिंह जी को दी थी। जिसने एक पैसा भी कर्ज नहीं लिया तो उसका कर्जा माफ किया गया। इससे एक ही नतीजा निकलता है कि उसके नाम पर किसी ने कर्ज लिया था। वह प्रबन्धक शायद बदली हो गया और नया प्रबन्धक आ गया जबकि उसको मालूम नहीं था कि जिसने एक पैसा नहीं लिया तो उसका पांच-दस हजार रुपया माफ कर दिया गया। इस पर आज तक कार्यवाही नहीं हो सकी। अब वे मजाक उड़ा रहे हैं। जिन भूमिहीनों, हरिजनों को मधुबनी जिले में खजौली के लोगों को कर्जे का पैसा मिला तो वह मंजूर हुआ लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला वह सुनियोजित उत्पादन के लिये था विभिन्न किस्मों के कामों के लिए। मैं खपत के लिये बैंक के पैसे के पक्ष में नहीं हूं और हिम्मत नहीं होती है, बैंकों का दिवालिया हो जायेगा। लेकिन उत्पादन के लिये पैसा

नहीं मिला तो मैंने इस सवाल को यहां उठाया था और वित्त मन्त्री जी को पत्र लिखा था उनका जवाब आया कि कार्यवाही करेंगे। सुनने में आया कि यहां से कोई नाबार्ड का व्यक्ति गया था जिसके सामने एफीडेविट दिया गया। सही आदमी मेरे पास आये कि सुना है हमारे नाम से किया है। ऐसा होगा तो लोग कोर्ट में क्रिमिनल केस करेंगे। क्या सरकारी तन्त्र इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता कि जो सौ फीसदी खा गया.....(व्यवधान) या तो लोग बैंकों पर हमला करें या क्रिमिनल केस में जायें इसकी राय दीजिये। वित्त मन्त्री जी को नौ महीने हो गये जब पत्र लिखा था जबकि नौ महीनों में आदमी का बच्चा पैदा हो जाता है। नौ महीने में वित्त मन्त्री कार्यवाही नहीं कर सके जबकि स्टेट बैंक की एक शाखा ने पैसा खा लिया। उत्पादन काम के लिये बातें हुई हैं और वित्त मन्त्री जी अकेले में सहमत हुए हैं कि हम उसको बढ़ायेंगे। जो हमारे बेकार युवक-युवतियां हैं तो उनके लिये मैं बेहतर समझता हूं कि वे नौकर की बजाए मालिक बने वस्तु का उत्पादन करके। कुछ जिलों को एक आदर्श के रूप में रखें। कि हम सिर्फ उत्पादन के लिये बैंक से पैसा लायेंगे और पैसा लेंगे साधन के रूप में तो उसमें कुछ रियायत होगी। बैंक कहेगा कि वह खरीदी तो दुगुने दाम पर मिलेगा। ऐसा नक्शा हो जाए कि बैंक से काम हो और उत्पादन में वृद्धि हो जाए। सारे देश के लिए कुछ कीजिए नहीं तो कुछ जगहों पर नमूने के तौर पर कर सकते हैं जिससे देश के लोग उत्साहित हो जाएं और बैंकों की उपयोगिता लोगों की समझ में आ जाए। इन मुद्दों पर वित्त मन्त्री जी कुछ राय दें और कुछ नीतियों का ऐलान करें। विधेयक के समर्थन की बात इसमें नहीं मिलती है, महंगाई वृद्धि के चलते कुसंगत लगता है। लेकिन जब 50 करोड़ को लाया गया है 1500 करोड़ तक तो यह बात विरोध करने लायक है, यह समर्थन के लायक नहीं है। इससे निजी बैंकों को हावी होने का मौका मिलेगा। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड का सवाल है मैं समझता हूं वह विरोध की बात नहीं है, हमारे बैंक आगे आयें और इस मुकाबले में आगे बढ़ें।

मैं पूरा समर्थन करूं इसके लायक यह विधेयक नहीं है, विरोध करने लायक कई बातें हैं। मैं नहीं समझता हूं वित्त मन्त्री इसको वापस लेंगे, नहीं लेंगे तो विधेयक का समर्थन करना हमारे लिए सम्भव नहीं है।

5.11 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर पर हुई बातचीत

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : महोदय, माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता का छठा दौर नई दिल्ली में 17 से 19 अगस्त, 1992 तक होना तय था। यह बातचीत आज पूरी हो गई है।

बातचीत का यह छठा दौर असल में जून, 1992 में होने वाला था लेकिन इस्लामाबाद में एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक के अपहरण तथा उसके साथ बर्बर दुर्व्यवहार किए जाने की वजह से तथा राजनयिक कार्यकलापों के स्वीकृत मानदण्डों का पाकिस्तान के आचरण द्वारा उल्लंघन होने के कारण द्विपक्षीय संबंधों का वातावरण बिगड़ जाने की वजह से यह बातचीत स्थगित कर दी गई थी।

14 जून, 1992 को रियो-डि-जेनिरो में हुई अपनी बैठक में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों में यह सहमति हुई थी कि हाल ही के व्यवधानों के बावजूद तनाव को कम करना तथा द्विपक्षीय

बातचीत के सिलसिले को पुनः पटरी पर लाना जरूरी है। हम यह मानते हैं कि बातचीत जारी रखने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम यह भी मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला बना ही रहना चाहिए तथा तनाव को कम करने की कोशिशें की जानी चाहिए।

नई दिल्ली की यात्रा के दौरान पाकिस्तान के विदेश सचिव ने राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री से मुलाकात की। उनके साथ मेरी भी अलग से मुलाकात हुई।

इन बैठकों में हमने फिर यह बात कही कि पाकिस्तान आतंकवाद और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को जो समर्थन दे रहा है और हमारे आन्तरिक मामलों में जो हस्तक्षेप कर रहा है वह बंद होना ही चाहिए और इस सिलसिले को अविलम्ब सदा के लिए खत्म कर दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश सचिव से हमने बलपूर्वक यह बात कही कि इस सिलसिले के रुकने का ठोस साक्ष्य प्रस्तुत हो जाने के बाद ही पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने का वातावरण बनना सम्भव है।

पाकिस्तान के विदेश सचिव ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवाज शरीफ का एक पत्र हमारे प्रधान मंत्री को दिया। हमारे प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि इस पत्र की विषय वस्तु पर यथोचित रूप से विचार कर लेने के बाद उसका जवाब भेजा जाएगा।

विदेश सचिव स्तर की बातचीत के छठे दौर के लिए कोई निश्चित कार्यसूची नहीं थी और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की तमाम बातों पर विचार-विनिमय हुआ। इस बातचीत से आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचार-विमर्श करने का अवसर मिला। बातचीत के दौरान विदेश सचिवों के बीच द्विपक्षीय हित के कुछ अनसुलझे मसलों पर आगामी महीनों में अधिकारी स्तर की बातचीत की कुछ बैठकों के बारे में सहमति हुई। इनमें सियाचिन, सरदीक, लापता भारतीय रक्षा कार्मिक और पाकिस्तान में असैनिक कैदियों का मसला तथा नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार एवं तस्करी के निपटने के लिए भारत पाकिस्तान समिति की अगली बैठक भी शामिल है। इस बातचीत के अन्त में एक से सहमत वक्तव्य दिये गये। इस वक्तव्य की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2603/92]**

पाकिस्तान के विदेश सचिव के साथ द्विपक्षीय बातचीत निःसंकोच और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। यह बातचीत इस दृष्टि से लाभप्रद रही कि इससे हमें यह बात बलपूर्वक कहने का मौका मिला कि पाकिस्तान को भारत में आतंकवाद और विध्वंसक कार्यवाहियों को निरन्तर समर्थन देने में निहित खतरों को समझना चाहिए और उनसे बचना चाहिए तथा इस स्थिति को दुरुस्त करने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करने में पाकिस्तान की इमानदारी का वास्तविक प्रमाण तभी होगा जब पाकिस्तान प्रत्यक्षतः इसका वास्तविक और ठोस सबूत दे। हम इस संदर्भ में स्थिति पर सावधानीपूर्वक निगाह रखेंगे।

बातचीत के छठे दौर की समाप्ति पर दोनों विदेश सचिवों ने वायुक्षेत्र का उल्लंघन रोकने से संबद्ध समझौते के अनुसमर्थन के दस्तावेज का तथा सैनिक अभ्यास, युद्धाभिनय एवं सैन्य संचालन की पूर्व सूचना से संबद्ध समझौते के अनुसमर्थन के दस्तावेज का आदान-प्रदान किया जिन पर अप्रैल, 1991 में हस्ताक्षर किए गए थे तथा जिनका बाद में दोनों देशों ने अनुसमर्थन कर दिया था। दोनों विदेश सचिवों ने रासायनिक शस्त्रों के पूर्ण निषेध से संबद्ध एक संयुक्त घोषणा पर तथा भारत और पाकिस्तान के राजनयिक/कौंसली कर्मिकों के प्रति व्यवहार के आचरण की एक संहिता पर भी हस्ताक्षर किए। ये तीनों दस्तावेज परस्पर विश्वास विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अगला कदम है।

हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत के द्वार खुले रखे हैं। दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की मुलाकात गुट-निरपेक्ष देशों के आगामी शिखर सम्मेलन में जकार्ता में होने को है।

मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने तथा अपने प्रयत्नों से सभी मसलों को द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करने तथा उन्हें सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारे विचार से तनाव पर काबू रखने के लिए और माहौल को ठण्डा करने के लिए बातचीत का सिलसिला अनिवार्य है। पाकिस्तान के साथ हालांकि हम सभी मसलों पर बातचीत करने को तत्पर हैं लेकिन विपक्षीय मसलों पर, खासतौर पर अपेक्षाकृत अधिक जटिल विपक्षीय प्रश्नों पर कोई सार्थक बातचीत तभी हो सकती है जब पाकिस्तान, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और विध्वंसक कार्यवाहियों को समर्थन देना बन्द कर दे।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। कृपया कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल न कीजिए मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं करना है।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल न कीजिए।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब श्री अंसारी बैंककारी कम्पनी संशोधन विधेयक के बारे में बोलेंगे।

5 18 म० प०

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक—जारी

[अनुवाद]

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : महोदय, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक संसद के समक्ष पारित होने अथवा अधिनियमन के लिए प्रस्तुत है। मैंने देखा है कि यह एक सीमित प्रयोजन के लिए बहुत ही सीमित विधेयक है—यह कि बैंककारी कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी

---

* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

को जो 1980 में बढ़ाकर 500 करोड़ रु० कर दी गई थी—जैसा कि बताया गया था कि यह 1970 में 50 करोड़ रु० थी—बढ़ाकर 1500 करोड़ रु० कर दिया जाना चाहिए। अतः यह एक हितकारी विधेयक है और बैंकिंग कम्पनियों पर भी इसका हितकारी प्रभाव होगा। इसकी अवश्य ही प्रशंसा की जानी चाहिए और इसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर कुछ शर्तें भी अवश्य ही लागू की जानी चाहिए।

सबसे पहले, मैं वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस प्रदत्त पूंजी को क्यों बढ़ाया जा रहा है। यह एक तकनीकी विधेयक है और मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता हूं और इसीलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि बैंककारी कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी में क्यों वृद्धि की जा रही है। क्या कोई प्राधिकृत सीमा प्राधिकृत पूंजी है? पूंजी को अनेक प्रकार के वर्गीकृत किया गया है—प्राधिकृत पूंजी अभिदत्त पूंजी, प्रदत्त पूंजी और ये सब बातें हैं। लेकिन आपने केवल प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। एक बार जब लक्ष्मण रेखा वहां खिंच जाती है, वहां प्राधिकृत पूंजी होती है, वहां प्राधिकृत सीमा है, तो उस सीमा तक प्रत्येक बैंक पूंजी के बारे में अपनी सीमा बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। अतः, मैं बैंककारी कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी को 500 करोड़ रु० से बढ़ाकर 1500 करोड़ रु० तक किए जाने के पीछे कोई समझदारी और अर्थ नहीं पाता। इन सब बारीकियों के बावजूद मैं इन सब बातों के विस्तार में जाना चाहूंगा। यदि बैंककारी कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी 500 करोड़ रु० से बढ़ाकर 1500 करोड़ रु० की जा रही है, तो इसके क्या प्रयोजन हैं? कुल प्रदत्त पूंजी में इस वृद्धि के उद्देश्य और लक्ष्य क्या होंगे? प्रदत्त पूंजी में वृद्धि के कारण नहीं बताए गए। इसके उद्देश्य व लक्ष्य भी नहीं बताए गए—इस प्रदत्त पूंजी को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा, इस प्रदत्त पूंजी को क्षेत्रवार, प्रतिशततावार और उद्योगवार किस प्रकार और कहां इस्तेमाल किया जाएगा। अतः, मैं वित्त मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण लेना चाहूंगा। यह केवल एक सीमित विधेयक है। अतः, मैं प्रदत्त पूंजी से सम्बधित्त चर्चा में स्वयं को सीमित रखना चाहता हूं! यदि आप प्रदत्त पूंजी में वृद्धि करते हैं, तो उस मामले में इस प्रदत्त पूंजी का क्या प्रयोग और प्रयोजन होगा?

सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि इस प्रदत्त पूंजी के जो कि बैंककारी कंपनियों की इच्छा पर उपलब्ध होगी, के प्रयोग और निवेश की कुछ मूल नीतियाँ और सिद्धांत होंगे। अतः, लाभप्रदता केवल अनुमानित है। इसे बैंकों में इस समस्त प्रदत्त पूंजी के निवेश के लिए प्रथम मार्गनिर्देश सिद्धांतके रूप में माना गया है।

इसके साथ ही सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए। यदि एक बार जब आप लाभप्रदता के मुद्दे पर विचार करते हैं, तो उस मामले में निवेश गलत जगह होगा और निवेश सभी सभृद्ध क्षेत्रों में किया जाएगा जो पहले ही इस प्रकार के निवेशों से ग्रस्त हैं। यदि आप केवल लाभप्रदता का अनुमान लगाते हैं, तो आप मात्रा और सुरक्षा की राशि का भी संतुलन करने का प्रयास करें। लोगों के हाथों में यह कहां तक सुरक्षित है। यही कारण है जो देश में हुए प्रतिभूति घोटाले के लिए उत्तरदायी है क्योंकि इन सभी बैंकिंग कंपनियों द्वारा जब निवेश किया जा रहा था तो सुरक्षा संबंधी पहलू पर विचार नहीं किया गया था। आंतरिक जांच की कोई प्रणाली नहीं थी। कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं थी, जिस पर ध्यान दिया जाता। इसी कारण देश में इतना बड़ा घोटाला हुआ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि निवेश करते समय और प्रदत्त पूंजी का इस्तेमाल करते समय विविधीकरण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि आप प्रदत्त पूंजी में वृद्धि कर रहे हैं, तो जोखिम का

भी विविधीकरण करना चाहिये। विविधीकरण जोखिम का अर्थ है कि निवेश अवश्य ही विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों में, समाज के विभिन्न वर्गों में भी किया जाना चाहिए जिससे कि जोखिम भली-भांति बंट जाएगा और धन, एक ही टोकरी में रखे गये सारे अंडों की तरह जोखिम में नहीं रखा जायेगा। यदि यह टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जायेंगे। यदि आप प्रदत्तपूंजी की भारी राशि अर्थव्यवस्था के एक बड़े जोखिम पूर्ण क्षेत्र में लगाते हैं और यदि आप यह धन राशि आप ऐसे घोटालेबाजों को देते हैं, जैसा कि हमारे देश में हुआ है, तो उस मामले में परिणाम बड़े ही निराशा-जनक निकलेंगे।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा। कि राष्ट्रीय हितों, नकदी और विपणता, विविधीकरण, सुरक्षा, लाभप्रदता इन सभी कारकों को प्रदत्त पूंजी, जिसे 500 करोड़ रु० से बढ़ाकर 1500 करोड़ रु० किया जा रहा है, का उपयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

इसी प्रकार बैंकों को विभिन्न शाखाओं में धोखा-धड़ी के मामले हो रहे हैं और ध्यान नहीं दिया जाता है। वित्त मंत्रालय को भी इसकी जानकारी नहीं है। अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि यह धोखा-धड़ी कहाँ हो रही है। इन धोखा-धड़ियों निधियों के गबनों और दुरुपयोगों के बाद काफी समय बीत जाता है और काफी समय बीत जाने के बाद ही बैंक के प्रबंधक वर्ग का इसका पता चल पाता है। ऐसी स्थिति में, इन सभी धोखा-धड़ियों पर अंकुश और नियन्त्रण रखना मुश्किल हो जाता है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि बैंकिंग प्रणाली में कोई आतंरिक जांच प्रणाली बनाई व विकसित की जानी चाहिए। लेखा- पुस्तिकाएं भी अत्यन्त पारदर्शक बनाई जानी चाहिए। इसे ऐसे ढंग से बनाए रखा जाना चाहिए कि यह सभी लोगों, निरीक्षण शाखा और लेखा परीक्षा कर्मचारियों के लिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि जालसाजी अथवा धन की बर्बादी अथवा दुर्विनियोग का आरम्भिक अवस्था में ही पता चल सके। मैं संक्षेप में और कुछ ही शब्दों में कतिपय बहुमूल्य सुझाव देना चाहूंगा।

यदि आप चुकता पूंजी को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए करना चाहते हैं, जैसा कि नरसिंह समिति द्वारा देश की बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिति पर संकेत किया गया था, तो इसे जोखिम वाली परिसम्पत्तियों के साथ 8 प्रतिशत के अनुपात पर रखना चाहिए। जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों में उल्लेख किया गया है इसे 1996 के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा और 1993 तक भी इसे 4 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा और जहां कहीं भी अन्तर्राष्ट्रीय उपस्थिति का आभास होता है तो इसे 1994 के अन्त तक 8 प्रतिशत के साथ पूरा कर दिया जाएगा। इसलिए यदि आपकी पूंजी निवेश के इस मानक की प्राप्ति में रुचि है, तो यह एक अच्छी चीज है। किन्तु इसके साथ-साथ आपको कतिपय बातें दिमाग में रखनी होंगी जो आपके लिए निर्देशक सिद्धान्तों जैसी होंगी।

क्षेत्रिय असन्तुलन को कैसे दूर किया जाएगा? देश में बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ है जिसे कोई भी व्यक्ति गलत नहीं ठहरा सकता। लेकिन इसके साथ-साथ हम यह देखते हैं कि यहाँ पर असंख्य क्षेत्रीय असंतुलन विकसित हो गए हैं। कुछ राज्यों में बैंकों की अधिक शाखाएं हैं और कुछ राज्यों में बैंकों की कम शाखाएं हैं। यदि आप इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना चाहते हैं तो आपको इसे ऋण-जमा अनुपात के आधार पर देखना होगा। मेरे सम्माननीय सहयोगी श्री शाहाबुद्दीन द्वारा यह संकेत किया गया था कि जहां तक मेरे राज्य बिहार का प्रश्न है यहाँ पर ऋण जमा अनुपात में भी सुधार किया जाना चाहिए। वहां पर ऋण जमा का अनुपात न्यूनतम है। हालांकि यह एक गरीब राज्य है फिर भी आप वहां पर एक कोने से दूसरे कोने तक भारी राशि संग्रहित कर रहे हैं। परन्तु वहाँ जमा राशि में वृद्धि हुई है। प्रत्येक

व्यक्ति अपनी छोटी बचतों को बैंक में रखना चाहता है और यही कारण है कि आप बिहार से धन की एक बड़ी राशि संग्रहित कर रहे हैं। इसके साथ-साथ आप राज्य के विकास हेतु धन की आवश्यक राशि का निवेश नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको ऋण जमा के इस अनुपात में भी वृद्धि करनी चाहिए।

अगला प्रश्न यह है कि प्राथमिकता क्षेत्र को भी पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। पूंजी निवेश के मामले में प्राथमिकता क्षेत्र वरीयता भी मिलनी चाहिए।

आपने व्यक्तियों के कतिपय वर्गों अथवा अर्थव्यवस्था के कुछ खण्डों को परिभाषित किया है कि इन क्षेत्रों को प्राथमिकता क्षेत्र समझा जाएगा और आपने इन सभी प्राथमिकता क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए कुछ राशि भी निश्चित की है। किन्तु जहाँ तक सरकारी रिपोर्टों से मुझे पता चला है कि वहां निवेश उस स्तर तक नहीं किया गया है। इसी प्रकार से कुछ वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक है जो बहुत ही दलित हैं और उन्हें बैंकिंग प्रणाली में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। 1969 में राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, यह कल्पना की गई थी कि दलितों और समाज के गरीब वर्गों को राष्ट्रीयकरण के लाभ प्राप्त होंगे। किन्तु मुझे यह देखकर आश्चर्य और संत्रास हो रहा है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों को ये लाभ नहीं मिल रहे हैं। इसलिए बैंक शाखाओं को एक विशेष मार्ग निदेश जारी किया जाना चाहिए कि समाज की इन विशेषाधिकारों से वंचित श्रेणियों को वित्त-पोषण के मामले में प्राथमिकता दी जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर सीमान्त किसान, व्यापारी, बुनकर और दस्तकर भी हैं। इन वर्गों को बैंकिंग प्रणाली से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि जहाँ तक हथकरघा वर्गों का संबंध है इस मामले में समाज के इन वर्गों को प्राथमिकता दे दी जाए। जहां तक हथकरघा क्षेत्र का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में कम से कम साढ़े तीन करोड़ लोग नियोजित हैं। आप मिल मालिकों को भारी महत्व और अग्रिम राशि प्रदान कर रहे हैं। किन्तु इन साढ़े तीन करोड़ लोगों को बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है जिन्हें इसकी वास्तव में आवश्यकता है। यह और कुछ न होकर सौतेला व्यवहार है। हालांकि हथकरघा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होने की सशक्त संभावना है, फिर भी इसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। उन तथ्यों से जो प्रकाश में आ रहे हैं और जो घोटाले हुए हैं उनसे हमें यही पता चला है कि बैंकिंग प्रणाली अत्यधिक दोषपूर्ण हो चुकी है। वे सभी पहलू समस्याओं और बैंकिंग प्रणाली की दुर्दशा को उजागर करते हैं। वे यह भी दर्शाते हैं कि बैंकिंग प्रणाली समाज के उस भाग के अनुकूल नहीं है जिसे इसकी जरूरत है और जिसे अत्यधिक वित्त-पोषण और सहायता की वास्तव में आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, यह पेड-अप केपीटल को वर्तमान 500 करोड़ रुपए से 1500 करोड़ रुपए करने के लिए जो बिल लाया गया है, इसके बारे में मेरी कुछ शंकाएं हैं और सबसे बड़ी शंका मुझे यह लगती है कि यह बिल भी आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक के दबाव में लाया गया है। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन करने की जो साजिश चल रही है, छिपी चाल चल रही है भारत सरकार की और इन वित्तीय संस्थाओं के दबाव में आकर यह सरकार काम कर रही है, इसको खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहती है, उसमें नैतिक साहस नहीं है, उसी साजिश का अंग यह मुझे प्रतीत होता है।

महोदय, मैंने वित्तसचिव, श्री मांटेक सिंह का अभी कुछ दिन पहले एक बयान पढ़ा है, उसमें कहा गया है कि 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी इक्विटी कैपिटल रेज करने के लिए और वह रुपया प्राइवेट लोगों से लिया जाएगा और इक्विटी कैपिटल रेज की जाएगी। इसका सीधा-सीधा

अर्थ यह हुआ कि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की ओर हम ले जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसके बारे में गवर्नमेंट सीधी-सीधी पॉलिसी बताए। अगर वह प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, तो वह अपनी इंटेंशन को क्लीयर करे। आज हिन्दुस्तान की जनता उनसे पूछना चाहती है।

महोदय, मैं राष्ट्रीयकरण और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का बड़ा भारी प्रशंसक नहीं हूं। मैं जानता हूं कि इनकी दुर्दशा क्या हो रही है। जहाँ पर बैंकों की टोटल कैपिटल जो है, उसका 23 परसेंट कैपिटल सिक यूनिट्स में इन्वेस्टेड है या फंसी पड़ी है या फिर ऐसी जगह ऋण दिया गया है जिस रकम का कोई भरोसा नहीं है और राइट-ऑफ करने की स्थिति आ गई है। इसलिए नैशनलाइज्ड बैंकों की वर्किंग कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस बात को सरकार खुले मन से कहे।

महोदय, फारमेट आफ बैलेंस शीट एण्ड प्राफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ बैंक्स, के बारे में इंटेंशन का नोटिफिकेशन शासन ने दिनांक 18-1-91 को कर दिया है। बार-बार चारों ओर से यह मांग की जा रही है कि बैंकों की जो बैलेंस-शीट है, जो लेखा-जोखा है, इसका स्पष्ट विवरण रहना चाहिए, देश की जनता के सामने स्पष्ट चित्र रहे, लेकिन इस इंटेंशन नोटिफिकेशन के बाद भी अभी तक क्लीयरकट दस्तावेज सामने नहीं लाया जाता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इंटेंशन का नोटिफिकेशन जो 18-1-92 को हुआ था, उसके बारे में आज तक क्या प्रगति हुई है? क्या उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि उस इंटेंशन को स्वीकार करने के लिए बैंक स्पष्ट बैलेंस-चार्टशीट बनाकर लोगों को समझाने के लिए दें।

महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि 5 हजार करोड़ रुपए का स्कैम तो अभी होकर चुका है और सामान्य अपराधी भी जिस ढंग से अपराध नहीं करते हैं, या जिस ढंग से क्राइम करते हैं, उनको भी इस स्कैम ने मात कर दिया है। बल्कि जो आर्थिक अपराधी थे, जो क्रिमिनल अपराधी थे, वे लज्जा अनुभव करते हैं कि हम अपराध की दुनिया में दक्षता पाने में पीछे रह गये। भारत के बैंकों ने इतने बढ़िया तरीके से बड़े अपराध कर डाले इसलिए अपराधी भी शर्म महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं इनका प्रशंसक नहीं हूं।

यहां के जो मैनेजमेंट का मामला है, बैंकों के चेयरमेन के पद कई जगह खाली पड़े हुए हैं, सी० डी० एम० की जहां नियुक्ति होनी है, वहां नहीं हो रही है। इससे एफिशेंसी गिर रही है। आज चारों तरफ स्कैम की बात है। जैसा कि मुझे जानकारी दी गई कि चेयरमैन का जहां चयन होता है, उसमें सी० बी० आई० से क्लीयरेंस लिया जाता है। मुझे यह कहने में तकलीफ हो रही है कि सी० बी० आई० ठीक प्रकार से लोगों का चयन करने में, जांच-पड़ताल करने में विफल रही है। उसने ऐसे लोगों की जमात को बैंकों में इन शीर्षस्थ पदों पर पहुंचाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिन की ईमानदारी और निष्ठा के बारे में संदेह हो रहा है। इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि जे० पी० सी० कमेटी बन चुकी है। अनेक बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी जो वर्तमान और भूतकाल में चेयरमैन या अन्य उच्च पदों पर रहें, वे आज इसके अन्दर लिप्त हैं। इससे सी० बी० आई० की फंक्शनिंग पर, उसके तौर-तरीकों पर प्रश्नवाचक चिह्न लग गया है। इसमें कमियां हैं, उनको देखे जाने की आवश्यकता है। चेयरमैन का कार्य-काल तीन साल से अधिक नहीं होना चाहिए। वह इस अवधि के अन्दर सुधार और कार्यकुशलता करके दिखाएं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जब बैंकों का राष्ट्रीकरण किया था तो यह बताया गया था कि

रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे और मूल्य नियंत्रण किया जायेगा लेकिन मुझे यह कहते हुए तकलीफ है कि बेरोजगारों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है और मूल्य नियंत्रण नहीं हो रहा है, इनफ्लेशन लगातार बढ़ रहा है और इतना ही नहीं इस बार बैंकों ने 18 परसेंट रुपए का सर्कुलेशन अधिक किया है। हो सकता है कुछ नोट भी छापे हों, कुछ डिफाजिट से पैसा आया हो मगर 18 परसेंट पैसा अधिक सर्कुलेट होने का परिणाम यह है कि मूल्य तो बढ़े लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा है। काश, इस रुपये से उत्पादन बढ़ा होता तो देश की प्रगति होती। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अनप्रोडक्टिव चीजों में इस पैसे का उपयोग हुआ और वहां इनवैस्टमेंट हुआ। यह भारत के पैसे के साथ और भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ बड़ी भारी ज्यादती है और सामान्य खरीदार, मिडिल क्लास के आदमियों और गरीब आदमियों के साथ धोखाधड़ी है।

इन बैंकों के माध्यम से गरीबों और शिक्षित बेरोजगारों को काम करने के लिए जो पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। बैंकों के अन्दर आज इसके लिए पैसा उपलब्ध नहीं होता है, बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बैंकों से कर्जा मिल जाता है लेकिन बेरोजगार जब वहां जाते हैं तो धक्के खाते हैं। उन पर कर्ज देने की शर्तें कठिन लगा दी जाती हैं।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहूंगा कि बैंकों की कस्टमर्स सर्विस के सुधार करने पर जोर दिया जाये क्योंकि बैंकों की कस्टमर्स सर्विस डे-बाई-डे गिर रही है। इसके लिए मैं सकारात्मक सुझाव देना चाहता हूं। बैंकों के जोनल आफिस; डिविजनल आफिस और सेंट्रल आफिस में तो एम्पलाइज की भर्ती रहती है, फोज रहती है लेकिन जिस ब्रांच में जाओ, मैनेजर यह शिकायत करता है कि पूरा स्टाफ नहीं है, इसलिए आप इसके ऊपर ध्यान दें और ग्राहकों की सेवा की एफिशैंसी में वृद्धि की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरु) : सभापति महोदय, हमारे देश में बैंकिंग को हमेशा ही महत्त्वपूर्ण संस्थानों में से एक माना जाता हैं जहां पर फालतू धन जमा किया जाता है और विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहां पर एक समस्या हमेशा ही रहती है कि जब कभी हम विकास के उद्देश्यों हेतु धन को उपयोग करते हैं तो इसमें थोड़ा जोखिम भी हो सकता है। इसके परिपेक्ष्य में, बैंक जब इन्टरनैशनल सेटलमेन्टस ने वाणिज्यीक बैंकों द्वारा अनुपालन करने के लिए कतिपय पूंजी पर्याप्तता मानक निर्धारित किए हैं। सिफारिश किया गया बैंक अब इन्टरनैशनल सैटलमेंटस सिद्धान्त यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित वाणिज्यीक बैंकों को परिसम्पत्तियों पर पूंजी जोखिम अनुपात को मार्च, 1992 तक 8 प्रतिशत प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन भारत के मामले में नरसिम्हन समिति ने कतिपय मार्ग निर्देश दिए हैं और वे ये हैं कि भारत में सभी बैंकों को कम से कम मार्च, 1994 तक, मार्च, 1992 की पूंजी पर्याप्तता हेतु बैंक आफ इण्टरनेशनल सेटलमेंटस के सिद्धान्तों पर पहुंचना चाहिए जो कि 8 प्रतिशत है जिससे जोखिम परिपूर्ति के कम से कम भाग में सुधार हो सके। पूर्व में हमारे यहां पर एक बाधा थी। 500 करोड़ रुपए से अधिक के लिए इसकी अनुमति नहीं थी किन्तु इस विधेयक में भारत सरकार से यह अपेक्षा है कि वह जोखिम को पूरा करने के विचार से इसमें वृद्धि करके इसे 1500 करोड़ रुपए कर दे। इस पर किए गए निवेश का बांड के उद्देश्यों के लिए दोबारा से उपयोग किया जाए ; अन्ततः सरकार को धन का कोई भी बहिर्गमन नहीं करना पड़ेगा। मूल रूप से बड़ी समस्या यही है। लेकिन जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो हम प्रणाली के बारे में हमेशा ही कुछ शब्द कहना चाहेंगे जो उसके संचालन के सम्बन्ध में है और हर व्यक्ति यह जानता है कि हमारी बैंकिंग प्रणाली में पिछले कुछ ही महीनों के दौरान क्या

घटना हुई थी। यहां पर बातें नियंत्रण के बाहर जा चुकी हैं, हो सकता है इसके विभिन्न कारण हों। हम हमेशा ही यह महसूस करते हैं कि चेयरमैन के पदों को तुरन्त भरा जाना चाहिए। आज बैंकों के चेयरमैनों के कई पद खाली पड़े हुए हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय यह देखने के लिए तुरन्त कार्यवाही करेंगे कि बैंकिंग प्रणाली में विशेष रूप से उनके दिन प्रतिदिन के संचालन में कोई परेशानी नहीं हो। मामला कुछ भी हो सकता है, पर हम इन्हें भारी जोखिम के साथ चला रहे हैं। आप बैंकों के विभिन्न बोर्डों में निदेशकों की संख्या के उदाहरणों को भी लें। कुछ समय पहले मेरे कुछ सहयोगियों ने भी इसका उल्लेख किया था। इन पदों को व्यक्ति की सक्षमता और योग्यता के आधार पर ही भरा जाना चाहिए जिससे कि वे बैंकों का सुचारू रूप से मार्ग निर्देश कर सकें। उन्हें बैंकों का राजनीतिक आधार पर मार्ग-निर्देश नहीं करना चाहिए। यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं, तो आप बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने में सक्षम हो सकेंगे और आप विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए निधियों का उपयोग भी कर सकेंगे।

विद्यमान प्रणाली के अन्तर्गत जिसमें संचालन की किस्म कोई भी हो, मैं यह कहूंगा कि वित्तीय संस्थान भी इसी का हिस्सा हैं। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि उन्हें ऋण वितरण में कुछ समन्वित प्रयास करने चाहिएं। आजकल क्या हो रहा है। एक बार उन्हें ऋण मंजूर कर दिया जाता है तो अग्रणी वित्तीय संस्थान अन्य बैंकों अथवा संस्थानों के सात सौतेला व्यवहार करते हैं। इसलिए इसके परिमस्वरूप अग्रणी वित्तीय संस्थाओं को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हमारे पास ऐसे अधिक संस्थानों की अपेक्षाकृत केवल एक ही संस्थान होना चाहिए जो यह कार्य करने की जिम्मेदारी ले सके, अन्यथा जिसने सारा ऋण लिया है उन्हीं का उत्तरदायित्व होना चाहिए। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो आपको यहां-वहां भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन सभी बातों के निराकरण के लिए अब हम एकल खिड़की सेवा आरम्भ करने जा रहे हैं। यहां पर यह इसलिए होना चाहिए जिससे संस्थान उपयुक्त ढंग से सहायता कर सकें और उद्योग भी अपना कार्य शीघ्रता से कर सकें।

वास्तव में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने एक दिन हमारे बैंकों के संचालन में विलम्ब के बारे में जिक्र किया था। कुछ लोग खाड़ी से आते हैं। यदि वे अपने धन को भारतीय बैंकों में हस्तांतरित करवाना चाहते हैं तो इसमें अन्य विदेशी बैंकों की तुलना में अत्यधिक फालतू समय लगता है। इसलिए हमारी सेवा बढ़िया होनी चाहिए जिससे हम विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा में सक्षम बन सकें। इसके लिए कुछ विशेषता की आवश्यकता है। लोगों में संचालन और विदेशी बैंकों के साथ स्पर्धा की क्षमता होनी चाहिए। यदि हमारा सोचने का ढंग ऐसा नहीं होगा तो हम इस देश में बैंकिंग प्रणाली को वास्तविक रूप में विकसित करने में सक्षम नहीं सकेंगे। मेरा यह विश्वास है कि यदि पुरानी प्रणाली को अपनाने के बजाय, एक बार मूल प्रणालियों को सुधारा जाए मार्गनिर्देशों का कड़ाई से कार्यान्वयन किया जाए, तथा उच्च अधिकारियों को उपचारात्मक कदम उठाने हेतु उचित समय पर यथाशीघ्र जानकारी दी जाए तो हम लोगों को बड़ी अच्छी सेवा दे सकते हैं। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि हमारे यहां सभी स्थानों पर कम्प्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए इससे दोनों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा रिजर्व बैंक को, बैंकिंग व्यवस्था पर नियन्त्रण रखने में मदद मिलेगी इसके लिए रिजर्व बैंक को अधिक भूमिका निभानी होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हाल ही में स्टॉक घोटाला हुआ है। इस बारे में और भी कई बातें हो सकती हैं। हम यह पता नहीं लगा सके हैं कि किसे उत्तरदायी ठहराया जाये। मुझे यह पता नहीं है कि क्या हमें भारतीय रिजर्व बैंक को अथवा किसी और को उत्तरदायी बनाना चाहिए। किसी न किसी प्रकार समुचित उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि यह निर्धारित की जाती हैं तथा उसका कार्यान्वयन

किया जाता है तो इससे हमें काफी सहायता मिलेगी। इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री इन सभी बातों पर ध्यान देंगे। मार्गनिर्देशों का पालन करके वे यथाशीघ्र बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे। इस क्षेत्र में हमें विशिष्टता भी प्राप्त होनी चाहिए। यह न केवल जमाराशियों, ब्याज दरों, तथा ऋण की दरों का मामला नहीं है जिसके लिए विशेषज्ञता, की आवश्यकता है लेकिन वे जहां भी शामिल हों—चाहे वह वित्तीय संस्थाएं हों अथवा बैंक हों उन्हें परियोजनाओं तथा जिन नियमों का वे पालन कर रहे हैं, की निगरानी रखने में समर्थ होना चाहिए। उन्हें उनमें कुछ कमी आने से पूर्व ही उचित मार्गनिर्देश भी देने तथा यह बताने में समर्थ होना चाहिए कि उसे कैसे सुधारा जा सकता है या फिर उनका विलय यह सम्मेलन करने की आवश्यकता है।

मुझे आशा है कि देश के हित में इनमें कुछ उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है तथा किसी भी राष्ट्र की उत्पादकता इन सभी बातों पर निर्भर करती है। मैं माननीय वित्तमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस सभी मार्गनिर्देशों की ओर ध्यान देंगे।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं, उन सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। इस विधेयक का बहुत ही सीमित उद्देश्य है। इसमें केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है जिसके द्वारा वह, राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने हेतु अधिक धन राशि दे सकें। यह कोई ऐसा विधेयक नहीं हैं जो नीतियों के परिवर्तन पर ध्यान देता हो। जैसे कि मैंने अपने उद्घाटन वक्तव्य में बताया है राष्ट्रीयकृत बैंकें की प्रदत्त पूंजी को कोई पहली बार नहीं बढ़ाया गया है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति जी, सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घण्टी बजायी जा रही है।

अब गणपूर्ति हो गयी है। माननीय मंत्री जी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रदत्त पूंजी को कोई पहली बार नहीं बढ़ाया गया है, इससे पूर्व दो बार ऐसा किया जा चुका है, वर्ष 1985 में इसे बढ़ाकर 100 करोड़ रु० तथा 1988 में 500 करोड़ रु० किया गया। लेकिन ऐसा कहना कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा फिर कोई बाहरी एजेंसी के आदेश पर किया गया है, मेरे विचार से अनुचित है। अनेक सदस्यों ने इस बात का भी भय व्यक्त किया है कि क्या यह निजीकरण का गुप्त मार्ग हैं। मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं हैं क्योंकि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन ओर अन्तरण) अधिनियम की धारा 3 (तीन) में यह बताया गया है कि :

> "इसी प्रकार के प्रत्येक नये बैंक की पूरी पूंजी केन्द्रीय सरकार के पास निहित है तथा उसे आवंटित की जाएगी।"

जब तक इस उप-धारा में कोई संशोधन नहीं किया जाता है तब तक निजी सदस्यों तथा जनता को राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी में भागीदारी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अत: ऐसा सोचने में, कि प्रस्तावित संशोधन गुप्त रूप से निजीकरण को करने का माध्यम हैं, कोई तथ्य नहीं है। इसके साथ ही साथ, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस बारे में पूरे देश में इस पर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि यदि हम अधिक पारदर्शिता पाने की कोशिश करते हैं, यदि अशोध्य ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान रखने की

कोशिश करते हैं, यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी बैंकिंग प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तब हमें बैंकिंग प्रणाली के लिए आगामी पांच वर्षों के दौरान कम से कम 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की आवश्यकता होगी। अतः मेरे विचार से हमें इस बात पर देशव्यापी तथा सदन में भी चर्चा करनी होगी कि बैंकिंग प्रणाली के लिए पूंजी, कैसे जुटाई जाये जो कि आवश्यक है।

मैं इस गरिमायुक्त सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक बैंकिंग प्रणाली के लिए पूंजी में वृद्धि नहीं की जाएगी, तब तक बैंकिंग प्रणाली की स्थिति सुव्यवस्थित नहीं हो सकती। यह चर्चा इस मुद्दे से हटकर बैंकिंग प्रणाली के कार्यकरण पर होने लग गई है। कई माननीय सदस्यों ने बैंकिंग प्रणाली के विभिन्न पक्षों का उल्लेख किया है, और यह बताया है कि बैंकिंग प्रणाली के कार्यकरण को कैसे सुधारा जा सकता है।

मैं, माननीय सदस्यों के बैंकिंग प्रणाली के कार्यकरण, विशेषकर राष्ट्रीयकृत अंग में तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता, का समर्थन करता हूं। ग्राहक सेवा जैसी होनी चाहिए, वैसी नहीं हैं, इसके अलावा और भी कई क्षेत्रों में सुधार होने की गुंजाइश है।

कई माननीय सदस्यों ने सामाजिक बैंकिंग के प्रति हमारी वचनबद्धता की बात की है, जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, बैंक के कुल ऋण का 40 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता के क्षेत्रों को दी जानी होती है। 18 प्रतिशत ऋण सीधे कृषि क्षेत्र के लिए हैं। कम से 10 प्रतिशत ऋण पिछड़े वर्गों को दिए जाने हेतु निर्धारित किया गया है।

अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मार्गनिर्देशों में हमारी बैंकिंग प्रणाली के सामाजिक अवस्थिति का पर्याप्त ध्यान रखा गया है जो कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य रहा है। परन्तु साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि, ऐसी स्थिति में जब बैंकों के संसाधनों का काफी बड़ा भाग कम लाभ देने वाली सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित किया गया हो, इसके अलावा बैंकों के ऋण का 40 प्रतिशत ऋण रियायती दर पर किया गया हो, तब यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता कि बैंकों को सामाजिक तौर पर लाभ कैसे मिल सकता है। बैंकों की यह प्राथमिक वरीयता नहीं रहती है कि वे अधिकतम लाभ कमाए, परन्तु मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब तक बैंकों को पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है तब तक देश के सामाजिक तथा आर्थिक हित को पूरा करने की उनकी क्षमता पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा। वह भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य का दिन होगा जिस दिन बैंकिंग प्रणाली को अनुदान ग्राही अर्थव्यवस्था का एक और साधन समझ लिया जायेगा। बैंकिंग प्रणाली में आर्थिक सहायता का आपस में पारगमन होने की संभावना है और ऐसा बैंकिंग प्रणाली में ही होता है।

परन्तु, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि यदि सरकार अथवा सदन का यह विचार है कि ऋणों में और अधिक राज सहायता देनी की आवश्यकता है तो मेरे विचार से इसका प्रावधान बजट में सही ढंग से किया जाना चाहिए। मेरे विचार से आज बैंकिंग प्रणाली इस स्थिति में नहीं है कि वह यह अतिरिक्त भार वहन कर सकें।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि इस विधेयक के उद्देश्य सीमित हैं, इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

सभापति महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या= 1 को सदन में मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन संख्या—1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : संशोधन-सं०-2—श्री दाऊ दयाल जोशी।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : सभापति जी, मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : विदड्रा नहीं कर रहा हूं। मैंने शुरू में ही कहा कि विदड्रा नहीं कर रहा हूं मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री जी जहां तक आपकी नीयत का सवाल है वह स्पष्ट नजर आती है। लेकिन जिन सीमित उद्देश्यों को लेकर यह बिल लाए हैं, बैंकिंग प्रणाली में बहुत बड़ी कमियां हैं। जिस प्रकार का बैंकिंग उद्योग का खोखलापन इन दिनों में प्रकट हुआ है उसको देखते हुए मेरा निवेदन है कि आप अगर वास्तव में बैंकिंग प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं तो विस्तृत बिल लाइये। मैंने जनमत जानने हेतु यह बात कही है। नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है। नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट में एक सिफारिश यह भी···थी जिसके आधार पर आप लागू कर रहे हैं। कितनी सिफारिशें आपने लागू की, कितनी करने जा रहे हैं। नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ सारे हिन्दुस्तान में आन्दोलन हुए हैं। नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ आपके पास लोग प्रतिनिधि मण्डल लेकर आए हैं। मेरा निवेदन है कि अगर वास्तव में आपकी नीयत साफ है तो कृपा करके जिस प्रकार से कल सेना सेवा शर्त अधिनियम प्रस्तुत किया था, जिसमें 100 संशोधन किए गए हैं, कृपा करके आप ऐसा विस्तृत बिल लाइये। बैंकिंग प्रणाली के तहत। आज करप्शन हो रहा है, मेरा निवेदन है कि नरसिम्हन कमेटी ने सिफारिश की थी कि राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप कम से कम हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप जिस प्रकार के हैं उसके कारण हम रोज देख रहे हैं, कल ही सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन को रिटायर किया है, आज भी एक अधिकारी को रिटायर किया है, सारे बैंक के अधिकारियों ने जिस प्रकार की स्थिति देश के अन्दर लाकर खड़ी की है उस आधार पर मेरा निवेदन है कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं तो नरसिम्हन कमेटी या उसके अलावा कोई दूसरी कमेटी बनाकर आप विस्तृत बिल लाएं।

अन्त में मेरा निवेदन है कि बैंकिंग प्रणाली के तहत 250 लाख रुपया आपके पास डिपाजिट है जिसका उद्देश्य है लोगों को रोजगार मिले, साथ ही महंगाई पर रोक लगे। आपके दोनों लक्ष्य हिन्दुस्तान में पूरे नहीं हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जब आपके पास 18 प्रतिशत एक्सेस रकम मौजूद है तो आप देश के काफी लोगों को बैंकिंग उद्योग में खपा सकते हैं। छोटे कर्मचारी आज बेरोजगारी की स्थिति में है, छोटी-छोटी ब्रांचिज में पूरा स्टाफ नहीं है, सिंगल आधार पर बैंक चल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की बहुत बड़ी फौज कार्यालय में भरी हुई है। जहां लोगों को राहत मिल सकती है वहां राहत आप नहीं दिला पा रहे हैं।

मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि मैंने जो जनमत जानने हेतु संशोधन रखा है उसको स्वीकार करके विस्तृत बिल लाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं श्री दाऊ दयाल जोशी द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

2.59 म० प०

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :**

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, आपकी अनुमति से मैं राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक पर विचार करने और उसे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करते समय कुछ कहना चाहता हूं ।

---

* दिनांक 19-8-1992 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित ।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

राष्ट्रीय राजमार्ग और इससे सम्बन्धित अन्य विषयों की गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम 48) द्वारा शासित होती है। इस समय देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई 35689 किलोमीटर है। हालांकि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क मार्ग की लम्बाई का केवल 2 प्रतिशत है लेकिन इन पर यातायात का 40% यातायात होता है।

6.00 म० प०

बजटीय संसाधनों के अभाव और राजमार्ग क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के उचित विकास और सही रख-रखाव के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाकर इनमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में, राष्ट्रीय राजमार्गों के अधिसूचित खण्डों के प्रयोग पर शुल्क लगाकर संसाधनों के संवर्द्धन में मदद मिलेगी। भारत सरकार को द्वार शुल्क लगाने का अधिकार देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 7 और 9 को संशोधित करने की आवश्यकता है।

शुल्क लगाए जाने का सिद्धान्त कोई नया नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत शुल्क की ऐसी दरें लगाने का एक प्रावधान है जिसे नौकाओं, अस्थाई पुलों, सुरंगों और स्थायी पुलों जिनकी लागत 100 लाख रुपये से अधिक है और जिन्हें 1-4-1976 को अथवा उसके पश्चात् चालू किया गया है के उपयोग से सम्बन्धित सेवाओं अथवा लाभ के सम्बन्ध में बनाए गए नियमों में निर्धारित है। यह प्रावधान ऐसे पुलों के लिए लागू है जब तक कि उसने निर्माण और रख-रखाव आदि की पूरी लागत की वसूली न कर ली जाए। इस प्रकार वसूल की गई राशि को देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के विकास के लिए फिर से लगाया जाता है। अधिनियम की धारा 7 में प्रस्वावित संशोधन से सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के अधिसूचित खण्डों पर शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त होगा और शुल्क लगाने के तरीके और अवधि का निर्धारण नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाएगा। सड़कों के अधिसूचित खण्डों पर शुल्क लगाने से सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में सुधार कर सकेगी अथवा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगी। मैं माननीय सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि कई विकसित और विकासशील देशों में इस प्रकार का शुल्क लगाया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 9 में उसमें विनिर्दिष्ट विषयों पर नियम बनाने के लिए व्यवस्था है। चूंकि विद्यमान प्रावधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के कतिपय चचनित मार्गों पर शुल्क लगाना शामिल नहीं है राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोग के सम्बन्ध में दी गई सेवाओं हेतु शुल्क दरें लगाने और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत ऐसे शुल्क की वसूली तरीके के मामलों में नियम बनाने की व्यवस्था करने हेतु धारा 9 में संशोधन करना अनिवार्य है। इसलिए यह प्रस्ताव है कि धारा 7 और 9 में तदनुसार संशोधन किया जाए।

अब मैं यह विधेयक सभा द्वारा पारित किये जाने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए इसमें कुछ संशोधन है।"

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—उपस्थित नहीं है। प्रो० रासासिंह रावत।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 30 अक्तूबर 1992 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव—उपस्थित नहीं हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

क्रमांक···4

"कि विधेयक को उस पर 6 नवम्बर, 1992 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।" (4)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अन्ना जोशी—उपस्थित नहीं है। संशोधय संख्या 6—श्री गिरधारी लाल भार्गव उपस्थित नही हैं। श्री काशीराम राणा।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महा सागर विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम्) : महोदय, मैं बीच में एक मिनट के लिए अपनी बात कहना चाहता हूं।

मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के पारित होने से पश्चात् आधे घण्टे की चर्चा शुरू की जानी चाहिए। यदि हम 7·30 बजे म० प० से पहले इस विधेयक को पूरा कर पाए तो अन्य कार्य सूची पर जाने के बजाय मैं सदन से निवेदन करता हूं कि आधे घण्टे की चर्चा की जाए। नहीं तो, हम 7.30 बजे म० प० आधे घण्टे की चर्चा कर सकेंगे।

सभापति महोदय: : श्री काशीराम राणा।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय राजगार्ग अधिनियम में संशोधन के लिए मंत्री जी ने पेश किया है, मुझे खेद है कि जो संशोधन उन्होंने रखा है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। विधेयक पेश करते हुए मंत्रीजी ने बताया कि आज राष्ट्रीय राजमार्ग कितनी लैंग्थ का हो गया है। आज जो परिस्थिति पैदा हुई है वह इसलिए पैदा हुई कि प्राथमिकता तय नहीं की गई और की गई तो उसमें गफलत हो गई, जिसकी वजह से यह परिस्थिति पैदा हो गई। मैं कुछ आंकड़े यहां रखना चाहता हूं। सातवीं योजना में हमने 1431 करोड़ रुपये खर्च किये। जबकि आठवीं योजना में हमारे मंत्रीजी ने 7850 करोड़ रुपयों की मांग की राजमार्गों के विकास के लिए, बनाने के लिए और मेनटेनेंस के लिए, लेकिन उनको 2465 करोड़ रुपये ही अलाट किये गये हैं। मैं अपने को आठवीं योजना तक ही सीमित नहीं रखना चाहता हूं। 1947 से लेकर आज तक राष्ट्रीय राजगार्गों के विकास की ओर जो सरकार को ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो अग्रिमता देनी थी जैसे हम कृषि को और उद्योग को देते हैं वैसे ही यातायात के लिए देनी चाहिए थी और अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए थी। हमारा देश औद्योगिकरण की ओर आगे बढ़ता जा रहा है तो यातायात की सुविधा के लिए राजमार्ग अच्छे हों, यह भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सिर्फ विधेयक लाने से ही हमारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का जो लक्ष्य है, जो

इंटेंशन है वह पूरा नहीं होगी। इसलिए हमें इसके लिए अग्रिमता तय करनी चाहिए कि हमें यातायात को बढ़ाना है इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अच्छे होने चाहिए, इसके किलोमीटर्स बढ़ाने चाहिए। आठवीं योजना के अन्दर देश के सभी प्रदेशों की ओर से 135 प्रपोजल्स आये हैं और करीब 47556 किलोमीटर्स की लैंग्थ का जो प्रपोजल आया है उसके लिए 13,349 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है, जबकि उसमें से अभी 2467 करोड़ रुपया ही अलाट किया है। लगता है कि अगर यही तरीका पैसा अलाट करने का रहा तो इससे राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग जो देश के विकास हेतु करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों के अपर भी हमें प्राथमिकता तय करनी होगी। जब हम पंचवर्षीय योजना तैयार करते हैं उसमें यातायात की सुविधा के लिए या देश के औद्योगीकरण को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर और ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि विधेयक लाने में सरकार की जो नीयत है, वह साफ नहीं है। सरकार सभी जिम्मेदारियां प्राइवेट सेक्टर पर डालने जा रही है। इस विधेयक को देखने से लगता है कि थोड़ा-बहुत बदल किया होगा, लेकिन आज जो बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में हो रहा है, निजीकरण हो रहा है यह उसीका ही एक उदाहरण है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह विधेयक यहां पर लाया गया है। देश का और देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास होना चाहिए जिस तरह से विकास होना चाहिए था, विकास के लिए जो साधन उपलब्ध कराये थे वे उपलब्ध नहीं करा पाये, इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। कल क्या होने वाला है इस विधेयक से, यह मैं यहां कहना चाहता हूं कि थोड़े दिनों पहले जब ऑल इण्डिया ट्रक्स एसोसिएशन ने स्ट्राईक की थी तो यही सरकार थी। उन्होंने आक्ट्राय को हटाने के लिए यह स्ट्राईक की थी। यही सरकार के मंत्री थे जिन्होंने वायदा किया और यूनियन टैरिटरी में आक्ट्राय को हटाने के लिए तैयारी बतायी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम प्राईवेट सैक्टर को इन्वाइट करते हैं तो सरकार अपनी जिम्मेदारी को टाल देती है। इससे यह लगता है कि इस देश की जनता के विकास, औद्योगिक विकास की जो जिम्मेदारी सरकार पर है, वह उसको टाल देती है लेकिन इससे भी जो बड़ी डिफकल्टी होने वाली है वह यह है कि इस देश में चारों ओर उसका खण्ड-खण्ड किया जायेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग में टनल्ज, ब्रिजेज होंगे उसमें राजमार्ग का प्रोटेक्शन होगा और अलग-अलग विभाग में उसकी वही परिस्थिति पैदा हो जायेगी जो आक्ट्रॉय को न हटाने की वजय से स्ट्राईक हुई है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उसे प्राईवेट सैक्टर को देने से अलग-अलग नाके, इतने पोस्ट्स या आक्ट्राय पोस्ट खड़े हो जायेंगे तथा ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायेगी, जो आज चुंगी कर को हटाने के बारे में पैदा हुई है। इसलिए, मैं इसको समर्थन नहीं दे सकता हूं। इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि जो प्राथमिकता सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए देनी चाहिये थी, वह नहीं दी है, साथ ही सरकार की जिम्मेदारी टालने का नीयत है उससे लोगों को बहुत बड़ी डिफकल्टी होने वाली है जिसकी ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, यह एक ऐसा विधेयक है कि एक ओर तो करप्शन हटाने की बात करते हैं लेकिन होगा यह कि इस देश के जो लोग हैं, वे करप्शन के और ज्यादा शिकार बन जायेंगे। जितना हम प्राईवेट सैक्टर को दे देंगे, वे टोल टैक्स कलेक्ट करेंगे। उससे एक तो यह होगा कि या तो इतनी ज्यादतियां होंगी कि लॉ एण्ड आर्डर की हालत बिगड़ सकती है और साथ ही साथ करप्शन पैदा हो सकता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने की सरकार की जो नीयत है, वह अच्छी नहीं है और अच्छी इसलिए नहीं है कि जो परिस्थिति पैदा होगी, इसका अन्दाजा सरकार ने या मंत्री जी ने नहीं लगाया है।

मान्यवर, आज देश में राजमार्गों की हालत बहुत खराब है। मैंने जैसाकि पहले बताया कि कई प्रदेशों से राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में मांग आई है। सरकार उसपर सालों तक कोई विचार नहीं करती है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, फण्ड्स नहीं हैं, इसलिए इन राजमार्गों का विकास नहीं हो पाता है। जो फिगर्स दिये जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारे देश में आज भी 33 हजार 612 किमी० पर राजमार्ग हैं और इनमें भी 6400 किमी० ऐसा है जहां सिंगल लेन है। इन सिंगल लेन्ज के कारण ही एक्सीडेंट्स होते हैं और एक कारण यह भी है कि इन सिंगल लेन्ज की हालत खराब होने के कारण ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। इसका उदाहरण अहमदाबाद-बम्बई राजमार्ग नं० 8 इतना कन्जेस्टेड है और उस पर हैवी ट्रैफिक चलता है कि सारे देश में ऐसा राजमार्ग नहीं होगा जो इतना कन्जेस्टेड रोड हो या जिस पर हैवी ट्रैफिक चलता हो। मुझे दुख है कि सरकार ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कभी विचार नहीं किया कि उसको टू-लेन्स से फोर-लेन्स बनाये। अभी सरकार ने अहमदाबाद, बड़ौदा—120 कि० मी० मार्ग को फोर-लेन्स में बदलने का तय किया था। मान्यवर एक छोटा-सा 120 किलोमीटर का 4 लेन का ऐक्सप्रेस वे बनाने का काम चार साल में भी पूरा नहीं हुआ। मुझे अभी-अभी जवाब दिया गया है। मैंने पिछले हफ्ते पूछा था तभी मुझे जवाब दिया गया था कि यह बहुत डिले हो रहा है क्योंकि पैसा नहीं है। हम उसकी छानबीन कर रहे हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां हैवी ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है वहां भी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। मेरी मांग है कि अहमदाबाद से बड़ौदा तक जो ऐक्सप्रेस वे बनाना है, उसको मुम्बई तक ऐक्स्टेंड किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने उस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश नहीं की।

मान्यवर, जिस प्रकार से हाइवे प्राइवेट सेक्टरों को दे रहे हैं राज्य सरकार भी अपने कई ब्रिजेज तैयार करती है। हमारे गुजरात में भी 25 लाख से ज्यादा कॉस्ट का कोई ब्रिज बनता है तो उस पर टॉल लिया जाता है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के पांच सदस्यों की सूची है।

श्री काशीराम राणा : मान्यवर, मैं पांच मिनट में खत्म करूंगा। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए साधन जुटाने के लिए यह जो विधेयक लाया गया है और इस विधेयक के जरिए जो प्राइवेट सैक्टर पर हम सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, मुझे लगता है कि यह सरकार द्वारा जिम्मेदारी को टालना है। मान्यवर, मैं बड़े राजमार्गों की बात नहीं करता। मैं कंजैशन की बात करता हूं। वहां पर जो जंक्शन हैं, उसके लिए भी हमने कई साल लगा दिए। तीन साल से मैं यहां कहता रहा हूं लेकिन किसी विभाग की ओर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नेशनल हाइवे पर 284 से 287 किलोमीटर्स का बड़ा कंजैशन है। वहां इसके लिए कई आन्दोलन हुए, कई लोग मर गये फिर सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। आज राष्ट्रीय राजमार्गों के अच्छा विकास नहीं होने की वजह से बहुत सारे ऐक्सीडेंट्स होते हैं और सैंकड़ों जानें जाती हैं और इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का जरूर विकास करना चाहिए लेकिन इसके लिये सभी जिम्मेदारियां प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डाल दें तो अगर प्राइवेट सेक्टर पूरे का पूरा राजमार्ग के ऊपर हावी हो गया तो कल इस देश में बहुत भयानक परिस्थिति पैदा हो सकती है। हमें बहुत अनुभव है। कंपीटीशन हो तो अच्छा है लेकिन धीरे-धीरे सरकार जो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है इससे न सिर्फ करप्शन बढ़ेगा लेकिन साथ-साथ ज्यादतियां बढ़ेंगी और इससे लोगों में बड़ी परेशानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, श्री अन्नतराव देशमुख बोलेंगे। माननीय सदस्य से मेरा यह अनुरोध है कि वे अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करें। उनकी पार्टी से 9 सदस्यों को भाषण देना है।

श्री अन्नतराव देशमुख (वाशिम) : सभापति महोदय, मैं अपने भाषण को संक्षिप्त करने का प्रयास करूंगा। मैं छः अथवा सात मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : तब तो मुझे आपका भाषण चार मिनट में समाप्त करने के लिए कहना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री अन्नतराव देशमुख : सभापति महोदय, इस विधेयक को अपना समर्थन देते समय मैं, दो प्रश्नों का स्पष्टीकरण चाहूंगा।

माननीय सदस्य ने, अपने भाषण के प्रारम्भ में निजी क्षेत्र को कार्य देने के बारे में कुछ कहा है। इस विधेयक में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है जिसका हमारे माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है कि यह कार्य निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाये। इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित है। सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग के एक भाग पर कतिपय कर लगाना चाहती है, जिसे बाद में अधिसूचित किया जायेगा। इस विधेयक का यह एक मात्र प्रयोजन है। एक अन्य बात, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है और वह विशेष धारा के बारे में है.....।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : मान्यवर, यह स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि पूरे का पूरा प्राइवेट सेक्टर में देना है।

[अनुवाद]

श्री अनन्तराव देशमुख : महोदय, अब वे मेरा समय ले रहे हैं। मुझे बोलने दें।

अतः मैं यह नहीं समझता कि जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा है वह इस विधेयक पर विचार करने के सम्बन्ध में सहायक होगा।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार को अनेक सड़क निर्माण कार्य भी करने पड़ते हैं। अतः जहां तक सड़क मार्गों का सम्बन्ध है, उन्हें प्रति वर्ष अपनी परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु नये उपाय करने पड़ते हैं। राजस्व के न होने के कारण राज्य सरकार के लिए प्रतिवर्ष यह समस्या बहुत जटिल होती जा रही है, इसलिये केन्द्रीय हिस्से से सम्बन्धित मामलों में केन्द्र सरकार पर निर्भर करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री को एक सुझाव देना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि आप राष्ट्रीय सड़क मार्गों के नए कार्यों और अनुरक्षण के लिए यथा संभव संसाधनों को बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए हम आपके साथ हैं। जहां तक आठवीं योजना का सम्बन्ध है, उसमें आपने यातायात क्षेत्र को वरीयता प्रदान की है, इसलिए आप ऐसे उपबन्ध बना रहे हैं जो ठीक हैं। परन्तु जैसा कि मैंने इसमें पहले कहा कि राज्यों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि किसी राज्य में, वहां के राष्ट्रीय राजमार्ग के कतिपय भाग पूरे वसूल किये गये राजस्व की केन्द्रीय सड़क-मार्ग निधि (सी. आर. एफ.) में शामिल किया जाये और उस राज्य के लिये आबंटित केन्द्रीय सड़कमार्ग निधि का वहां के राष्ट्रीय राजमार्गों की बेहतरी के लिए लगाया जाये। महोदय, यह मेरा एक सुझाव है जिसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से वादा चाहूंगा।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि 13 मई, 1988 को इसी सभा में हमने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है, जिसमें हमने यह प्रस्ताव किया है कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री से प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत, उन सम्बन्धित राज्य में इन पदार्थों का आधारभूत मूल्य, कैपीटल रोड फंड का भाग होगा और जहां तक नई परियोजनाओं अथवा नई सड़कों का सम्बन्ध है यह निधि उस सम्बन्धित राज्य को दी जायेगी। अब महोदय, मेरा विश्वास है कि यह समस्या अन्य सभी राज्यों में भी अनुभव की जा रही है जैसे कि मैं महाराष्ट्र राज्य का एक उदाहरण दूंगा। आपने 1988 में महाराष्ट्र राज्य को एक पत्र भेजा था कि हमारे द्वारा नये प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने के कारण केन्द्रीय सड़क मार्ग निधि से नई सड़कों के निर्माण हेतु सरकार को प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से बार-बार अनुरोध किया है, कि यह राशी जारी कर दी जाये। चूंकि यह प्रस्ताव 1988 में पारित हुआ था अतः अब तक 1989, 1990, 1991 और 1992 चार वर्ष बीत गए हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपयों की दर से केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकार की बकाया राशि लगभग 100 करोड़ अथवा 120करोड़ रुपये होगी। राज्य सरकार ने नए कार्यों को करने हेतु केन्द्र सरकार से बार-बार आग्रह किया है परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा हर बार इस अनुरोध के सम्बन्ध में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। यदि आप इस प्रस्ताव को पढ़ें तो आप यह महसुस करेंगे कि इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि सड़क निधि की बकाया राशि अथवा तत्सम्बन्धी कोई आबंटन, वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त नहीं होगा। अर्थात्, यह राशि समाप्त नहीं हुई जबकि चार वर्ष बीत चुके हैं। अतः, सड़क निधि के रूप में, प्राप्त राशि लगभग 100 करोड़ रुपये होगी। यही स्थिति अन्य राज्यों के मामलों की भी होगी। अतः मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्रीजी इस पर विचार करते समय उन सभी बातों पर ध्यान दें जिन्हें मैंने पहले प्रस्तुत कर दिया है सभी राज्य सरकारें प्रति वर्ष चलायी जा रही सड़क परियोजनाओं के वित्त पोषण में कठनाई महसूस कर रही हैं। जैसा कि आठवीं योजना में आपने यातायात को वरीयता क्षेत्र की श्रेणी में रखा है; अतः इस बात पर बल दिया जाये कि सड़क निधि के रूप में प्राप्त राशि सम्बन्धित राज्य को उसी वर्ष के दौरान ने दी जाए जिसमें उसकी स्वीकृति दी गई थी यह मेरा एक सुझाव है।

माननीय मंत्रीजी के लिए मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंध है कई बार हमने यह देखा है कि एक व्यक्ति को पहाड़ पर चढ़ना और उतरना होता है। इससे पेट्रोल का बहुत अधिक अपव्यय होगा, इससे अत्यधिक ऊर्जा की भी बर्बादी होगी। यदि आप इन करों को लगाना चाहते है, यदि इन करों का एक टनल के निर्माण के लिए उपयोग किया जाना है, यदि आप उस पर कोई शुल्क लगाते हैं तो मैं नहीं समझता कि किसी भी राज्य को कोई आपत्ति होगी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा— पुणे से सतारा तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4। अतः इन सारी बातों को बताते हुए मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि ये सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग कौन से हैं जिनकी उन्होंने पहचान की है, जिन्हें वे नई योजना के अन्तर्गत शुल्क भवन की स्थापना और अन्य बातें, जिनका उन्होंने इस विधेयक में उल्लेख किया है, मैं रखना चाहते हैं। यदि वे अधिसूचित क्षेत्रों से हमें अवगत करायें तो हम उस विषय पर भी कुछ बतायेंगे।

अतः, इस विधेयक को अपना समर्थन देते समय मैं माननीय मंत्रीजी से यह सकारात्मत आश्वासन चाहूंगा कि किसी राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग से प्राप्त राशि को केवल संबंधित राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और अनुरक्षण के लिए ही लगाया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री सुव्रत मुखर्जी (रायगंज) : सभापति महोदय सोश्यल इकनौमिक डवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की बहुत जरूरत है, लेकिन इन राजमार्गों के ऊपर सही ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है। 1950-51 में हमारे यहां 34 हजार बसें चलती थीं और 85 हजार ट्रक चलते थे। 1990-91 में 1 करोड़ 86 लाख 90 हजार बसें चल रही हैं और इससे ज्यादा संख्या ट्रकों की है। इसके लिए उसी अनुपात में राष्ट्रीय राजमार्गों को बढाना चाहिए या उनका डवलपमेंट करना चाहिए था, लेकिन उन पर सही नजर नहीं रखी गई है। यह ध्यान देना बहुत जरूरी था, लेकिन हमने देखा है कि इनके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए जो रास्ते हैं वे स्टेट सब्जैक्ट में आ गए हैं और स्टेट्स के पास उनके रख-रखाव के लिए रुपए का कोई साधन नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे राज्यों को इस कार्य के लिए धन मिल सके। राष्ट्रीय राजमार्गों को बढ़ाने और उन्नत करने का केन्द्र सरकार ने उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया है, यह भी राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए लिंक रोड्स भी राज्यों को बनाने पड़ते हैं और उनके डवलपमेंट का बंदोबस्त करना भी राज्यों का काम है। उनके संरक्षण के ऊपर भी केन्द्रीय सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का संरक्षण राज्य सरकारें जरूर करती हैं, लेकिन उनको उनके रख-रखाव के लिए जितना रुपया देना जरूरी है वह केन्द्र सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है।

महोदय, मैं इस बारे में पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण देना चाहता हूं पिछले दो सालों में 1990-91 और 1991-92 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो खर्चा हुआ है और जो केन्द्र सरकार ने दिया है, उसमें 400 लाख रुपया कम दिया है। इसी प्रकार से 1992-93 में राज्य की रिक्वायरमेंट 30.26 लाख थी, लेकिन अब तक 9000 लाख की एश्योरेंस दी गई है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो केन्द्र सरकार की ओर से राज्यों को फण्ड दिए जाते हैं, वे उनकी जरूरत को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सफीशिएंट फण्ड हर स्टेट को देना जरूरी है।

महोदय, राष्ट्रीय राज मार्गों के जो मामले उठाए जाएंगे, वे कांट्रेक्ट बेस पर उठाए जाएंगे। इसलिए इनकी नीयत पर संदेह होता है। मेरा निवेदन यह है कि इसको क्लीयर करना जरूरी है। मंत्रीजी इस पर जरूर नजर डालेंगे और इसको साफ करने का बंदोबस्त करेंगे।

मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार से जो उनके ऊपर खर्चा होगा वह अल्टीमेटली जनता की जेब से ही जाएगा। हालांकि वह डायरेक्ट रूप में तो बस और ट्रक वालों से लिया जाएगा लेकिन वे बस और ट्रक के मालिक लेंगे तो जनता से ही। इस प्रकार यह जो जनता के ऊपर इन्डायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसको जब अन्ततः जनता को ही देना है, तो फिर यह अप्रत्यक्ष कर के रूप में उनसे क्यों वसूला जाए? इसलिए इसे डायरेक्ट टैक्स करना चाहिए। जनता पर डायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए। आप डायरेक्ट टैक्सिज को छोड़ रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सिज को बढ़ा रहे हैं। इससे लोगों पर नये तरीके से दबाव पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिये।

एक ही तरह का टोल टैक्स का इसमें प्रस्ताव है। नेशनल हाई-वे के किसी भी हिस्से में टोल कलैक्शन का प्रस्ताव किया गया है, यह नहीं होना चाहिए। एक ही तरह का टोल टैक्स हर जगह होना चाहिये।

आपके प्रस्ताव में यह भी है कि अप्रैल 1976 या उसके बाद जो ब्रिज बने हैं, उन पर 35 लाख

रुपये से ज्यादा का खर्चा हुआ है तो टोल कलैक्शन को बढ़ाया जा सकता है। मैं यह समझता हूं कि यह तरीका ठीक नहीं है क्योंकि जो ब्रिज बन गये हैं, उन पर जो खर्चा हुआ, उसके हिसाब से टोल टैक्स बैठाना और कलैक्शन करना सही नहीं होगा।

कुछ दिनों पहले तक हर प्रान्त अपने ऑक्ट्राय सिस्टम के जरिये टोल कलैक्शन करते थे। आपने इसका विरोध किया। अब आप उसको नया करके नेशनल हाई-वे के लिये टोल कलैक्शन का प्रस्ताव लाये हैं, यह एक आश्चर्यजनक बात है। नेशनल हाई-वे और स्टेट हाई-वे के लिये टोल कलैक्शन स्टेट्स के जरिये से ही होना चाहिये और इसके संरक्षण का दायित्व प्रान्तों की सरकार पर डाला जाना चाहिये तब सही तौर पर टोल कलैक्सन होगा और सही तौर पर उसका उपयोग होगा।

टोल कलैक्शन का प्रस्ताव नये तरीके से दोहराया जाये और इसे राज्यों के हाथों में सौंपा जाये, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : शुक्रिया चेयरमैन साहब, आशा है मुझे बोलने का ज्यादा वक्त मिलेगा क्योंकि मैं अपनी पार्टी से अकेला बोलने वाला सदस्य हूं। मैं इस बिल के खिलाफ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं मंत्रीजी की या सरकार की नीयत के खिलाफ नहीं हूं। अभी जिन तीन वक्ताओं ने बातें रखी हैं उनसे मैं बहुत सारे मामलों में सहमत हूं और कुछ में असहमत भी हूं।

मंत्री जी ने अभी 33 हजार से ऊपर किलोमीटर का जिक्र किया। लेकिन 33 किलोमीटर सड़कें भी ऐसी नहीं हैं जिन पर हम फक्र कर सकें।

जनाब सदर, अगर आप हिन्दुस्तान के हाई-वेज की शक्ल को देखेंगे तो आपको शर्म आयेगी। कोई भी हाई-वे ऐसा नहीं है जिस पर 5 किलोमीटर हम इत्तमिनान से सफर कर सकें। आज जो हाई-वेज की हालत है, यह कोई बहुत जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। बेसिक कनसैप्ट हाई-वेज का जो होना चाहिये, उसके हिसाब से वह नहीं है। उन पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यही वजह है कि उनकी हालत बहुत खराब है।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया कि हाई-वेज में बहुत मौतें हो जाती हैं और जिन का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। हाई वेज में आज बहुत-सी गाड़ियां गुजरती हैं। जो हाई-वेज हैं, उनमें से कोई हाई-वेज ऐसे नहीं हैं जिन पर 70-80 किलोमीटर पर-आवर की स्पीड से 1-2 घंटे सफर किया जा सकता हो। हर सड़क ऐसी है, जिस पर आप अगर एवरेज स्पीड निकालें तो मालूम होगा कि 35 से 40 किलोमीटर पर आवर से आप पहुंचेंगे। मेरा निवेदन यह है कि जितने किलोमीटर पर-आवर आप कम जायेंगे, उतना ही एनर्जी लास होगा हिन्दुस्तान का पर-डे अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर हम हिन्दुस्तान में अच्छे हाई-वेज प्रोवाइड कर सकें तो हमारे जो बैलैंस आफ पेमेंट की बात होती है, आज उसमें भी बहुत हद तक हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि आज इस स्पीड को बढ़ाकर दुनिया में जो हाई-वेज हैं, उसके बराबर ला दिया जाये तो कम से कम ढाई गुना हमारे पैट्रोल का कंजम्पशन कम हो सकता है। आज जो हाई-वेज की हालत है, उसमें अगर हाईवेज पर कोई हादसा हो जाये तो हमारे पास कोई मेडीकल फैसिलिटी किसी भी हाइवे के ऊपर मौजूद नहीं है, फर्स्ट एड की फैसिलिटी भी नहीं है कि जहां पर हादसा हुआ हो, उसको हास्पिटल तक पहुंचाया जा सके। आप देख लीजिये, कोई भी हाइवे पुलिस नहीं है कि आप हाइवे के ऊपर अगर रात में जा रहे हों या दिन में जा रहे हों और अगर आपको कोई लूट ले तो कोई हाईवे पुलिस की व्यवस्था हो, अगर होगी भी तो मेरे ख्याल से आफिस के अन्दर होती होगी, हाइवे पर तो नहीं है। किसी भी हाइवे को आप देख लीजिए, हो सकता है कहीं हो लेकिन जितने इलाके को हमने देखा है, कहीं पर अच्छे रैस्ट हाउस का इन्तजाम नहीं है, कहीं

पर रैफ्रेशमेण्ट का इन्तजाम नहीं है, अच्छे रेस्टोरेण्ट का इन्तजाम नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन कण्डीशंस को बढ़ाया जाय और हिन्दुस्तान के अन्दर अच्छे हाइवेज दिये जायें तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तानियों को पैसा देने में या किसी तरह का कण्ट्रीब्यूट करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, नहीं होगा लेकिन हाइवे का स्टैण्डर्ड कम से कम इतना तो हो कि आप उस पर 80, 90 या 100 की रफ्तार से चल सकते हों।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार एक ऐसा बिल लाये जिसके अन्दर पूरे हाइवेज को एक तरफ से रेनोवेट करने की बात हो, जिसमें हम दुनिया को एक ऐसा नक्शा दे सकें कि हमारे यहां भी हाइवे है। मैं नहीं समझता हूं कि जो एग्जिस्टिंग हाइवेज हैं, इनको दुनिया का कोई भी मुल्क, जहां हाइवे का कन्सेप्ट है, हाइवे मानने को तैयार होगा। मैं तो एक प्रपोजल मंत्रीजी को देना चाहता हूं कि अगर यह चार बड़े शहरों को नई हाइवेज से नये एलाइनमेंट के साथ जोड़ने की सोचे, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास, मद्रास से बम्बई, इनको आप अगर एक हाइवे की शक्ल देकर एक नये एलाइनमैंट के साथ एक नई सड़क, जिसको आबादी से न गुजरना हो, दुनिया के स्टैण्डर्ड से इसके ऊपर ट्रैफिक साइंस हों, दुनिया के स्टैण्डर्ड से इसके ऊपर दूसरी फर्स्ट एड की फैसिलिटीज हों या फिर पुलिस असिस्टेंस की सुविधा हो, उसके बाद अगर एक गाड़ी के मालिक का ढाई गुना पैसा बचता हो हाइवे पर चलने के बाद तो फिर वह सड़क के ऊपर चलने का आप जितना भी पैसा मांगेंगे, वह देने को तैयार होगा। इस तरह के प्रोजेक्ट को आप किसी एन० आर० आई० को, जो अपना इण्डियन ही बाहर कोई हो, उसके हवाले कर सकते हैं, किसी दूसरी बड़ी हिन्दुस्तानी कम्पनी या दूसरी कम्पनी के हवाले कर सकते हैं और उस आमदनी से मेरा दावा है कि आपके दूसरे 33000 किलोमीटर हाइवेज की मेण्टीनेंस हो जायेगी।

अगर मिनिस्टर साहब कोई इस तरह का बिल लायें, जिसके जरिये ज्यादा नहीं तो कम से कम यह चार बड़े शहर, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास, मद्रास से बम्बई और बम्बई से दिल्ली, इनको एक नये एलाइनमेंट के साथ जोड़ने का काम हो, यह ऐसे हाइवेज बनें जिनको दुनिया हाइवे मानने को तैयार हो, अगर करें तो इसका हम लोग समर्थन करेंगे और उस हाइवे के ऊपर अगर अवाम से पैसा भी लिया जाय तो उसको हम लोगों का समर्थन होगा लेकिन आज जो हाइवे की हालत है, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, मैं आपसे कह सकता हूं, मेरे पास बाहर का एक्सपीरियेंस भी है कि यह हाइवेज किसी लायक नहीं है। हाइवे का कन्सेप्ट जहां है, उसमें कहीं भी यह हाइवे में नहीं आते और इसलिये मैं इस तरह के बिल की मुखालफत करूंगा।

इस तरह के जो भी पैसे आयेंगे, उनका कोई सही यूटीलाइजेशन नहीं होगा इसलिये अगर सरकार कोई ऐसा बिल लाना चाहती है जिससे कि हिन्दुस्तान के अन्दर हमें सुविधा मिल सके तो उसका हम लोग समर्थन करेंगे। मैं मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इस बिल को वापस लेकर एक ऐसा बिल लायें जो कि काम्प्रीहेंसिव हो, जिससे कि आप नेशन को कुछ दे सकते हों, इसलिये इन छोटी-मोटी चीजों से काम चलने वाला नहीं है, आज हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके डीजल और पैट्रोल का जल रहा है···।

[अनुवाद]

वाहनों के रखरखाव से।

[हिन्दी]

इन्सानी जानें जा रही है। इन सारी चीजों को हम लोग अच्छी फेसिलटीज देकर बचा सकते हैं।

इसलिए मैं सरकार से दखास्त करूंगा कि इस बिल को वापस लेकर के एक काम्प्रीहेंसिव हाइवेज बिल लाएं और उसको सदन के सामने रखें, उस पर हम सभी लोगों का समर्थन होगा। इसका मैं इन्तजार करूंगा।

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन करने का प्रमुख कारण सड़कों तथा पुलों के प्रवर्त्तकों को लाभ कमाने के लिये इन सुविधाओं का प्रयोग करने वालों पर मार्ग कर लगाने की अनुमति प्रदान करना होगा। इस संशोधन से निजी क्षेत्र को भी ऐसी मार्ग कर परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी।

वास्तव में, सड़क परिवहन साभाजिक—आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह छोटे तथा मध्यम दूरी के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, इसमें लचीलापन, विश्वसनीयता, गति तथा द्वार से द्वार सेवा जैसे कई लाभ हैं। यह परिवहन के अन्य तरीकों का पूरक है। सड़क परिवहन राष्ट्रीय यातायात प्रणाली का अपरिहार्य तत्व है। वर्षों के अन्तराल में, सड़क परिवहन का हिस्सा सम्पूर्ण परिवहन में लगातार बढ़ रहा है। रेल यातायात से सड़क यातायात में काफी अन्तरण हुआ है। रेलवे में क्षमता अड़चनों तथा सड़क परिवहन के लाभों तथा सड़क जाल के विस्तार से देश में मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1950-51 में केवल 34,000 बसों की संख्या बढ़कर 1989-90 में 1,66,93,000 हो गई है। इसी अवधि के दौरान, ट्रकों की संख्या 82,000 से बढ़कर 11,97,000 हो गई। आठवीं योजना में ट्रकों का वार्षिक वृद्धि का 7 प्रतिशत तथा बसों के लिये 8 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है।

भारत का सड़क-जाल, विश्व में सबसे बड़े सड़क जालों में से एक है। देश में कुल सड़क लम्बाई 1987-88 में 18,43,420 किलोमीटर थी। सातवीं योजना में देश में एक राष्ट्रीय राज मार्गों सहित प्राथमिक सड़कों, दो, राज्य राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों सहित सेकैंडरी तथा फीडर सड़क प्रणाली, तीन गांव की सड़कों तथा अन्य जिला सड़कों सहित ग्रामीण सड़कें।

ग्रामीण तथा आदिवासी क्षत्रों में सड़कों के विकास हेतु
पर्याप्य परिव्यय का प्रस्ताव किया गया था :

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के लिये सरकार उत्तरदायी है। 1947 में लगभग 2500 कि० मी० खुर्द-बुर्द हो गई सम्पर्क सड़कों तथा हजारों ऐसी पुलिया और पुलों का, जो थे ही नहीं, समन्वित तथा निरन्तर जाल के लिये निर्माण किया जाना था। बाद के वर्षों में, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में नई सड़कों की वृद्धि के साथ सम्पर्क सड़कों की भी अधिक संख्या में आवश्यकता थी। 31 मार्च, 1990 तक निर्माण की गई सम्पर्क सड़कों, दिक्परिवर्तनों सहित, का कुल 4610 किलोमीटर का निर्माण किया गया। 23075 कि० मी० कम स्तरीय सैक्सन में सुधार पूरा किया गया, सिंगल लेन सैक्सन का डबल लेन कैरिजवे में बदलना तथा सुदृढ़ करने का कार्य 25195 कि० मी० में किया गया था तथा 469 प्रमुख पुलों का निर्माण किया गया था। इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में कुल 33612 किलोमीटर सड़क लम्बाई शामिल है। सातवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर 1481.70 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल सड़क लम्बाई का केवल दो प्रतिशत शामिल है, लेकिन उन पर सड़क यातायात का लगभग एक तिहाही यातायात होता है। विश्व बैंक को छः राज्यों यथा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम-बंगाल में— राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये 20 करोड़ अमेरिकी डालर का ऋण प्रदान करना है। एशियाई विकास बैंक को तीन राज्यों तथा आन्ध्रप्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा तीन राज्यों, यथा, आन्ध्र प्रदेश,

कर्नाटक तथा तमिलनाडु में राज्य मार्गों के विकास के विकास के लिए 18.8 करोड़ अमेरिकी डालर का ऋण प्रदान करना है। राज्य राजमार्ग तथा जिला ग्रामीण मार्ग राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हैं तथा इनका रख-रखाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है, इसका लक्ष्य 1500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों तथा 1000 से 1500 की जनसंख्या वाले ग्रामों के 50 प्रतिशत से अधिक को, सब मौसमों में उपयुक्त सड़कों से जोड़ना है। सरकार राज्यों में कतिपय चयनित सड़कों के विकास में भी सहायता करती है।

आर्थिक विकास को तेज करने और उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क परिवहन के तेजी से तथा समायोजित सुधार के द्वारा सुरक्षा तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए मार्च, 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड का गठन किया गया था। विकास गतिविधियों में अब राजस्थान, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा भूटान भी शामिल हैं।

भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान स्थिति यह है कि छः राज्यों में लगभग 300 किलो-मीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जायेगा तथा विश्व बैंक के 900 करोड़ रुपये के ऋण के अन्तर्गत उनको चार लेन वाली सड़कों में बदला जायेगा। उडीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों को तो इसमें शामिल किया जाना है। हाल ही में यह जानकारी अपने मंत्रालय की परामर्श समिति को देते हुए जल भूतल परिवहन मंत्री महोदय श्री जगदीश टाइटलर ने कहा है कि इस योजना में उड़ीसा के गंजम जिले में छः पुलों का पुनर्निर्माण शामिल होगा जो बाढ़ों से क्षतिग्रस्त हुए है। कई बार मैंने इस मामले को तथा गंजम जिले में क्षतिग्रस्त छः पुलों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता को सम्माननीय सदन में उठाया है जिन्हें प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से बाढ़ों का सामना करना पड़ता है। विलम्बित पुर्ननिर्माण के कारण पुलों की क्षति में वृद्धि हो रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को कटक भुवनेश्वर खण्ड को 126 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन वाली सड़क में बदला जाएगा। इस कार्य में महानदी के ऊपर एक प्रमुख पुल का निर्माण भी शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के इछामुर तथा पलासा के बीच के भाग का भी तात्कालिक रूप से पुनर्निर्माण किया जाना है, क्योंकि यह अत्यधिक बुरी अवस्था में है। इसमें अतिरिक्त ऊपरयुक्त भाग में काफी संख्या में रेलवे फाटक हैं जिनसे वाहनों की अबाध गति में गम्भीर रुकावटें आती हैं।

उड़ीसा राज्य सरकार ने, जहां से मैं संबंधित हूं, 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नवत विकास का प्रस्ताव किया है। इसमें सड़क कार्यों पर 398.4 करोड़ रुपये तथा पुल कार्यों पर 53 करोड़ रुपयें की लागत का आकलन किया है। इन अनुमानों की तुलना में विगत चार वर्षों अर्थात 1989 से 1992 तक क्रमशः 12.9, 10.5, 13.8 तथा 12.7 करोड़ रुपये प्रदान किए गये हैं। इसलिए, मैं इस अवसर पर भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह भविष्य में उड़ीसा जैसे कम विकसित राज्यों को निधियां स्वीकार करने में अधिक उदार रहे।

सड़क मार्गों में नवीनतम परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलीफोर्निया में लास एंजिल्स तथा उसमें आसपास का क्षेत्र केवल होलीवुड की चमक-दमक के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, यह अत्यधिक वाहनों से भरे राजमार्गों तथा वाहनों की अधिसंख्या से अत्यधिक वायु प्रदूषण का सामना भी करता है।

तथापि यह स्थिति नये परिवर्तनों द्वारा तथाकथित "स्मार्ट रोडस" द्वारा अगले तीन वर्षों में समाप्त हो जायेगी।

इस वाक्यांश से प्रकट होने वाले अनर्थ के पीछे, यातायात के प्रवाह को निर्देशित करने की एक नई अवधारण है। इसका पहले ही लॉस एंजिल्स में एक आठ किलोमीटर लम्बे सड़क के भाग पर प्रयोग किया जा रहा है।

यदि यह सफल होता है, तो इसका शताब्दी के अन्त तक कैलीफोर्निया के आसपास तथा संयुक्त राज्य में अन्य अत्यधिक व्यस्त सड़कों पर प्रयोग किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, राज्य की राजधानी, सकरामैन्टों में परिवहन विभाग का यह विश्वास है कि यह परियोजना अन्य राज्यों तथा यूरोप की भी समस्याओं के समाधान की ओर संकेत करती है।

इनडक्टिव रेडियों अथवा आई० एन० आर० ए० डी० के नाम से जानी जाने वाली प्रणाली का विकास कालट्रन संगठन के वैज्ञानिकों तथा दक्षिण सयरन कैलिफोर्निया में सान लुईस ओबिसपों में राज्य विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। इनराड चार तत्वों: सेन सोर्स से बना है जो सड़क तल से जोड़ दिये जाते हैं, एक संचार प्रणाली जो एक कम्पयूटर को आंकड़ें भेजती है, जो वाहन में निगरानी तथा एक नियन्त्रण केन्द्र सहित पूर्ण है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री गोपीनाथ गणपति : मैं अपने गतिशील मंत्री महोदय से केवल यह अनुरोध करता हूं कि वे इन अभिनव परिवर्तनों पर विचार करें तथा इन अभिनव परिवर्तननशील प्रणालियों को हमारे देश में लागू करने की शुरूआत करें।

निष्कर्षत:, यह आशा की जा सकती है कि हमारे सामाजिक— आर्थिक विकास में सड़क परिवहन प्रणाली के महत्व पर विचार करते हुए, भारत सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकतम ध्यान देगी। मैं केन्द्रिय जल भूतल परिवहन मंत्री महोदय श्री जगदीश टाइटलर द्वारा प्रस्तावित इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक 1992, को अपना पूर्ण समर्थन देता हूं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : सभापति महोदय, इस विधेयक का आशय केवल धारा 7 में संशोधन करना है ताकि सड़कों के उन भागों को अधिसूचित किया जा सके जिनमें वे शुल्क एकत्रित करेंगे।

महोदय, मंत्री महोदय ने अपनी प्रस्तावना में संसाधनों की उस धनराशि पर पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला है जो इस शुल्क से उपलब्ध होगी, और यदि इस अधिनियम को क्रियान्वित किया जाता है तो कितनी धनराशि आयेगी तथा यह राष्ट्रीय राजमार्गों के पुर्नउद्धार में तथा और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए प्रयोग किये जाने वाले हमारे संसाधनों में कितनी वृद्धि करेगी। इसलिए मंत्री महोदय के भाषण में कुछ भी ठोस नहीं है। मंत्री महोदय केवल संसाधनों में वृद्धि करना चाहते है।

जैसा कि हम जानते है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा / के अनुसार अब इस पर कर लगाया गया है। जब एक नया कारोबार या कोई वस्तु आती है, तो सरकार कर लगाती है। लेकिन यहां वे उससे भी आगे जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वे कुछ क्षेत्रों की पहचान करेंगे यहां तक कि पुरानी सड़कों को भी, जहां वे शुल्क लगाएंगे। ऐसी सड़कों का चयन करने का क्या मानदण्ड होगा? वह यहां नहीं दिया गया है। और मंत्री महोदय ने उस पर प्रकाश नहीं डाला है। मंत्री महोदय हमसे स्वीकृति, हमसे कर वसूल करने का प्राधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए, एक संदेह है। तथा वहां से उसके उद्देश्य पर ही संदेह उत्पन्न होता है। यह अच्छा होता यदि मंत्री महोदय ने इसमें स्पष्ट किया होता कि इस सड़क पर कर लगाने से कितने संसाधन एकत्रित होंगे, तथा किस तरह के राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे—

विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। अन्यथा इससे पक्षपात को राह मिलेगी तथा यह सिरदर्द खड़ा कर सकता है। चाहे यदि इस विधेयक को पारित भी कर दिया जाए।

मेरा दूसरा मुद्दा सड़क परिवहन के महत्त्व के बारे में है। इसमें कोई शंका नहीं है कि यह आगे और बढ़ेगा। उन्होंने यातायात में 40 प्रतिशत वृद्धि की बात कही है। मैं यह कहूंगा कि यदि आने वाले पांच अथवा छः वर्षों के भीतर अधिक सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता है, तो हमारे विकास के संवेग अथवा गति को बनाए रख पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि इन वर्षों में इस क्षेत्र की अनदेखी की गई है।

यह कहना असंगत नहीं होगा कि इस सभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किए जाने के पश्चात भी केन्द्रिय सरकार ने राज्यों को केन्द्रिय सड़क निधियां जारी नहीं की हैं। राज्यों की दुर्दशा की आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं। इस संबंध में एक वचन दिया गया था। लेकिन राज्यों को यह नहीं मिल रहा है और इसलिए राज्यों में सड़कों की दशा अभी भी खराब है और कई कारकों के कारण परिवहन लागत भी अधिक हो जाती है। पैट्रोल की खपत भी अधिक होती है। आप जानते ही हैं कि सड़कों की बुरी दशा के कारण कितना अधिक पैट्रोल खर्च होता है और टायरों की कितनी हानि होती है। इससे परिवहन लागत भी बढ़ती है।

इन सभी वर्तमान स्थितियों के बावजूद यह अतिरिक्त कर जिसके लिए जांच-पड़ताल द्वार लगाए जाएंगे, केवल परेशानी में ही वृद्धि करेगा। मंत्री महोदय अपने अनुभव से यह बात जानते हैं कि ये जांच-पड़ताल द्वार इस देश में किस प्रकार से विनाश लीला कर रहे हैं। हाल ही में हुई ट्रक परिचालकों की हड़ताल के कारणों में से एक कारणों यह भी है।

6.57 म० प०

(श्री पीटर जी० मरबनिआंग पीठासीन हुए)

इन सभी अनुभवों को मद्देनजर रखते हुए सरकार कर संग्रहित करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी विशिष्ट स्थान पर वाहन खड़े करने पर क्यों विचार नहीं करती हैं? सड़क की हालत के अनुसार कर में अन्तर हो सकता है। कर संग्रहित करने का यह तर्कसंगत ढंग होगा।

इसे केवल दूसरों को देने के लिए आप यह कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों का चयन किया जाएगा। इससे भी अवरोध उत्पन्न होगा और यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। संसाधनों में वृद्धि के प्रयासों के समय पूरे राष्ट्रीय दृश्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इसलिए यह क्षेत्रीय दृष्टिकोण भी बुरी बात है और शायद हमारी पूर्व आयोजना में यह क्षेत्रीय दृष्टिकोण के कारण ही है, जिससे ऐसा संकट पैदा हो गया है। इसका कारण यह है कि हमने सभी बातों को ध्यान में नहीं रखा है। मैंने यह सोचा था कि मंत्री महोदय अधिक प्रकाश डालेंगे जिससे सभा को यह पता चलेगा कि उनके पास कितने संसाधन हैं और उनकी आयोजना क्या है। क्या कोई आयोजना तैयार की गई है? यदि कोई आयोजना और गणना नहीं की गई है, तो वे इस सभा में ऐसा विधेयक क्यों ला रहे हैं? मेरा विचार है कि विधेयक कतिपय गणनाओं और मूल्यांकनों पर आधारित होना चाहिए। लेकिन इसमें इस चीज की कमी है। मंत्री महोदय के भाषण में इस पर अधिक प्रकाश डाला जाना चाहिए था।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस क्षेत्र की अनदेखी की गई है। थोड़े समय के बाद ही हम अपनी आठवीं योजना लागू करने जा रहे हैं। आठवीं योजना में आधारभूत ढांचा होना चाहिए और इसका विस्तार भी किया जाना चाहिए। कुछ आधारभूत ढांचा संबंधी क्षेत्रों को निजिक्षेत्रों को सौंप जाने की योजना है क्या आप वास्तव में ही इसे निजी क्षेत्र को सौंपने जा रहे हैं—

7.00 म० प०

जिसमें या तो पुरानी सड़कें होंगी अथवा वे नई सड़कें जिनका निर्माण किया जाना है? इसलिए मेरा यह विचार है कि नई सड़कों के रख-रखाव के कार्य की निजि क्षेत्र को अनुमति देना, वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य में अर्थपूर्ण है। लेकिन निजि कम्पनियों को पुराना क्षेत्र सुधार अथवा इस प्रकार के व अन्य कार्यों के लिए सौंपना केवल निजि कम्पनियों के हित में और निहित स्वार्थों के हित में ही होगा। इसलिए इसका विभेद भी किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे राज्य भी हैं—ऐसा पहले बता दिया गया है, जिनके विचारों की अनदेखी कर दी गई है। यदि आप किलोमीटर वार आंकड़े लें, तो जैसा कि संकेत किया गया है, उड़ीसा जैसे राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार बहुत ही कम है। इसलिए भी, कि जहाँ रेल सुविधा नहीं है राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के समय यह तथ्य भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। रेल सुविधाओं वाले क्षेत्र को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। उन्हीं क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जहां पर रेल सेवाएं उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों में अन्य दोष भी हैं।

गुवाहटी से अमृतसर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 2 को ही लें। इसका मार्ग सीधा नहीं है? और घाट मार्ग में जाता है तथा इससे अधिक लागत आती है। इसे सीधा बनाने की योजनाएं बनानी चाहिए। इसी प्रकार से सिक्किम के मामले को लें जहां पर सीमा क्षेत्र में भी "एक तरफा" राष्ट्रीय राजमार्ग है। सीमा क्षेत्र में रेल सुविधाएं भी नहीं हैं, इसलिए इन सड़कों को दुगुना किया जाए, यह राष्ट्रीय हित में ही है। इस प्रकार से इन सारे परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र की अनदेखी की गई है और सरकार को संसाधन पैदा करने चाहिए। मैं केन्द्रीय सरकार से सड़क निधियां तुरन्त जारी करने का अनुरोध करता हूं। यदि सड़क निधियां जारी नहीं की जाती हैं, तो कई राज्य सड़कों को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। यह तुरंत आवश्यक हो गया है मैं जानता हूं कि इसकी क्यों अनदेखी की जा रही है और यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो राष्ट्रीय सड़क निधि से संबंधित इकट्ठा किया गया धन वित्त मंत्रालय के पास क्यों रखा हुआ है। यह बड़े आश्चर्य की बात है और वर्ष 1988 में एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किया गया था।

श्री जगदीश टाइटलर : यह इकट्ठी नहीं की जा रही है।

श्री लोकनाथ चौधरी : वे धन इकट्ठा कर रहे हैं; और यह धन वित्त मंत्रालय के पास रखा हुआ है।

श्री जगदीश टाइटलर : उन्होंने यह वसूल नहीं किया है।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं यह कहूंगा कि इस विधेयक को पारित करने से समस्या नहीं सुलझ पाएगी। सरकार को और अधिक ध्यान देना चाहिए और सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अधिक धन आवंटित करना चाहिए। सेवा गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय राजमार्गों में अन्य कठिनाईयों को दूर किया जाना चाहिए। खण्डों के चयन के समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि इससे विभिन्न खण्डों की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि इस कारण को नहीं देखा जाता है तो भारी समस्याएं पैदा हो जाएगी।

इसलिए इन सब बातों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय सभापति जी, यातायात पूरे देश के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है। चाहे देश का आर्थिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो या राजनैतिक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास की बात हो इन राजमार्गों का या सड़कों का अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस दृष्टि से इसकी तरफ देखना बहुत जरूरी है। सड़कें एक प्रकार से पूरे देश को जोड़ने का काम करती हैं। जिस राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की बात हमारे साथी बड़े जोर-शोर से करते हैं तो उस राष्ट्रीय एकता का आधार ये सड़कें हैं। इसको मानकर हम फिर आगे की सोचें कि इस बिल से हम जो सुविधायें दे रहे हैं वह पूरे देश को दे रहे हैं। पूरे देश के विकास की दृष्टि से यह सुविधा हम दे रहे हैं लेकिन इस की तरफ जो बिल रखा गया है, देखा ऐसा जा रहा है कि जैसे कोर्स वाईज डिनर परोस रहे हैं जिसमें दाल के अलग, चटनी के अलग, मिर्ची के अलग-अलग पैसे लगेंगे। यही बात इसमें आ गयी है। इस संशोधन के द्वारा एक प्रकार से एक बात समझ में आ सकती है कि ब्रिज बनाओ, ट्नल बनाओ यह अतिरिक्त सुविधा होती है और इस अतिरिक्त सुविधा के लिए जो टैक्स लिया जाता है, चार्जेज लिया जाता है, तो समझ में बात आ सकती है लेकिन आज यह प्रस्ताव आया है कि किसी एक विशेष खण्ड के लिए आप अलग से टैक्स ले सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ सरकार अपने आपमें शक्ति चाहती है, अतिरिक्त टैक्स, अतिरिक्त भार लोगों पर पड़ेगा लेकिन उस खण्ड को आप किस ढंग से आयोजित करेंगे ? फिर उस सड़क के लिए लोगों से टैक्स वसूलने के लिए जो चेक पोस्ट और बाईलेन बनायेंगे और उसके लिए आपने 40 लाख रुपया प्रावधान रखा है। यह अतिरिक्त खर्चा भी करेंगे तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि किस से कहां और कैसे टैक्स वसूलना है ? आप किसी विशेष को सड़क का टुकड़ा बनाने के लिए देने जा रहे हैं ? हम इस बात की खिलाफत करते हैं क्योंकि देश को तो आपने पहले ही टुकड़ों में बांट दिया है और अब आप सड़क को भी टुकड़े-टुकड़े करके करेंगे। यदि सड़क को भी टकड़ों में बाँटेंगे तो हर जगह टैक्स वसूलने के लिए चैक पोस्ट होंगे, हर जगह गाड़ियां अड़ती जायेंगी, ट्रैफिक जाम होगा। तो आप सुविधा के नाम पर क्या दे रहे हैं ? आज तक आपने क्या दिया, थोड़ा इस पर भी सोचें।

समापति महोदय, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपने प्रदेश की बात करूंगी। मध्यप्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो एक प्रकार से सारे देश को जोड़ता है। मध्य में स्थित है और सात प्रदेशों की सीमायें इसके साथ लगी हैं। एक प्रकार से पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को कहीं से कहीं जाना हो तो मध्य प्रदेश से गुजरना ही होता है। इस प्रकार मध्यप्रदेश की सड़कों को रौंदते हुए चले जाते हैं लेकिन इसके बाद भी मध्यप्रदेश को हम कितनी सुविधा दे पाये हैं ? मध्यप्रदेश का ज्यादा से ज्यादा इलाका आदिवासी और पिछड़ा हुआ है। यह प्रदेश खनिज, कोयला और प्राकृतिक सुविधाओं से भरपूर है लेकिन यहां सड़कें नहीं दे पाये हैं। गत 20 साल में हम केवल दो राष्ट्रीय राजमार्ग सैंक्शन कर पाये हैं लेकिन बने नहीं हैं। इस प्रदेश की सड़कों की औसत देखी जाये तो हैरानी होती है। राज्य के राजमार्ग की बात तो छोड़िये। पूरे हिन्दुस्तान में ज्यादा से ज्यादा प्रति 100 कि०मी 3 कि०मी० औसत है और मध्यप्रदेश में देखिये तो केवल .7 है। यह मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि वहां से केन्द्र में 5-6 मन्त्री होते हुए भी 40 सालों में कुछ नहीं किया गया, सड़कों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया। मध्यप्रदेश सरकार की कई योजनायें यहां पर वर्षों से लम्बित हैं लेकिन कुछ भी तो नहीं किया गया। यहां तक कि मध्यप्रदेश के कई मुख्य मंत्री हुए जिनमें कई केन्द्र में मन्त्री रहे लेकिन यहां आकर जोरदार ढंग से अपनी बात नहीं रख पाये हैं। यही नतीजा है कि गत 20 साल में राज्य को केवल दो ही राष्ट्रीय राजमार्ग मिले हैं। उसके बाद सन् 1984 में डाकू उन्मूलन योजना बनी। यह डाकू उन्मूलन योजना सिर्फ मध्य प्रदेश की

समस्या नहीं थी। आज भी जो समस्या मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की सीमाएं आंध्र प्रदेश से लगी हुई हैं, महाराष्ट्र से लगी हुई हैं, बिहार से लगी हुई हैं और इसलिए यह डाकू उन्मूलन योजना जो मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर बनी थी इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 14 सड़कें बनाने का कार्यक्रम था और द्वितीय चरण में 61 सड़कें बनानी थीं। उसके लिए तय हुआ था कि 50/50 प्रतिशत दोनों इसमें खर्च करेंगे केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेशसरकार। हालांकि यह भी उचित नहीं है क्योंकि यह प्रदेश सात राज्यों से जुड़ा हुआ है और एक प्रकार से मध्य प्रदेश में से पूरे हिन्दुस्तान का ट्रैफिक उसको रौंदता हुआ जाता है। इतना ज्यादा ट्रैफिक मध्य प्रदेश की सड़कों पर है लेकिन उसके बाद 1987 में 10 सड़कों की योजना यहां पर भेजी गई। वह भी कम से कम भेजी गई सिर्फ 65 करोड़ की योजना। सैंक्शन कितना होता है, वह भी अभी जब हमारे माननीय मुख्य मन्त्री, हमारे पी० डब्लू० डी० के मन्त्री बार-बार बोलते हैं, लेकिन यहां केन्द्र सरकार में बैठे हुए हमारे मध्य प्रदेश के जो साजिन्दे हैं, उनमें से कोई नहीं बोलता है। वहां जाकर केवल क्रिटिसिज्म करेंगे छोटी-छोटी बातों को लेकर, लेकिन प्रदेश के लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। हमारे मुख्य मन्त्री इतना कुछ बोलने के बाद भी जब 65 करोड़ की योजना भेजी जाती है तो मिलता कितना है—19 करोड़! माननीय सभापति जी, यह सोचने की बात है कि जब हम अतिरिक्त टैक्स लेने की बात करते हैं तो हम कितनी सुविधा दे रहे हैं। कोयले का यातायात मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। हमारे माननीय पटवा जी ने बार-बार आकर यहां प्रयास किया। हमारे मध्य प्रदेश के उधर बैठने वाले लोगों को कुछ ध्यान नहीं है। कोयला यातायात और खनिजों की रॉयल्टी के बारे में भी हमारे माननीय पटवा जी ने बार-बार यहां आकर अपनी भूमिका रख दी और आग्रह किया कि खनिजों की रॉयल्टी बढ़ाई जाए और कोयले के यातायात से भी वहां 27 सड़कें प्रभावित हैं। लेकिन उसके ऊपर भी ध्यान नहीं जाता है। यह केवल मध्य प्रदेश की या स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं है। आज राष्ट्रीय राजमार्ग की बात ले लो तो यह केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है। सभी राज्यों को जोड़ने वाली बात होती है। एक तरफ से बिहार को जोड़ने वाला नेशनल हाइवे है और हर तरफ से सड़कें हैं।

बार-बार हम नाम लेते हैं आदरणीय राजीव जी का। आदरणीय राजीव जी जब आए थे मंदसौर में चुनाव के समय तो उस समय उन्होंने घोषणा की थी महू-अजमेर वाया नीमच रतलाम होते हुए नेशनल हाइवे की। मुझे लगता है अगर सही मायने में वे आपके आदरणीय हैं तो जो घोषणा करके वह गए थे उसको तो कम से कम आप पूरा करेंगे, उनकी अंतिम इच्छा समझकर ही पूरा कर दिया जाए। यह मध्य प्रदेश वास्तव में उपेक्षित क्षेत्र रहा है।

माननीय सभापति जी, मुझे यही कहना है कि आठ राष्ट्रीय राजमार्गों की हमने मांग की है। कई योजनाएं यहां पर लम्बित पड़ी हैं प्रदेश की और उसके साथ-साथ यह प्रदेश जैसा मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। इसमें नेशनल हाइवे में हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने भी नेशनल हाइवेज आप बनाएं तो यह ध्यान रखे कि एक जमाने में वह शहर से बाहर से जाते थे और अब शहर इतने बढ़ गए हैं। मेरे इंदौर शहर की ही बात मैं बार-बार करती आई हूं कि इसमें इंदौर-देवास बाय पास का फोर लेनिंग का कार्य शामिल है। शहर के बीचों-बीच से यह नेशनल हाइवे नम्बर 3 जा रहा है और रोज करीब-करीब एक दुर्घटना हो रही है। रोज करीब-करीब एक मृत्यु हो रही है। हालांकि और भी जगह ऐसी हैं, जबलपुर के बाईपास की भी यही स्थिति है, नेशनल हाईवे की भी यही स्थिति है और यह बाईपास की योजना यहां पर 1987 से लम्बित पड़ी हुई है, किसी ने 1987 से उसकी बात नहीं उठायी। जब से मैं आयी हूं, मैं आपसे बार-बार मिली हूं लेकिन हमेशा मुझे यही कहा गया कि यह योजना वर्ल्ड बैंक के अन्तर्गत है, कभी कोई आकर परीक्षण कर जाता है, निरीक्षण कर जाता है लेकिन मरने वाले वहां पर नहीं रुक रहे है।

इसलिए जब आप कोई टैक्स बढ़ाने की बात यहां करते हो, आप जब यह अधिकार मांगते हो और चाहते हो कि टैक्स बढ़ायें, हर आदमी की रोटी के साथ चटनी चाहिए, यदि आप चाहते हो कि उस चटनी के भी वह अलग से पैसे अदा करे, यही बात आपके इस संशोधन से निकलती है तो उस समय क्या हम देने की कुछ शक्ति भी रखते हैं या हमने कभी कुछ देने की कोशिश भी की है, ये बातें भी आपको सोचनी पड़ेंगी।

इसके साथ-साथ, मैं यहां एक सुझाव और देना चाहूंगी कि क्या खर्चे में भी कटौती की बात हमने कभी सोची है। कई ब्रिजेज ऐसे बनते हैं जो केवल कागजों पर रहते हैं। कई सड़कें ऐसी बनती हैं कि अगर कोई सड़क बनानी हो तो उसमें वहां के इंजीनियर का एक मकान जरूर बन जाता है। सांस्कृतिक नीति की बात भी हम करने जा रहे हैं लेकिन जो लोग सांस्कृतिक नीति कि यह बात सामने रखेंगे और इस पर बोलते हैं तो उसमें वजन ही नहीं आ सकता है। बोलने वाला सशक्त होना चाहिये, उसका अन्तर्मन, उसका अन्तर्बाह्य सब साफ होना चाहिये। इसलिए उसकी भी गति क्या होनी है, वह बात अलग है। अतः खर्च में कटौती की बात, कुछ सुधार की बात भी हमें सोचनी पड़ेगी कि क्यों सरकारी टेंडर ही डेढ़ गुना या दो गुना ज्यादा भरे जाते हैं और इसके पीछे क्या कारण है। उसके बाद क्यों परसेंटेज की बात होती है। क्या इसमें किसी तरह की कटौती की बात, इन पर रोक लगाने की बात हम सोचेंगे। इसलिए जो संशोधन सदन के सामने आया है, मैं उसका विरोध करूंगी क्योंकि यह बात तो स्पष्ट है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना ही है, वह तो है ही, इसमें हम किसी तरह की कटौती नहीं कर पा रहे हैं, जब सड़कों को बढ़ावा मिलना है और वह अतिरिक्त भार इस देश के सामान्य लोगों पर आयेगा, यानी रास्ते पर चलने के लिए भी, अब हम उनसे टैक्स वसूलने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ आपकी शक्ति में तो बढ़ोत्तरी आयेगी, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करें लेकिन उस शक्ति के कारण, मुझे इसमें बराबर शक होता जा रहा है कि वह शक्ति आप दूसरे को देना चाहेंगे कि इतना टुकड़ा आप बना लो और फिर उस टुकड़े पर आप चाहे जितना टैक्स वसूलो, इस बात का हम विरोध करते हैं।

अतः जो राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक सदन में लाया गया है, वह लोगों की दृष्टि से, लोगों की सुविधा की दृष्टि से, यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो जो सरकार सुविधा नहीं दे सकती है तो वह लोगों से ज्यादा अपेक्षा भी नहीं कर सकती है, इस दृष्टि से मैं इसका विरोध करती हूं! धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० सी० बालायोगी (अमलापुरम) : राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक पर बोलने के लिए मुझे समय प्रदान करने पर आपका धन्यवाद। इस सम्बन्ध में, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कतिपय पहलुओं को लाना चाहूंगा। यद्यपि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर अत्यधिक कर वसूल रही है फिर भी सरकार दुर्घटनाओं के नियन्त्रण पर सही ध्यान नहीं दे रही है। बीमा दावों के माध्यम से वह उन लोगों को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का भुगतान कर रही है जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं से सम्बन्धित होते है। मैं मंत्री महोदय को राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। काफी समय पहले आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अधिक विश्राम-ग्रहों के निर्माण की योजना का प्रस्ताव किया था···।

सभापति महोदय : कृपया मुख्य बात पर आइए। प्रस्तावित संशोधन पर ही बोलें।

श्री जो० सी० एम० बालायोगी : महोदय, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं पर नियंत्रण भी एक महत्त्वपूर्ण विषय है। दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। इस विधेयक के प्रस्तुतीकरण के पीछे जो उद्देश्य है वह कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों, सुरंग बनाने के निर्माण कार्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर कर वसूलने के लिए भी निजि व्यक्तियों को निमंत्रित करना है। इससे भाड़ा प्रभारों और डीजल तथा पैट्रोलियम की कीमतों में स्वत: ही वृद्धि हो जाएगी। यह सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को भी प्रभावित करता है चूंकि इनकी ढुलाई ट्रकों द्वारा होती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं जिससे इन वस्तुओं की कीमतों में बृद्धि नहीं हो।

इस सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कई प्रस्ताव भेजे हैं। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई केवल 2587 कि०मी० है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार आँध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 5540 कि० मी० होनी चाहिए। 22 राजमार्गों को जिनकी लम्बाई 6410 कि० मी० है, राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में कोटि-उन्नयन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर भेजे गए हैं। इन सभी 22 प्रस्तावों के सम्बन्ध में अनुमोदन अभी प्राप्त होना है।

केन्द्रीय सड़क निधि योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार के जलभूतल परिवहन मंत्रालय ने 3-1-89 के अपने पत्र में सूचित किया कि संसद द्वारा 13-5-88 को पारित किए गए संशोधित संकल्प के अनुसार, केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य को 20.70 करोड़ रुपए वार्षिक की राशि दिये जाने की संभावना है और आन्ध्र प्रदेश सरकार से छः वर्षों के लिये अर्थात् वर्ष 1989-90 से 1994-95 तक की अवधि के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये जाने वाले कार्यों की एक सूची तैयार करने का अनुरोध किया था।

भारत सरकार के जलभूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा भेजे गये मार्गनिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत धन जारी करने हेतु भारत सरकार के पास 290.95 करोड़ रुपये की राशि के 24 प्रस्ताव भेजे गये थे।

भारत सरकार ने 7.81 करोड़ रुपये के केवल 4 प्रस्तावों को ही स्वीकृति प्रदान की है। 283.14 करोड़ रुपये की राशि के बकाया 20 प्रस्तावों को अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि 22 राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में कोटि-उन्नयन सम्बन्धी प्रस्ताव और केन्द्रीय सड़क कोष से धन जारी करने सम्बन्धी अन्य प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा शीघ्र मंजूर प्रदान की जाए।

आन्ध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है। भारत सरकार का टाडा से इचापुरम तक के राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में कोटि-उन्नयन का प्रस्ताव है। टाडा तमिलनाडु में है और इचापुरम उड़ीसा-आन्ध्र प्रदेश की सीमा पर है। सड़क पर एक-तिहाई कार्य पूरा हो चुका है और एक-चौथाई कार्य अभी पूरा किया जाना बाकी है। यदि इस सड़क का विकास किया जाता है, तो इससे भारत के सभी तटीय राज्यों के विकास में सहयोग मिलेगा, क्योंकि इसमें लगभग चार राज्य आते हैं। इससे मछुआरों को भी भारी लाभ पहुंचेगा। वे मछलियां और अन्य उत्पादों को दूसरे राज्यों में बेच सकेंगे। इसलिये मैं मंत्री महोदय से इस मामले को देखने और इचापुर से टाडा तक की सड़क को जितना जल्दी संभव हो सके मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध करूंगा।

आन्ध्र प्रदेश की सरकार से एक और प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आन्ध्र प्रदेश में पांडिचेरी, यानम काकीनाड़ा को जोड़ने वाली एक अन्तर्राज्यीय सड़क है जो तल्लारेवु से होती हुई काकीनाड़ा से यानम तक है। इसमें केवल 3.6 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास काफी अर्से से लम्बित पड़ा है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस परियोजना को स्वीकृति दें।

अन्त में, मैं यही कहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, अमलापुरम में एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। विशेष रूप से मेरे जिले में लगभग 50 लाख की आबादी है। विश्व में आधे से अधिक देशों की जनसंख्या मेरे जिले की जनसंख्या से कम है। हम केन्द्र सरकार से दो पुलों की स्वीकृति के लिये कह रहें हैं—वे हैं गौतमी नदी पर येदारलंका—यानम और मुक्तेश्वरम—कोटीपल्ली। आप कृपा इस मामले पर विचार करें। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।
[हिन्दी]

श्री तेज सिंह राव भोंसले (रामटेक) : समापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। बहुत देरी से सरकार यह बिल लेकर आई है। जो पहला संशोधन धारा सात के तहत हुआ था, उस वक्त इस बात को सामने नहीं लाया गया था क्योंकि यही कहा गया था कि इस धारा के द्वारा कोई टैक्स या वसूली यहां पर टोल टैक्स के जरिये न हो। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में नेशनल हाईवेज की हालत खराब होती गई। हमारे माननीय सदस्य जब विदेश जाते होंगे, जापान, अमरीका या दूसरे देशों में जब जाते होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि वहां के राजमार्गों और यहां के राजमार्गों में बड़ा फर्क है। हमारे राजमार्ग नाम से राजमार्ग हैं। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इन राजमार्गों पर 50 किलोमीटर की स्पीड पर जाना मुश्किल होता है। ऐसे में कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई मौतें इससे हो गई हैं। इन सब को दूर करने के लिये कुछ प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 1400 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किये। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि नई आई है, उसमें भी अभी इस बारे में कुछ होने वाला है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि यह बहुत बड़ा काम है। जब नेशनल हाईवेज बने, उस वक्त ट्रकों पर वजन बहुत कम लादा जाता था जबकि आज वही ट्रक सामान से बहुत ज्यादा भरे हुए जाते हैं। यही वजह है कि हमारे सारे नेशनल हाईवेज खराब होते जा रहे हैं। इनको दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये पैसा कहां से लाया जाये, यह आपको देखना होगा। जो लोग इन रास्तों का उपयोग नहीं करते हैं, उनसे पैसा लिया नहीं जा सकता है और दूसरे टैक्स हम लगा नहीं सकते हैं। जिन वाहनों से ये रास्ते खराब होते हैं, इन वाहनों से यह पैसा आप वसूल करें। फिर वह पैसा उन सभी रास्तों को दुरुस्त करने पर, पुन अच्छे बनाने पर, उनकी मेंटेंस पर खर्च किया जाये। हमने घाटों पर बहुत से खतरनाक एक्सीडेंट होते देखे हैं। वहां दीवालें न होने के कारण एक्सीडेंट हुए और कई लोग मर गये और कई बार तो पूरी की पूरी बस गिर गई, एक भी आदमी नहीं बचा। ऐसा मैंने खुद कई जगह देखा है। मैं इस वक्त मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक नया स्रोत निकाला है, उससे जो पैसा मिलेगा, वह पैसा इन सारे रास्तों को बनाने पर और नये रास्ते बनाने पर खर्च हो सकेगा। (व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

तेजसिंह राव भोंसले : अभी फातमी साहब जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में इसको पूरा सपोर्ट किया लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आई कि वह क्या कर रहे हैं। उन्होंने खाली विरोध करना था इसलिये आखिर में कह दिया कि मैं इसका विरोध करता हूं। यह गलत बात है। ऐसी ही बात हमारी बहन महाजन जी को लगी।

नेशनल हाईवेज पूरे देश के क्षेत्रों मे जाते हैं। महाराष्ट्र में चार ऐसे नेशनल हाईवेज हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया अपनी बात यहीं समाप्त करें क्योंकि हमें आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ करनी है। आप अपनी बात कल जारी रख सकते हैं।

आधे घण्टे की चर्चा

कोयला खदानों में लगी आग

7.30 म० प०

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, मैं अपने द्वारा उठाये गये प्रश्न दिनांक 8 जुलाई के सन्दर्भ में इस चर्चा को प्रारम्भ करना चाहता हूं। चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने उस समय उत्तर देते हुए कुछ बातें, जो मैंने मूल प्रश्न में पूछी थीं, उनका ठीक ढंग से उत्तर नहीं दिया था, अपूर्ण उत्तर था या जानकारी को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया था और यही कारण था कि आधे घण्टे की चर्चा इसपर मांगी गई थी। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय उस समय जो बातें शेष थीं, उनके बारे में वह स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।

विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में मूलतः मैंने प्रश्न उठाया था। लगभग 25000 विस्थापितों के पुनर्वास का प्रश्न है जो अभी तक अनिर्णित है। एक हजार करोड़ की हानि का तो उल्लेख किया गया है लेकिन यह हानि कब-कब, कितनी-कितनी हुई, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आपने यह भी बताया कि 3 करोड़ 7 लाख टन कोयला अब तक राख बन चुका है और लगातार प्रयत्नों के बावजुद इन कोयला खानों में लगी हुई आग पर किसी प्रकार का पूर्णतया नियंत्रण नहीं हो सकता। कुछ खानों में यद्यपि आपने कुछ नियन्त्रण करने का प्रयास किया और कहीं-कहीं कुछ सफलता मिली है लेकिन पूरी तरह से आप उसमें सफल नहीं हुए और इस कारण लोगों के अन्दर निराशा भी है और जिस बात की मैंने चर्चा प्रारम्भ की है। लगभग 13,350 आवास आग के कारण खतरनाक स्थिति में हैं और उनका स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित है, यह आपने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में दिया है। आपने बताया है कि 2550 परिवारों को आपने स्थानान्तरित किया है, शेष परिवारों के बारे में आपकी समयबद्ध योजना क्या है, मैं यह जानना चाहूंगा, आपने कहा है कि सम्पूर्ण आग पर, जिन-जिन खानों में आग लगी हुई है, मुख्यतः झरिया क्षेत्र के अन्दर आपने कहा है कि उन पर 1994-95 तक उस पर नियन्त्रण कर लेंगे। लगातार वर्षों से जो आग लगी हुई है, जो 70 स्थानों पर आग लगी हुई है, अब तक तो आपका उस पर नियंत्रण नहीं हुआ है लेकिन आप अगले दो वर्षों में किस प्रकार से नियन्त्रण कर लेंगे, उसके बारे में आपकी क्या विस्तृत योजना है, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा ? मैं मंत्री महोदय का ध्यान उन्हीं के द्वारा एक प्रश्न के उत्तर से दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि झरिया कोलफील्ड में विश्व बैंक की टीम ने आकर आग

पर नियन्त्रण पाने के उपायों के सम्बन्ध में कोई जानकारी हासिल की थी, यूनाइटेड स्टेट्स की टीम भी गई थी, वैज्ञानिक और टैक्नोलोजिस्ट ने भी वहां जाकर देखा है, यूनाइटेड नेशंस डवलपमेण्ट प्रोग्राम के साथ भी चर्चा हुई है और उससे भी आवश्यक धनराशि आप प्राप्त करने जा रहे हैं, मैं इस सारे सन्दर्भ में जानना चाहूंगा कि आपने अब तक क्या किया ? इस बारे में स्पष्ट और पूरी तरह सदन को बतायें।

आपकी अलग-अलग स्थानों पर जो कोल कम्पनीज या उसकी सब्सीडरी कम्पनीज हैं यह आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कोल की एनुअल रिपोर्ट 1991-92 की है।

[अनुवाद]

"मंत्रालय के अपने प्रशासनिक नियंत्रण में कोल इण्डिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम और इसकी सात सहायक कम्पनियां हैं, अर्थात् :—

(एक) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (बिहार)।

(दो) सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, रांची (बिहार)।

(तीन) ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, सेंकटोरिया (पश्चिम बंगाल)।

(चार) नथरिन कोलफील्डस लिमिटेड, सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।

(पांच) साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, बिलासपुर (मध्य प्रदेश)।

(छः) वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, नागपुर (महाराष्ट्र)।

(सात) सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची (बिहार)।

[हिन्दी]

अब इसमें जो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, बिलासपुर मध्य प्रदेश है, जहां मैंने झरिया की खानों की चर्चा की है, मैं उस सम्बन्ध में भी चर्चा करना चाहूंगा। इसलिये कि वहां भी स्थिति खराब है, वहां भी जो आग लगी है उसके बारे में आपका कोई उपाय, योजना नहीं है। वन अधिनियम भी केन्द्रीय अधिनियम है और इस वन अधिनियम के कारण कुछ उपाय करना चाहते हैं तो वह भी सम्भव नहीं है। मैं जनसत्ता में प्रकाशित एक रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :—"वन अधिनियम अधिकारियों और कर्मचारियों की अदूरदर्शिता के कारण चिरमिरी कोलरी के भूमिगत कोयला खदान में लगी आग से बारह सौ करोड़ रुपए का अच्छी श्रेणी का कोयला भीतर ही भीतर राख में बदलता जा रहा है।" यहां झरिया की जो चर्चा की है, आपने उत्तर में वह बात कही है लेकिन जिस कोल फील्ड की मैं चर्चा कर रहा हूं—साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि०, इसके बारे में आपने कोई चर्चा नहीं की है और जो मैं कह रहा हूं बारह सौ करोड़ रु० की, यह कोई सामान्य बात नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मैंने सिर्फ पांच मिनट लिये हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : चार सदस्य अभी और हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मैं कह रहा हूं कि आग अन्दर ही अन्दर धधक रही है। वर्षा के

पानी के कारण भूमि की मिट्टी की परत को तोड़कर यह धुएं के रूप में बदल रही है। सन् 1980 में नये वन अधिनियम के लागू होने के कारण वन भूमि हस्तांतरण में कई कठिनाइयां हैं। इसका पालन नहीं होने से समझौता करने वाले वन कर्मचारी एवं अधिकारी को कारावास की सजा देने का प्रावधान है और इसलिये मध्य प्रदेश शासन कोयला विभाग को न तो उस वन अधिनियम के कारण भूमि देने के अन्दर सक्षम हो रहा है और इस कारण ये कोयला अन्दर ही अन्दर राख बन रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में यदि आपने कुछ कार्यवाही की हो, क्योंकि यह दो सौ हेक्टेयर का क्षेत्र है, यह सरगुजा क्षेत्र में, बैकुण्ठपुर के पास, जहां से मैं आता हूं मध्य प्रदेश के अन्दर है और मध्य प्रदेश भी एक बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। जहां पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र हैं वहां मध्य प्रदेश भी इस उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है काफी आगे है। बड़ी मात्रा में बिहार के बाद यहां कोयला उत्पादित होता है।

अब मैं उन प्रश्नों की तरफ भी थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो आग लगी उसके कारण स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है उसके बारे में भी न तो आपके कोई सुनियोजित प्रयत्न हैं, न उस प्रकार से कोई ठीक व्यवस्था है। उसके कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य के ऊपर जो असर पड़ता है उसके बारे में कोई उपाय, योजना या ठीक से वहां पर आपके कोई उपाय हो रहे हैं या आपने कोई वहां पर व्यवस्था की हो, यह ज्ञात नहीं होता, वहां सुरक्षा की या देखभाल जैसी भी कोई स्थिति नहीं है। मैं इसके बारे में भी स्टैट्समैन में प्रकाशित 21 जून का समाचार पढ़कर सुनाता हूं :—

[अनुवाद]

"बढ़िया किस्म के कोकिंग कोल के अत्यधिक नुकसान के अतिरिक्त, आग ने भाप, धुएं और जहरीली गैसों के उत्सर्जन से स्थानीय लोगों के स्वस्थ्य को गम्भीर नुकसान पहुंचाया है। झरिया कोलफील्ड क्षेत्र का लगभग 17.32 वर्ग कि०मीटर।"

[हिन्दी]

मैं विशेषकर माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आखिर आपने इसके बारे में क्या किया? रानीगंज और झरिया कोल की फील्ड्स के बारे में और यह जो आपकी यूनाइटेड नेशनल डेवेलपमेंट प्रोग्राम के साथ चर्चा हुई, किस प्रकार से आप वहां पर आधुनिकतम उपाय करने जा रहे हैं, क्योंकि आग बुझाने के बारे में नये प्रकार की जो तकनीक विकसित हो चुकी है उस तकनीक के बारे में आपने क्या कार्यवाही की है? क्या आप उस प्रकार की तकनीक अपनाने जा रहे हैं और आपने जो यह बात कही है कि हम 1994 तक इसके ऊपर कार्यवाही कर लेंगे उसके बारे में आपकी योजना क्या है? यहां कोयला राख हो रहा है और आप कोकिंग कोल बाहर से मंगा रहे हैं।

महोदय, मैं एक बात और कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, कोल बोर्ड अब समाप्त हो गया है लेकिन आपके यहां कोई वैसी व्यवस्था नहीं है जो सम्पूर्ण कोयला उत्पादन क्षेत्रों के बारे में एक स्थान पर विचार करे।

[अनुवाद]

"1970 के प्रारम्भिक वर्षों में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और तत्पश्चात कोयले के परिवर्तन, आग से बचाव, आग का सामना करने का एकमात्र दायित्व कोयला कंपनियों पर डाला गया और धीरे-धीरे कंपनी के प्रभागों और क्षेत्रों पर डाल दिया गया।"

[हिन्दी]

इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आपने कौन-सी व्यवस्था की है और मध्य प्रदेश के अन्दर जो बहुत बड़ी कोयला खदान है उस कोयला खदान से आज जो हम प्राप्त कर सकें वह प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं और बाकी शेष स्थानों पर की गई कार्यवाही और जो मैंने आपके सामने प्रश्न उपस्थित किये हैं, क्या आप उसके बारे में कोई उचित उत्तर देंगे और विशेषकर उन हजारों विस्थापित परिवारों के बारे में, जो आज भी विस्थापित हैं, कुछ लाभ होगा उन्हें राहत मिलेगी अन्यथा यदि कोई ठीक उपाय नहीं हुआ और अगर यही स्थिति बनी रही इसी प्रकार कोयले की आग पर काबू नहीं किया गया तो उसमें और परिवार विस्थापित होंगे। करोड़ों रुपये की हानि तो होगी ही इसके बारे में आपका क्या उपाय, योजना है, कृपया इसके बारे में आप उत्तर देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप उत्तर देने में कितना समय लेंगे ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : पन्द्रह मिनट।

सभापति महोदय : प्रश्न पूछने के लिये आप चारों के पास अब पांच मिनट हैं। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं जो पहला प्रश्न पूछना चाहती हूं वह आग नियन्त्रण में हुई प्रगति के सम्बन्ध में है। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पहले झरिया कोयला क्षेत्रों में काफी लम्बे समय से 70 स्थानों पर आग लगी है। 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया। अब 1992 आ गया है। इन 20 वर्षों में 22 योजनाओं और 114.57 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृति राशि के साथ बी० सी० सी०एल० केवल पांच स्थानों पर आग पर नियंत्रण करने अथवा उसे बुझाने में सफल हुआ है। तीन स्थानों पर सुरक्षात्मक उपाय किये जा चुके हैं और अन्य 13 स्थानों पर आग पर नियन्त्रण किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि 70 में से केवल 21 स्थानों पर कुछ प्रगति हुई है। और शेष स्थानों पर कुछ नहीं किया गया है। इस प्रकार, क्या यह तर्कसंगत है कि आपने एक-तिहाई स्थानों पर उपाय किये हैं और दो-तिहाई को छोड़ दिया है ? आपको इन सभी स्थानों की आग पूरी तरह बुझाने में और 40 वर्ष लगेंगे। मेरा पहला प्रश्न यह है।

इसके बाद, यह केवल झरिया का ही प्रश्न नहीं हैं। डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ने बिलासपुर का प्रश्न उठाया है। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि रानीगंज में भी इसी तरह की समस्या है। इसी प्रकार रानीगंज में छः सौ हैक्टेयर भूमि को आग से नुकसान पहुंचा है। इन सभी निकटवर्ती कोयला क्षेत्रों में क्या उपाय किये जा रहे हैं ? माननीय मंत्री झरिया के सम्बन्ध में प्रश्नों का भी उत्तर दिया जा सकता है।

इसके पश्चात्, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अब तक लगभग 2550 परिवारों को स्थानांतरित किया जा चुका है और अभी भी 13,350 परिवारों को स्थानांतरित किया जाना शेष है। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि इन 20 वर्षों में जहां ये लोग इन खतरनाक स्थितियों में रह रहे हैं, परिवारों को स्थानांतरित करने में इतनी देरी क्यों हो रही है ? परिवारों के इस प्रकार स्थानांतरण में किसी प्रकार की नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं है। अतः ऐसा 20 वर्षों में नहीं बल्कि 20 दिनों में किया जा सकता था।

तीसरा प्रश्न है कि इन क्षेत्रों में, जहां आग लगी हुई है, आग से निकलने वाली गैसों के कारण

वातावरण दूषित होता जा रहा है। अतः इस बढ़ते हुए वातावरणीय प्रदूषण का सामना करना होगा और हम जानना चाहते हैं कि इसके लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं। यह कहा गया है कि ये आग विगत में अवैज्ञानिक ढंग से खनन के कारण लगी थीं। मैं जानना चाहूंगा कि खनन के ये अवैज्ञानिक साधन आज किस सीमा तक पूर्णतः प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं और खनन कार्य कितना वैज्ञानिक और सुरक्षित हो गया है।

और अन्ततः, एक प्रश्न और है, अर्थात् यह कहा गया है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी की खोज में चार खनन अभियन्ताओं (इंजीनियरों) का एक दल अमरीका का दौरा करने के लिए भेजा गया था और आप विश्व बैंक से भी सलाह कर रहे हैं। कतिपय खान सुरक्षा अनुसंधान संस्थान और अनेक अनुसन्धान संस्थान भी हैं। क्या सरकार यह कहना चाहती है कि अब तक आग पर नियन्त्रण पाने के लिए जो उपाय किये गये हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं कि आज और अधिक उपायों पर विचार किया जा रहा है? विगत में प्रयुक्त किए गये स्वदेशी उपाय किस सीमा तक सफल हुए हैं? किस सीमा तक वे असफल रहे? यह अन्य प्रश्न है जो मैं पूछना चाहूंगी।

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, प्रश्न सामान्य था लेकिन मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में केवल झरिया कोलफील्ड के बारे में बताया है। महोदय, आप जानते हैं कि झरिया कोलफील्ड में भूमिगत आग बी० सी० सी० एल, की अन्य सहायक कम्पनियों से अधिक है। रानीगंज कोलफील्ड में भूमिगत आग लगी हुई है···(**व्यवधान**)।

सभापति महोदय : कृपया अपने प्रश्न पूछें।

श्री वासुदेव आचार्य : मैं प्रश्न करने के लिये भूमिका तैयार कर रहा हूं। मैं प्रश्नों पर आ रहा हूं।

रानीगंज कोयला क्षेत्र हमारे देश में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र में से एक है। और राष्ट्रीयकरण से पहले अवैज्ञानिक खनन के कारण और राष्ट्रीयकरण के बाद भी विध्वंसक खनन, अवैज्ञानिक खनन के कारण सही कदम नहीं उठाये गये हैं हालांकि बख्शी समिति, चारी समिति, बनर्जी समिति जैसी अनेक समितियों ने सिफारिश की कि आग पर नियंत्रण पाने के लिये उचित वैज्ञानिक कदम उठाने होंगे। समितियों का गठन किया गया उन्होंने अपनी रिपोर्टें दीं। उसके बाद भी कई वर्षों तक सरकार ने झरिया कोयला क्षेत्र के एक तिहाई कोयला खनन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य कहीं कोई कार्यवाही नहीं की है।

रानीगंज शहर को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव था और यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। क्या मैं मन्त्री जी से जान सकता हूं कि सरकार ने आग पर नियन्त्रण पाने के सम्बन्ध में विभिन्न समितियों की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं। धंसकन का सम्बन्ध भी आग से सम्बन्धित है। मैंने ईस्टर्न कोयला क्षेत्र में अनेक कोयले की खानों का दौरा किया था। और यहां तक कि सेंकचूरिया में ही वी०सी०सी०एल०के मुख्यालय के ठीक पीछे, मैंने भूमि से धुंआ निकलते हुए देखा था। इस प्रकार भूमि के नीचे भी आग लगी हुई है।

स्थायीकरण समिति के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 'धसकन अभियान' का प्रस्ताव किया था। आग और धंसकन से युद्ध स्तर पर निपटना होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हू कि सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार के स्थायीकरण समिति के प्रस्ताव पर क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है? समिति का गठन विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों प्रतिनिधियों, सहायक

कम्पनियों और कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को किया जाना है। क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है?

इसके अलावा, कोल इंडिया के अधीन एक अनुसंधान और विकास संगठन है और वह सी०एम० पी० डी० आई० एल०। सी० एम० पी० डी० आई० एल० ने आग और धंसाव को रोकने हेतु एक प्रक्रिया विकसित की है। इसे पूर्वी कोयला क्षेत्रों में एक अथवा दो खानों में भी क्रियान्वित किया गया है। क्या माननीय मन्त्री यह बतायेंगे कि सरकार सी० एम० पी० डी० आई० एल० द्वारा विकसित प्रक्रिया को झरिया कोयला क्षेत्र पूर्वी कोयला क्षेत्रों विशेष रूप से रानीगंज कोयला खान और चिरीमिरी कोयला खनन क्षेत्र में क्रियान्वित करने पर भी विचार कर रही है?

विश्व बैंक ने झरिया कोयला क्षेत्रों में आग पर नियन्त्रण करने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भी दी है। क्या मैं जान सकता हूं कि उस रिपोर्ट में क्या है और विश्व बैंक ने झरिया कोयला क्षेत्रों में आग पर नियन्त्रण करने हेतु क्या सुझाव दिये गए हैं?

जब मैंने दूसरे दिन अनुपूरक प्रश्न पूछा था तो माननीय मन्त्री ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था क्योंकि वह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं था। मैंने मुकुन्ड़ा परियोजना के संबंध में प्रश्न पूछा था (व्यवधान)। उस परियोजना पर 20 करोड़ रुपए व्यय हुए आग पर नियन्त्रण करने हेतु परियोजना को आरम्भ किया जाना था। (व्यवधान) क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इस राशि को क्यों व्यय किया गया था; क्या उस परियोजना को छोड़ दिया गया है और क्या इसका आरम्भ किये जाने से पूर्व अवलोकन किया गया था अथवा नहीं?

मैं मंत्री महोदय से इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का अनुरोध करूंगा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा रानीगंज कोयला क्षेत्रों में आग रोकने हेतु किए गए प्रस्ताव।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, मैं दो-चार बातें कहना चाहूंगा। मूल प्रश्न पूरे देश से संबंधित था और केवल झरिया कोल-फील्ड से संबंधित उत्तर दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस झरिया कोल-फील्ड के अलावा और देश की कोयला खानों की क्या स्थिति है। आपने बताया कि बीस वर्षों में 70 स्थानों में से 50 जगह ही आग बन्द करा पाये हैं। अभी झरिया के लिए और कितना समय लगेगा यह पता नहीं है। अकेले झरिया में 13 हजार परिवार ऐसे हैं जिनको तुरन्त बसाने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि इससे अधिक संख्या होगी। आप उनके बारे में चिन्तित हैं, आप नई तकनीक की बात कर रहे हैं, रक्षा अनुसंधान केन्द्र द्वारा सुझाव प्राप्त कर रहे हैं, विदेशों से टीम आकर आपको सुझाव दे रही हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या यह प्रोसेस इसी हिसाब से लम्बा ही चलता रहेगा? पूरे देश में कुल कितनी खानें हैं जिनमें आग लगी हुई है और क्या आपका कोई समयबद्ध कार्यक्रम है कि इतने समय के अन्दर उसको रोक देंगे?

आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि जो विस्थापित हो रहे हैं उनके परिवारों को किस प्रकार से पुनर्वास और अन्य सुविधायें उपलब्ध करायेंगे?

7.53 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इससे पूर्व कि हम विषय पर दोबारा चर्चा करें, श्री सैफुद्दीन चौधरी कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : अब हम उसी विषय पर आते हैं। श्री हाराधन राय।

आधे घण्टे की चर्चा

कोयला खदानों में लगी आग—जारी

***श्री हाराधन राय** (आसनसोल) : माननीय सभापति महोदय, रानीगंग, झरिया, पूर्वी पश्चिम बोकारो (18289 हेक्टेयर भूमि) की कोयला खानों में आग जारी हैं 43 गांवों के समूह और रानीगंज कोयला क्षेत्र में 4 नगरों को असुरक्षित घोषित किया गया है और 10 से 12 लाख से अधिक लोग उस क्षेत्र में रहते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से सांविधिक निकाय के निर्माण और संसद में विधेयक को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को प्रस्तावित सांविधिक प्राधिकरण के निर्माण की मांग करनी चाहिए। आवश्यक वित्त व्यवस्था का दायित्व कोयला विभाग का होना चाहिए और उक्त सांविधिक निकाय का परियोजना के सभी पहलुओं की योजना और अभिकल्पना तथा खनन से पूर्व के दिनों जैसा पर्यावरण और परिस्थिति की संतुलन को बनाए रखने का पूरा दायित्व होगा। संविधि में सोनपुर पैकेज के लिए स्वीकृत पुनर्वास पैकेज के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रभावित अथवा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का भी प्रावधान होगा। चूंकि सरकार ने कोई कार्यवाही योजना नहीं बनाई है, उनके पुनर्वास का का कार्य विधेयक के प्रावधान में शामिल किया जाएगा।

सोनपुर बाजारी पैकेज में पुनर्वास की योजना है। इसे अधिनियम के रूप में पारित किया जाना चाहिए ताकि विस्थापित लोग पुन: स्थापित हो सके।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण संबंधी उपायों और धंसाव नियन्त्रण के लिए प्रावधान को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना चाहिए सी०एम०पी०डी० आई—पश्चिम बंगाल के शीर्ष निकाय ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि केवल रानीगंग कोयला क्षेत्र के लोगों के स्थायीकरण और पुनर्वास के लिए 806 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

रानीगंज शहर में 850 हेक्टेयर भूमि में से 90 हेक्टेयर भूमि आग और धंसाव से प्रभावित है। इसके लिए 806 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने थे। परन्तु 1990 से अभी तक केवल 54 लाख रुपए ही व्यय किए गए हैं। यदि यही प्रगति की गति है तो इतने बड़े क्षेत्र में 100 वर्षों में भी आग को नहीं बुझाया जा सकता है। जिसके परिणाम स्वरूप कोयले के बड़े भंडारों का विनाश होगा। मैं केवल बिहार से ही कोयले की हानि के अनुमान का ब्यौरा दे सकता हूं। वहां पर आग को नियन्त्रित करने के पश्चात् कोयले के बड़े भंडारों को बचाया गया।

---

* मूलत: बंगाल भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अब मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि सरकार आग और पर्यावरणीय प्रदूषण को नियन्त्रित करने हेतु क्या कदम उठाएगी। क्या सरकार का इरादा एक विधेयक को पुरःस्थापित करने और इस उद्देश्य के लिए अधिनियम पारित करने का है। मेरा सुझाव यह है कि आयोजना, क्रियान्वयन और पर्यावरणीय तथा ध्वंसावं नियंत्रण उपायों का पर्यवेक्षण करने हेतु एक प्राधिकरण होना चाहिए।

वित्तीय आदान उपकर द्वारा एकत्रित किए जाएं अथवा सी० आई० एल०, ई० सी० एल० आदि एजेंसियों के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं प्रस्तावित प्राधिकरण के गठन में विलम्ब का कोई कारण नहीं है। मैं संक्षेप में यही निवेदन करना चाहता हूं।

8.00 म० प०

सभापति महोदय : हम मंत्री महोदय के उत्तर देने तक बैठेंगे आशा है कि सभा इस बात से सहमत होगी। मंत्री महोदय अब उत्तर देंगे।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : सभापति महोदय, मैं इस विषय को सभा के समक्ष लाने के लिए डा० पाण्डेय का आभारी हूं। कोयला क्षेत्रों में भूमिगत आग लगाना राष्ट्रीय चिन्ता का विषय रहा है। हम इसे राष्ट्रीय विनाश समझते हैं क्योंकि झरिया क्षेत्र कोकिंग कोल भण्डार हैं। कोकिंग कोयले की मात्रा में आवश्यकता के अनुसार आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में हमारे देश को कुछ समय लगेगा।

महोदय, इस्पात मंत्री मेरे समीप बैठे हुए हैं। **(व्यवधान)**

यदि हम नई विनिमय दर को ध्यान में रखें तो हमें 4 से 5 मिलियन टन के बराबर कुकिंग कोल का आयात करना पड़ेगा। यह राशि 750 करोड़ रुपए है। अतः हमारे देश को कुकिंग कोल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि झरिया में भूमिगत आग को नियन्त्रित किया जाये।

आग का 1916 में पता चला था। झरिया क्षेत्र में जारी भूमिगत आग को अब लगभग 80 वर्ष हो गए हैं। यह 17.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। अब भारत सरकार ने एक प्रौद्योगिक का उपयोग किया है जिसे 'ताप ऊर्जा' कहते हैं और वे विमान में लगे कैमरा से चित्र लेते हैं। वे भूमिगत आग के चित्र लेते हैं। मैं स्वयं उनके साथ गया था। वे बहुत दिलचस्प चित्र हैं। हमने पता लगाया था कि झरिया चित्र में 70 स्थानों पर सक्रिया रूप से आग लगी हुई है। खानों की संख्या लगभग 14 है। हमने अनुमान लगाया है कि अभी तक 37 मिलियन टन कोयला नष्ट हो चुका है। क्योंकि वहां 80 वर्षों से लाग लगी हुई है। यह अभी भी जारी है। नष्ट हुए कोयले का मूल्य लगभग 1,'00 करोड़ रुपए है।

हमने उस आग पर नियंत्रण पाने हेतु सभी प्रकार की स्वदेशी तकनीक को अपनाया है। मैं प्रौद्यगिकी से बहुत परिचित नहीं हूं। जो भी तकनीक अपनाई गई है। मैं उसे केवल पढ़ सकता हूं। वे इस प्रकार हैं :

(एक) खाई खोदना और उसको अज्वलनशील मैंटी से भरना।

(दो) दबाव और संश्लेषण के अंतर्गत पानी परिसंचरित करना।

(तीन) पूर्ण रूप से उसे खोदना और अलग करना; तथा

(चार) आक्सीजन को बाहर रखने की दृष्टि से इनर्ट गैस का निषेचन।"

हमने इस प्रकार की स्वदेशी प्रौद्यगिकियों का उपयोग किया है परंतु जैसाकि प्रो० भट्टाचार्य ने ठीक ही संकेत दिया है कि अलग से रखी गई 114 करोड़ रुपए की राशि तथा 22 परियोजना आरम्भ करने के बावजूद हम 5 स्थानों में आग बुझा पाए हैं और केवल तीन स्थानों पर हम सुरक्षात्मक कदम उठा पाए हैं और 13 स्थानों में हमने आग को नियंत्रित किया है। निःसंदेह लगभग 6 स्थानों में पूर्ण रूप से आग नियंत्रित हुई है और एक स्थान पर आग पर नियंत्रण किया जा रहा है। यह अधिक नहीं है, यह उपलब्धि काफी नहीं है। मैं प्रो० भट्टाचार्य से पूर्णतया सहमत हूं कि यह पूरी तरह से नहीं किया गया है। परन्तु हमने उस आग को नियंत्रित करने और उसे बुझाने हेतु गंभीर प्रयास किए हैं। उठाए गए सभी कदमों के परिणामस्वरूप जो आंकड़े मुझे दिए गए हैं उनके अनुसार जिन 6 स्थानों पर हमने आग पूर्णतया बुझाई है वहां हम 2,125 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 85 मिलियन टन कोयले को बचा पाए हैं—मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां आग नियंत्रित हो गई है, वहां बुझी नहीं है—जबकि हमने 5 स्थानों पर आग पूर्ण रूप से बुझाई दी है और हमने 95 मिलियन टन कोयले की बचाया है और उसका मूल्य 2,256 करोड़ रुपए हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : आपने कितना व्यय किया है।

श्री पी० ए० संगमा : 70 करोड़ रुपये। मूल रूप से स्वीकृत 114 करोड़ रुपये में से 70 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : रानीगंज के बारे में क्या स्थिति है?

श्री पी० ए० संगमा : रानीगंज···(व्यवधान)

आप रानीगंज का प्रश्न यहां क्यों ला रहे हैं? आप उसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं? (**व्यवधान**) परन्तु वास्तविकता यह है कि आज हमारे पास कोकिंग कोल का 1,864 मिलियन टन का अनुमानित भण्डार है। यह बड़ा भण्डार है और यदि हम उस आग पर नियंत्रण कर पाते हैं और खान खोद पाते हैं तो शायद देश निकट भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकता है और इस 1864 मिलियन टन कोयले का मूल्य 45,000 करोड़ रुपए हैं। अतः, राष्ट्रीय दृष्टि से यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि हम इस आग को नियंत्रित करें। महोदय, इसके दो पहलू हैं। केवल आग को बुझा और उसे नियंत्रित करने से ही हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। शायद स्वदेशी तकनीक से हम आग को बुझा पाए परन्तु इसका स्वतः यह अर्थ नहीं है कि हम उस भण्डार का खनन कर पाएंगे क्योंकि आग बुझाने से और उसके खनन कार्य प्रारम्भ करने में कम से कम 10 से 15 वर्ष और 25 वर्ष तक का समय भी लग सकता है क्योंकि इसके लिए भण्डार को ठण्डा करना पड़ेगा। आग बुझ जाने के बावजूद भी वह स्थान गर्म रहता है और जब तक वह स्थान गर्म है आप वहां खनन कार्य नहीं कर सकते। इसलिए प्रौद्योगिकी उपयोगी नहीं होती क्योंकि हमारी प्रौद्योगिकी में यदि हम आग बुझाते हैं तो हमें वह खान बन्द रखनी पड़ती है और इसे 15 से 20 और 25 वर्ष के लिए बन्द रखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उसे खोल सकेंगे और वहां खनन कार्य कर सकेंगे। इसलिए, इसके लिए दो प्रकार की प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है। मेरा तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की प्रौद्यगिकी की हमें आवश्यकता है वह ऐसी होनी चाहिए जो न केवल आग को बुझाए बल्कि वह वहां के ताप को भी समाप्त करगी ऐसा कहिए कि कुछ वर्षों में, अथवा दो अथवा तीन वर्षों में खनन कार्य किया जाना सम्भव हो सके यही कारण है कि हम उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। इससे श्रीमती भट्टाचार्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि क्या हमारे लिए विदेश जाना और वहां प्रौद्योगिकी का पता लगाना आवश्यक हैं। जी हां, इस समस्या के कारण यह आवश्यक है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : 10 वर्ष अथवा 15 वर्षों में इसे बनाने में क्या उकसान है ?

श्री पी० ए० संगमा : महोदया, आप जानती हैं जैसा कि मैंने कहा है कि प्रतिवर्ष 750 करोड़ रुपये मूल्य के कोकिंग कोल का आयात करना हमारे लिए एक भारी वित्तीय बोझ है। जहां तक सम्भव हो सके हम खनन कार्य करना चाहते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपन उन अन्य क्षेत्रों में खनन कार्य कर सकते हैं जहां कोकिंग कोल के प्रचुर भण्डार हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० ए० संगमा : कोकिंग कोयले के अन्य भण्डार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हैं। जब तक यातायात की बाधाओं को दूर नहीं किया जाता। इसे अन्य क्षेत्रों में ले जाया जाना कठिन है। गुवाहाटी और डिब्रुगढ़ के बीच मीटर लाइन, जो 1982 में बिछाई गई थी, को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा रहा हैं। जब तक इस रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित नहीं किया जाता तब तक हम उत्तर पूर्वी राज्यों में कोकिंग के भण्डार का दोहन नहीं कर सकते जिला मेघालय, नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश में प्रचुर भण्डार है। इसलिए हम उसे भी आरम्भ कर रहे हैं।

ज्यों ही मैंने प्रभार सम्भाला मैंने सोचा कि हमें इस आग पर नियन्त्रण पाने पर विशेष बल देना चाहिए। इस मुद्दे पर मैंने कई विशेषज्ञों से परामर्श किया है और मुझे बताया गया कि संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ भागों में भी इसी प्रकार की आग लगी हुई है यद्यपि वह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी कि हमारे यहां लगी हुई है। हालांकि विश्व भर के वैज्ञानिकों ने बताया है कि भारत में लगी भूमिगत आग अनोखी हैं। ऐसी आग विश्व में कहीं भी नहीं लगी है। हमें बताया गया कि संयुक्त राज्य अमरीका के पास इसके लिए कोई प्रौद्योगिकी है और हमें उसका उपयोग करना चाहिए। हमने तत्काल यहां के संयुक्त राज्य अमरीका के दूतावास से सम्पर्क किया और उन्होंने काफी उदारता दिखाई जिसके परिणाम-स्वरूप हमने वर्ष 1991 के नवम्बर माह में संयुक्त राज्य अमरीका से 4 अभियन्ताओं को भेजा। वे वहां दो सप्ताह तक रहे और 25 नवम्बर 1991 को वह वापस आए। उन्होंने मन्त्रालय को बहुत विस्तृत रिपोर्ट भेजी और सबसे पहले हमने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में एक काम किया, हमने मात्र भूमिगत आग से निपटने के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया। पहले वहाँ विशेषरूप से इससे निपटने के लिए कोई प्राधिकारी नहीं था। हमने उन सभी चार अभियन्ताओं को इसमें शामिल किया जो संयुक्त राज्य अमरीका गए थे और इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए वही लोग उत्तरदायी लोग होंगे। इसलिए अलग बिभाग की स्थापना की गई थी।

अब वे चार प्रकार की प्रौद्योगिकी लेकर आए हैं जिसे भारत में लगाया जा सकता है और वह चार प्रकार की प्रौद्योगिकी निम्नलिखित हैं :

1. आग बुझाने के लिए हाइड्रो मानीटरों का प्रयोग पश्चात् ऊष्मा मलबा और कोयला का उत्खनन;
2. उच्च तापमान की परिस्थितियों के अन्तर्गत ड्रिलिंग करना;
3. छिद्र परिवेध द्वारा झाग का निपेचन, और
4. दरारों को बन्द करके और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उन्नत सीमेंट गारा के मिश्रण का प्रयोग करना।

यही वह चार प्रौद्योगिकियां हैं जिनकी पेशकश संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा हमें की गई है और

हमें कहा गया कि या तो यह चारों कोकिंग प्रौद्योगिकियों अथवा एक अथवा दो प्रौद्योगिकियां भारत में इस प्रकार की भूमिगत आग के लिए उपयुक्त और उपयोगी अथवा प्रभावी होंगी।

तत्पश्चात् धन का प्रश्न आता है क्योंकि इस प्रकार की आग पर नियंत्रण करने के लिए भारी खर्च अन्तर्ग्रस्त होता इसलिए इसके लिए हम विदेशों से सहायता की तलाश में हैं। हमने विश्व बैंक से सम्पर्क किया था। हमने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के पास जाने में हमारी सहायता करने के लिए विदेश मन्त्रालय से सम्पर्क किया है और जैसा कि आज स्थिति है, विश्व बैंक के विशेषज्ञों के दल ने भारत का दौरा किया, वे भूमिगत आग वाले क्षेत्रों में भी गए, उन्होने स्थिति का गहन अध्ययन किया और उन्होंने अब हमें एक प्रस्ताव दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसे दो स्तरों पर किया जाना चाहिए। सबसे पहले इसका निदान सूचक अध्ययन किया जाना है और विश्व बैंक ने वायदा किया है कि निदानसूचक अध्ययन के लिए वह हमें निधि दे सकता है उन्होंने निदानसूचक अध्ययन की लागत को अनुमानतः 154 लाख डॉलर आंका है जो बहुत बड़ी राशि है उसने कहा है कि वह दीर्घावधि ऋण के आधार रूप में इसका 90 प्रतिशत धन दे सकते हैं और भारत सरकार को बाकी का 10 प्रतिशत देना पड़ेगा जिसके लिए वह तैयार है। वह केवल निदानसूचक अध्ययन के लिए है। निदानसूचक अध्ययन करने के पश्चात् ही परियोजना का वास्तविक कार्यान्वयन आरम्भ किया जाएगा।

श्री बासुदेव आचार्य : क्या निदानसूचक अध्ययन किया जा रहा है ?

श्री पी० ए० संगमा : मैं सच कह रहा हूं। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूं जो हम कर रहे हैं।

निदानसूचक अध्ययन के पश्चात् वास्तविक कार्यान्वयन आरम्भ होगा। इसके लिए धन कहां से आएगा ? इसके संसाधनों के लिए हमने फिर विश्व बैंक से निवेदन किया। हमारा प्रयास जारी है और मैंने कहा हम यू० ए० डी० पी० आदि से भी प्रयास कर रहे हैं।

कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि भूमिगत आग का तात्पर्य है पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचाना। यह पानी और वायु को दूषित करता है और ज्यादा धुंआ निकलता है तो इससे पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न होता है। आज पूरा विश्व पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में चिन्तित है और उन चीजों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। जिससे जो पर्यावरण की नीति के खिलाफ है। कई बहुराष्ट्रीय एजेन्सियां है उन परियोजनाओं के लिए धन देने को तैयार हैं जो पर्यावरण को बनाए रखने में सहायक होंगी इसलिए हम आशावान हैं मैं निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि हम धन प्राप्त करने में समर्थ होंगे या नहीं। लेकिन मैं काफी आशावान् हूं।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार खुद अपने मूल पर यह समस्या उठाने के लिए तैयार है कि क्या हम विदेशी धन प्राप्त करें अथवा नहीं और हम नहीं चाहते कि आग को नियन्त्रित करने में धन आड़े आए क्योंकि दीर्घावधि राष्ट्रीय हित में इसे किया जाना चाहिए और हमें अपने उत्तरदायित्व का पूरा आभास है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या इसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया है ?

श्री पी० ए० संगमा : विश्व बैंक द्वारा निदानसूचक अध्ययन कर लेने के पश्चात् हम यह बता सकेंगे कि इसमें कितना समय किया जाएगा। यह बता पाना मेरे लिए बड़ी समस्या है क्योंकि यह विशेषज्ञों की राय है और जो अधिक प्रामाणिक होगी। मेरा विचार है कि समय सारणी के बारे में बताना सम्भव नहीं होगा। लेकिन इसे शीघ्रतिशीघ्र करने का हमारा इरादा है।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने किस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि आप आग को 1994-95 तक बुझा पायेंगे।

श्री पी० ए० संगमा : मैंने ऐसा तो नहीं कहा है मैं कह रहा हूं कि समय सारणी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

अब कुछ और मुद्दे हैं। डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय ने चिरिमिरी के बारे में कहा और श्री हाराधन राय अथवा किसी अन्य सदस्य ने भी इसके बारे में बताया है। मेरे पास चिरीमिरी के बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं हैं लेकिन जहां तक मुझे याद है कि चिरीमिरी समस्या भूमिगत आग की समस्या नहीं हैं यह खुले मुहाने की आग है और हम आग पर नियन्त्रण पाने में सफल नहीं हो सके क्योंकि यह क्षेत्र हमारे अन्तर्गत नहीं आता और यह वन और पर्यावरण विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है हमने इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ उठाना है और इस भूमि को हमें सौंप देने को कहा है। तभी हम आग पर नियन्त्रण पाने में समर्थ होंगे। मैं नहीं समझता कि यह कठिन कार्य हैं। यह खुला मुहाना आग है। मुझे अभी-अभी सूचना प्राप्त हुई है कि पर्यावरण और वन मन्त्रालय का क्षेत्र हमें सौंपने के लिए सहमत हो गया है और इसलिए अब हम चिरीमिरी क्षेत्र में लगी आग को बुझाने का कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं।

श्री अनिल बसु : रानीगंज क्षेत्र का क्या होगा ।

श्री पी ए संगमा : रानीगंज की समस्या भूमिगत आग की समस्या की तरह नहीं हैं। मैं समझता हूं कि रानीगंज समस्या धसकन की समस्या है। आग वहां भी है लेकिन अधिक आग नहीं लेकिन मुख्य रूप से यह धसकन की समस्या है। यह समस्या बनी हुई है कि इस समस्या को कौन सुलझाए। भारत सरकार हमेशा से कह रही है कि "हम इनके लिए धन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार को इस परियोजन का निष्पादित करना चाहिए।" पश्चिम बंगाल सरकार का उत्तर है कि "नहीं। हमारे पास इसे करने के लिए विशेषज्ञता नहीं है आप इसे स्वयं करें।" इसलिए पश्चिम बंगाल के साथ काफी लम्बे समय से बातचीत चल रही थी। मैंने मुख्य मंत्री को कई पत्र लिखे हैं और हाल ही में—मुझे तिथि याद नहीं है—अभी हाल ही में मेरी नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से भेंट हुई थी। मुझे पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्यों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने मामले का समाधान कर लिया है और अब हमने निर्णय किया है कि रानीगंज में धसकन की समस्या की अब जांच-पड़ताल करेंगे और इस परियोजना का निष्पादन आसनसोल—दुर्गापुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण में एक पृथक स्कंध की स्थापना विशेषतौर से इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए की जाएगी। उस स्कन्ध को सहायता ई० सी० एल० और सी० एम० पी० डी० आई० के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाएगी। प्रौद्योगिकी, तकनीकी जानकारी और तकनीकी सहायता जिसकी इसे आवश्यकता होगी, यह कोल इण्डिया द्वारा दी जाएगी और इसके कार्यान्वयन को करने वाली एजेन्सी आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण है। मैं समझता हूं कि सदन को पहले ही यह सूचना कई बार दी जा चुकी है कि अभी भी कोयला मन्त्रालय के पास 5 करोड़ रुपये पड़े हैं। इसलिए हम कार्य आरम्भ कर सकते हैं। मैं पश्चिम बंगाल सरकार का और विशेष रूप से मुख्य मन्त्री का आभारी हूं जिन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मुझे विस्वास है कि मैं शीघ्र ही रानीगंज का दौरा करूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लेकिन श्री वसुदेव आचार्य और अन्य सदस्यों द्वारा यह नहीं बताया गया है। (व्यवधान)

श्री पी० ए० संगमा : श्री बसुदेव आचार्य इसके बारे में बहुत प्रसन्न हैं दुर्भाग्यवश उन्हें उसके बारे में पता नहीं है कि उनके मुख्य मन्त्री ने क्या किया है। इसीलिए उन्होंने आज यह प्रश्न पूछा है नहीं तो इस प्रश्न को उठाने की आवश्नकता नहीं थी।

श्री बसुदेव आचार्य ने मुण्डका परियोजना के बारे में पूछा था। एक बार फिर, मेरे पास इसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है मैं समझता हूं कि आपका यह कहना बिल्कुल उचित है कि मुण्डका परियोजना के कार्य में कोई प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि वहां पर छः जगह में भूमिगत आग लगी है और जब तक पहले उस आग को नहीं बुझाया जाता, हमारे सहयोगी इस परियोजना को आरम्भ करने में समर्थ नहीं हो सकते। मुझे ठीक से याद नहीं है कि इसमें हमारा सहयोगी पोलैंड है अथवा यू० एस० एस० आर० है। मुझे इसे देखना। जो कोई भी हो वह परियोजना को आरम्भ करने के लिए तब तक राजी नहीं होगा जब तक कि हम मुण्डका क्षेत्र में लगी छः भूमिगत आग को नहीं बुझा देते। इसके लिए हम कदम उठा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : इस पर पहले ही 20 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है।

श्री पी० ए० संगमा : मैं समझता हूं कि यह सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिसे उठाया गया है। अन्य सभी प्रश्न सामान्य प्रकृति के हैं। मैंने यू० एन० डी० पी० के बारे में भी बता दिया है जिसे डा० पाण्डेय ने उठाया था। यही सूचना मेरे पास उपलब्ध है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम हर समय प्रयास करेंगे कि आग पर काबू पाया जाए।

महोदय, मैं सभी सदस्यों को अच्छे सुझाव और अच्छी सूचना देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा कल गुरुवार, 20 अगस्त, 1992 के 11 बजे म० पू० पर पुनः समावेत होने के लिए स्थगित होती है।

8 23 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 20 अगस्त 1992/29 श्रावण, 1914(शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : चौहान प्रिंटिंग प्रैस, ब्रह्मपुरी, दिल्ली—53

पी० एल० एस०—48/15/30/92 (एन०)
250

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौहान प्रिंटिंग प्रेस,
दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।